खण्ड-405, अंक-10
शुक्रवार, 4 वैशाख, शक संवत् 1914
(24 अप्रैल, 1992 ई0)

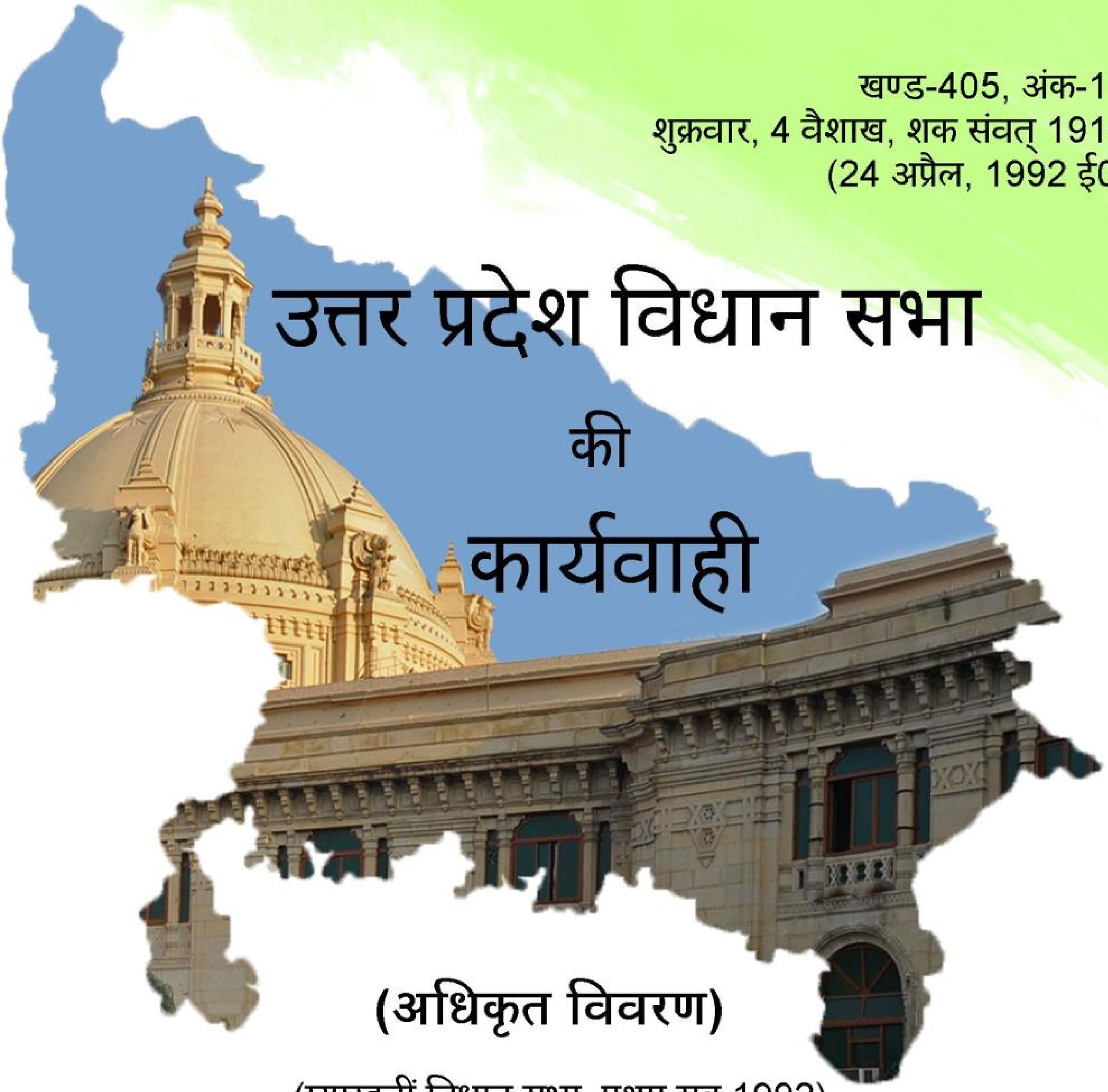

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. | क-ख |
| कतिपय सदस्यों द्वारा विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास .. .. | 1 |
| प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजित रे के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव लाये जाने का सुझाव (जारी) .. .. | 1 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | 2-110 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाए .. .. | 110-111 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सात सूचनाओ के स्थान पर दस सूचनाएं लिये जाने का सुझाव .. .. .. .. | 111 |
| इलाहाबाद की सदर तहसील चायल का मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्र मे स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 111 |
| जनपद बांदा के ग्राम पुनाहर से ग्राम सिकलोढ़ी तक सडक व पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 111-112 |
| जनपद फिरोजाबाद में बालक-बालिकाओ के लिए राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 112 |
| जनपद मुरादाबाद में पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली ग्राम बन्धु पंजिकाओ को अधिक मूल्य पर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 112 |
| जनपद बांदा के ग्राम गोविन्दपुर में पुलिस चौकी खुलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 113 |
| जनपद बदायूं में थोर पेरेन्टल लिमिटेड मेहसाना (गुजरात) द्वारा निर्मित ग्लूकोज की बोतलो मे फफूंदी पाये जाने से जनजीवन को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 113 |
| जनपद बादा के विकास खण्ड जसपुरा तिंदवारी तथा बड़ोखर खुर्द के कतिपय गांवों में एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 114 |
| मुस्लिम वक्फ का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व सबंधित साहित्य उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध मे व्यवस्था का प्रश्न .. | 114 |
| प्रसिद्ध फिल्मकार श्री सत्यजित रे के निधन पर सदन मे शोक प्रस्ताव कराये जाने का सुझाव .. | |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| नियम 311 की सूचना के नियम 300 में परिवर्तित करके औचित्य के प्रश्न के रूप मे लेने का निर्णय .. .. .. | 115 |
| सहारनपुर मे बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर की शोभा यात्रा पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे औचित्य का प्रश्न .. | 115-118 |
| उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा दिये गये निर्णय को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध मे औचित्य का प्रश्न | 118-123 |
| जनपद आगरा के पेयजल सकट के समाधान न होने के सम्बन्ध मे औचित्य का प्रश्न .. .. .. | 123-126 |
| विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पांचवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 का उत्तर त्रुटिपूर्ण होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. | 126-128 |
| श्री भगवन्त प्रसाद, सदस्य, विधान सभा के इलाहाबाद स्थित मकान पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. | 128-134 |
| स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य विभाग के बजट का उत्तर भाषण राजस्व मंत्री द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. | 134-143 |
| उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1989 (पटल पर रखी गयी) .. .. .. | 143-144 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 66वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. .. .. | 144 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 67वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) .. .. .. | 144 |
| विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी .. | 145 |
| नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 मे परिवर्तित करते हुए कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) .. .. .. | 145-146 |
| सदन मे कोरम के अभाव की सूचना (जारी) .. | 146 |
| नियम 311 की सूचनाओ को नियम 56 मे परिवर्तित करते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी) .. .. .. | 146-153 |
| सदन मे अनुपस्थित सदस्यो की सूचनाओं के संबध मे श्री उपाध्यक्ष का निर्देश .. .. .. .. | 154-155 |
| दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 (जारी) .. | 155 |
| नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित करते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं .. .. .. | 156-159 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 (पारित) .. | 159-162 |
| वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-21-खाद्य एवं रसद अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग (जारी) .. .. .. | 162-163 |
| प्रस्तुत हुए खाद्य एवं रसद विभाग के बजट से संबंधित साहित्य प्राप्त न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. .. | 163 |
| वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या, 48-मुस्लिम वक्फ विभाग (जारी) .. .. .. | 164-166 |
| सदन में कोरम के अभाव की सूचना (जारी) .. .. | 166 |
| वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान, संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग (जारी) .. .. .. | 166-171 |
| सदन में कोरम के अभाव की सूचना (क्रमागत) .. .. .. | 171 |
| वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग .. .. .. | 171-203 |
| वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य संबंधी विभाग (पशुधन), अनुदान सख्या16-कृषि तथा अन्य संबंधी विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान सख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (जारी) .. | 203-216 |
| सदन मे कोरम के अभाव की सूचना (स्वीकृत) .. .. .. | 216 |
| वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या15- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विभाग) अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) .. | 216-221 |
| लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की कार्य-प्रणाली के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1986-87 के सम्बन्ध में चर्चा के सूचनाकर्ता सदस्य के अनुपस्थित के कारण व्यपगत होने की सूचना .. | 221 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. | 221-222 |
| अनुपस्थित सदस्य की सूचना पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी .. .. .. | 222 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद मुजफ्फर नगर में जानसठ क्षेत्रान्तर्गत कैलापुर, जसमौर ग्राम में हड्डी मिल की स्थापना से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लघु उद्योग राज्यमंत्री का केवल वक्तव्य .. | 222-223 |
| प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की अधूरी पेयजल योजनाओं को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य .. .. .. .. | 223-225 |
| प्रदेश की प्रौढ़ शिक्षा परियोजना बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य .. .. .. | 225-226 |
| विद्युत दरों में हुई भारी वृद्धि से नलकूपों तथा सरकारी ट्यूबवेलों एवं कृषि क्षेत्र प्रभावित होने तथा विद्युत चोरी रोकने विषयक दिनांक 1 अप्रैल, 1992 के नत्थी 'क' के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा .. .. | 226-231 |
| यू0पी0 स्टेट हार्टिकों के छटनीशुदा कर्मचारियों को राज्याधीन सेवाओं में समायोजित न किये जाने विषयक दिनांक 31 मार्च, 1992 के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा | 231-233 |
| नत्थियां .. .. .. | 234-249 |


संसदीय प्रदेश

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल, 1992

**निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भईया | | दलवीर सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| अतीक अहमद, श्री | गोण्डा | दिनेश जौहरी, डा0 | बरेली |
| अफजाल अंसारी, श्री | इलाहाबाद | दुलारे लाल, श्री | मिर्जापुर |
| अभिमन्यु सिंह, श्री | गाजीपुर | धनराज यादव, श्री | सिद्धार्थ नगर |
| अमर नाथ यादव, श्री | फतेहपुर | धनीराम वर्मा, श्री | इटावा |
| अरिदमन सिंह, श्री | वाराणसी | धर्म पाल यादव उर्फ डी0पी0 यादव, | बुलन्दशहर |
| अशोक कुमार, श्री | आगरा | नन्द किशोर मिश्रा, श्री | देवरिया |
| अशोक कुमार सिंह, श्री | लखनऊ | नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 | इलाहाबाद |
| इकबाल महमूद, श्री | रायबरेली | नरेन्द्र सिंह, श्री | फर्रुखाबाद |
| उमाकान्त यादव, श्री | मुरादाबाद | नरेन्द्र सिंह, श्री | मैनपुरी |
| ओमकार सिंह, श्री | जौनपुर | नारायण दत्त तिवारी, श्री | नैनीताल |
| ओम प्रकाश, श्री | बदायूं | पूरन सिंह बुन्देला, श्री | ललितपुर |
| ओम प्रकाश, श्री | गाजीपुर | पृथ्वी सिंह, श्री | हरिद्वार |
| कंवर पाल मास्टर, श्री | गोरखपुर | प्रमोद कुमार, श्री | पीलीभीत |
| कमल नयन वर्मा, श्री | सहारनपुर | प्रमोद तिवारी, श्री | प्रतापगढ़ |
| कल्याण सिंह, श्री | रायबरेली | बी0आर0 वर्मा, श्री | आजमगढ़ |
| किशन लाल दिलेर, श्री | अलीगढ़ | बाबू खां, श्री | हरदोई |
| कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी | अलीगढ़ | बाबू राम एम0काम0, श्री | जालौन |
| कृष्ण किंकर सिंह, श्री | इलाहाबाद | बाल चन्द्र मिश्र, श्री | कानपुर नगर |
| केदार सिंह फोनिया, श्री | बस्ती | बी0के0 गुप्ता, श्री | पीलीभीत |
| कोविद कुमार सिंह, श्री | चमोली | भगवन्त प्रसाद, श्री | इलाहाबाद |
| गंगा भक्त सिंह, श्री | शाहजहांपुर | भरत सिंह, श्री | बलिया |
| गया चरन दिनकर, श्री | हरदोई | भानुप्रताप सिंह वर्मा, श्री | जालौन |
| छब्बू, श्री | बांदा | भारत सिंह रावत, श्री | गढ़वाल |
| जगदम्बा सिंह, श्री | वाराणसी | भोला सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| जगराम सिंह यादव, श्री | बस्ती | मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ बद्री प्रसाद | फैजाबाद |
| ज्ञान चन्द्र, श्री | कानपुर नगर | मदन भैया, श्री | मेरठ |
| ज्ञानवती सिंह, श्रीमती | उत्तरकाशी | मनव्वर हसन, श्री | मुजफ्फर नगर |
| | अलीगढ़ | | |

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन

| | |
|---|---|
| मारकण्डेय चन्द, श्री | गोरखपुर |
| मुन्ना चौहान, श्री | देहरादून |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| रमाकांत यादव, श्री | आजमगढ़ |
| रमेश पोखरियाल, श्री | गढ़वाल |
| रमेश बहादुर सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजीव कुमार, श्री | नैनीताल |
| राजेन्द्र, श्री | बिजनौर |
| राम कुमार शुक्ल, श्री | लखनऊ |
| राम खिलाड़ी, श्री | बदायूं |
| राम गोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| राम चरित्तर, श्री | बस्ती |
| राम प्रसाद, श्री | बुलन्दशहर |
| राम रतन सिंह, श्री | सीतापुर |
| लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री | गोरखपुर |
| लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री | बलिया |
| विजय पाल सिंह, श्री | आगरा |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विश्वनाथ, श्री | देवरिया |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फर नगर |
| वेद प्रकाश, श्री | बस्ती |
| श्याद अली, श्री | प्रतापगढ़ |
| शिव कुमार बेरिया, श्री | कानपुर |
| शिव दर्शन, श्री | रायबरेली |
| श्री निवास, श्री | देवरिया |
| सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर |
| समीउल्ला, श्री | गोण्डा |
| सुखदेव, श्री | आजमगढ़ |
| सुरेन्द्र शुक्ला, श्री | देवरिया |
| हरक सिंह रावत, श्री | गढ़वाल |
| हरवंश कपूर, श्री | देहरादून |
| हरिशंकर तिवारी, | श्री गोरखपुर |
| हरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फर नगर |

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

शुक्रवार दिनांक 24 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

**कतिपय सदस्यों द्वारा विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास**

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, कल नेता विरोधी दल ने भगवन्त सिंह जी के मकान पर कब्जा होने की सूचना दी थी । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ....(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैंने भी नियम-311 में सूचना दी है आप उस पर तुरन्त कार्यवाही करें .....(व्यवधान)

(व्यवधान) (अनेक सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे )

श्री अध्यक्ष-

इस तरह नहीं, आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है । आप एक-एक कर बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मसला है, पचास करोड़ का आबकारी विभाग में घोटाला हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मैंने भी मैनपुरी के बारे में .....

श्री अध्यक्ष-

आपकी भी सूचना प्राप्त हुई है । दिखवा लूंगा । (व्यवधान)

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर प्राथमिकता के आधार पर आप इलाहाबाद की इस घटना को लीजिए ।

**प्रसिद्ध फिल्मकार श्री सत्यजित रे के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव लाये जाने का सुझाव (जारी)**

डा0 बृजभान यादव-

मान्यवर, प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती श्री सत्यजित रे का दुखद निधन हो गया है, अच्छा होगा कि उनके लिए एक शोक प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष-

आप इस पर संसदीय कार्य मंत्री से बात कर लें । ऐसे शोक प्रस्ताव निधन के निदेश सभी दलों की सहमति से ही आते हैं ।

## प्रश्नोत्तर
## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न
## प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराये जाने की मांग

**1.-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी समिति से लेकर शीर्षस्थ तक के लम्बित चुनाव एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार 30 जून, 1992 तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)-

जी नहीं ।

उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 440 (1) में किये गये संशोधन तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय सहकारी समितियों की प्रबंध कमेटी द्वारा दायर की गयी याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों को देखते हुए दिनांक 30-6-92 तक प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न कराया जाना संभव नहीं है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते समय एक चीज छुपायी है । इसमें इन्होंने यह नहीं बताया कि जो केन्द्रीय सहकारी समिति है, उनके प्रबंध तंत्र ने किस आधार पर स्थगन आदेश लिया है ? उसका आधार यह था कि प्राथमिक समितियों के चुनाव नहीं हुए और चुनाव हेतु डेलीगेट्स वहां नहीं पहुंचे । अगर चुनाव होते तो सेन्टर सोसाइटी में वह पहुंच जाते तो स्थगन आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जाता । लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और निराधार आधार को लेकर इस तरह से चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

माननीय सदस्य का यह कहना कि चुनाव की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, यह निराधार है । मैं अवगत कराना चाहूंगा कि विभिन्न समय पर चुनाव की कार्यवाही पूरी करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, प्रोग्राम दिये गये हैं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मैं यही पूछना चाहता हूं । प्रक्रिया यही है कि चुनाव कराने के 45 दिन पहले क्षेत्रों का निर्धारण होता है और उसके बाद एक समयबद्ध कार्यक्रम तय होता है और रजिस्ट्रार उसकी घोषणा करता है ।

मान्यवर, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक एवं शीर्षस्थ तक चुनाव के सम्बन्ध में मंत्री जी कह रहे हैं कि जून तक संभव नहीं है, तो इससे मैं सहमत हूं चूंकि चुनाव से 45 दिन पूर्व क्षेत्रों का निर्धारण हो जाना चाहिए । उसके बाद रजिस्ट्रार द्वारा कार्यक्रम की घोषणा होनी चाहिए, पहले प्राथमिक समितियों के चुनाव, उसके बाद सेकेण्डरी समितियों के चुनाव, उसके बाद जिला स्तर की समितियों के चुनाव होते हैं, तो चुनाव की चुनाव की एक प्रक्रिया निर्धारित है उसी के तहत चुनाव कराये जाते हैं । मंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो मैं जानना चाहता हूं क्या क्षेत्रों का निर्धारण और समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, दो अगस्त, 1991 को निबन्धक द्वारा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए, निर्वाचन सूचियां पूरी करने के लिए एक निर्देश पारित किया गया था और उत्तर प्रदेश में सहायक निबन्धकों को निर्देश दिये गये थे कि चुनाव के सम्बन्ध में प्रक्रिया शुरू करें लेकिन इस बीच में प्राथमिक समितियों के सदस्यों द्वारा न्यायालय में याचिकाएं दायर की गईं, केन्द्रीय सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा याचिकाएं दायर की गई और इस समय कई सौ याचिकाएं न्यायालय में विचाराधीन हैं इसलिए चुनाव प्रक्रिया रुक गई है और इसलिए उच्च न्यायालय में मामला लम्बित होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही बाद में निर्णय लिया जायेगा ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय ने जो स्थगन आदेश दिये थे कि 6 माह में सरकार निश्चित रूप से चुनाव करा लेगी, तो 6 माह में किन-किन संस्थाओं के आप चुनाव करा रहे हैं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराते हुए विभिन्न संस्थाओं में चुनाव कराये गये हैं । मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न कराये गये हैं और इस समय भी 4 सहकारी संस्थाओं का प्रोग्राम दिया जा चुका है । इसलिए शासन की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम चुनाव न करायें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, उच्च न्यायालय ने 6 माह में चुनाव कराने के लिए स्थगन आदेश दिया था तो मैं जानना चाहता हूं कि स्थगन आदेश किस तारीख को दिया गया था।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, विभिन्न संस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश दिये हैं । यदि माननीय सदस्य सूचना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव के लिए निश्चित हो गया कि 6 माह में हो जायेंगे, तो फिर नामांकन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है ? इसलिए क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि चुनाव के पहले नामांकन नहीं किये जायेंगे

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, मैं पहले प्रश्न के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि कोई नामांकन नहीं किया गया है ।

दूसरे प्रश्न में अवगत कराना चाहता हूं कि नियमों के तहत सरकार को नामांकन करने का अधिकार है इसलिए नामांकन पर यथा समय विचार किया जायेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि चार समितियों के कार्यक्रम घोषित कर दिये गये थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह चार समितियां कौन-कौन सी हैं ? दूसरी बात मान्यवर, जो बात सहकारी समितियां के स्थगन आदेश के बारे मे कही गई हैं, मान्यवर, सोसाइटियां अपने में एक स्वतंत्र संस्था होती हैं, मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन समितियों के स्थगन आदेश नहीं हैं, जो न्यायालय में नहीं गई, उनके कार्यक्रम घोषित कर दिये गये ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि काफी बड़ी संख्या में याचिकाएं लम्बित होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि जब तक इनके बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई कार्यक्रम नहीं दिया जायेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

मान्यवर, जिन चार समितियों के बारे में मैंने पूछा है, माननीय मंत्री जी उनके नाम बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप इन चार समितियों के नाम बता दीजिए ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, यह चार समितियां हैं-जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर, होलसेल कन्ज्यूमर्स स्टोर, प्रतापगढ़, केन्दीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार आजमगढ़, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अंतरिम आदेश के कारण 30-6-92 तक चुनाव नहीं कराये जा सकते । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि न्यायालय के किसी भी अंतरिम आदेश में चुनाव न कराने का जिक्र है ।

श्री अध्यक्ष-

इस समय स्थगन आदेश की प्रकृति क्या है, बता दें ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, जैसे आदेश हैं, उनका अनुपालन हो रहा है । चुनाव कराने के आदेश आते हैं, तो चुनाव कराये जायेंगे ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किन समितियों पर रोक लगाई गई है, चुनाव न कराने की ? इसका स्पष्ट उत्तर दे दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले दीक्षित जी उसके बाद नरेश जी अपनी बात कहें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, लालजी वर्मा ने साफ प्रश्न किया था, उसका उत्तर नहीं आया । मैं उसी प्रश्न पर बल दे रहा हूं । क्या माननीय न्यायालय द्वारा सहकारी समितियों के चुनाव न कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ? अगर स्थगन आदेश है तो कोई बात नहीं । मेरी निश्चित जानकारी है कि विभिन्न सहकारी समितियों में मनोनयन के लिए सूची तैयार हो गई है और वह सूची माननीय मंत्री जी के कार्यालय में रखी है । अभी आपने कहा कि नामांकन करने का आपको अधिकार है मान्यवर, अधिकार तो आपको सहकारी समिति खत्म कर देने का भी है । आप यह स्पष्ट कर दें कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक आप कोई नामांकन नहीं करेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, कदाचित्, माननीय सदस्य ने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर को नहीं सुना है । मैंने स्पष्ट कर दिया है आपकी बात का जबाव दे दिया है । जहां तक मेरे कार्यालय में सूची उपलब्ध होने की बात माननीय सदस्य ने कही । तो मान्यवर, ऐसी कोई सूची नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या माननीय न्यायालय ने स्थगन आदेश चुनाव न कराने का दिया है ?

श्री अध्यक्ष-

मैं स्पष्ट कर देता हूं आपके प्रश्न को । माननीय सदस्य का सवाल है कि न्यायालय ने चुनाव न कराने के लिए आदेश दिया है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

इस तरह का कोई आदेश मेरे संज्ञान में नहीं है । जहां के चुनाव कराने के आदेश दिये जा रहे हैं वहां समयानुसार चुनाव कराये जा सकते हैं । नियमों की बात पूछी है । नियमों के अनुसार किया जाता है । नियम-29 में निबन्धकों को अधिकार है प्रबन्ध कमेटियां गठित करने का ।

(कई सदस्यों के बालेने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आपने उत्तर में कहा है कि "विभिन्न केन्द्रीय सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी द्वारा दायर की गयी याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों को देखते हुए दिनांक 30-6-92 तक प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न कराया जाना संभव नहीं है ।" तो यह अन्तरिम आदेश किस प्रकार के हैं इसमें क्या बाधा आ रही है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जिस प्रकार के आदेश विभिन्न याचिकाओं के बारे में न्यायालय में हैं, उसको देखते हुए कम समय होने के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है । जून माह में सहकारिता विभाग की रिकवरी का अभियान चलता है, तो इन दिनों में विशेष रूप से कठिनाई होती है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अभियान की बात नहीं पूछी जा रही है कि कौन सा अभियान चला रहे हैं ?

(व्यवधान)

जिन सहकारी समितियों के बारे में न्यायालय ने चुनाव के स्थगन के आदेश नहीं दिए हैं वहां चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं ? मान्यवर आपने पढ़ा कि अन्तरिम आदेशों को देखते हुए दिनांक 30-6-92 तक प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न कराया जाना संभव नहीं है, तो जिन पर कोई आदेश नहीं है उसमें चुनाव की घोषणा इनको करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री सुधीर कुमार बालियान-

प्रकरण न्यायालय में लम्बित है जब तक वहां से निर्देश नहीं मिलते हैं तब तक चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

जिन समिति के बारे में कोई आदेश नहीं हैं क्या वहां चुनाव करायेंगे ? यह मंत्री जी पूछ रहे हैं ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, चुनाव यथाशीघ्र कराये जाएंगे । यह उत्तर पहले भी दिया जा चुका है कि उन समितियों के चुनाव यथाशीघ्र कराये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, सुरेश प्रताप गांधी जी ने इस प्रश्न में प्राथमिक सहकारी समितियों और केन्द्रीय समितियों के बारे में जानना चाहा, तो ऊपर के दूसरे खण्ड में दिया है । कि केन्द्रीय समितियों का स्टे होने के कारण चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं मान्यवर केन्दीय समितियों के बारे में उत्तर दिया है सहकारी समितियों के बारे में नहीं दिया । पहली बात मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिए हैं उन आदेशों में चुनाव न कराने के लिए दिया है ।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न का जवाब आ गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सोसायटी को स्थगन के आदेश दिए उससे कितनी प्राथमिक सोसायटियां प्रभावित होती हैं । तीसरी बात कितनी प्रदेशों में सोसायटियां हैं कितनों के लिए स्थगन आदेश हैं और जो बची हैं उनके चुनाव कब तक करायेंगे ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

प्रदेश में कृषि धन समितियां 8,216 हैं । 300 से अधिक सहकारी समितियों की याचिकायें लम्बित हैं करीब 100 याचिकायें केन्द्रीय सहकारी समितियों के बारे में न्यायालय में विचाराधीन है ।

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है शायद उनका ध्यान इधर नहीं होगा । मैंने स्पष्ट किया है कि जहां पर विवाद नहीं है वहां पर समितियों में चुनाव यथाशीघ्र करा दिये जायेंगे ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया शांत रहें ।

(शोर)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह सरकार लोकतंत्र विरोधी है, अपने कामों से यह सरकार लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रही है । यह सरकार जनता विरोधी है । प्रजातंत्र विरोधी है । सरकार के इस कारनामें के विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है ।

(श्री नरेश अग्रवाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये )

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है । सरकार के इस प्रजातंत्र विरोधी कदम के विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये )

श्री ऊदल-

मान्यवर, सरकार प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव न कराकर अपने लोगों को नामजद करना चाहती है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री ऊदल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये)

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, सरकार की चुनाव न कराने की नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से त्याग करता है ।

(श्री महेन्द्र सिंह भाटी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जो मूल प्रश्न का उत्तर आया है और जो अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर आये हैं श्रीमन् आप खुद देख रहे हैं कि दोनों में विरोधाभास है । मंत्री जी द्वारा सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है । सहकारिता मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस मैं कल आपके पास लिखकर भेज दूंगा । सरकार नामांकन करना चाहती है बजाय चुनाव कराने के । प्रश्नों का उत्तर घुमाफिराकर टालने की कोशिश की जा रही है । इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये )

**जियामऊ एवं मार्टिनपुरवा क्षेत्र, लखनऊ में पेयजल हेतु ट्यूबवेल पम्प लगवाने की मांग**

*2-श्री ऊदल, श्री राधे श्याम, श्री छोटे लाल यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा0 बृजभान यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री राम गोपाल वर्मा एवं श्री सन्त बख्श रावत-

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जियामऊ एवं मार्टिनपुरवा क्षेत्र के निवासी पेयजल जैसी मौलिक आवश्यकताओ के अभाव में अत्यन्त कठिनाई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि शासन की ओर से लगभग एक वर्ष पूर्व वहां नलकूप की बोरिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद भी अब तक ट्यूबवेल पम्प नहीं लगवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त ट्यूबवेल कब तक लग जायेगा ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

जी नहीं ।

जियामऊ एवं मार्टिन पुरवा क्षेत्र में जल निगम एवं जल संस्थान लखनऊ द्वारा किसी नलकूप का निर्माण या बोरिंग का कार्य नहीं कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, जियामऊ और मार्टिन पुरवा में सरकार ने सिंचाई विभाग के माध्यम से ट्यूबवेल की बोरिंग करायी थी । जल निगम द्वारा इस सम्बन्ध में शासन को लिखा गया है । मैं एक पत्र का हवाला देना चाहता हूं । यह पत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ने सचिव नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को दिनांक 7-11-90 को लिखा है । इसमें कहा गया है कि ट्यूबवेल की बोरिंग कर दी गई और नियोजन विभाग ने इसकी स्वीकृति कर दी है । प्रबन्ध निदेशक ने 63 लाख रुपये की मांग भी सचिव से कही है । मान्यवर, 2 साल बोरिंग किये हुए हो गये हैं तो क्या मंत्री जी इसके ऊपर विचार करके ट्यूबवेल को चलवाने की कृपा करेंगी ताकि पेयजल समस्या को हल किया जा सके । मान्यवर, यदि आप आदेश करेंगे तो पत्र की प्रतिलिपि भेज दूंगा ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, जल निगम और जल संस्थान के अभिलेखों में किसी तरह का उल्लेख प्राप्त न होने के कारण सिंचाई विभाग से भी सम्पर्क स्थापित करके नलकूप निर्माण खण्ड द्वितीय, सीतापुर से सम्पर्क करके जिनके द्वारा बोरिंग किये जाने की बात होती है, उनसे भी अभिलेख प्राप्त करने में नाकामयाबी हासिल होने के कारण इस योजना को किसने बनाया, किसके आदेश से निर्माण हुआ, इस योजना की स्थिति क्या थी यह किसी तरह का अभिलेख कहीं से प्राप्त न हो पाने के कारण जल निगम या जल संस्थान द्वारा अग्रिम कार्यवाही इसमें नहीं हो सकी । माननीय सदस्य द्वारा जिस पत्र का उल्लेख किया गया था वह मैं प्राप्त कर लूंगी । वैसे भी क्षेत्र

में पेयजल की दृष्टि से इसकी आवश्यकता को देखते हुए सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि इस योजना को सिंचाई विभाग से स्थानान्तरित करके यथाशीघ्र इसको पूरा करने का प्रयास करूंगी ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, जिस पत्र का आपके माध्यम से हवाला दिया, यह पत्र है उनके प्रबन्ध निदेशक श्री हरी शंकर चौरसिया का । इन्होंने इस पत्र को भेजा है मुख्य अभियंता (मध्य), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को उनके पत्रांक 4604/मु0अ0 (मध्य)/डब्लू-60/345, दिनांक 27-10-90/6-11-90 के संदर्भ में और अधीक्षण अभियन्ता, 19वां मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को भी भेज रखा है । इसमें 63 लाख रुपये की मांग भी की गयी है । यह पत्र 1990 का है और दर्शन सिंह, सचिव को भी भेजा है । मैं नहीं समझ रहा हूं कि अभिलेखों में पत्र नहीं मिला, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगी कि अभिलेखों से पत्र कहां गायब हो गया ? यह पत्र दिनांक 7-11-90 को लिखा है और 9-11-90 को भेजा है ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, जानकारी प्राप्त करके निश्चित रूप से जांच कराई जायगी ।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह उन्होंने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया कि पूरा कराएंगी । मैं आश्वासन चाहूंगा कि पेयजल का जो संकट है, दो साल हुए नलकूप बन गया है । तो कब तक पाइप लाइन और पम्प हाउस बनाकर चालू करा देंगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही कहा कि सिंचाई विभाग ने इसका निर्माण कराया है । सिंचाई विभाग से इसको स्थानान्तरित कराके ।

श्री ऊदल-

उनको दे दिया है ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

परीक्षण कराके यह सुनिश्चित हो जाने पर कि यह मुझे प्राप्त हो गया है तुरन्त कार्यान्वित करा दिया जायेगा ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

**उत्तर प्रदेश ड्रग एवं फार्मास्युटिकल कम्पनी लिमिटेड द्वारा निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 के आदेश के विरुद्ध प्राइवेट कम्पनी से नकली किट्स की आपूर्ति एवं जन अनुपयोगी होने की शिकायत**

*1.-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि 28 मार्च, सन् 1991 को निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 ने अपने आदेश संख्या 3369 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कम्पनी उ0प्र0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल कम्पनी लिमिटेड को एक करोड़ दस लाख रुपये की किट्स आपूर्ति का आदेश दिया था ? क्या यह सत्य है कि उक्त कम्पनी चूंकि किट नहीं बनाती है इस कारण उसने जौहर नामक व्यक्ति से किट्स की सप्लाई निदेशालय को करवा दी ? क्या यह भी सत्य है कि उस किट में जिस सामान की आपूर्ति की गयी थी उसके उपयोग से प्रदेश के कई जिलों में जच्चा तथा बच्चों की मृत्यु हो गयी और उसकी शिकायत निदेशालय को होने के बाद किटों के उपयोग पर रोक लगा दी गयी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा0 अमर सिंह)-

जी नहीं, केवल 50.00 लाख की लागत का आपूर्ति आदेश दिया गया था । औषधि किट्स में सम्मिलित औषधियों एवं अन्य सामग्री का निर्माण यू0पी0डी0पी0एल0द्वारा नहीं किया गया है, किन्तु औषधि किट्स की आपूर्ति उ0प्र0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा ही की गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, अगर आप हमारे प्रश्न का दूसरा भाग देखें, जिसमें हमने पूछा है कि क्या यह सत्य है कि उक्त कम्पनी चूंकि किट नहीं बनाती है इस कारण उसने जौहर नाम व्यक्ति से किट की सप्लाई निदेशालय को करवा दी ? माननीय मंत्री जी ने इसका जबाव दिया है कि औषधि किट्स में सम्मिलित औषधियों एवं अन्य सामग्री का निर्माण यू0पी0 डी0पी0एल0 द्वारा नहीं किया गया है, किन्तु औषधि किट्स की आपूर्ति उ0प्र0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल कम्पनी लि0 द्वारा ही की गयी है । मान्यवर, इन्होंने जबाव को छिपाया है । श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किट्स की सप्लाई का आदेश किस कम्पनी को दिया गया और यदि वह कम्पनी किट्स नहीं बनाती थी, तो उसे आदेश कैसे दे दिया गया ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 28 मार्च, 1991 को जो सप्लाई का आदेश दिया गया था, उसमें क्या कंडीसन्स थीं कि कब तक वह दवा की सप्लाई कर देंगे और कब वह दवा निदेशक को सप्लाई की गयी ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी)-

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया है जिस कम्पनी के संबंध में माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की, स्पष्ट कहा गया है कि वह औषधि किट्स में सम्मिलित औषधियों एवं अन्य सामग्री का निर्माण नहीं करती है, किन्तु औषधि किट्स की आपूर्ति उ0प्र0 ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लि0 द्वारा ही की गयी है । आप जानना चाहेंगे कि बनाती नहीं, तो कैसे सप्लाई का आदेश दे दिया गया ? मान्यवर, आटिकिल आफ एसोसियेशन में उसको अधिकार है कि यदि वह औषधि नहीं बनाती है, तो दूसरे से परचेज करके भी सप्लाई कर सकते हैं । अगर माननीय सदस्य चाहेगे तो मैं पढ़ दूंगा । इसमें लिखा है- "टु कैरी आन दि बिजनेस आफ मैनुफैक्चरर्स इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स वाइयर्स सेलर्स एण्ड ट्रेडर्स एण्ड डीलर्स इन दी सैड ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स आफ आल टाइम्स एण्ड फोर्मस एण्ड वाइन्ड्स ।"

श्री नरेश अग्रवाल-

उसको रहने दीजिए ।

श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, जो आदेश दिया गया था, वह दिनांक 31-3-91 तक सप्लाई के लिए दिया गया था, लेकिन दिनांक 31-3-91 तक सप्लाई नहीं कर पाये ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, हमारा तो बहुत स्पष्ट पूछना है, मैंने इतना पूछा था कि किस तारीख को आदेश दिया गया, कुछ टर्म्स तो होंगे कि किस तारीख तक सप्लाई कर देंगे, किस तारीख को वास्तविक रूप में सप्लाई हुई ?

श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, दिनांक 23-3-91 को क्रय समिति ने निर्णय लिया था, दिनांक 28-3-91 को आदेश दिया गया, तीन दिन का समय था ।

श्री अध्यक्ष-

आपूर्ति वास्तव में कब हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, दिनांक 31-3-91 के बाद सप्लाई हुई ।

श्री अध्यक्ष-

जब यू0पी0डी0पी0एल0 औषधि किट्स का निर्माण नहीं करती थी, तो उसे क्यों आदेश दिया गया और जो इनका निर्माण करती है, उनको क्यों नहीं आदेश दिया गया ?

श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी-

यह जो आदेश दिये गये थे, उसमें शासन स्तर पर तत्कालीन सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया और आदेश दिये गये और जब हमारी सरकार बनी...

श्री अध्यक्ष-

सरकार किसी भी दल की हो वह तो सदैव चला करती है । सरकार ने तो किया उसके बारे में जो उत्तर देना ही पड़ेगा । सरकार बदल जाने से उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

परम्परा नहीं रही ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह परम्परा की बात नहीं है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

बाबू राम जी ने कहा इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और कमीशनखोरी की गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस सरकार ने आदेश दिया था ?

श्री नरेश अग्रवाल-

आप दो अधिकारियों को सस्पेंड करें । अगर इनमें नैतिकता हो तो इनको सस्पेंड करें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

आप जांच करायें और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें । श्री बाबू राम ने स्वीकार किया कि यह मामला भ्रष्टाचार का है ।

श्री अध्यक्ष-

बिना उत्तेजित हुए आप अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

आप सस्पेंड करें ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि यह निर्णय मार्च, 1991 में पूर्व सरकार द्वारा लिया गया था और यह भी बता दिया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, उसने आडिट कराया और उससे यह पाया गया कि उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया और बिना टेंडर के आदेश दिये गये और इस प्रकार से वित्तीय अनियमितता की गयी और वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है । वित्तीय अनियमितता हुई है, तो वह कौन-कौन से अधिकारी हैं, जिन्होंने वित्तीय अनियमितता की ? जो आडिट रिपोर्ट आयी है उसमें किन-किन

अधिकारियों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आडिट रिपोर्ट किस तारीख को सबमिट की गयी और किस-किस अधिकारी को दोषी पाया गया और क्या कार्यवाही की गयी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायें इस प्रकार से हस्तक्षेप न करें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

किट्स के बारे में सी0एम0ओ0 ने रिपोर्ट भेजी है । उसकी खराबी के कारण जच्चा-बच्चा दोनों मर गये । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रदेश के किन-किन अस्पतालों में यह भेजी गयी ?

श्री अध्यक्ष-

यह बहुत ही विस्तीर्ण है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, कई जिलों में जच्चा-बच्चा मर गये हैं ।

मान्यवर, किट्स प्रदेश के किस-किस जिले में सप्लाई की गई और किन-किन जिलों से शिकायतें आयीं कि जच्चा-बच्चा की मृत्यु हो गयी ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो आ गया कि मृत्यु हुई ही नहीं अगर आपको कोई शिकायत हो तो बतायें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

इसका आडिट दिसम्बर, 1991 से जनवरी, 92 तक किया गया, आडिट में अधिकारी दोषी नहीं पाया जाता है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, हम पी0ए0सी0 के मेम्बर हैं, आडिट में अधिकारी दोषी पाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष-

पहले उत्तर आने दीजिए ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

आडिट रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी गुणवत्ता और शुचिता पर विचार करना चाहिए था इसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं जो भी दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी ।इस सम्बन्ध में एक क्रय समिति बनी । क्रय समिति ने अनुमति दी आदेश किया और डायरेक्टर ने आदेश दिया ।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । आप यह बतायें कि क्या किसी जिले से शिकायत आयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

पहले ही बता दिया कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर यह गलत है पांच जिलों से रिपोर्ट आयी हैं ।

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारा गया ।)

**सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात तृतीय चिकित्सकों के पदों को समाप्त किये जाने का औचित्य**

*2-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत थर्ड मेडिकल आफिसर (तृतीय चिकित्सक) का पद समाप्त कर देने का फैसला सरकार ने ले लिया है जिससे हजारों डाक्टरों की सेवायें खतरे में पड़ गई हैं? क्या सरकार सेवा समाप्ति का औचित्य बतायेगी ?

डा0 अमर सिंह-

मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर लगभग आठ सौ (थर्ड ग्रेड) मेडिकल आफिसर जिनको 14 मार्च से वेतन नहीं मिला था और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था सरकार ने उत्तर दिया है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।नियमावली में नियम-59 का परन्तुक है वह अनुमति देता है कि सवाल करूं न्यायालय के विचाराधीन हो तब भी । मुझे स्मरण रखना होगा कि न्यायालय पर कोई बात न करूं । मैं जानना चाहता हूं कि सेवा समाप्ति के कारण क्या थे ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपके प्रश्न में ही है कि पद समाप्त हो गये, जब पद समाप्त हो गये तो सेवा समाप्त हो गयी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

इन्होंने आठ सौ (थर्ड ग्रेड) मेडिकल आफिसर के पद समाप्त करने का फैसला लिया । क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में डाक्टरों के स्थान पूरे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

सेवायें समाप्त करने का निर्णय दिनांक 18 जनवरी, 91 को लिया गया था । उसमें जो कारण बताये गये थे कि सामुदायिक स्वास्थ्य योजना जो भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही थी उसको 30 जून, 1989 से समाप्त कर दिया गया और जो समुदायिक स्वास्थ्य योजना चलायी जा रही थी भारत सरकार द्वारा पचास रुपये प्रति डाक्टर के लिए और पचास रुपये दवाओं के लिए दिया जाता था, उनके कार्य का निरीक्षण और अनुश्रवण करने के लिए 809 डाक्टर्स की नियुक्ति की थी । जब भारत सरकार द्वारा योजना समाप्त हो गई तो यह निर्णय लिया गया । यह प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है । वर्तमान सरकार उन डाक्टर्स के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है लेकिन जब तक वाद न्यायालय से बाहर न आ जाये तब तक कुछ नहीं कर सकते ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

लोक सेवा अयोग के जरिये 20 जनवरी, 1992 को विज्ञापन हुआ है, क्या सरकार इन चिकित्सकों को जिनकी सेवायें समाप्त की हैं, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें नियुक्त करने पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी

जब तक न्यायालय में वाद लम्बित है हमारी वार्ता डाक्टर्स से हो रही है और निश्चित रूप से जितने भी डाक्टर्स की कमी है उसको भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, उनको फिर से नियोजित करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है । यह सरकार टाल रही है न्यायालय के नाम पर ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मैंने कहा कि उनकी मांगों पर विचार चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय दीक्षित जी के कहने का अर्थ यह है कि आपने इस चिकित्सकों की सेवायें समाप्त कर दीं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र मांगे हैं, रिट याचिका में चाहे जो होता रहे, क्या उनको नियुक्ति में प्राथमिकता देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

वह एलोपैथिक डाक्टर्स का मामला है, यह आयुर्वेदिक है । जहां-जहां आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं । इस बात पर विचार और वार्ता चल रही है । हम प्रयास कर रहे हैं ।

श्री भगवती सिंह विशारद-

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब इन डाक्टरों की नियुक्ति हुई थी तो किसी विज्ञापन के द्वारा प्रार्थना पत्र मंगाये होंगे या किसी विभाग से मंगाये गये होंगे तो क्या उस पर शर्त लगा दी थी कि चूंकि यह योजना भारत सरकार के द्वारा चलायी जा रही है और जिस दिन समाप्त कर दी जायेगी तो उनके पद भी समाप्त कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है कि उनको अपने यहां समायोजित करें । क्या उत्तर दे रहे हैं और क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

यह योजना शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित थी और यह उसी समय जब सेवायोजन के लिए गये तो उस समय भी इन्हें जानकारी थी कि शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित योजना है, स्थायी नहीं है, जब समाप्त होगी तो उनकी सेवायें भी प्रभावित होंगी, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार इनके सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ।

**जनवरी, 1988 से जून 1990 तक बेसिक हेल्थ वर्कर्स का प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सेवा में लिए जाने की मांग**

* 3-श्री चरन सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बेसिक हेल्थ वर्कर्स का जनवरी, 1988 से जून, 1990 की अवधि में सम्पन्न हुआ प्रादेशीय प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात् 12 फरवरी, 1992 तक 4000 महिलाओं को अभी तक सरकारी नौकरी में नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उपरोक्त सभी महिलाओं से 2 वर्ष तक सरकारी सेवा का बांड भी भराया हुआ है, जिस कारण वे अन्यत्र सेवा में नहीं जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त सेवा में रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अमर सिंह-

जी हां ।

रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

जी हां ।

रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही नियुक्ति किया जाना सम्भव है ।

*श्री चरन सिंह-

मान्यवर, 1990 से लेकर आज तक इन 4,000 महिलाओं को सेवा में नहीं लिया गया है, इनसे 2 साल का बाण्ड भी भराया गया, जगह भी खाली हैं । शासनादेश संख्या 1689, दिनांक 23-7-89 द्वारा यह योजना बनाई गई थी । उस शासनोदश के मुताबिक प्रत्येक 5,000 की आबादी पर एक महिला और एक पुरुष को रखना चाहिए । इनको कब तक सेवा में लिया जायगा और क्या इनको सेवा जीवन भत्ता देंगे या नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, यह बात सही है कि प्रशिक्षित महिलायें हैं और यह बात भी सही है कि दो वर्ष का बांड भरवाया गया, मगर सेवा का अवसर नहीं मिल पाया, कारण यह रहा कि उनको प्रशिक्षण तो दिया गया लेकिन प्रशिक्षण के बाद उनको सेवा में समायोजित किया जाय इसके लिए पद ही नहीं सृजित किये गये । हमारी सरकार को जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि प्रशिक्षित महिलायें बैठी हुई हैं उनसे 2 वर्ष का बांड भरवाया गया है, तो निर्णय लिया कि हम शीघ्र ही पंद्रह सौ पद सृजित करने जा रहे हैं जिससे उनको क्रमशः समायोजित किया जा सके और सेवा का अवसर मिल सके ।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, उनसे दो वर्ष का बांड भरवाया गया, तो जब उनको समायोजित करेंगे तो क्या उनको उसमें ऐज में रिलेक्सेशन देंगे या नहीं दो वर्ष का ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, जिन्होंने वह किया, मैं समझता हूं, आप सुन तो लें, वह दे पायेंगे या नहीं, वह विचार की बात है, हम प्रयास कर रहे हैं उनको सेवा में लेने का ।

श्री पूरन प्रकाश-

2 वर्ष का बाण्ड भरवाया गया उन्होंने प्रशिक्षण लिया उसमें बहुत महिलाएं ऐसी होंगी जो ओवर एज हो जायेंगी तो उन्हें एज में रिलेक्सेशन देंगे या नहीं दो वर्ष का ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, मेरी अपनी जानकारी है कि उसमें ऐज का रिस्ट्रीक्शन ही नहीं है तो ऐज रिलेक्सेशन का प्रश्न कहां उठता है अगर कोई आयु सीमा प्रतिबंधित होगी तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

अभी कहा कि पिछली सरकार ने बांड को भरवाया, लेकिन यह स्थान भरे गये नहीं, तो क्या जितने बांडों को पिछली सरकारों ने भरवाया उन बांडों को रद्द कर देंगे ? यह जानना चाहता हूं कि महिलाओं और पुरुष दोनों को जो इसमें प्रशिक्षित हैं उनको कब तक सेवा में लेने की योजना है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

1500 पद इस वर्ष सृजित करने जा रहे हैं इसलिए क्योंकि यह प्रशिक्षित महिलायें बेरोजगार हैं । प्रशिक्षण के कई केन्द्र खोल दिये गये थे उसमें पूर्व सरकार

ने निर्णय लिया और प्रशिक्षण केन्द्र 1990 से बंद कर दिये गये । प्रयास हमारा यह है कि पूर्व से जो प्रशिक्षित महिलायें हैं उनको समायोजित करें तभी दुबारा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ हो । शीघ्र ही उनको समायोजित करने के लिए 1500 स्थान सृजित कर रहे हैं । फिर जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे, पद सृजित करेंगे ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1959 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

**प्रदेश स्तर पर राजकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों के मरीजों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रति रोगी प्रतिदिन भोजन पर व्यय का विवरण**

*-श्री लालजी वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चिकित्सालयों अथवा मेडिकल कालेज के चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को शासन द्वारा मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो प्रति मरीज प्रतिदिन भोजन हेतु किंतना रुपया व्यय किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अमर सिंह -

राजकीय चिकित्सालयों तथा मेडिकल कालेजों के जनरल वार्ड में भर्ती इच्छुक रोगियों को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार नि:शुल्क आहार देने की व्यवस्था है ।

प्रति रोगी प्रतिदिन भोजन पर व्यय की जाने वाली धनराशि नियत नहीं है । चिकित्सक के परामर्श के अनुसार रोगी को उपलब्ध कराये गये आहार के अनुसार व्यय की धनराशि घटती-बढ़ती रहती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि अभी माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसमें ऐसा लगता है कि सामान्य भोजन की कोई कीमत निर्धारित नहीं है । इन्होंने मेडिकल डाइट की बात कही । मैं यह जानना चाहता हू कि सामान्य भोजन में प्रति मरीज प्रतिदिन कितना खर्च होता है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, मैने जो उत्तर दिया है वह बहुत ही स्पष्ट है । प्रतिदिन प्रति मरीज के लिए कितना भोजन दिया जायेगा यह निश्चित नही है और न ही यह निश्चित की जा सकती है इसलिए कि जो हम डाइट देते हैं वह डाक्टर के परामर्श के अनुसार देते है । चिकित्सक ही यह राय देते हैं कि उसे कितना फल दिया जाये, कितना दूध दिया जाये, कितना आटा दिया जाये, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है । डाइट के रेट तय नहीं हैं ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि हम डाइट आवश्यकतानुसार घटाते-बढ़ाते रहते हैं । कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्य श्रेणी के भोजन की आवश्यकता होती है तो मैं यह जानना चाहता हू कि औसतन कितना खर्च आता है प्रति मरीज पर ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, हमारे यहां तीन शर्तें हैं । (1) जो मरीज जनरल वार्ड में भर्ती हैं, यानि निर्धन है या नहीं, (2) डाइट लेने के इच्छुक हैं या नहीं (3) चिकित्सक उसके लिए परामर्श दें । हमने यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक शैय्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 1200 रुपया और नगरीय क्षेत्रों में 1296 रुपया मिलेगा । इसमें होता यह है कि कभी लोग भर्ती होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं तो इससे हमारी पूर्ति हो जाती है ।

श्री किशोरी लाल यादव-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि चिकित्सक पर डिपेन्ड करता है कि उसे कितनी डाइट दी जाये । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह पूर्णतया चिकित्सक पर निर्भर करता है या सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि प्रति मरीज को इतनी डाइट दी जाये और इसके क्या मानक हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, सरकार किस मरीज को कितनी डाइट दे यह निर्धारित नहीं करती है बल्कि चिकित्सक इस चीज को तय करता है । सरकार ने मानक तय कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति शैय्या वर्ष में 1200 रुपया और शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष प्रति शैय्या 1296 रुपया का प्राविधान किया है । इसमें होता यह है कि कभी कोई भर्ती होता है और कभी नहीं भी होता है तो इस तरह से सरकार ने शैय्या के आधार पर धन निर्धारित किया है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रति शैय्या 1200 रुपया वार्षिक यानी 100 रुपया महीना या 3 रुपया प्रतिदिन तो यह तो बहुत कम है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

हमने शैय्या के आधार पर निर्धारित किया है । कभी 6 महीने तक या 9 महीने तक कोई भर्ती नहीं होता है शहरों की अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या निर्धारित है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्धारित है । अक्सर ऐसा होता है कि जितनी संख्या शैय्याओं की है उतने मरीज भरती नहीं होते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है और रोगी की आवश्यकता के अनुसार डाइट परिवर्तित होती रहती है ।

डा0 बृजभान यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी सुस्पष्ट कर दिया है कि जो मानक है, उसके अनुसार 3 रुपये प्रति रोगी का हिसाब आ रहा है इस मानक पर क्या माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करेंगे ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि डाक्टर की एडवाइस के साथ ही किसी रोगी को दिये जाने वाली डाइट के मूल्य की अधिकतम सीमा क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, जो इस समय दिया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर कहीं कमी पड़ती होगी, तो निश्चित रूप से विचार करेंगे और जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तो बताना चाहता हूं कि न तो कोई अधिकतक सीमा है और न कोई मिनिमम सीमा है ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

मान्यवर, जो मानक मंत्री जी ने बताया है, यह कब निर्धारित हुआ था और जो महंगाई बढ़ गयी है, इतने दिनों में इस पर पुनर्विचार कर इसे बढ़ाने का कोई विचार है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, यह मानक 13 जुलाई, 1987 को निर्धारित किया गया । दूसरे आवश्यकतानुसार इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मै आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह सुविधा केवल एलोपैथिक हास्पिटल्स में ही उपलब्ध है अथवा गांवों में जो आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय हैं, वहां भी मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, जहां भी रोगी भर्ती होते हैं और शैय्या होती हैं, उन सभी जगह पर पद्धति के चिकित्सालयों में यह सुविधा उपलब्ध है ।

**शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न**

*1-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया)

*2-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

* 3-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**प्रदेश स्तर पर सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम खोलने तथा उसमें कार्य करने की शिकायत तथा उसे रोके जाने की मांग**

*4-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि काफी संख्या में सरकारी नौकरियों में कार्यरत डाक्टर, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी कार्य कर रहे है या अपने नर्सिंग होम खोले हुए हैं ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या प्राइवेट नर्सिंग होम्स के पंजीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**मदरसा मिसवाहुल उलूम देवां शरीफ, जनपद बाराबंकी के प्रबन्धक द्वारा की जा रही कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग**

*5-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3-12-91 (चार छाया प्रतियों सहित) जो शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ को मदरसा मिसवाहुल उलूम देवां शरीफ, जनपद बाराबंकी में प्रबंधक द्वारा निरन्तर की जा रही अनियमियतताओं को समाप्त कराने के सम्बन्ध में था, पर उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच के आधार पर पूरे मदरसे का एकीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुल ए0 सलाम-

मान्यवर, यह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी, डी0आई उर्दू, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा दिनांक 18-11-91 को निरीक्षण से सिद्ध हो चुका है कि प्रधानाचार्य मदरसा कार्यालय में दिनांक 5-9-91 को प्रबन्धक, मदरसा द्वारा अपमानित किया गया है । मान्यवर, मंत्री जी यह बता रहे हैं इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सुसंगत उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि यह आख्या जो मांगी गयी है यह पूरी आख्या आ चुकी है । इसमे मान्यवर, एक आदमी को अपमानित कर निकाला जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें यह उत्तर आ गया है कि जांच की जा रही है ।

श्री अब्दुल ए0सलाम-

इस पर शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, उनको निलम्बित कर दिया गया है उसकी आख्या आ गयी है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के बिन्दु आ गये हैं, जांच की जा रही है और जांच हो जाने के बाद निश्चित रूप से जो व्यक्ति उस जांच की परिधि में आयेगा को दंडित किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

जिन सज्जन के बारे में यह है उनको निलम्बित कर दिया गया है और निकाल दिया गया है यह माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, इस प्रकार का कोई विवरण हमारे पास नहीं है अगर माननीय सदस्य कोई विवरण देंगे तो उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री बाबू राम यादव-

यह किस तारीख को जांच के आदेश दिये गये कि जांच की जाय और इसकी कब तक जांच रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, इस अनियमितता की शिकायत दिनांक 3-12-91 को प्राप्त हुई है और इसके संदर्भ में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक एवं जिला बेसिक शिक्षा, अधिकारी, बाराबंकी से उर्दू निदेशालय के पत्र दिनांक 3-12-91 को जांच की निरीक्षण करने के लिए पूरी तौर पर दे दिया गया है और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि किस तारीख को आदेश हुए हैं जांच के और कब तक जांच पूरी हो जायेगी तो माननीय मंत्री जी ने आधे का उत्तर दिया और आधे का नहीं दिया।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

इस मई के महीने तक पूरी जांच करके मैं दे दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यह जैसा माननीय प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है कि जांच के बाद वह सस्पेंड भी हो गये और निलम्बित भी हैं तो माननीय मंत्री जी जिसकी रिपोर्ट है उसकी सूचना दें ।

श्री अध्यक्ष-

मई में तो माननीय मंत्री जी जांच समाप्त करवाने का आश्वासन दे रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यह सब हो चुका है तो रिपोर्ट और भी होगी डिपार्टमेंट ने पूरी रिपोर्ट नहीं दी तो यह मामला गम्भीर हो गया अगर यह स्थिति है तो प्रश्न की प्रासंगिकता क्या रह गयी ?

मानयवर, प्रश्न है कि दिनांक 3-12-91 को रिपोर्ट दी गयी है तो दिनांक 3-12-91 को उसके खिलाफ जांच के लिए प्रश्न पूछा गया और जांच के आदेश हो गये उसके बाद भी अभी तक जांच न होना यह किस बात का द्योतक है । मैं जानना चाहता हूं कि जांच के बिन्दु क्या-क्या हैं, वह बिन्दु बता दें और उनमें किन बिन्दुओं पर जांच हो चुकी है और कितने बाकी हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर एक आवेदन पत्र जो दिया गया है शिक्षा निदेशक, उर्दू, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ को इसमें जो दिया गया है कि पहले प्रधानाचार्य की मदरसा कार्यालय में दिनांक 3-4-91 को प्रबन्धक, मदरसा द्वारा अपमानित किया गया, प्रवर लिपिक श्री मो0 जुबेर को कार्यालय कार्यकाल दिनांक 1-8-87 से 1-8-88 का रुपया 3366 नहीं दिया गया है, धारा 18 के अन्तर्गत मदरसा कार्यालय में रहने वाली सामग्री प्रबन्धक स्वयं अपने घर रखे हैं । दिनांक 18-11-91 को उपरोक्त अधिकारियों के निरीक्षण के समय उपरोक्त अभिलेखों के सम्बन्ध में, जो नहीं मिले हैं उसके संदर्भ में ये सभी जाचं के बिन्दु हैं । मैंने पहले ही कहा कि मई के अन्त तक निश्चित रूप से इस पर जांच पूर्ण करा लूंगा ।

श्री अब्दुल ए0 सलाम-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं । इन सारे बिन्दुओं के जवाब उनके पास आ गये हैं । तीन महीने यह प्रश्न आ रहा है । हम भी नमाज छोड़कर इस प्रश्न के उत्तर के लिए यहां आते हैं । कुछ प्रभावशाली लोगों की वजह से वह कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं ।

*6-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

(7वें शुक्र के लिए स्थगित)

**विवेकानन्द विद्या मन्दिर वागेश्वर (अल्मोड़ा) स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रधान अध्यापक के स्थानान्तरण को निरस्त करने की मांग**

*7-श्री भारत सिंह रावत (अनुपस्थित)-

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात हैं कि विवेकानन्द विद्या मन्दिर वागेश्वर (अल्मोड़ा) एक स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इसी स्कूल की प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान की

गई हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रबन्ध समिति द्वारा यहां दस वर्षों से कार्यरत प्रधान अध्यापक को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्थानानतरित किया गया है ? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण बेसिक शिक्षा अधिनियम के नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो इसको निरस्त करने के लिए क्या कदम सरकार उठाने जा रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

* 8-श्री शिव पाल सिंह, श्री उमाकानत यादव तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

**प्रदेश के सम्पूर्ण टाउन एरियाओं में कार्यरत सचिवों के अधिकार एवं कर्त्तव्य की जानकारी**

*9-श्री हरदेव सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की विभिन्न टाउन एरियाओं में कार्यरत सचिवों के अधिकार एवं कर्त्तव्य क्या हैं ? शासन स्तर से इस सम्बन्ध में नियम बनाने की क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कब तक पूर्ण होगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) सचिवों के अधिकार एवं कर्त्तवय स्थानीय स्तर पर समितियों द्वारा निर्धारित है ।

(ख) शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में नियम बनाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

**जनपद बांदा के जूनियर एवं बेसिक स्कूलों में छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या का विवरण**

*10-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में प्राथमिक पाठशाला भूरागढ़, प्राथमिक पाठशाला जमनीपुरवा, कन्या प्राथमिक पाठशाला महोखर, प्राथमिक पाठशाला क्योटरा, शहर बांदा, कन्या प्राथमिक पाठशाला क्योटरा, शहर बांदा में कुल कितने-कितने अध्यापक व अध्यापिकायें नियुक्त हैं तथा प्राथमिक पाठशाला शिवरामपुर खप्टिहाखुर्द, अदरी, चौकीपुरवा नारायण में कितने अध्यापक हैं तथा कन्या प्राथमिक विद्यालय व कन्या जूनियर बेसिक विद्यालय पपरेन्दा में कुल कितने अध्यापक व अध्यापिकायें हैं ? क्या शासनादेश के तहत 40 छात्र प्रति अध्यापक का मानक है ? यदि हां, तो जनपद बांदा में 40 छात्रों में 10 अध्यापक व 100 छात्रों में एक अध्यापक क्यों रखा गया है ? क्या शासनादेश के तहत ही अध्यापकों को रखा जायेगा ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्रश्नगत विद्यालयों में नियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या निम्नवत् है :-

| विद्यालय | अध्यापक/अध्यापिका |
|---|---|
| प्रा0पा0 भूरागढ़ | 9 |
| प्रा0पा0 जमुनीपुरवा | 4 |
| प्रा0पा0 महोखर | 9 |
| कन्या प्रा0पा0 महोखर | 5 |
| प्रा0पा0 क्योटरा शहर | 3 |
| क0प्रा0पा0 क्योटरा शहर | 4 |
| प्रा0पा0 शिवरामपुर | 2 |
| " खप्टिहा खुर्द | 2 |
| " अदरी | 2 |
| " चौकीपुरवा | 2 |
| " नारायण | 2 |
| प्रा0पा0 पपरेंदा | 6 |
| क0प्रा0पा0पपरेंदा | 2 |

जी हां ।

जनपद बांदा में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है । इतना अवश्य है कि कुछ विद्यालयों में मानक से अधिक तथा कुछ विद्यालयों में मानक से कम अध्यापक हैं ।

जी हां ।

वार्षिक प्रबन्ध में निर्धारित मानक के अनुसार समायोजन के निर्देश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है । मेरी पूर्ण जानकारी है कि शहरों में जहां पर शिशु विद्यालय हैं व नर्सरी विद्यालय हैं, वहां पर प्राइमरी पाठशालाओं में 20-25 छात्र जाते हैं । माननीय मंत्री जी ने बताया है कि प्राइमरी पाठशाला भूरागढ़ में 9 अध्यापक हैं और महोखर में 9 अध्यापक हैं, कन्या प्राइमरी पाठशाला महोखर में 5 अध्यापक हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भूरागढ़ व महोदखर प्राइमरी पाठशाला में कितने छात्र/छात्रायें हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, प्राइमरी पाठशाला भूरागढ़ में 235 छात्र संख्या है और महोखर में 131 छात्र संख्या है ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे शुक्रवार को अतारांकित प्रश्न संख्या-153 के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि भूरागढ़ प्राइमरी पाठशाला में 211 छात्र और छात्रायें हैं और 9 अध्यापक हैं, जो निर्धारित मानक से 4 अधिक है । इन अतिरिक्त अध्यापकों को एकल अध्यापकीय विद्यालय में स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं । अब मंत्री जी छात्र संख्या 235 बता रहे है । इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

आप निदेश 165 के अन्तर्गत लिखकर अपनी सूचना दे दें ।

**प्रदेश स्तर पर एड्स नामक रोग के मरीजों की संख्या का विवरण एवं रोकथाम की मांग**

*111-श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री किशन गोपाल-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश मे एड्स रोग के फैलने व उसके गिरफ्त मे लोगो के आने की सूचना उसके पास है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम और नियत्रण हेतु वह क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं तो क्यो ?

डा० अमर सिंह-

जी हां ।

एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार की शतप्रतिशत सहायता से प्रदेश में तीन सार्वेलिन्स सेन्टर तथा दो जोनल ब्लड टेस्टिंग सेन्टर स्थापित किये गये हैं । इन केन्द्रों पर रक्त दान के पूर्व रक्त का परीक्षण इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि उसमें एड्स के जीवाणु तो नहीं हैं । चूंकि इस रोग की कोई दवा अथवा वैक्सीन नहीं है, अत. इस रोग की रोकथाम से संबंधित जानकारी देने हेतु अब तक प्रदेश के 4 मण्डलीय जनपदों में बैठकें की जा चुकी हैं, जिनमें जनपद के गणमान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित जानकारी दी गई तथा भविष्य में भी इस प्रकार की बैठकें अन्य जनपदों में भी की जाती रहेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैं. मान्यवर, माननीय मंत्री द्वारा दिये गये प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि यह जो परीक्षण के केन्द्र दिए गये हैं इनमें अब तक तक कितने लोगों के खून का परीक्षण किया गया और कितने लोगों के खून में एड्स के वायरस पाये गये, क्या कुछ लोगों की मृत्यु होने की जानकारी है ?

एक और बात जानना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के परीक्षण से उन्होंने बताया है कि यह जो एड्स रोग है यह भयंकर और असाध्य रोग है और उन्होंने कहा है कि दो हजार तक एशिया की जो आबादी है उसका 10 फीसदी भाग इसकी गिरफ्त में आ जायेगा । उस हालत में भारत में 50 लाख लोग एड्स के रोगी हो जायेंगे । तो इसमें जो बैठकों की बात कही गयी है कि 4 मण्डल जनपद में बैठकें की गयी उसमें इसकी रोकथाम के लिए, इससे बचने के लिए जो सुझाव दिये गये वे अपर्याप्त हैं । इसके प्रसार और प्रचार को बढ़ाने का इंतजाम करें और केन्द्र सरकार को सुझाव दें और इन बैठकों में जो बातें बताई गयी हैं उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं ?

श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, अभी तक यह रोग भयंकर और असाध्य है इसमें सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है । इसी दृष्टि से हमने 41366 रक्त के नमूने लिये । इन नमूनों को हमने टेस्ट कराया और उसमें 170 ऐसे केसेज पाये जिसमें इस भयंकर रोग के जीवाणु पाये गये । अभी तक विश्व में इसकी कोई औषधि नहीं बन पायी है और न कोई वैक्सीन ही डैवलप हो पाया । एक मात्र उपाय यही है कि ऐसे रोगियों को समाज से पृथक रखें । जहां-जहां ऐसे लोग अपना ब्लड देते हैं क्यों ? यह बीमारी उससे भी फैलती है और ऐसे लोग प्रोफेंसनल ब्लड डोनर्स भी अगर हैं जो कलकत्ता बम्बई, दिल्ली आदि में ब्लड देते हैं और दूसरी जगह जाकर यौन अपराध करते हैं जिससे जीवाणु दूसरे में आ जाते हैं । इसलिए सारे ब्लड बैंकों को उनकी सूचना दे दी है, उनके नाम दे दिये हैं ताकि उनसे ब्लड न लिया जाय । आगे और जगहों में भी ऐसे कार्यक्रम जैसा इन चार स्थानों पर कार्यक्रम किये गये लिये जायेंगे । निश्चित रूप से यह कार्यक्रम प्रशिक्षण का है लोगों को एजुकेट करने का है जो कर रहे हैं । अभी तक इसका कोई प्रिवेंटिव उपाय नहीं निकला है केवल एजुकेटिव है ।

श्री अध्यक्ष-

अंतिम प्रश्न कर लीजिये । (व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

कितने लोगों के मरने की सूचना मिली है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एड्स से मरने की किसी की सूचना नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है मुझे मौका नहीं मिला । एक प्रश्न कर लूं ।

---

नोट:- नत्थी "घ" तारांकित प्रश्न संख्या ।। के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष-

बहुत सारे सदस्यों के नाम हैं ।

(व्यवधान) (श्री किशन गोपाल बोलने का प्रयास करते रहे )

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इनका आप मेडिकल करा दीजिए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आज कार्य सूची में कार्य बहुत अधिक है इसलिये आप बैठिए । इस तरह आज काम नहीं चलेगा ।....(व्यवधान) ...मैं नियम-301 की सूचनायें ले रहा हूं आप बैठिए । (न बैठने पर) अच्छा बैठिए आपका नाम भी प्रश्न के साथ जुड़वा दूंगा ।

**जनपद बांदा के तहसील कर्वी में मीठा पेयजल की व्यवस्था कराये जाने की मांग**

*13-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बांदा के तहसील कर्वी में गांव समूहों में आबादी के अन्दर भूगर्भ जल में मीठे पानी का अभाव है ? यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं ? क्या यह सत्य है कि इन गांवों में हैण्ड पम्पों द्वारा मीठा पेयजल सुलभ कराया जाना कठिन है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के अन्तर्गत 3 विकास खण्डों मानिकपुर, चित्रकूट व पहाड़ी के 32 ग्रामों में कुल अधिष्ठापित 133 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों में से 74 का पानी मीठा नहीं पाया गया है ।

उक्त 32 ग्रामों में से 8 ग्रामों को पाइप योजना से भी लाभान्वित किया जा चुका है एवं इनमें अधिष्ठापित 29 हैण्ड पम्पों में से 13 से मीठा पेयजल भी सुलभ है । शेष 24 ग्रामों में लगे 164 हैण्ड पम्पों में से 106 से मीठा पेयजल सुलभ है । अतः अधिकांश ग्रामों में मीठा पेयजल सुलभ कराया जा चुका है ।

मीठे पानी की कमी वाले ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं का बनाया जाना उचित पेयजल श्रोत, तकनीकी दृष्टि तथा निर्धारित मानक पर निर्भर करेगा तथा इसका कार्यान्वयन धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । इस प्रकार के ग्रामों का सर्वेक्षण प्रारम्भ हो गया है ।

## आगरा जनपद में पेयजल समस्या के निवारण हेतु यमुना नदी पर बैराज बनाए जाने की मांग

*14-श्री चन्द्र भान मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा शहर की पेयजल समस्या के निवारण के लिए यमुना नदी पर बैराज बनाने के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त बैराज बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

आगरा नगर की पेयजल समस्या के आंशिक निराकरण हेतु गोकुल बैराज के निर्माण के लिए अब तक रु0 11.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। अवशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु आगरा में भी यमुना नदी पर एक बैराज प्रस्तावित है जिसके लिए आठवीं पंच वर्षीय योजना में 10 करोड़ रुपया का प्राविधान रखा गया है ।

गोकुल बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर है । आगरा बैराज के विषय में कार्यवाही प्रारम्भिक स्तर पर है ।

## टाउन एरिया कमेटियों में विधायकों/सांसदों को पदेन सदस्य बनाये जाने की मांग

*15-श्री गंगा बख्श सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्र समितियों, जिला परिषद् व नगरपालिका की ही तरह टाउन एरिया कमेटियों में भी विधायकों/सांसदों को पदेन सदस्य बनाये जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विधायी प्रक्रिया पूर्ण होने पर ।

*16-श्री ऊदल-

(दिनांक 21-2-92 को अता0 प्र0 सं0-99 तथा दिनांक 10-4-92 को अता0 प्र0सं0 74 द्वारा उत्तरित )

## गोण्डा जनपद में अध्यापक विहीन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की तुरन्त तैनाती की मांग

*17-श्री बिन्दु लाल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में प्राइमरी व जूनियर स्तर के ऐसे विद्यालय हैं जिनमें कोई अध्यापक नहीं है ? यदि हां, तो

कितने और कौन-कौन ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उनमें अध्यापकों की तैनाती कब तक हो जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार जनपद गोण्डा मे 48 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां स्थायी रूप से अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है परन्तु अस्थायी व्यवस्था द्वारा अध्यापकों से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है ।

जी हां । अध्यापकों की स्थायी व नियमित व्यवस्था वार्षिक प्रबन्ध के समय की जायेगी ।

**जालौन के जिला चिकित्सालय से अटैच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों की उनके स्थानों पर वापस करने की मांग**

*18-श्री श्रीराम-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के जिला चिकित्सालय में सृजित पदों के अनुसार सीनियर तथा जूनियर डाक्टरों की रिक्तियां हैं ? यदि हां, तो कितनी ? क्या जिला चिकित्सालय, जालौन उरई में चिकित्सकों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात महिला व पुरुष चिकित्सकों को जिला अस्पताल में अटैच करके रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों क्या ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ तथा वर्तमान में जिला चिकित्सालय में अटैच चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में वापिस किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । सीनियर ग्रेड के एक महिला चिकित्साधिकारी तथा साधारण ग्रेड (महिला) चिकित्साधिकारी के 4 व पुरुष चिकित्साधिकारी (साधारण ग्रेड) के 3 पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जल संस्थान जलकल अभियंत्रण सेवा में लगे महाप्रबन्धक, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ताओं की केन्द्रीयत सेवा नियामवली के अनुसार पदोन्नति देने की मांग**

*19-श्री जटाशकर सिह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान जलकल अभियंत्रण सेवा में महाप्रबन्धक, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के अलग-अलग कुल कितने पद हैं ? उक्त पदों में से कितने पद रिक्त हैं और कितने पद नियुक्ति/पदोन्नति द्वारा भरे जा चुके हैं ? क्या रिक्त पदों पर

केन्द्रीयत सेवा नियम के अन्तर्गत बनी ज्येष्ठता सूची के आधार पर नियुक्ति/पदोन्नति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जल संस्थान जलकल अभियंत्रण सेवा में पदों की स्थिति निम्नवत् है:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | महाप्रबन्धक | 8 |
| 2 | अधिशासी अभियन्ता | 56 |
| 3 | सहायक अभियन्ता | 137 |
| 4 | अवर अभियन्ता | 365 |

उक्त पदों में से 58 पद रिक्त हैं तथा शेष पद भरे हुए हैं ।

जी हां, नियमानुसार बनाई गई ज्येष्ठता सूची के आधार पर नियुक्ति/पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*20-श्री सुखवीर सिंह गहलौत-

(8वें मंगल में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**अतारांकित प्रश्न**

**श्री जेड0आर सिद्दीकी, महा प्रबन्धक कुमाऊं जल संस्थान के विरुद्ध शिकायतों की जांच**

1-श्री धनीराम वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सिद्दीकी, महा प्रबन्धक, कुमायूं जल संस्थान, नैनीताल द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरुपयोग करके वर्ष 84 से 87 के मध्य करोड़ों रुपये के स्टोर में गबन का पर्दाफाश करने वाले अधिशासी अभियन्ता का उत्पीड़न उनके द्वारा किया गया है और उन्हें कुमायूं जल संस्थान हल्द्वानी से हटाने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रेमलता कटियार-

श्री जेड0आर0 सिद्दीकी, महा प्रबन्धक को कुमायूं जल संस्थान के हल्द्वानी स्टोर की समग्री में हेराफेरी करने, अधिशासी अभियन्ता को उत्पीड़ित करने एवं हल्द्वानी से हटाने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया ।

श्री सिद्दीकी को निलम्बित कर विभागीय जांच करायी जा रही है ।

**उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड, लखनऊ में नौकरी से निकाले गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा में होने की मांग**

2-श्री झाऊ लाल यादव-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड, लखनऊ (पैक्सफेड) के प्रबन्ध निदेशक ने किस शासनादेश अथवा

आदेश के अन्तर्गत संस्था में लगभग 6 वर्षों से सहकारी शीतगृहों पर कार्य कर रहे उन 24 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माह जून, 1991 से नौकरी से निकाल दिया है ? क्या यह सत्य है कि संस्था में कुछ कनिष्ठ कर्मचारी दैनिक वेतनमान पर अब भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के सभी सहकारी शीतगृहों को बंद करने का निर्णय शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या संस्था में इस वर्ष नई नियुक्तियां की जानी प्रस्तावित हैं ? क्या संस्था द्वारा उन निकाले गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा में लिए जाने का शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह लिमिटेड, लखनऊ की वित्तीय स्थिति खराब होने एवं कार्य के अभाव में दैनिक वेतन के 25 कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक वाद अधिनियम की धारा 6 एन0 के प्राविधानों के अन्तर्गत छटनी की गई थी ।

जी नहीं ।

सभी छटनीशुदा कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश निर्गत किये गये हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

वर्ष 1991 में आलू का उत्पादन कम होने के कारण बंद 6 शीतगृहों के संचालन हेतु सीजनल कर्मचारियों के रूप में दैनिक वेतन के छटनीशुदा कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है ।

जी हां ।

दैनिक वेतन के छटनीशुदा सभी कर्मचारियों को सीजनल रूप में कार्य करने के नियुक्ति आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सम्बद्धता समाप्त करने संबंधी शासनादेश के भी मेडिकल कालेज, लखनऊ की एक नर्स को स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय से सम्बद्ध किये जाने की शिकायत**

3-श्री झाऊ लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-5619-मेक-3/पांच-90, दिनांक 4-10-90 के द्वारा सम्बद्धता समाप्त कर दिये जाने के बावजूद

भी मेडिकल कालेज, लखनऊ की एक सिस्टर, स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय के उपचारिका अनुभाग से सम्बद्ध होकर लिपिक का कार्य कर ही है ? क्या यह सत्य है कि उनकी सेवायें चिकित्सालय के लिए हैं ? यदि हां, तो उक्त सिस्टर की सम्बद्धता अभी तक समाप्त न किए जाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ? क्या जनहित में उक्त सिस्टर को उनकी सम्बद्धता समाप्त करके मूल तैनाती पर तत्काल वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं ।

जी हां ।

सम्बद्धता समाप्त हो जाने के कारण, कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है ।

सिस्टर की सम्बद्धता समाप्त करके मूल तैनाती पर वापस किया जा चुका है

प्रश्न नहीं उठता ।

**जिला आगरा, नसबंदी शिविर में पचास वर्षीया विधवा को आवासीय सुविधा का आश्वासन देकर नसबंदी किये जाने की घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग**

4-श्री चन्द्र भान मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-11-91 को ग्राम अरावल खेड़ा विकास खण्ड खन्दौली, जिला आगरा पर आयोजित नसबंदी शिविर में प्रधान ग्राम सभा अरेला तथा ग्राम विकास अधिकारी ने एक पचास वर्षीय महिला जो कि बीस वर्षों से विधवा है व अनुसूचित जति की है जिसका नाम श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व0 श्री राम दयाल निवासी ग्राम अरेला, ब्लाक ऐतमादपुर, जिला आगरा की आवासीय भवन बनवाने का झूठा आश्वासन देकर नसबंदी आपरेशन करा दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि वह विधवा महिला नसबंदी आपरेशन के कारण बीमार है ? यदि हां, तो प्रशासन ने अब तक उसके इलाज की क्या व्यवस्था की है ? क्या उसे कोई आवासीय सुविधा प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस गम्भीर मामले की किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार कल्याण के लाभार्थियों को आवासीय सुविधा दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है फिर भी ग्रामीण आवास विकास परिषद् द्वारा आवास आवंटित किया जा चुका है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**अल्हागंज टाउन एरिया, जिला शाहजहांपुर में विगत दो साल पूर्व पेयजल हेतु विछाई गई पाइप लाइन के फेल होने की शिकायत एवं जांच की मांग**

5-श्री राम मूर्ति सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के अल्हागंज टाउन एरिया में लगभग दो वर्ष पूर्व पाईप लाइन बिछाई गई थी, जो कि बिल्कुल असफल रही है व कोई भी नागरिक पीने का पानी नहीं पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांचोपरान्त कार्यवाही करके जांच आख्या सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । जल निगम द्वारा बिछाई गई पाइप लाइन असफल नहीं है क्योंकि कार्य अभी प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**नगरपालिका सहारनपुर में रिक्त पदो पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति किया जाना**

6-श्री लाज कृष्ण गांधी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, सहारनपुर में चुंगी-कर समाप्त होने के उपरान्त सरप्लस कर्मचारियो में से किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप हुई रिक्तियों को नई नियुक्तियों के माध्यम से भरा गया है ? यदि हां, तो ऐसी नियुक्तियों को शासन द्वारा निरस्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ? इन नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ? इन नियुक्तियों के फलस्वरूप शासन को हुई आर्थिक हानि से सम्बन्धित धनराशि, उत्तरदायी व्यक्ति से वसूले जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो भविष्य में क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

नगरपालिका सहारनपुर में चुंगीकर समाप्त होने के बाद 4 मोहर्रिर व । चपरासी कुल 5 पद सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए । इन

5 पदों में से एक पद चपरासी का तथा एक पद मोहर्रिर का मृतक आश्रित को सेवा में लेकर भरा गया है । शेष 3 पद मोहर्रिर के रिक्त हैं ।

मृतक आश्रित के दोनों पद नियमानुसार भरे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**नगरपालिका, सहारनपुर में की गई अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किये जाने की मांग**

7-श्री लाज कृष्ण गांधी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सहारनपुर में वर्ष 1980 से वर्ष 1991 के बीच प्रत्येक वर्ग में स्वीकृत पदों के अलावा नई नियुक्तियों की गई हैं ? यदि हां, तो इन अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो भविष्य में क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ? इन अनियमित नियुक्तियों को करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो भविष्य में क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित हैं ? इन अनियमित नियुक्तियों के फलस्वरूप सरकार को हुई हानि से सम्बन्धित धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति से वसूले जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो भविष्य में क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रत्येक संवर्ग में नहीं वरन संग्रहकर्ता के एक पद पर पालिकाध्यक्ष द्वारा नई नियुक्ति की गई है । इसके अलावा सफाई निरीक्षक तथा सहायक कर अधीक्षक के एक-एक पद पर अतिरिक्त कर्मचारी जनहित में तैनात किए गये हैं ।

कर संग्रहकर्ता के पद पर की गई नई नियुक्ति को समाप्त करने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हें । शेष कार्यवाही की जा रही है ।

8-श्री लाज कृष्ण गांधी-

(7वें शुक्रवार के लिए स्थगित )

**उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा नगरपालिका, सहारनपुर में केन्द्रीय सेवा नियमावली के संवर्गो के अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति की शिकायत**

9-श्री लाजकृष्ण गांधी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा नगरपालिका, सहारनपुर में केन्द्रीयत सेवा के प्रत्येक वर्ग में स्वीकृत

पदों के अलावा सरप्लस कर्मचारी तैनात किए गए हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1980 से 1991 तक नगरपालिका, सहारनपुर द्वारा इन सरप्लस कर्मचारियों को कितनी धनराशि वेतन के रूप में भुगतान की गई है ? नगरपालिका, सहारनपुर को सरप्लस कर्मचारियों को वेतन के रूप में उक्त धनराशि देने के फलस्वरूप हुई आर्थिक हानि की पूर्ति विशेष अनुदान द्वारा शासन से कब तक की जायेगी ? स्वीकृत पदों के अलावा सरप्लस कर्मचारी तैनात करने के लिए उत्तरदायी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो भविष्य में क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रत्येक संवर्ग में नहीं वरन खाद्य एवं सफाई निरीक्षक एवं सहायक कर अधीक्षक के एक-एक पद पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात हैं ।

प्रश्नगत अवधि में उक्त दोनों कर्मचारियों के वेतन के रूप में कुल रु0 2,82,149.00 की धनराशि भुगतान की गई ।

तैनातियां जनहित में की गई हैं, अतएव आर्थिक क्षति होने एवं क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**साधन सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी**

10-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में साधन सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित कराया गया पत्र व संलग्नक दिनांक 17-9-91 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी द्वारा कार्यवाही हेतु इस पत्र व संलग्नक को "निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश " को भेजा गया है ? यदि हां, तो इन मामलों पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

जी हा ।

समितियों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने के निर्देश समितियों के प्रबन्धक को कर दिये गये हैं ।

अतिरिक्त सचिवों से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-8-91 में "कार्य उपलब्ध होने पर" अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्य करने की अनुमति दिये जाने के आदेश पारित किये हैं ।

अतिरिक्त सचिव के पद के लिए कार्य उपलब्ध न होने के कारण अतिरिक्त सचिवों को उनके पूर्व पदों पर समायोजित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत आदेश यथावत् लागू रखे गये हैं ।

समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को समय से नियमानुसार वेतन भुगतान करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11-डा0 दिनेश जौहरी-

(दिनांक 28-2-92 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित)

**लखनऊ जल संस्थान की सीमा तथा एल0डी0ए0 कालोनी, ऐशबाग के मध्य पार्कों एवं सम्पर्क मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग**

12- श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जल संस्थान की सीमा तथा एल0डी0ए0 कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ के मध्य स्थित पार्कों एवं सम्पर्क मार्ग पर अतिक्रमण किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त पार्क एवं सम्पर्क मार्ग पर अतिक्रमण रोकने के लिए अब तक (दिनांक 13-1-92 तक) क्या प्रयास किए गए हैं ? इस पर से अतिक्रमण कब तक हटा लिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां । एल0 डी0 ए0 कालोनी ऐशबाग के मध्य स्थित एक पार्क में कतिपय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है किन्तु सम्पर्क-मार्ग पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।

जिला प्रशासन के सहयोग से समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है ।

पार्क का अतिक्रमण यथाशीघ्र हटा दिया जायेगा ।

**जिला सहकारी बैंक, उन्नाव के अधिकारियों के निजी व्ययों को भी बैंक संचालक मण्डल के व्यय में सम्मिलित किये जाने की शिकायत**

13-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के जिला सहकारी बैंक के बोर्ड का माननीय उच्च न्यायालयों के मुकदमें की पैरवी हेतु वर्ष 89-90 व 90-91 में कितना धन खर्च हुआ है ? क्या यह सच है कि बैंक के कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण को रुकवाने हेतु दायर मुकदमों का खर्च भी बैंक संचालक मण्डल ने बैंक खर्च में दिखाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस खर्च के औचित्य की जांच करवाएगी ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जिला सहकारी बैंक, उन्नाव द्वारा वर्ष 89-90 एवं 90-91 में क्रमशः 17190-00 रुपये एवं 58920-00 रुपये व्यय किया गया है ।

जी हां ।

इसकी जांच विभाग द्वारा करायी जा चुकी है और खर्च को नियम विरुद्ध पाये जाने पर बैंक की तत्कालीन प्रबन्ध समिति को दिनांक 19-9-91 को निलम्बित किया जा चुका है ।

**जिला सहकारी बैंक की शाखा गंजमुरादाबाद के प्रबन्धक के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच का विवरण**

14-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की जिला सहकारी बैंक की शाखा गंजमुरादाबाद के प्रबन्धक के सम्बन्ध में वर्ष 87-88 व 88-89 में अनियमितताएं बरतने व आई0आर0डी0 ऋणों की वितरण की त्रुटियों के प्रकरण में जिला स्तरीय जांच की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जांच में प्रबंधक दोषी पाए गए थे ? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

अपर जिलाधिकारी (परियोजना) उन्नाव ने अपनी जांच में अन्य के साथ शाखा प्रबंधक को दोषी पाया है । शाखा प्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

**राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में महरों (कहार) के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को दो प्रकार का वेतन दिये जाने पर आपत्ति**

15-श्री राम मूर्ति सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में महरा (कहार) के पद पर दो प्रकार का वेतनमान क्यों दिया जाता है ? क्या यह सही है कि 1987 के पूर्व कहार पद का वेतनमान 750-12-870-द0रो0-14-940 रुपया है साथ ही साथ मंहगाई भी देय है और 87 में जो लोग महरा के पद पर नियुक्त किए गए उनको मात्र 300 रुपया दिया जाता है जबकि कहार और महरा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं ?

श्री कल्याण सिंह -

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में रसोइया- कम-कहार, केवल रसोइया और केवल कहार है, के पद हैं, जिन्हें अलग-अलग वेतनमान दिया जाता है ।

जी नहीं । वर्ष 1987 के पूर्व कहार के पद का कोई वेतनमान स्वीकृत नहीं था बल्कि वर्ष 1986 के पूर्व रसोइया-कम-कहार के पदनाम से पद का वेतनमान रु0 750-940 में स्वीकृत था और वर्ष 1986-87 में रसोईया का पृथक पद स्वीकृत किया गया और कहार का पद रु0 300 प्रतिमाह के नियत वेतन में स्वीकृत किया गया तथा वर्ष 1987-88 में रसोइया का पद रु0 400 प्रतिमाह के नियत और कहार का पद रु0 200 प्रतिमाह नियत वेतन में स्वीकृत किया गया है, जिसके अनुसार ही वेतन दिया जा रहा है ।

**के0जी0मेडिकल कालेज के प्राचार्य को रिटायर्ड होने के बाद भी पदारूढ़ रहने के कारणों की जानकारी**

16-श्री प्रमोद कुमार-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि के0जी0मेडिकल कालेज के प्राचार्य को हटाये जाने की मांग काफी दिनों से चल रही है ? यदि हां, तो उन्हें रिटायर होने के बाद भी हटाये न जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

शासनादेश दिनांक 6-3-91 द्वारा डा0बी0के0 खन्ना, प्राचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करके वह कार्यरत हैं ।

**विकास खण्ड पचपेड़वा जिला गोण्डा में प्राइमरी पाठशालाओं के भवन के निर्माण हेतु दी गई धनराशि का विवरण**

17-श्री बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 से आज तक जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा में किस-किस ग्राम सभा में, किस-किस प्रधान को तथा किस-किस अध्यापक को प्राइमरी पाठशाला भवन के निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि कितने किश्तों में प्रदान की गयी ? कितने प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण हो गया और कितने भवन अधूरे हैं ? क्या जो भवन अधूरे हैं उनके कार्य को पूरा करने के लिए धन का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कितने दिन में कार्य को पूरा करने के लिए धन का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो कितने दिन में कार्य को पूरा करना था ? क्या सरकार कार्य में शिथिलता बरतने वाले अध्यापकों तथा सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

56 ग्राम सभाओं में 56 ग्राम प्रधानों एवं संबंधित प्रधान अध्यापकों को प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु संलग्न सूची के अनुसार धनराशि किश्तों में प्रदान की गयी है ।

41 प्राइमरी पाठशाला के भवनों का निर्माण हो गया है और 15 भवन अधूरे हैं ।

जी हां ।

निर्माण की प्रगति के आधार पर अधिकतम तीन किश्तों में धनराशि दिये जाने का प्राविधान है । कार्यक्रम के अनुसार सभी भवनों का निर्माण 6 माह में पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था । किन्तु जनपदों में स्थल विवाद तथा अन्य कठिनाइयों के कारण उक्त अवधि में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसे पूरा कराने के निर्देश अधिकारियों को समय-समय पर दिये गये ।

निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने के लिए उत्तर दायी अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करके शासन को सूचित किये जाने हेतु मण्डलायुक्त तथा निदेशक बेसिक शिक्षा को निदेश दिये गये हैं ।

15 अधूरे भवनों में से दो भवनों का निर्माण विवादित होने के कारण प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । भवन निर्माण के सम्बन्ध में ब्लाक स्तर एवं जनपद स्तर पर अनुश्रवण समिति गठित है । जिसकी बैठक लगातार सम्पन्न होती है तथा सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण का कार्य किया जाता है ।

**(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 234-236 पर)**

18-19-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ।)

**ग्राम रसुलहा ब्लाक बड़ा गांव जिला वाराणसी में प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग**

20-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रसूलहां, ब्लाक बड़ागांव, जिला-वाराणसी में अब तक कोई बेसिक प्राइमरी पाठशाला खोली गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 91-92 में वहां एक बेसिक प्राइमरी पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? क्या बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी को स्कूल खोलने की आज्ञा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं ।

ग्राम रसुलहा पंचम शैक्षिक सर्वेक्षण में प्रस्तावित न होने के कारण तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सूचनानुसार प्राथमिक विद्यालय कोइलार एवं धवकलगंज जो ग्राम रसुलहा से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर है, से सेवित होने के कारण।

**जनपद सुल्तानपुर की टाउन एरिया अमेठी में डा0 भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग**

21-श्री राम लखन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद सुल्तानपुर की टाउन एरिया-अमेठी में भारत रत्न बाबा साहब, डा0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने हेतु बहुजन समाज पार्टी सुल्तानपुर द्वारा अनेकों पत्र जिलाधिकारी, सुल्तानपुर एवं उ0प्र0 शासन को दिनांक 9-1-91 तथा 7-10-91 को जिला प्रशासन का सांकेतिक घेराव तथा दिनांक 19-12-91 को तहसील अमेठी में धरना आदि कार्यवाही के बावजूद आज तक वहां मूर्ति स्थापित न कराये जाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी तत्काल उक्त समस्या का निराकरण कराकर उक्त स्थान पर मूर्ति स्थापित कराये जाने हेतु जिला प्रशासन को आदेशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां, क्योंकि टाउन एरिया अमेठी द्वारा डा0 अम्बेडकर की मूर्ति समिति के क्षेत्र में स्थापित किये जाने हेतु कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) क्योंकि इसका सम्बन्ध टाउन एरिया कमेटी, अमेठी से है न कि शासन से ।

22-25-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ।)

**टाउन एरिया मौरांव जनपद उन्नाव द्वारा 1981 से 1989 तक टैक्स एसेस्मेंट न करने से टाउन एरिया को हुई क्षति का आंकलन**

26-हृदय नारायण दीक्षित-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया मैनुअल के अनुसार कस्बा निवासियों पर टैक्स एसेसमेंट करना किसी टाउन एरिया कमेटी का प्रमुख दायित्व है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उन्नाव जिले की मौरावां टाउन एरिया द्वारा वर्ष 1981 से 1989 के बीच टैक्स एसेसमेंट करने से अनुमानतः टाउन एरिया को कितनी क्षति हुई है ? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-1-92 व सचिव नगर विकास को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-2-92 पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) टैक्स एसेसमेंट की कार्यवाही की जा रही है अतः कोई क्षति का आंकलन करना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी हां । जिलाधिकारी से इस संदर्भ में जांच करके जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

**उन्नाव जिले के टाउन एरिया द्वारा हाउस एसेसमेंट टैक्स न वसूलने से आर्थिक हानि की सूचना**

27-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की कितनी टाउन एरिया कमेटियों ने प्रति परिवार टैस एसेसमेंट करने का अपना प्रमुख कर्तव्य नहीं पालन किया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि टैक्स एसेसमेंट न करने से टाउन एरिया को भारी वित्तीय क्षति होती है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि मौरावां टाउन एरिया ने वर्ष 84 से 89 तक या उसके मध्य कोई टैक्स एसेसमेंट नहीं किया है जिससे टाउन एरिया को लाखों रुपये की क्षति हुई है ? टाउन एरिया के द्वारा अपना प्रमुख कर्तव्य पालन न करने जैसी अनियमितता के सम्बन्ध में क्या सरकार उक्त टाउन एरिया को बर्खास्त करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां । कुल ।। टाउन एरियाओं द्वारा भवन कर नहीं लगाया गया है।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । वर्ष 1984 से 1988 तक तत्कालीन अधिकारियों द्वारा टैक्स एसेसमेंट नहीं किया जा सका था ।

उक्त अवधि में जनता द्वारा चुनी गई समिति कार्यरत नहीं थी, अतः टाउन एरिया को बर्खास्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । वर्ष 1989 से कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है ।

28-श्री ऊदल-

(7 वें शुक्र के लिए स्थगित)

**मैनपुरी जनपद के प्राइमरी पाठशालाओं के मृतक अध्यापकों के आश्रितों को सेवा में लिए जाने की मांग**

29-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में सन् 1985 से लेकर जून, 91 तक बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कितने अध्यापक सेवा निवृत्त

हुए और कितनों का सेवाकाल में निधन हुआ ? क्या उक्त रिक्त स्थानों पर मृतक आश्रितों के अलावा अन्य सामान्य नियुक्तियों भी की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

वर्ष 85 से जून, 91 तक 441 अध्यापक सेवानिवृत्त हुए एवं 97 अध्यापकों का सेवाकाल में निधन हुआ ।

70 मृतकाश्रितों की नियुक्तियों की गयी ।

जी हां ।

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ।

30-श्री राम औतार शाक्य-

(7 वें शुक्र के लिए स्थगित)

**मेरठ जनपद व मेरठ मण्डल में माह मई, 91 से दिसम्बर, 1991 तक मलेरिया निरोधक दवाओं के अभाव की शिकायत**

31-श्री चरन सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद व मेरठ मण्डल में माह मई, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक मलेरिया की क्लोरोक्वीन गोली का अभाव रहा ? यदि हां, तो उसकी आपूर्ति के लिए शासन ने क्या कदम उठाये ? अभाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**अपर निबंधक अधि0 सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुसार साधन सहकारी समिति खण्डासा, बीकापुर फैजाबाद द्वारा न्यूनतम वेतन न दिये जाने की शिकायत तथा मांग**

32-श्री किशोरी लाल-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपने निबंधक, अधि0 सहकारी समितियां,उ0प्र0 के आदेश संख्या सी-170/अधि0,दिनांक 19 मार्च, 1991 द्वारा प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में कार्यरत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार न्यूनतम वेतन दिये जाने हेतु समस्त जिलों के सहायक निबंधक सहकारी समितियां को आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि साधन सहकारी समिति खण्डासा तहसील बीकापुर जिला-फैजाबाद में कार्यरत कर्मचारियों एकाउण्टेण्ट कम सेल्समैन को उक्त आदेश के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त समिति में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तत्काल दिये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बाल्मीकि :

जी हां ।

साधन सहकारी समिति लिमिटेड, खण्डासा की आर्थिक स्थिति न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार वेतन भुगतान का व्यय भार वहन करने में सक्षम नहीं है फिर भी उक्त आदेश के अन्तर्गत मानवीय दृष्टिकोण से जीवन निर्वाह योग्य वेतन, समिति के कर्मचारियों को दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यालय अधीक्षक के पदों पर अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे की पूर्ति की जानकारी**

33-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 मार्च, 1965 से 31-12-91 तक राजकीय ऐलोपैथी मेडिकल कालेजों में कार्यालय अधीक्षक, (प्रशासनिक अधिकारी) तथा मुख्य लिपिक (वरिष्ठ सहायक) का पद प्रोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा कुल कितनी बार सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया है ? तथा उसमें कुल कितनी रिक्तियां अनुसूचित जाति के लिए अग्रेनीत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों? इन पदों पर आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कुल कितने अभ्यर्थी चुने गये हैं तथा वर्तमान समय में कितने पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं ? क्या इन पदों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण पूरा हो चुका है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**के0जी0मेडिकल कालेज, लखनऊ के परिसर में स्थित आवासीय भवनों के आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी**

34-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के परिसर में स्थित आवासीय भवन किसकी सम्पत्ति है तथा उनके आवंटन का आधार एवं मानक क्या है ? क्या आवासीय भवनों के आवंटन में अ0जा0 के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या दिनांक 15-192 को प्रधानाचार्य के0जी0 मेडिकल कालेज द्वारा किये गये आवंटन में उक्त का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह -

के0जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ के परिसर में स्थित आवासीय भवन विश्वविद्यालय की सम्पत्ति है । इनका आवंटन एक समिति द्वारा किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सिविल यूनिट में अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया**

35-श्री राम सरन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की सिविल यूनिट में सहायक अभियन्ता के पांच पदों पर विभागीय अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति होनी प्रस्तावित थी ? क्या वर्ष 1987 में तीन अवर अभियन्ताओं को पदोन्नति दे दी गई ? यदि हां, तो अन्य दो की पदोन्नति कब की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

सहायक अभियन्ता के चार पदों पर विभागीय अवर अभियन्ताओं में से पदोन्नति पर विचार किया गया था ।

वर्ष 1989 में सहायक अभियन्ता के तीन पदों पर अवर अभियंताओं की पदोन्नति की गयी ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

**जिला विकास अधिकारी (बे0शि0) बाराबंकी मखदुमपुर मजरे गदिया परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में नवसृजित प्रारम्भिक विद्यालय के भवन निर्माण की मांग**

36-श्री छोटे लाल यादव-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी (बे0शि0) बाराबंकी द्वारा जारी आदेश पत्रांक-111/आर0के0/स्कूल-भ/नि0/91-92 दिनांक 4-1-92 के अन्तर्गत मखदूमपुर मजरे गदिया परगना देवां तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी के नवसृजित प्रारम्भिक विद्यालय आराजी नम्बर 1092 स्कूल फार्म के नाम सुरक्षित आराजी पर निर्माण कार्य शुरू है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त स्कूल का निर्माण कार्य शुरू कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्राप्त आख्यानुसार विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका था परन्तु 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् माननीय सिविल कोर्ट बाराबंकी से स्थगन आदेश हो जाने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है ।

न्यायालय का आदेश प्राप्त होते ही निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया जायगा । प्रश्न नहीं उठता ।

**महाप्रबंधक झांसी, मण्डल जल संस्थान के कुछ गांवों में पेयजल टंकियों द्वारा जल आपूर्ति के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र**

37- श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाप्रबन्धक झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी को ग्राम माटा सोहंगा, पिपरगवां वेन्दाघाट परखड़ा साड़ी पपरेन्दा पेयजल टंकियों द्वारा जल आपूर्ति चलाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ख 830274, दिनांक 26-12-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

जहां तक प्रश्नगत ग्रामों की जलापूर्ति का प्रश्न है ये ग्राम तिन्दवारी ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित हैं जिसके अन्तर्गत 2 नलकूल निर्मित किये गये थे जिनमें से एक काफी पहले से ही बंद है । अतः इस योजना के अन्तर्गत एक और नलकूप निर्मित कराए जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम की बांदा स्थित यांत्रिक शाखा को आवश्यक धनराशि दी जा चुकी है । नलकूप के निर्मित होने तथा बंद नलकूप के चालू हो जाने पर योजना के सभी ग्रामों की जलापूर्ति सम्भव होगी ।

**पी0सी0एफ0 मुख्यालय में लेवी चीनी अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण और श्री आर0एन0 सिंह का पटल बदलने की मांग**

38-श्री राम लखन-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0सी0एफ0 मुख्यालय पर लेबी चीनी अनुभाग में कितने कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? उनमें से एक ही अनुभाग पर श्री आर0एन0 सिंह लेवी चीनी अनुभाग में कब से कार्यरत हैं ? अभी तक उनका पटल न बदले जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

पी0सी0एफ0 मुख्यालय लेवी चीनी अनुभाग में 18 कर्मचारी निम्नलिखित अवधि से कार्यरत हैं:-

| क्रमांक | नाम कर्मचारी एवं पद | कब से कार्यरत हैं |
|---|---|---|
| | सर्वश्री | |
| 1 | आर0वाई0 मिश्र, अधीक्षक (लेखा) | 12-4-84 से |
| 2 | जाहिद हुसैन-1, अधीक्षक (सामान्य) | 17-8-90 से |
| 3 | अशोक कुमार बिसारिया, गणक | 2-1-87 से |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4 | प्रमोद कुमार, गणक | 20-6-84 से |
| 5 | राकेश कुमार द्विवेदी, गणक | 12-8-81 से |
| 6 | श्रीकान्त शुक्ला, सहायक गणक | 21-6-85 से |
| 7 | श्रीमती रूबी निगम, टंकक | 6-1-92 से |
| 8 | राम नाथ भट्ट, सहयोगी | 3-6-91 से |
| 9 | विश्वनाथ साहू, सहयोगी | 10-1-92 से |
| 10 | आर0एस0 मिश्र, अधीक्षक | 30-9-89 से |
| 11 | के0डी0शुक्ल, सहायक | 19-7-88 से |
| 12 | आर0डी0 मिश्र, सहायक | 26-3-81 से |
| 13 | जी0एस0मनराल, सहायक | 13-8-82 से |
| 14 | आर0एन0 सिंह,सहायक | 11-6-82 से |
| 15 | आर0सी0 वर्मा, सहायक | 16-7-84 से |
| 16 | देवेन्द्र कुमार द्विवेदी, सहायक | 10-8-84 से |
| 17 | रामदीन, सहयोगी | 25-11-91 से |
| 18 | प्रह्लाद मल्ल, सहयोगी | 2-12-91 से |

श्री आर0एन0 सिंह सहायक, मुख्यालय लेवी चीनी अनुभाग में दिनांक 11-6-82 से कार्यरत हैं । पी0सी0एफ0 से लेवी चीनी व्यवसाय के हित में उनका पटल नहीं बदला गया ।

**पुराना विधायक निवास, हुसैनगंज, लखनऊ के पास रेता बजरी इक्ट्ठा करने की शिकायत**

39-श्री राम मूर्ति सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित पुराना विधायक निवास-3, हुसैनगंज में विधायकों के आवासों के पीछे रेता-बजरी का कार्य होने से वहां की जल निकासी अवरुद्ध हो गयी है और प्रदूषण हो रहा है ? प्रश्नकर्ता द्वारा इस बारे में कई पत्र भी सम्बन्धित अधिकारियों को लिखे जाने के बावजूद भी स्थिति पूर्ववत् है, अतः क्या मंत्री जी इस मामले की जांच कराने एवं बरती गई शिथिलता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्नगत स्थल पर जो रेता-बजरी पड़ी हुई थी उसे हटवा दिया गया है । वर्तमान में नाली साफ हो गई है । रेता-बजरी के स्वामी को चेतावनी दे दी गई है

प्रश्न नहीं उठता ।

40-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

(दिनांक 7-4-92 को अता0 प्र0सं0 185 द्वारा उत्तरित)

**काशी विद्यापीठ जनपद वाराणसी के अन्तर्गत इन्दिरा नगर कालोनी व फुलवरिया गांव में अधिनिर्मित पेयजल योजना का पूरा कराने की मांग**

41-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव तथा श्री राजेश कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि वाराणसी जिले के काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत इन्दिरा नगर कालोनी व फुल बरिया गांव के अर्द्ध निर्मित पेय जल योजना को पूरा करने की दिशा में कौन सा कदम उठा रही है ? यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

दोनों योजनाओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय साधन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है । योजना पूर्ण करने की अवधि वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

**वाराणसी नगर में बरसाती जल के निकास की स्थायी व्यवस्था की मांग**

42-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव तथा राजेश कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि वाराणसी नगर में बरसाती जल जमाव के निकासी हेतु वर्ष 90-91 में कुल कितना खर्च हुआ है ? क्या सरकार पानी निकासी हेतु कोई स्थाई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा कब से लागू हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वर्ष 1990-91 में जल निकासी के कार्य हेतु लगभग 21.61 लाख रुपये एवं वर्ष 1991-92 में 21.496 लाख रुपये व्यय किये गये ।

जी हां ।

विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तर प्रदेश नगर विकास परियोजना के अन्तर्गत 256.95 लाख रुपये से 5 नालों के निर्माण तथा मरम्मत के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं । 12 नालों में से 8 नालों का कार्य प्रगति पर है । रु0 6.40 करोड़ की लागत से जल निकासी की महायोजना बनाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसे वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर पूर्ण किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**लखनऊ शहर में कतिपय मोहल्लों में पेयजल की समस्या एवं निदान की मांग**

43-श्री किशोरी लाल तथा श्री मोहम्मद मुकीम-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ शहर के अन्तर्गत आने वाले मोहल्लों, जलालपुर सूर्यनगर, शिवपुरी में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु जल संस्थान लखनऊ ने कोई प्रस्ताव जल निगम मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु वर्ष 1991 में भेजा है ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव के अनुसार पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या-क्या व्यवस्था किया जाना है और जल निगम द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । उल्लिखित क्षेत्र के एक निवासी का पत्र जिस पर माननीय नगर विकास मंत्री जी ने एक हैण्ड पम्प की व्यवस्था करने के निदेश दिये थे प्राप्त हुआ था, जल संस्थान द्वारा दिनांक 5-10-91 को जिलाधिकारी लखनऊ को भेजा गया था । प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से जल निगम को प्राप्त हुआ है ।

एक हैण्ड पम्प स्थापित किया जाना था ।

हैण्ड पम्प स्थापित करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**बांदा जनपद में तहबाजारी की वसूली का मामला**

44-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत नगर क्षेत्र समिति ओरन में प्रस्ताव संख्या-6 दिनांक 24-11-90 के द्वारा वर्ष 1990-91 में तह बाजारी की नीलामी के बाद जिला अधिकारी बांदा द्वारा ट्राफिक तहबाजारी की वसूली रोकने के कारण उसके कार्यान्वयन के फलस्वरूप नगर क्षेत्र समिति ओरन के बोर्ड द्वारा वास्तविक ट्राफिक तहबाजारी की धनराशि में ठेकेदार को छूट दी गयी है। यदि हां, तो क्या बोर्ड के द्वारा पारित प्रस्ताव का पालन अध्यक्ष द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप का क्या औचित्य है ? क्या सचिव के द्वारा इस सम्बन्ध में उदासीनता बरती गई है ? क्या तत्कालीन सचिव अन्य कई नगर क्षेत्र समितियों का कार्यकारी रहा है ? यदि हां, तो किन-किन पर उसने स्वयं किन-किन नगर क्षेत्र समितियों मे तहबाजारी की रोक पर नीलामी में उतनी धनराशि की छूट दी है ? इस प्रकरण में अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही का क्या औचित्य है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यू0पी0टाउन एरिया अधिनियम 1914 की धारा 39-क में प्राविधानित प्राविधानों के विपरीत कृत्यों के कारण ।

(घ) जी हां ।
(ङ) जी हां ।
(च) अन्य किसी में नहीं ।
(छ) अध्यक्ष द्वारा नियमों के विपरीत कार्यवाही के कारण ।

**गोण्डा जनपद की मनकापुर टाउन एरिया के कर्मचारियों के बकाये वेतन के संबंध में जानकारी**

45-श्री छेदी लाल-

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोण्डा में टाउन एरिया मनकापुर के कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो कितने महीनों से और इसका क्या कारण है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) टाउन एरिया मनकापुर के कर्मचारियों को विगत पांच माह का वेतन भुगतान बकाया है । यद्यपि प्रत्येक माह में एक माह का वेतन भुगतान किया जा रहा है तथापि निकाय की आर्थिक स्थिति अत्यन्त जर्जर होने के कारण वेतन भुगतान अद्यावधिक नहीं है ।

46-श्री राम प्रसाद सिंह-

(7 वें शुक्र के लिए स्थगित )

**जिला मजिस्ट्रेट बांदा में कर्मचारी को हटाये जाने की शासन से मांग**

47-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने उप सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-1, लखनऊ को सम्बोधित पत्रांक-322(1)/21 ए0एल0बी0सी0 बांदा, दिनांक 19-6-89 भेजा गया है जिसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति ओरन को पृष्ठांकित इस आशय से भेजी गयी है कि उनके कार्यालय पत्रांक-286/ए0एल0बी0सी0 दिनांक 19-5-89 का कार्यान्वयन रोक दिया जाय ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासनादेश संख्या-अ02938/9-1-89, दिनांक 3-7-89 अनुसचिव नगर विकास, श्री प्यारे मोहन द्वारा पद से हटाने संबंधी दिया गया था ? यदि हां,तो क्या कथित अनुसचिव का उल्लिखित आदेश विभाग द्वारा निर्गत किये जाने की चुनौती करने पर दुबारा विभाग द्वारा जिला अधिकारी, बांदा को उक्त पत्र जारी न किये जाने की सूचना/जानकारी दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या इस प्रकरण की जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) जिला मजिस्ट्रेट, बांदा के पत्र दिनांक 17-7-89 व 27-7-89 द्वारा पुनः उक्त कर्मचारी को हटाये जाने के आदेश दिए गये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

**किसान जूनियर हाई स्कूल भाटपार (खजनी) पगार गोरखपुर को स्थाई मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी अनुदान सूची में न रखने की शिकायत**

48-श्री श्रीराम-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान जूनियर हाईस्कूल भांटपार (खजनी) पगार, गोरखपुर को वर्ष 1993 में अस्थायी मान्यता तथा वर्ष 1980 में स्थायी मान्यता मिली थी किन्तु उसे अनुदान सूची में अभी तक नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

विद्यालय को वर्ष 1973 में अस्थाई मान्यता तथा वर्ष 1981 में स्थाई मान्यता मिली है ।

जी हां ।

विद्यालय को वर्ष 1989 की हाईस्कूल की परीक्षा से हाई स्कूल की मान्यता प्रदान की गयी है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर द्वारा कक्षा संचालन की अनुमति दिनांक 16-12-88 को प्रदान की गई है । अतः अब विद्यालय को जूनियर स्तर पर अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है ।

**नगरपालिका लहरपुर (सीतापुर) द्वारा नगर में प्राइवेट बस अड्डा बनाने की मांग**

49-श्री अनिल कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका लहरपुर (सीतापुर) द्वारा नगर लहरपुर में प्राइवेट बसों के खड़े करने का कोई स्थान निश्चित किया गया है ? यदि हां, तो कहां ? क्या उक्त निर्धारित स्थान पर प्राइवेट बसें खड़ी भी की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

नगरपालिका, लहरपुर (सीतापुर) द्वारा नगर लहरपुर में प्राइवेट बसों के खड़े करने का कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है । उपरोक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका के पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है ।

**नगरपालिका अतर्रा जिला बांदा में स्वीकृत धन आवंटित होने के बाद भी सुलभ शौचालय बनवाये जाने की शिकायत**

50-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के जिला मजिस्ट्रेट, बांदा में पत्रांक 658 (1)21 एल0वी0सी0, दिनांक 4-12-90 सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-1, लखनऊ को सम्बोधित नगरपालिका, अतर्रा में सुलभ शौचालयों के निर्माण हेतु कम से कम 5 लाख अनुदान के उपलब्ध कराने हेतु दिया गया है ? यदि हां, तो क्या धनराशि उपलब्ध कराकर सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक धन उपलब्ध कराकर सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

जी नहीं ।

धन की उपलब्धता पर सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जाता है ।

51-श्री राम प्रसाद सिंह-

(7वें शुक्र के लिए स्थगित )

**आगरा नगर महापालिका द्वारा अवैध कब्जा हटाये जाने का कार्यक्रम के दौरान की गयी त्रुटियों की शिकायत**

52-श्री विजय सिंह राणा-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि आगरा में नगर महापालिका द्वारा अवैध निर्माण हटाए जाने का कार्यक्रम चलाया गया था ? यदि हां, तो कुल कितनी बस्तियों में यह कार्यक्रम चलाया गया और कितनी बस्तियों में अभी यह कार्यक्रम चालू नहीं हो सका है ? क्या जिन बस्तियों में अवैध निर्माण हटाया नहीं गया है वहां भी अवैध निर्माण हटाये जाने का कार्यक्रम चलाया जायेगा ? यदि हां, तो यह कार्यक्रम पुनः कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अवैध निर्माण हटाये जाते समय आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र पर भी कोई विचार किया गया ? ऐसे कितने भवन अथवा कार्यालय हैं जिन पर आगरा विकास प्राधिकरण का स्वीकृत मानचित्र होने के बाद भी उन्हें तोड़ा गया है ? ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं और उस संबंध में क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां, नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया था । पांच क्षेत्रों में दिनांक 8-8-91 से 14-8-91 तक

चलाये गये संयुक्त अभियान में सड़कों, चौराहे एवं रोड पट्टियों आदि पर से अतिक्रमण हटाये गये हैं । दिनांक 24-9-91 को आगरा छावनी रेलवे स्टेशन के बाहर स्टेशन रोड व माल रोड पर दिये गये अतिक्रमण महापालिका द्वारा हटाये गये । अगले चरण के अभियान हेतु सूची नगर महापालिका तथा विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार कर ली गई है ।

पुलिस बल उपलब्ध होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर अभियान चलाया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है जिसमें भवन का कार्यालय का मानचित्र आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत होने के बाद भी उसे अवैध अतिक्रमण के रूप में हटाया गया हो । अवैध अतिक्रमण हटाने से पूर्व जिलाधिकारी पुलिस अधिकारियों नगर महापालिका एवं विकास प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके नीति निर्धारित की गई कि अतिक्रमण हटाते समय कोई भेदभाव नहीं किया गया जायेगा ।

53-56-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया )

**जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम निवाइच में पेयजल हेतु बिछायी गयी पाइप लाइन में धन का गबन किये जाने की शिकायत**

57-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम निवाइच में पेयजल की पाइप लाइन मेन लाइन में एक इंच के ब्यास की लगातार 3 इंच व्यास के पाइप कागज में दिखाकर सरकारी धन का गबन किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? क्या मेनलाइन में कम से कम 4 इंच या 5 इंच की पाइप लाइन निवाइच बस्ती में डलवाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बस्ती में स्टैण्ड पोल भी लगवाए जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । जल निगम द्वारा जो पाइप लाइन डाली गई है उसी का भुगतान किया गया है ।

उपरोक्तानुसार आवश्यकता नहीं है ।

आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्नगत बस्ती में लगे हुए 4 स्टैण्ड पोल पर्याप्त हैं ।

**वाराणसी नगर की छित्तूपुर माधोपुर आदि में पेयजल की व्यवस्था की मांग**

58-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि वाराणसी नगर के छित्तूपुर, माधोपुर, जय प्रकाश नगर, शिव पुरवा आदि क्षेत्रों में भरी हुई सीवर लाइन के कारण जो मलयुक्त पानी माह अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर, सन् 91 में घरों के पाइप लाइन में आ रहा था और अस्थायी तौर पर रोका गया, उसकी स्थाई मरम्मत तथा सीवर व पीने के पाइप लाइन को अलग करने का कार्य हो चुका है ? यदि नहीं तो कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां । संदर्भित क्षेत्रों में सीवर लाइन एवं पीने के पानी की पाइप लाइनें पूर्व से ही अलग है । माह अक्टूबर, 1991 में इसकी स्थाई मरम्मत करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**लखनऊ पश्चिम में नालों की सफाई में हुए घपलों की जांच की जानकारी**

59-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ पश्चिम में नालों के सफाई के घोटाले के विषय में कोई जांच सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वर्ष 1990-91 में नालों की सफाई के सम्बन्ध में एक सामान्य शिकायत श्री अच्छे लाल बाल्मीकि सदस्य विधान परिषद् ने डा0 बी0 सलूजा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध की थी । उक्त शिकायत की जांच अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

**विधान सभा क्षेत्र इगलास जिला अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग**

60-श्रीमती ज्ञानवती सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र इगलास में कितने प्राइमरी पाठशालायें खोलने का प्राविधान किया गया है ? क्या अतरौली (अलीगढ़) में 31 प्राइमरी पाठशालायें खोलने हेतु शासन की स्वीकृति प्रदान

की गई है ? क्या एतदर्थ धन भी उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री को ज्ञात है कि इगलास क्षेत्र में 10-10 गांव की दूरी तक बच्चों की पढ़ाई हेतु प्राइमरी पाठशाला नहीं है ? यदि हां, तो इस अभाव की पूर्ति हेतु व शिक्षा के के लिए कब तक और क्या कदम उठायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्राइमरी पाठशाला खोलने के संबंध में प्रश्नगत क्षेत्र हेतु पृथक से कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है । स्थान विशेष पर विद्यालय खोलने का निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है ।

जी हां ।

मान्य नहीं है ।

मानक के अनुसार सर्वे में प्रस्तावित गांवों में विद्यालय खोलने के संबंध में निर्णय शीघ्र जिला बेसिक शिक्षा समिति में लिया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**नगर सीमा विस्तार करके ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को समायोजित करने की मांग के संदर्भ में बांदा जनपद में भी कार्यवाही करने की मांग**

61-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के आदेश पत्रांक-बे0शि0प0/सा0/12467-784/91-92, दिनांक 7-10-91 के अनुसार नगर क्षेत्र की सीमा बढ़ाये जाने के कारण नगर क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों/अध्यापकों के समायोजन के संबंध में व परिषद् पत्रांक-बे0शि0प0/29043-298/87-88, दिनांक 27-11-87 के संदर्भ में बांदा जनपद में भी कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

नगर सीमा में वृद्धि/विस्तार होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा वर्ष 1991 से 1992 के मध्य नियमित किये गये कर्मचारियों के स्थानान्तरण की शिकायत**

62-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर ने दिनांक 1-8-91 से 15-1-92 तक शासन की किस नीति के अन्तर्गत कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया और इन स्थानान्तरणों पर कितना आर्थिक बोझ राज्य सरकार पर पड़ा है ?

श्री कल्याण सिंह -

मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर ने दिनांक 1-8-91 से 15-1-92 तक कुल 27 स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध, प्रशासनिक आधार व जनहित में किये और इन स्थानान्तरणों पर लगभग रु0 800-00 का व्यय भार सरकार पर पड़ना सम्भावित है ।

**जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1990 व 91 में किये गये शत प्रतिशत टीकाकरण की गुणवत्ता की जांच के परिणाम की जानकारी**

63-श्री देवेन्द्र पाल सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में वर्ष 90-91 में 100 प्रतिशत से अधिक किए गए टीकाकरण की गुणवत्ता हेतु की गई जांच का क्या परिणाम रहा तथा गुणवत्ता विहीन कार्य के लिए दोषियों को क्या दण्ड दिए गए ?

श्री कल्याण सिंह -

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 90-91 में किये गये टीकाकरण की गुणवत्ता जांचोपरान्त 89.9 प्रतिशत सत्यापित हुई ।

जांच के आदेश दिये गये हैं । अभी जांच आख्या अप्राप्त है ।

**वर्ष 1990-91 में मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर द्वारा क्रय की गई दवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु लिये गये नमूने का विवरण**

64-श्री देवेन्द्र पाल सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 90-91 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा क्रय की गई दवाओं की गुणवत्ता जांच हेतु कितने नमूने लिए गये ? यदि नहीं, तो लिए गये, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा वर्ष 90-91 में क्रय की गई दवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु कुल चार नमूने लिये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सीतापुर में वर्ष 1990-91 में बेसिक हेल्थ वर्कर्स महिलाओं की नियुक्ति की जानकारी**

65-श्री अनिल कुमार -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में वर्ष 1990-91 में प्रशिक्षण प्राप्त बेसिक हेल्थ वर्कर्स महिलाओं की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही नियुक्तियां संभव हैं ।

**लोक निर्माण विभाग के प्रतिनियुक्ति पर तैनात अभियन्ताओं के चल और अचल सम्पत्ति की जांच की मांग**

66-श्री चरन सिंह -

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि विद्युत सेल के टेक्नोलोजिस्ट पदों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं को तीन वर्ष पूरे होने पर मूल विभाग मे वापस करने एवं उनकी चल अचल सम्पत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण के पत्र सं0-784 ई0डी0/84, दिनांक 6-6-84 पत्र सं0-1420 ई0डी0, दिनांक 19-12-88 एवं संख्या 4221 ई0डी0, दिनांक 5-539 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा विद्युत सेल में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन पत्रो पर नियमानुसार क्या-क्या कार्यवाही कब-कब पूरी की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए विद्युत सेल के कौन कर्मचारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त अवर अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी शासनादेशों के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग को उनके नाम भेजकर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में बुलाया गया था ? यदि हां, तो उसका आधार क्या था ? उसके लिए विद्युत सेल के अथवा स्वास्थ्य विभाग के कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार भविष्य में स्वास्थ्य विभाग में अन्य सभी विभागों से अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर नाम से बुलाने हेतु रोक लगाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

प्रश्न में संदर्भित प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-784 ई0डी0/84 दिनांक 6-6-84 को छोड़कर शेष पत्र प्राप्त हुए हैं । पत्र संख्या-1420 ई0डी0, दिनांक 19-12-88 का पत्र श्री सैययद मुजीबुर्रहमान, अवर अभियन्ता (विद्युत) जो तत्समय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त थे, की पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा प्रदान करने विषयक है । यह विवरण महानिदेशक के पत्र दिनांक 26-6-1989 द्वारा प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को भेज दिया गया है । पत्र संख्या-4221/ई0डी0, दिनांक 5-5-89 का पत्र श्री मुजीबुर्रहमान अवर अभियन्ता (विद्युत) को पैतृक विभाग (लोक निर्माण विभाग) को वापस करने की कार्यवाही करने तथा उनके पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देने विषयक था । महानिदेशक के पत्र दिनांक23-10-1989 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को लिखा गया था, कि चूंकि विद्युत सेल में नियमित नियुक्ति लोक सेवा

आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए हैं, अतः श्री मुजीबुर्रहमान को चिकित्सा विभाग (विद्युत सेल) से वापस भेजना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत सेल में रिक्त टेक्नोलाजिस्ट के पदों पर तैनाती हेतु लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दो अवर अभियन्ताओं के अग्रिम प्रार्थना-पत्र महानिदेशालय में प्राप्त होने पर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से उनकी 5 वर्ष की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टियां प्राप्त की गयीं । परीक्षणोपरान्त उन्हें उपयुक्त पाये जाने पर समस्त अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त दो अवर अभियन्ताओं की सेवायें जनहित में प्रतिनियुक्ति पर ली गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यहित में आवश्यकतानुसार उपयुक्त अभ्यार्थियों को ही प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा ।

**सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु शासन के समय-समय के शासनादेश का स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा पालन करने की जानकारी की मांग**

67-श्री चरन सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रत्येक तिमाही में सेवा संघों से वातयिं करने सम्बन्धी कार्मिक विभाग की राजाज्ञा संख्या 2871/का-4-36-ई एम0/85, दिनांक 16-10-85 तथा सेवा संघों के पदाधिकारियों और मध्य सत्र में अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्मिक विभाग की अन्य राजाज्ञाओं दिनांक 12-6-90 व 28-7-84 के अनुपालन न करने पर सचिव, कार्मिक के पत्र संख्या-585/47-का-4-91-29ई0 एम/86, दिनांक 26-3-91 एवं पत्र संख्या-1059/दिनांक 18-7-91 में सचिव, स्वास्थ्य से क्या-क्या अपेक्षायें की गयी हैं ? उन पत्रों पर शासन के स्वास्थ्य विभाग तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो एक वर्ष तक कार्यवाही में विलम्ब का औचित्य क्या है एवं विलम्ब के लिए कौन दोषी है ? उक्त कार्यवाही कब तक पूरी करायी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 26-3-91 वाला पत्र वास्तव में कार्मिक सचिव का पत्र नही है बल्कि कार्मिक अनुभाग-4 का अशासकीय पत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसियेशन के पत्र दिनांक 20-2-91 तथा 5-2-91 की प्रतियां भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि उनके विषय में कार्मिक विभाग को आख्या उपलब्ध करायी जाय । दिनांक 18-7-91 वाला अशासकीय पत्र पूर्व पत्र का ही अनुस्मारक मात्र है ।

शासन स्तर से उन पत्रों की प्रतियां स्वास्थ्य महानिदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**यू0पी0 इन्जीनियर्स एसोसियेशन और प्रशासनिक अधिकारी (स्वास्थ्य) एवं स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच वार्ता एवं प्रश्नगत प्रकरणों में कार्यवाही करने की मांग**

68-श्री चरन सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्मिक सचिव के उल्लिखित पत्रों दिनांक 26-3-91 व 18-7-91 संबंधित यू0पी0 इन्जीनियर्स एसोसियेशन से वर्ष 1990 एवं 1991 में प्रशासनिक विभाग (स्वास्थ्य) के सचिव एवं विभागाध्यक्ष (महानिदेशक/निदेशक-प्रशासन) को संघ के साथ वार्ता करने हेतु कब-कब एवं कितने पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? क्या यह भी बातयेंगे कि संघ के वार्ता प्रस्तावों के क्रम में शासन एवं विभागध्यक्ष स्तर से कब-कब वार्ता हेतु एसोसियेशन को स्वीकृति की सूचना भेजी गयी है ? यदि नहीं, तो दो वर्ष ऐसोसियेशन से वार्ता न करने का क्या कारण है ? उक्त संदर्भित राजाज्ञा दिनांक 16-10-85 के अनुरूप यू0पी0 इंजीनियर्स एसोसियेशन से वार्ताओं द्वारा क्या प्रश्नगत प्रकरणों में अब तक कार्यवाही करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

वर्ष 1990 से 1991 के मध्य उ0प्र0 इंजीनियर्स एसोसियेशन से दिनांक 8-11-90, 19-2-91, 28-10-91, 10-9-91, 5-10-91, 21-10-91 तथा 28-10-91 के पत्र सचिव, चिकित्सा विभाग को और दिनांक 9-3-90, 21-3-90 28-11-90 तथा 10-6-91 के पत्र विभागाध्यक्ष को प्राप्त हुए ।

विभागाध्यक्ष द्वारा संघ के पत्रों पर विचार करके अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसियेशन, लखनऊ से स्वास्थ्य महानिदेशालय के पत्र दिनांक 18-12-90 द्वारा कुछ सूचनायें मांगी गयी थी, जो अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं । इसी कारण संघ से वार्ता नहीं हो सकी है । संघ से वांछित सूचनायें प्राप्त हो जाने पर ही वार्ता की स्थिति बन सकेगी ।

**क्षय रोग निवारण केन्द्र उन्नाव की मशीन की खराबी की शिकायत एवं ठीक कराने की मांग**

69-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि क्षय निवारण केन्द्र (टी0बी0 क्लीनिक) उन्नाव की एक्स-रे मशीन पिछले छ माह से बिगड़ी पड़ी है ? यदि हां, तो अब इसे कब तक मरम्मत करवा कर चालू हालत में किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

मशीन की मरम्मत करवाई जा रही है । शीघ्र ही चालू हो जाने की सम्भावना है ।

**बेसिक शिक्षा परिषद् मैनपुरी में मृतक आश्रितों की सूची में गड़बड़ी करने का आरोप तथा दोषी लोगों को दण्डित करने की मांग**

70-श्री राम औतार शाक्य-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन मृतक आश्रित अभ्यर्थियों के दिसम्बर, 91 तक कितने लम्बित हैं? क्या इस संबंध में विभाग द्वारा कोई सूची तैयार की गई ? यदि हां, तो कब से कब तक ? क्या यह सच है कि 1985 से लेकर 91 तक मृतक आश्रितों की वरीयता सूची के अनुसार लगाकर न सूची के क्रम को तोड़कर कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अनियमितता बरतने वाले किसी अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बीच में छूटे हुए अभ्यर्थी अभी तक नियुक्त किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

78 प्रकरण लम्बित हैं ।

जी हां ।

दिनांक 26-8-72 से 20-9-91 तक ।

प्रकरण की जांच उप सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् से करायी जा रही है ।

जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण जांच में है ।

71-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

**काशी विद्यापीठ ब्लाक वाराणसी में जूनियर हाई स्कूलों की संख्या तथा सरकार द्वारा निर्धारित मानक की जानकारी**

72-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस जनपद के अन्तर्गत काशी विद्यापीठ ब्लाक में कुल कितने जूनियर हाईस्कूल हैं ? औसत कितने गांव पर एक जूनियर हाईस्कूल है ? क्या इस संबंध में सरकार कुछ मानक निश्चित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

बेसिक शिक्षा परिषदीय 4 तथा मान्यता प्राप्त 18 उच्च प्राइमरी विद्यालय हैं।

औसतन 5 ग्राम पर एक जूनियर हाई स्कूल है ।

न्यूनतम 1000 की आबादी एवं 3 किलोमीटर की दूरी का मानक पूर्व से ही निर्धारित है ।

**मिर्जापुर नगर में सुन्दरीकरण के नाम पर गरीबों का मकान तोड़े जाने की शिकायत**

73-श्री भागवत पाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर में दिसम्बर, 91 एवं जनवरी, 92 में गरीबों के मकानों को प्रशासन द्वारा क्यों तोड़ा गया और किसके आदेश से तोड़फोड़ की गयी ? क्या शासन स्तर से सुन्दरीकरण का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो तोड़फोड़ क्यों रोक दी गयी ? दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मिर्जापुर नगर में जनवरी, 92 में मार्ग संकीर्णता एवं आवागमन में कठिनाई को देखते हुए पुलिस सहायता लेकर पटरियों पर से गुमटी इत्यादि अवैध कब्जे हटाए गए तथा कोई भी मकान नहीं तोड़ा गया । शासनादेश संख्या-यू0ओ0।5।0/9-7-91, दिनांक 16-11-91 के माध्यम से इस प्रकार की कार्यवाही के निर्देश भेजे गए थे । इन्हीं निर्देशों के अधीन कार्यवाही की गई है ।

पुलिस के बल के अन्य कार्य में व्यस्त हो जाने के फलस्वरूप अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही रोक दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**स्वास्थ्य विभाग मिर्जापुर में विगत छः माह में नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जांच की मांग**

74-श्री भागवत पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग मिर्जापुर में विगत 6 महीने में कितनी नयी नियुक्तियां हुई हैं ? क्या ये नियुक्तियां नियमानुसार हैं ? क्या इन नियुक्तियों में सारी औपचारिकताएं पूरी की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

स्वास्थ्य विभाग मिर्जापुर में पिछले 6माह की अवधि में कुल 6 (छः) नियुक्तियां की गई है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

75-76-श्री चरन सिंह-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

**मुख्य नगर अधिकारी नगर पालिका बरेली द्वारा स्वास्थ्य विभाग के वार्ड नं0 10 व 11 के लिए नियुक्त महिला कर्मचारी को कार्य पर न लगाने की शिकायत**

77-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर महापालिका बरेली के मुख्य नगर अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के वार्ड नं0 10, 11 में श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी श्री रमेश निवासी, हरिजन, कालोनी की रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्तियां स्थाई पदों के लिए मानवीय आधार पर दिनांक 29-11-91 को की थी ? यदि हां, तो आज तक उक्त दोंनो कर्मचारियों की नियुक्तियां कर देने के बावजूद मुख्य नगर अधिकारी ने ड्यूटी पर क्यों नहीं लगाया है ? क्या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया था ? यदि नहीं, तो इसके क्या करण है ? क्या मंत्री जी उक्त दोनों गरीब सफाई कर्मियों को नियुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मानवीय आधार पर नियुक्ति प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था परन्तु कर्मचारी संगठनों के विरोध पर, प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया ।

उक्त दोनों व्यक्ति वर्तमान समय के बतौर एवजदार कार्यरत है ।

**प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कश्मीरी छात्रों (विस्थापित) की आर्थिक सहायता हेतु शासन को मिले प्रार्थना-पत्रों की जानकारी एवं उस पर कार्यवाही की मांग**

डा0 दिनेश जौहरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कितने कश्मीर से विस्थापित छात्र या कितने कश्मीरी विस्थापितों के बच्चे कब से पढ़ रहे हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि इन छात्रों की खराब आर्थिक स्थिति देखते हुए सरकार उन्हें क्या सहयोग दे रही है ? क्या सहयोग की प्रार्थना के लिए सरकार या मुख्य मंत्री को गत वर्ष कोई पत्र भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**झांसी के डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक के सेवानिवृत्त प्रबन्धक श्री माधुरी सरन निगम के देयों के भुगतान की मांग**

79-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि श्री माधुरी सरन निगम, प्रबन्धक, झांसी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के पद से लगभग 18 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो अभी तक उनके देय क्लेम्स, वेतन, डी0ए0, बोनस, ग्रेच्युटी आदि

का भुगतान क्या नहीं, किया गया है ? इसके क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त सभी भुगतान यथाशीघ्र उन्हें कराने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

वेतन प्राविडेन्ट फण्ड एवं जमानत की धनराशि का भुगतान हो चुका है । यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका द्वितीय अपील के रूप में विचाराधीन है, जिसके कारण अन्य भुगतान नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**आजमगढ़ जनपद के नगर पालिका तथा टाउन एरियाओं में अनुसूचित एवं जनजाति का कोटा पूरा करने की मांग**

80-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सभी टाउन एरिया नगरपालिका में जो भी कर्मचारी नियुक्त हैं उनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा हैं ? यदि हां, तो नाम पद सहित सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? कोटा को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी नहीं, जनपद आजमगढ़ की समस्त टाउन एरिया/नगर पालिका में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है ।

नियमित पदों की अनुपलब्धता के कारण ।

पद उपलब्ध/रिक्त होने पर

**वित्तीय वर्ष 1990-91 में जनपद आजमगढ़ में मुबारकपुर नगरपालिका में खड़ंजा नाली,सम्पर्क मार्ग की मरम्मत हेतु व्यय किये गये धन की तकनीकी जांच की मांग**

81-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मुबारकपुर नगरपालिका क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1990-91 व 1991-92 में नाली, खड़जा एवं पिचरोड का नया निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय हुआ ? यदि नया निर्माण न कराकर, मरम्मत करायी गयी है तो उसमें कितना धन व्यय हुआ ? क्या इन कार्यों में धन का दुरुपयोग करने के बारे में तकनीकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

उक्त वित्तीय वर्षों में नाली व खड़न्जे का ही नया निर्माण कार्य कराया गया है ।

कुल रु04,53,948-00 की धनराशि व्यय हुई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं । निर्माण कार्यों का सार्वजनिक निर्माण विभाग या जल निगम के सहायक अभियन्ता से कार्य का सत्यापन कराने के पश्चात् भुगतान किया जाता है । वर्ष 1990-91 के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्परीक्षा कार्य भी कराया जा चुका है ।

**अध्यक्ष नगर पालिका बांदा के विरुद्ध मण्डलायुक्त झांसी द्वारा की जा रही जांच का विवरण**

82-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त झांसी मण्डल झांसी ने अपने आदेश सं0324-2/21-एल0बी0ए0-157 (90-91), दिनांक अक्टूबर, 31, 1991 के अनुसार अध्यक्ष नगरपालिका बांदा के विरुद्ध किन-किन बिन्दुओं के संबंध में जांच के आदेश किये थे ? क्या सरकार ने आयुक्त झांसी को यह सुझाव दिया है कि वे स्वयं ही जाचं प्रारम्भ कर दें ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन स्तर से क्या आदेश पारित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

अध्यक्ष नगर पालिका बांदा के विरुद्ध विभिन्न मामलों से संबंधित 16 आरोपों की जांच के आदेश किये गये थे जिसकी प्रति संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष, नगर पालिका, बांदा के विरुद्ध जांच प्रारम्भ की गयी जिस पर अध्यक्ष, के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 19-11-91 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया जिसके संदर्भ में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

**वर्ष 1991 में अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों की जांच**

83-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिव नगर विकास उ0प्र0 के अर्ध शासकीय पत्रांक 9415/9-191 नगर विकास अनुभाग-1, दिनांक 28 नवम्बर, 1991 के आदेश बावजूद अध्यक्ष, नगर पालिका बांदा ने दैनिक वेतन पर

अनेक नियुक्तियां कर ली हैं ? क्या यह सत्य है कि जनवरी 89 से 31 दिसम्बर, 1991 तक दैनिक वेतन में की गयी नियुक्तियां बिना सेवायोजन कार्यालय, बांदा से नाम मंगाये सीधे कर ली गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । संदर्भगत शासनादेश के बाद कोई भी नियुक्ति नहीं की गयी है । यह सत्य है ।

इस सम्बन्ध में आयुक्त झांसी मण्डल के द्वारा जांच कराने के आदेश पारित किये गये थे जिस पर अध्यक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । अतः अन्य कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**शिक्षा विभाग बांदा में मृतक आश्रितों को सेवा में रखे जाने हेतु लम्बित मामले**

84-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या शिक्षा मंत्री (बेसिक) कृपया बताएंगे कि शिक्षा विभाग बांदा में वर्ष 1987 से अब तक कितने मतृक आश्रितों को सेवा में रखा गया है ? उनकी संख्या, नाम व पता क्या है ? अभी तक उक्त के बाद कितने मृतकाश्रित शेष है जिनको सेवा में रखा जाना है । उनकी संख्या क्या है ? किन कारणों से अभी तक उन्हें नहीं रखा गया है ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

कुल 108 मृतक आश्रितों की नियुक्ति की गयी । **सूची संलग्न है ।**

नियुक्ति हेतु कोई आवेदन पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।

**(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. 238-241 पर )**

**डा0 सुभाष चन्द्र गुरुदेव, उपमुख्य चिकित्साधिकारी जनपद बांदा द्वारा जी0पी0एफ0 न कटाये जाने की शिकायत**

85-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डा0 सुभाष चन्द्र गुरुदेव उप मुख्य चिकित्साधिकारी बांदा जिनकी सेवा राजपत्रित अधिकारी के पद पर लगभग 18 वर्षो से चल रही है ? ये स्वंय अपने आहरण-वितरण अधिकारी रहे हैं ? यदि हां,

तो क्या इन्होंने अपनी सामान्य भविष्य निधि आज तक नहीं करवाई ? यदि हां, क्या इन्होंने सामान्य भविष्य निधि न कटवाकर सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है । क्या सामान्य भविष्य निधि न कटवाने से इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रतीत होती है ? अभी तक ऐसा न करने पर इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

शासकीय आदेशों की अवहेलना हेतु उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायगी ।

**वर्ष 1990-91 व 1991-92 में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रतिरक्षण) बांदा द्वारा बत्ती वाले स्टोव की खरीद में भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायत**

86-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 व 91-92 में डा0 सुभाष चन्द्र गुरुदेव उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रतिरक्षण)बांदा ने बत्ती वाले स्टोव सैकड़ों की संख्या में खरीदे थे, यदि हां तो क्या यह स्टोव आई0एस0आई0 प्रमाणित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी कीमत एप्रूव्ड है ? यदि नहीं, तो इन निमन क्वालिटी के स्टोव अवैधानिक ढंग से खरीदने पर दोषी अधिकारी को दण्डित किया जावेगा ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फैजाबाद के सहकारिता विभाग में जनपद से बाहर के अकुशल आशिक विक्रेताओं एवं चपरासियों की नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

87-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के संहकारिता विभाग के कार्यालयों में दूसरे जनपदों के रहने वाले तथा अकुशल अभ्यर्थियों की नियुक्तियां आशिक विक्रेता और चौकीदार के पदों पर की गई है ? यदि हां, तो उन नियुक्तियों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ? जनपद फैजाबाद के ही कुशल अभ्यर्थियों व विभाग में ही दैनिक वेतन भोगी या अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति रिक्त पदों पर न करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी नहीं ।

कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

88-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**स्वास्थ्य विभाग में अभियंत्रण सेवाओं में संवर्ग बनाये जाने की मांग**

89-श्री शिव दर्शन-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग की अभियन्ता सेवाओं में सुधार एवं सेवा नियमों में संशोधन करके एवं संवर्ग बनाने सम्बन्धी विषयों पर शासन ने पत्र संख्या-9257/सेक-5टी-9/91, दिनांक 11-12-91 द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक से बिन्दुवार आख्यायें मांगी है ? यदि हां, तो उन पर बिन्दुवार क्या-क्या निर्णय एवं कार्यवाही शासन ने की है ? यदि कार्यवाही अपूर्ण है, तो कब तक पूरी होगी ? क्या उक्त के क्रम में मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 11-12-91 के संदर्भ में श्री राम आसरे वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक 23-12-91 मुख्य मंत्री, एवं स्वास्थ्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में मुख्य बिन्दु क्या है और उसमें क्या संस्तुति की गयी है ? संस्तुति के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

चूंकि वांछित आख्या अभी तक महानिदेशक से प्राप्त नहीं हुई है, अतः अभी कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । महानिदेशालय से आख्या प्राप्त होने पर ही कोई कार्यवाही करना सम्भव होगा ।

जी हां ।

पत्र के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

1- लोक निर्माण विभाग की भांति स्वास्थ्य विभाग में 15-20 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत अभियन्ताओं के सम्बन्ध में शीघ्र बैठक कर निर्णय किया जाय ।

2- श्री राम सिंह, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 30-8-91 पर तुरन्त विभागीय बैठक कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

3- सम्बन्धित प्रकरणों की पत्रावली मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्य मंत्री जी के आदेशार्थ प्रस्तुत की जाय ।

पत्र की प्रतिलिपि शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य महानिदेशक को भेज दी गयी है और उनकी आख्या प्राप्त होने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

**उन्नाव जिला सहकारी बैंक के विभिन्न शाखाओं द्वारा बुनकर समितियों को अवैध ढंग से ऋण दिये जाने की शिकायत एवं जांच की मांग**

90-हृदय नारायण दीक्षित-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिला सहकारी बैंक की शाखा बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, सफीपुर तथा उन्नाव में बुनकर समितियों पर कितना ऋण बकाया है तथा कितने वर्षों से बकाया है ? क्या यह सत्य है कि बैंक की उक्त शाखाओं द्वारा ऋण देते समय समितियों के वास्तविक और नियमानुकूल होने पर विचार नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां का एक करोड़ से अधिक धन की ऋण वसूली न होने के गम्भीर प्रकरण पर ऋण देते समय की गई अनियमितताओं की जांच कराकर उत्तरदायित्व निर्धारित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

प्रश्नगत बुनकर सहकारी समितियों पर रु0 65,80,985-88 की धनराशि बकाया है ।

यह ऋण 6 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया है ।

जी हां ।

विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) द्वारा जांच करने के आदेश दिनांक 1-4-92 को जारी कर दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथा स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**वित्तीय वर्ष 1990-91 में उन्नाव जनपद में भवनहीन सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन के निर्माण एवं व्यय होने वाले धन का विवरण**

91-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 90-91 में उन्नाव जनपद में भवनहीन सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने भवन निर्धारित अवधि में बन गए हैं ? कुल कितने भवन बनाये जाने थे ? क्या सरकार बताएगी कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तथा समय के भीतर भवन निर्माण न कराए जा सकने पर किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

कोई भवन निर्मित नहीं हुआ ।

कुल चार भवन बनाये जाने थे । स्वीकृत धनराशि शि0नि0 (बे) के पी0एल0ए0 में जमा है । पी0एल0ए0 से धन अवमुक्त किए जाने का प्रकरण विचाराधीन है ।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद उन्नाव में वित्तीय वर्ष 1990-91 व 91-92 में सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन के निर्माण हेतु धन निदेशक (बेसिक) शिक्षा के पब्लिक लेजर एकाउन्ट्स में जमा रहने का औचित्य**

92-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएगें कि उन्नाव जनपद में वर्ष 90-91 व 91-92 में कितने सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण का धन निदेशक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 के पब्लिक लेजर एकाउन्ट में जमा है और क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

वर्ष 1990-91 में जनपद उन्नाव में चार सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ स्वीकृत धनराशि शासनादेशानुसार शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 के पी0एल0ए0 में जमा है । पी0एल0ए0 से धनराशि अवमुक्त करने का प्रकरण विचाराधीन है ।

वर्ष 1991-92 में उक्त मद में कोई धनराशि शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 पी0एल0ए0 में नहीं जमा की गई है ।

**देवरिया जनपद में चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक उपलब्ध कराने की मांग**

93-श्री विश्वनाथ-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना चिकित्साधिकारी के हैं ? वहां कब तक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जनपद देवरिया में कुल 73 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना चिकित्साधिकारी के हैं ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर अथवा तदर्थ चयन होने पर चिकित्साधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ।

**वर्ष 1982 में टी0बी0 क्लीनिक में कार्यरत जिला क्षय रोग अधिकारी डा0 सुभाष चन्द्र गुरुदेव के विरुद्ध सी0आई0डी0 जांच की रिपोर्ट की जानकारी**

94-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0बी0 क्लीनिक, बांदा में वर्ष 1982 में कार्यरत जिला क्षयरोग अधिकारी, डा0 सुभाष चन्द्र गुरुदेव के विरुद्ध एक पुलिस कांस्टेबिल्स ने रिश्वत के रूप में डाक्टरी जांच की फीस लिये जाने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस पर विभागीय व सी0आई0डी0 जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो सी0आई0डी0 जांच आख्या क्या है ? क्या डा0 गुरुदेव जांच में दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्वास्थ्य परीक्षण के नाम पर चिकित्सालय के चिकित्सक/कर्मचारीगण अवैध ढंग से रुपयों की मांग कर रहे हैं ।

इस प्रकरण की जांच अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 द्वारा करायी गयी ।

उक्त आख्या के अनुसार रमेश चन्द्र वर्मा लिपिक क्षय निवारण केन्द्र बांदा के विरुद्ध यह आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया कि श्री वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग करके पी0ए0सी0 में भर्ती हुए अभ्यर्थियों से क्षयरोग एक्सरे में उत्तीर्ण कराने हेतु उन्हें धोखा देकर कुल 420 रुपये अवैधानिक ढंग से भ्रष्ट आचरण करते हुए वसूल किये । उक्त आख्या में डा0 गुरुदेव के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं लगाया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रश्नगत मामले में नियम विरुद्ध निर्णय को वापस लेने की मांग**

95-श्री बलराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश ए0आई0आर0 पृष्ठ-471 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-13-9-91-का-एक/1991 दिनांक 15 अप्रैल, 1991 तथा सम संख्यक शासनादेश दिनांक 27 अप्रैल, 91 के अनुसार किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध वृहद् दण्ड प्रस्तावित करने से पूर्व जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तावित दण्ड तथा जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो सेवा से पदच्युत करने विषयक नगर विकास-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-678/9-1-91-219 पी0एफ0/78 दिनांक 3-10-91 निर्गत

करने से पूर्व उक्त शासनोदश का अनुपालन क्या विभाग, द्वारा उक्त नियमों की जानकारी होने के परिप्रेक्ष्य में ही किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि अपचारी एवं सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध दोषकृत नियत से विभाग द्वारा नियम विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार दोषी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके उसे दण्डित करेगी ? क्या सरकार नियम विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 3-10-91 को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) नियम विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

(ग) यह पूरा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**बचाव के लिए समुचित अवसर दिये बिना नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा आदेश 'दिनांक3-10-91 को प्रश्नगत कर्मचारी को सेवा से पृथक करने की शिकायत**

96-श्री बलराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर विकास अनु0-1 के शासनोदश सं0678एम/9-1-91-219-पी0एफ0/78, दिनांक 3-10-91 से किसी कर्मचारी को सेवा से पृथक करने का आदेश निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को अपना बचाव करने का समुचित अवसर विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है ? क्या उसे सेवा से पृथक करने का आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी को सेवा संबंधी नियमों तथा समय-समय पर एतद्विषयक जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अपना बचाव करने हेतु अपने पक्ष के प्रस्तुतीकरण का समुचित अवसर प्रदान करेगी ? यदि हां, तो क्या सेवा से पृथक किये जाने विषयक उक्त पारित आदेश को भी सरकार वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त एक पक्षीय आदेश पारित करने के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार उक्त दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

**वर्ष 1991 में जनपद शाहजहांपुर में जिला क्रय समितियों की बैठकें तथा उसमें संस्तुति किये गये औषधि क्रय अनुमोदन का विवरण**

97-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जिला क्रय समिति की बैठक वर्ष 1991 में कब-कब बुलाई गई और उसमें किस-किस निर्माता फर्म का किस-किस औषधि का क्रय अनुमोदन किया गया ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद शाहजहांपुर में जिला क्रय समिति की बैठक वर्ष 1991 में निम्नलिखित तिथियों में हुई थी:-

9-1-91, 23-1-91, 6-2-91, 23-2-91, 6-3-91, 13-3-91, 20-3-91, 27-3-91, 28-3-91, 8-5-91, 29-5-91, 5-6-91, 26-6-91, 29-6-91, 10-7-91, 31-7-91, 14-8-91, 28-8-91, 11-9-91, 25-9-91, 9-10-91, 30-10-91, 13-11-91, 27-11-91, 11-12-91, 18-12-91, इसके अतिरिक्त वर्तमान वर्ष में जिला चिकित्सालय की क्रय समिति अलग गठित हो जाने के कारण जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में क्रय समिति की बैठक निम्नलिखित तारीखों को हुई:-

1-7-91, 31-8-91, 4-10-91, 2-11-91, 31-12-91 औषधि निर्माताओं से क्रय की जाने वाली अनुमोदित औषधियों का **विवरण संलग्न+ है ।**

**वर्ष 1991 व 1992 में मुख्य चिकित्साधिकारी शाहजहांपुर द्वारा दिये गये औषधि का लाइसेंस का विवरण**

98-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर ने दिनांक 16-6-91 से 17-1-92 तक कुल कितने औषधि लाइसेंस जारी किये और इस अवधि में जनपद के कितने औषधि विक्रेताओं की दुकानों पर उत्तम श्रेणी की औषधि विक्रय के सुनिश्चित किये जाने हेतु निरीक्षण किये और नमूने जांच हेतु भेजे ?

श्री कल्याण सिंह-

आलोच्य अवधि में मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा औषधि विक्रय के 30 लाइसेंस जारी किये गये हैं ।

आलोच्य अवधि में 118 औषधि विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा 24 नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गये ।

**स्थानीय महिला चिकित्सालय लखनऊ में 10 साल से अधिक समय से तैनात लैब टेक्नीशियन को स्थानान्तरित करने की मांग**

99-श्री पूरन प्रकाश तथा श्री श्याद अली-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय महिला चिकित्सालय, लखनऊ में कितने लैब टेक्नशियन 10 वर्षों से अधिक समय से

---

+ छापा नहीं गया ।

कार्यरत हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में 10 वर्षों से अधिक समय से एक लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं ।

जांचोपरान्त निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुरूप यथा समय विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**शासन के नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा दिये गये आदेश दिसम्बर, 1990 को पालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

100-श्री बलराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1990 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने नगर विकास अनुभाग-1 के पत्रावली संख्या-219 पी0एफ0/78 पर सेवा का एक अवसर सम्बन्धित कर्मचारी को प्रदान करने का आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन विभाग द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी के आदेश को अवहेलना के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

101-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

(दिनांक 20-4-92 को अता0 प्र0सं0 176 द्वारा उत्तरित)

**विकास खण्ड पिंडरा जिला वाराणसी के कतिपय गांवों में बेसिक प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग**

102-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा देवराई, गांव जगदीशपुर (पश्चिमी अहिरावीर), गांव कहरका, गांव सभा, राजपुर का उत्तरी नयेपुरा, गांव कछिया, पुरो, कामा पुखया, गांव देउजी, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में बेसिक प्राइमरी स्कूल बने हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 92-93 में या 91-92 में उपरोक्त स्थानों में बेसिक प्रा0पा0 खोलने की कृपा करेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं ।

प्रा0 स्कूलों के खोलने के लिए निर्धारित वर्तमान मानकों के अंतर्गत न आने के कारण । निर्धारित मानक के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरांत एवं जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध होने पर ही प्रा0 स्कूल खोलने की कार्यवाही की जाती है ।

**नगरपालिका बांदा द्वारा श्री अब्दुल रशीद की दुकान को अवैध ढंग से उठाने की शिकायत एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

103-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि श्री अब्दुल रसीद की दुकान गुरहा कुआं, बांदा में थी ? यदि हां, तो क्या ये नगरपालिका बांदा को टैक्स देते थे ? यदि हां, तो क्या बिना किसी नोटिस के इनकी दुकान को उठा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या नगरपालिका बांदा के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । बल्कि उसका टीन का डिब्बा रोड पट्टी तहबाजारी भूमि में दिनाक 30-490 तक रखा था ।

जी हां । दिनांक 30-4-90 तक तहबाजारी शुल्क अदा किया है । श्री अब्दुल रशीद ने दिनांक 30-4-90 के बाद अतिक्रमण हटाओं अभियान में कार्यवाही की आशंका से डिब्बा स्वयं हटा लिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**बांदा शहर में मोहल्ला खाईपार की घनी बस्ती में चल रहे स्लाटर हाउस को वहां से नियमानुसार हटाने की मांग**

104-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में मोहल्ला खाईपार में घनी बस्ती बीच स्लाटर हाउस है, जहां पर भैंसे के मांस के लिए भैंसे को काटा जाता है जिससे खून व गन्दगी बस्ती के बीच में खुली जगह पर छोड़ दी जाती है ? यदि हां, तो क्या वह स्लाटर हाउस नियमानुसार स्थापित है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नियमानुसार इसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जावेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं । मोहल्ला खाईपार में एक किनारे पर लगभग तीस वर्षों से स्लाटर हाउस स्थित है जहां पर अब आबादी होना प्रारम्भ हो गयी है ।

उक्त स्थान की गंदगी आदि की सफाई नगरपालिका द्वारा प्रतिदिन करायी जाती है । स्लाटर हाउस पहले से ही बना चला आ रहा है तब उस स्थान पर आबादी नहीं थी । वर्तमान में आबादी होना प्रारम्भ हो गयी है इसलिए स्लाटर हाउस की स्थापना अनियमित नहीं मानी जा सकती है ? अन्य उपयुक्त स्थान के उपलब्ध होने पर इसे स्थानान्तरित करना सम्भव हो सकेगा ।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ के मेडिकल आफिसर डा0 जे0पी0 सिंह का स्थानान्तरित बार-बार रद्द किये जाने की शिकायत**

105-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ एम0ओ0 (तृतीय) डा0 जे0पी0 सिंह के भ्रष्टाचार एवं जन विरोधी नीतियों के कारण श्री भीमा प्रसाद, एम0एल0सी0 एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर विगत वर्ष उनका स्थानान्तरण हुआ था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में शिकायत के बावजूद उनका स्थानान्तरण बार-बार रद्द किया जा रहा है ? क्या पुनः स्थानान्तरण रद्द करने के कारणों से सदन को अवगत करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**चैतराम नवमी तथा झूला मेला अयोध्या फैजाबाद में स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा अनियमितता किये जाने की शिकायत तथा रिकवरी की मांग**

106-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा बजट अनुभाग-6 द्वारा पत्र संख्या 6 फ/2839, दिनांक 12-10-1984 (श्री चैतराम नवमी झूला मेला के सम्बन्ध में) के साथ श्री राम लखन मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी की निरीक्षण आख्या संलग्न करके डा0 के0एन0 सेठ, तत्कालीन अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद को इस आशय से भेजा गया है कि लगभग 14 लाख रुपये की रिकवरी सम्बन्धित दोषी लोगों से कराये जाने सहित प्रशासनिक कार्यवाही की स्पष्ट संस्तुति भेजी जाय ? यदि हां, तो पत्र में वांछित निर्देशानुसार किन-किन कर्मचारियों से कितनी-कितनी रिकवरी करायी गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि उन कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित तथ्य जिस प्रकार वर्णित किए गए है, स्थिति वैसी नहीं है । सही स्थिति यह है कि प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 12-10-84 वस्तुतः मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र था, जिसमें डा0 के0एन0 सेठ, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, फैजाबाद को सहायक लेखाधिकारी की निरीक्षण आख्या भेजते हुए उस पर अनुपालन आख्या मांगी गयी थी और शासकीय धनराशि की वसूली के प्रकरणों पर कार्यवाही करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में संस्तुति भेजने को कहा गया था । सहायक लेखाधिकारी की निरीक्षण आख्या के अनुसार कुल रु0 13,22,852.40 मात्र का व्यय वर्ष 1982 से वर्ष 1984 तक की अवधि में हुए राम नवमी तथा सावन झूला मेलों पर किया गया था

और उसमें से रु0 1,39,577.00 की धनराशि की वसूली की संस्तुति की गयी थी । जांच पूर्ण न होने के कारण वसूली की कार्यवाही अभी नहीं हो सकी ।

जांच पूर्ण होने पर दोषी कर्मियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

**प्रश्नगत स्थगन आदेश को समाप्त किये जाने हेतु सरकार की माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रार्थना-पत्र**

107-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के तीसरे गुरुवार के श्री अवधेश प्रसाद के अतारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा भौगोलिक रूप से सटे हुए जिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सालय, फैजाबाद से स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों द्वारा आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-2992/87 के स्थगनादेश पर यथावत् कार्य करने के मामले में सरकार की ओर से याचिका की पैरवी किये जाने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो सरकार के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा दायर इस याचिका में, स्थगनादेश खत्म कराये जाने के बारे में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्रश्नगत याचिका में स्थगनादेश समाप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

108-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

(दिनांक 21-2-92 को अता0 प्र0सं0 113 द्वारा उत्तरित)

**बांदा जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी तथा ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दवाइयों के निर्माण एवं थोक व फुटकर विक्रेताओं को दिये गये लाइसेंसों के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा मांगी गयी जानकारी**

109-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के बांदा जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी व ड्रग इन्स्पेक्टर द्वारा दवाइयों के फुटकर व थोक दुकानों के लाइसेंस देने में भारी अनियमिततायें बरती जाने संबंधी पत्रांक-ख 575854, दिनांक 28-7-91 के द्वारा बांदा जनपद में बनाये गये व बनाये जा रहे दवाइयों की दुकानों के लाइसेंस के बारे में जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी से मांगी गयी थी ? यदि हां, तो आज तक पत्र का उत्तर व जानकारी न देने का क्या कारण है ? क्या भविष्य में इस पर गुप्तचर विभाग से जांच करवायी जावेगी ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

पत्र में चाही गई सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी (डा0 एस0पी0 गुलाटी) तथा श्री राम निरंजन वरिष्ठ लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसके प्राप्त होने पर इस विषय में माननीय विधायक को उत्तर दिया जायेगा ।

अनियमितताओं की जानकारी शासन को मिलने पर इस बारे में कोई निर्णय लिया जाना सम्भव होगा ।

**शासन द्वारा जिला अधिकारी वाराणसी को माननीय उच्च न्यायलय के प्रश्नगत आदेश का पालन करने का निर्देश दिये जाने में विलम्ब की शिकायत**

110-श्री बलराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-583/17-विविध-टी0ए0सी0, दिनांक 9-1-92 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में किसी कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में निर्देश दिए जाने हेतु शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में निर्देश दिए जाने में जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है ? क्या सरकार जिलाधिकारी द्वारा वांछित निर्देश अविलम्ब देने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(क) जी हां ।

(ख) मामले में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त हो गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां ।

(च) निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं ।

**नगर विकास विभाग के प्रश्नगत पत्रावली से कुछ पृष्ठों को अधिकारी द्वारा गायब कर दिये जाने की शिकायत**

111-श्री बलराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर विकास-1 की पत्रावली संख्या-219 पी0एफ0/78 के कुछ पृष्ठ किसी अधिकारी द्वारा गायब किये गये हैं ? यदि हां, तो उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जिला अधिकारी वाराणसी द्वारा शासन को भेजे गये प्रश्नगत पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी**

112-श्री बलराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-564/17-विविध-टी0ए0सी0, दिनांक 31-12-91 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित जिलाधिकारी, वाराणसी की संस्तुति पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां

अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, खमरिया के विरुद्ध यू0पी0 टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा-7क के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को दिनांक 21 जनवरी, 1992 को निर्देशित किया गया तथा अध्यक्ष ने उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 18-2-92 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है ।

**ग्राम सभा खाखादेई विकास खण्ड पचपेड़वा जिला गोण्डा के अध्यापक द्वारा प्राइमरी पाठशाला के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि को हड़पने तथा कार्य से फरार होने तथा वेतन लेते रहने की शिकायत**

113-श्री बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम सभा खाखादेई में प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण हेतु जो धनराशि संबंधित अध्यापक को आवंटित की गयी थी, उससे भवन निर्माण का कार्य न कराकर वह चार माह से गायब है और विभाग बराबर वेतन भी दे रहा है ? यदि हां, तो सरकार दोषी अध्यापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्रश्नगत प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है केवल फर्श व रंगाई पुताई का कार्य शेष है । संबंधित प्रधानाध्यापक प्राप्त आख्यानुसार गायब नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सेनेट्री इंस्पेक्टर के पदों को स्वास्थ्य निरीक्षक में परिवर्तित करने के निर्णय की जानकारी एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण**

114-श्री विक्रमाजीत मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सेनेट्री इंस्पेक्टरों को वर्ष 1983 के शासनादेश के आधार पर स्वा0 निरी0

में कनवर्ट कर दिया गया ? क्या उसी शासनादेश के आधार पर विभाग में अब सेनेट्री इन्स्पेक्टर के कार्यों का अवलोकन स्वास्थ्य निरीक्षकों को जो सेनेट्री इन्स्पेक्टर कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, को सौंपा गया है ? यदि हां, तो सेनेट्री इन्स्पेक्टर के कार्यों को देखने वाले स्वास्थ्य निरीक्षकों ने कितने पानी के नमूने अपने-अपने क्षेत्र में लिये ? बिना लाइसेंस के कितने खाद्य विक्रेताओं को पकड़ा गया तथा कितनों का लाइसेंस रद्द किया ? क्या यह भी बतायेंगे कि शासनादेश के अनुसार स्वास्थ्य निरीक्षकों को सेनेट्री इन्स्पेक्टर के कार्यों को करने का गजट नोटीफिकेशन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गजट न करने के लिए कौन उत्तरदायी है तथा यह कार्य कब तक सम्पादित कर दिया जाएगा ? क्या यह सत्य है कि स्वास्थ्य निरीक्षकों को सेनेट्री इन्स्पेक्टर के कार्यों के दायित्वों के सौंपने के उपरान्त सेनेट्री इन्सपेक्टरों को मल्टीपरपज स्कीम से अलग रखा गया था ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी मल्टीपरपज स्कीम से अलग रखा गया है ? यदि नहीं तो उन्हें कब तक अलग कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं । शासनादेश संख्या 903/सोलह-10-83, दिनांक 25-2-1983 द्वारा सेनेटरी इन्स्पेक्टरों के पदों को नवसृजित खाद्य निरीक्षक, सम्वर्ग में रख दिया गया है । उसी शासनादेश में स्वच्छता (सेनीटेशन) सम्बन्धी कार्य स्वास्थ्य निरीक्षक को उनके कार्य के अतिरिक्त सौंपा गया है ।

स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा लिये गये पानी के नमूनों की संख्या एकत्र की जा रही है । खाद्य विक्रेताओं से सम्बन्धित कार्य उनका दायित्व नहीं है ।

शासनादेश के अनुसार सेनीटेशन (स्वच्छता) का कार्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को दिया गया है इसके लिए गजट नोटीफिकेशन की आवश्यकता नहीं है ।

स्वास्थ्य निरीक्षक मल्टीपरपज स्कीम में सम्मिलित हैं तथा सेनेटरी इन्स्पेक्टर उक्त योजना में सम्मिलित नहीं किये गये थे ।

स्वास्थ्य निरीक्षकों को मल्टीपरपज स्कीम से अलग किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है ।

**जनपद महराजगंज के ग्राम अहिरौली विकास खण्ड सिसवां में निर्माणाधीन प्राइमरी पाठशाला भवन को पूरा कराने की मांग**

115-श्री शिवेन्द्र सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अहिरौली, विकास खण्ड सिसवा, जनपद महाराजगंज में 3 वर्ष से स्वीकृत प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण अभी तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसे किस निश्चित तिथि तक पूर्ण करा देंगे ? इसके निर्माण में हो रहे विलम्ब का उत्तरदायित्व किस पर निर्धारित किया गया है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

भूमि विवाद के कारण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ । भवन निर्माण दिनांक 25-4-92 तक पूर्ण किये जाने की सूचना संबंधित अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने दी है ।

निर्माण में भूमि विवाद के कारण हुए विलम्ब के लिए किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है ।

**जनपद आगरा के ग्राम श्यामों में जल निगम द्वारा बनायी गयी पानी की टंकी के बारे में कतिपय जानकारी की मांग**

116-श्री विजय सिंह राणा-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद आगरा के गांव श्यामों में जल निगम द्वारा एक पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ? उक्त निर्माण कार्य कब पूरा हुआ ? क्या टंकी से अब गांव को जलापूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद आगरा के ग्राम श्यामों में जल निगम द्वारा बमरौली कटारा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 150 किलोमीटर की एक टंकी का निर्माण कार्य कराया गया था ।

निर्माण कार्य वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ कराया गया था तथा वर्ष 1983-84 में पूर्ण हुआ था ।

जी नहीं ।

कभी नहीं ।

योजना में स्रोत की कमी एवं नलकूप पर उचित वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त न होने के कारण ।

**आगरा नगर महापालिका के विस्तार स्वरूप आने वाले गांवों की भूमि को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अध्याप्ति किये जाने का औचित्य तथा रोकथाम की मांग**

117-श्री विजय सिंह राणा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका के क्षेत्र का पुनः विस्तार किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब कौन-कौन से गांव नगर महापालिका क्षेत्र में सम्मिलित किये जा रहे हैं ? यह प्रक्रिया कब तक पूरी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो देहतोरा, जऊपुरा, लखनपुर, सुनारी गांव में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अध्याप्ति का औचित्य क्या है ? क्या इन गांवों को नगर महापालिका सीमा में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या नगर विकास की योजनाओं को यहां स्थापित करने से रोका जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुनियोजित विकास एवं आवासीय समस्या के समाधान हेतु महापालिका सीमा से आठ किमी0 परिधि में आगे तक भूमि अधिग्रहण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन किया जा सकता है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योजनाओं का संचालन उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत निमयानुसार किया जा रहा है ।

**वर्तमान जिला कुष्ठ अधिकारी बांदा को सरकारी आवास आवंटित किये जाने की मांग**

118-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

क्या सरकार अवगत है कि अनुसूचित जाति के डा0 श्याम लाल, जिला कुष्ठ अधिकारी वर्ष 1986 से लगातार बांदा में ही तैनात हैं ? यदि हां, तो इन्हें आज तक सरकारी आवास इनके कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी न मिलने का क्या कारण है ? क्या बांदा में सरकारी अधिकारियों के आवास में कुछ अन्य कर्मचारी निवास कर रहे हैं जो कि पात्र व्यक्ति भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपात्र व्यक्तियों को हटाकर पात्र व्यक्तियों को यह सरकारी अधिकारियों के लिए निर्मित आवास उपलब्ध करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह -

जिला कुष्ठ अधिकारी, बांदा के पद पर डा0 श्याम नारायण वर्ष 1986 से कार्यरत हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं ।

राजकीय कर्मचारी गृह निर्माण योजना के नियम 3 (2) के अन्तर्गत वे कर्मचारी/अधिकारी जिनके लिए विभागीय शासकीय आवास उपलब्ध हो, पात्र नहीं हैं जिला कुष्ठ अधिकारी वर्ष 1986 से जनपद के पुराने चिकित्सालय परिसर में बने आवासीय भवन में निवास करते रहे, जो उनके द्वारा दिनांक 25-10-91 को रिक्त किया गया ।

पूल्ड हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को पूर्व में आवंटित आवासों की जांच कराई जा रही है और नोटिस जारी की जा रही है । रिक्त होने पर उपलब्धि के आधार पर पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास आवंटित किया जाना संभव होगा ।

**प्राइमरी पाठशाला चित्तौरा विकास खण्ड टाण्डा जनपद फैजाबाद की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग**

119-श्री लालजी वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पाठशाला चित्तौरा, विकास खण्ड टाण्डा, जनपद फैजाबाद की भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अवैधानिक कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अवैध कब्जे को हटवाने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को अवैध कब्जा हटवाने हेतु लिखा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**स्वास्थ्य विभाग में विभागीय सहायक अभियन्ता से उपनिदेशक, (विद्युत) के पद पर पदोन्नति पद धारक को कार्यभार ग्रहण करने हेतु शासनादेश में दिये गये आधार एवं उपनिदेशक पद धारकों को वेतन/एरियर देने की मांग**

120-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 के उपनिदेशक (विद्युत) के रिक्त पद पर विभागीय सहायक अभियन्ता की प्रोन्नति हेतु शासनादेश संख्या-4505-क-12/16-243/81, दिनांक 1-12-82 द्वारा प्रश्नगत प्रोन्नति शासनादेश के जारी होने के दिनांक 1-1282 से या उसके बाद के किसी दिनांक से प्रभावी मानी जानी अपेक्षित थी ? यदि हां, तो उस अपेक्षित दिनांक के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में क्या निर्देश अंकित है ? यदि प्रोन्नति मानी जाने के अपेक्षित दिनांक शासनादेश जारी होने के दिनांक से पूर्व भी माने जाने योग्य था, तो इसके लिए उक्त शासनादेश में क्या आधार दिए गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह-

शासनादेश दिनांक 1-12-82 कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होना था किन्तु इसे शासनादेश दिनांक 7 जनवरी, 1985 द्वारा दिनांक 27 मई, 1981 से माना जाना किया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

121-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1-12-82 के उल्लिखित शासनादेश द्वारा प्रोन्नत सहायक अभियन्ता ने प्रोन्नति वाले उप निदेशक पद के लिए

शासन की बिना किसी पूर्व अनुमति के स्वयं ही मई, 1981 से अपना वेतन निर्धारण करके तथा आहरण वितरण अधिकारी पद का लाभ उठा करके एरियर धन सरकारी खजाने से आहरित किया है ? यदि हां, तो कब एवं कितना ? उपनिदेशक पद के प्रश्नगत वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं एरियर आहरण के लिए कब और किस अधिकृत अधिकारी की अनुमति प्राप्त की गयी थी ? यदि वांछित पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई है तो उक्त अनाधिकृत धन आहरण को आहरण अधिकारी के पद का दुरुपयोग एवं गबन मानते हुए क्या सरकार द्वारा आहरित एरियर धन की रिकवरी और अन्य प्रशासनिक दण्ड की कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कार्यवाही कब तक करायी जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह -

दिनांक 27 मई, 81 से वेतन निर्धारण कर धनराशि का आहरण सक्षम अधिकारी (निदेशक) की स्वीकृति प्राप्त कर किया गया है ।

दिनांक 13-12-82 को एरियर के रूप में रु0 5083.50 की धनराशि आहरित की गई है ।

वेतन निर्धारण एवं एरियर आहरण हेतु दिसम्बर, 1982 में निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अनुमति प्राप्त की गई थी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**पटुआ डांगर नैनीताल के परिवहन कार्यशाला के कतिपय कर्मचारियों के बकाया स्थनान्तरण यात्रा भत्ता आदि बिलों का विवरण एवं भुगतान करने की मांग**

122-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पटुआ डांगर, नैनीताल की परिवहन कार्यशाला के कर्मचारीगण श्री राजकुमार विश्वकर्मा, श्री शोभनाथ शर्मा, श्री विरेन्द्र कुमार व श्री ए0एन0 मुकर्जी द्वारा वर्ष 1985 तथा वर्ष 1986 के लिए कितनी राशि के स्थानान्तरण यात्रा तथा अन्य सरकारी यात्रा भत्ता के बिल, पटुआ डांगर कार्यालय को एवं परिवहन अनुभाग, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ को कब-कब प्रस्तुत किये गये हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त कर्मचारियों द्वारा शासन एवं निदेशालय को प्रस्तुत प्रत्यावेदनों के उपरान्त भी भुगतान नहीं हुआ है ? उनके उक्त बकाया बिलों का विवरण क्या है ? उक्त बिलों का भुगतान न किये जाने का कारण क्या है ? क्या अब तक भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो बकाया बिलों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह -

प्रश्न में उल्लिखित कर्मचारियों ने प्रत्येक के नाम के समक्ष अंकित धनराशि तथा अवधि के निम्नलिखित यात्रा भत्ता बिल वर्ष 1986-87 की अवधि में पटुवा डांगर कार्यालय में प्रस्तुत किये थे: -

| क्र0सं0 | नाम | बिल की धनराशि | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजकुमार विश्वकर्मा | 797-45 | 6-7/86 |
| 2 | श्री शोभनाथ शर्मा | 1241-20 | 6/86 |
| | तदैव | 48-50 | 5-6/86 |
| | तदैव | 575-60 | 1/87 |
| | तदैव | 119-60 | 7/86 |
| | तदैव | 225-30 | 8/86 |
| 3 | श्री वीरेन्द्र कुमार | 655-90 | 7/86 |
| | तदैव | 125-85 | 9/86 तथा 1/87 |
| 4 | श्री ए0एन0 मुकर्जी | 58-10 | 9/86 तथा 1/87 |

उपर्युक्त यात्रा भत्ता बिलों में से निम्नलिखित बिलों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है :-

| क्र0सं0 | नाम | धनराशि | भुगतान की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री शोभ नाथ शर्मा | 48-50 | 20-10-86 |
| | तदैव | 119-60 | 15-10-86 |
| | तदैव | 255-30 | 13-11-86 |
| 2 | श्री वीरेन्द्र कुमार | 125-85 | 29-7-87 |
| | तदैव | 655-90 | 21-10-87 |
| 3 | श्री ए0एन0 मुकर्जी | 58-10 | 29-7-87 |

निम्नलिखित तीन यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है:-

| क्र0सं0 | नाम | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजकुमार विश्वकर्मा | 797-45 | स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल। |
| 2 | श्री शोभनाथ शर्मा | 1241-20 | स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल । |
| | तदैव | 575-60 | अन्य यात्रा भत्ता बिल । |

आवश्यक निधि उपलब्ध न होने के कारण बिलों के कालातीत होने से उनका भुगतान नहीं किया जा सका ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी नहीं

श्री राजकुमार विश्वकर्मा और श्री शोभनाथ शर्मा के कालातीत यात्रा भत्ता बिलों की पूर्व सम्परीक्षा शासन द्वारा इसी माह अप्रैल, 1992 में स्वीकृत कर दी गयी है । अब विभागाध्यक्ष द्वारा उनकी पूर्व सम्परीक्षा करा कर संबंधित कार्यालय के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था शीघ्र करायी जायेगी । जहां तक श्री शोभनाथ शर्मा के रु0 575-60 वाले यात्रा भत्ता बिल का प्रश्न है, वह संबंधित कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इसे ढूढंने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है । उक्त बिल के उपलब्ध होने अथवा संबंधित कर्मचारी द्वारा पुनः प्रस्तुत किये जाने पर उसके भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

**जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत सभी सरकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टरों, कम्पाउण्डरों तथा चपरासियों आदि के सम्पूर्ण विवरण को सदन के पटल पर रखने की मांग**

123-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा की कितनी डिस्पेन्सरी, किस-किस स्थान पर है ? क्या सभी डिस्पेन्सरी पर डाक्टर, कम्पाउण्डर स्वीपर, चपरासी की नियुक्तियां हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक डिस्पेन्सरी पर डाक्टर, कम्पाउण्डर, स्वीपर चपरासी का नाम सहित किस तिथि से कार्यरत हैं, की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जनपद आजमगढ़ में कुल 38 स्थानों पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय हैं । केवल 5 चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त हैं और सभी चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी, कम्पाउण्डर, स्वीपर, चपरासी के स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां हैं ।

प्रत्येक डाक्टर, कम्पाउण्डर, स्वीपर, चपरासी के नाम, कार्यरत तिथि सहित सूची संलग्न है ।

**(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 242-246 पर)**

**मोहल्ला स्नेह नगर (दक्षिण) आलमबाग, लखनऊ के निवासियों द्वारा पेयजल समस्याओं के बारे में शासन को दिये गये ज्ञापन**

124-श्री रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मो0 स्नेहनगर (दक्षिणी) आलमबाग, लखनऊ के नगरवासियों का कोई पत्र दिनांक 2-9-91 जो कि उनकी

पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही विषयक था और जो कि महाप्रबन्धक एवं अधिशासी अभियन्ता (जल संस्थान) आलमबाग, लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त मुहल्ला निवासियों के सामूहिक प्रार्थना-पत्र पर मेन लाइन न डालकर दिनांक 2-9-91 से आज तक अलग-अलग 13 व्यक्तियों के लिए एक-एक फिट पर पाइप लाइन बिछा दी गयी ? यदि हां, तो इसका आधार क्या था ? इस प्रकार की दोषपूर्ण पाइप लाइन बिछाने की नीति पर कार्य स्वीकृत करने के लिए कौन-कौन दोषी है ? क्या उनके विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

सर्वप्रथम इस क्षेत्र में एक नलकूप का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । नलकूप माह मई, 1992 तक चालू हो जाने की संभावना है ।

जिन व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत जल संयोजन हेतु लखनऊ जल संस्थान से आवेदन किया था उनके द्वारा अपनी संयोजन नलिका डलवायी गयी है, जो भी उपभोक्ता जल संयोजन हेतु अधिकृत नलकार के माध्यम से प्रार्थना पत्र देता है उसका प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रक्रिया के बाद नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है और तत्पश्चात स्वीकृत की संयोजन नलिका डाली जाती है । दिनांक 2-9-91 से मार्च, 1992 तक स्नेह नगर में 3 उपभोक्ताओं को संयोजन स्वीकृत किये गये हैं ।

इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय फरीदी नगर जिला लखनऊ में वर्तमान चिकित्साधिकारी श्री वर्मा को स्थानान्तरित करने की मांग तथा उनके वर्ष 1990 से 1991 के मध्य खरीदी गयी दवाओं के विवरण की मांग**

125-श्री राजनारायण बिन्द-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय, फरीदी नगर जिला लखनऊ में चिकित्साधिकारी डा0 बृजभूषण शर्मा कितने दिनों से लखनऊ रीजन में कार्यरत हैं ? क्या सरकार श्री वर्मा को फरीदी नगर में ही तैनात करने या किसी अन्यत्र जनपदों में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 1990 एवं 1991 में श्री वर्मा द्वारा क्रय दवा का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह-

लखनऊ रीजन में डा0 ब्रजभूषण वर्मा चिकित्साधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय फरीदीनगर जनपद लखनऊ में दिनांक 18-8-1989 से कार्यरत हैं ।

श्री वर्मा शासन द्वारा निर्धारित वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1990 एवं 1991 में श्री वर्मा द्वारा कोई दवा क्रय नहीं की गयी है ।

**बेसिक शिक्षा परिषद् बदायूं के सभी संवर्गों में कर्मचारियों के संख्या के आधार पर आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग**

126-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् बदायूं के शिक्षा विभाग में सभी संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर आरक्षण पूरा है ? यदि हां, तो वहां कुल कितने पद सृजित हैं और उसमें से अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत कोटे में से कितना कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह कोटा बेसिक शिक्षा के अधिकारियों द्वारा पूरा किया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्र में छात्र अध्यापक 40:1 के मानक के अनुसार अध्यापकों की रिक्त न होने के कारण नियुक्तियां नहीं की गयी तथा नगर क्षेत्र के विद्यालयों में तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद रिक्त नहीं है जिससे आरक्षण की पूर्ति नहीं हो सकी है ।

रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियुक्ति के समय आरक्षण की पूर्ति सम्भव हो सकेगी ।

**परिवार कल्याण विभाग बरेली जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पदों में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग**

127-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण विभाग, बरेली में जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के कुल कितने पद सृजित है ? क्या उसमें से अनुसूचित जाति के अठारह प्रतिशत कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह कोटा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों से भरा जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी का एक पद तथा उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी के दो पद सृजित हैं ।

जी नहीं ।

राज्य स्तर पर उक्त अधिकारियों के पृथक संवर्ग न होने एवं नियमित चयन न होने के कारण जनपदीय अधिकारियों द्वारा काम चलाऊ व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्नगत पदों पर तदर्थ व्यवस्था की गई जिसके कारण आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका ।

जी हां । नियमानुसार 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों तथा उप जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

**जनपद रामपुर प्रभारी अधिकारी नगर पालिका, रामपुर में ही काफी समय से विभिन्न पदों पर बने रहने की शिकायत**

128-श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामपुर शहर की नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी निलम्बन आदेश के विरुद्ध स्टे लेकर रामपुर में ही अपने पद पर बने हुए हैं ? यदि हां, तो निलम्बन के क्या कारण हैं ? कितनी बार यह अधिकारी रामपुर में इस पद पर तथा नगरपालिका के अन्य पदों पर शहर में ही स्थानान्तरित होकर अपनी तैनाती पर आये हैं ? कुल मिलाकर इनकी सेवा अवधि कितनी है ? इन्हें बार-बार रामपुर शहर, नगरपालिका में ही भेजे जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस अनियमितता के कारण दोषी व्यक्ति को दण्डित करेगी

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

ज़ी हां ।

स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना ।

दो बार अधिशासी अधिकारी पद पर तथा एक बार प्रभारी अधिकारी के पद पर कुल मिलाकर लगभग 9 वर्ष 3 माह की अवधि मे नगर पालिका, रामपुर में तैनात रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं कार्यवाहक अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को भेजे गये पत्रों के विवरण की मांग**

129-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय, फैजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0वी0पी गुप्ता "जो मण्डल के कार्यवाहक अपर निदेशक,

चि0 स्वा0 प0 कल्याण फैजाबाद का भी कार्यभार सम्हाले हैं " ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के लिपिक श्री शत्रुघन यादव द्वारा राजकीय आवास संख्या-डी-2 पर अनाधिकृत कब्जा करने की स्वीकारोक्ति पत्र को संलग्न करते हुए दिनांक 18-1-92 को मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद को अपर निदेशक की हैसियत से कोई पत्र भेजा है ? क्या उन्होंने अवैध कब्जा के बारे में ही पुलिस कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से अपर निदेशक की हैसियत से ही ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को दिनांक 19-1-92 को कोई पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों का विवरण क्या है ? उक्त राजकीय कर्मचारी द्वारा सरकारी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने की स्वीकारोक्ति किए जाने के बाद भी उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही न करके रक्षण देने और उसके विरुद्ध होने वाली वैधानिक कार्यवाही में पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने हेतु दोषी उक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद को लिखे गये पत्र दिनांक 18 जनवरी, 1992 में श्री शत्रुघन यादव को आवास संख्या-डी-2 आवंटित करने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को लिखे गये पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1992 में श्री यादव को उत्पीड़ित न किये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया था । प्रश्तगत मामले में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

**श्री शत्रुघन यादव, कनिष्ठ लिपिक जिला चिकित्सालय, फैजाबाद के विरुद्ध कथित शिकायतों की जांच की मांग**

130-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक श्री शत्रुघन यादव के विरुद्ध माह जनवरी, 91 तथा फरवरी, 91 में श्री राम चिकित्सालय, अयोध्या, फैजाबाद के कतिपय कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से घूस लेने परेशान करने आदि की शिकायत करने तथा शिकायतों का नोटरी शपथ-पत्र बनवाकर तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी फैजाबाद को दिये जाने के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उप मुख्य चिकित्साधिकारी (द्वितीय) द्वारा जांच कराने के उपरान्त प्राप्त जांच आख्या के अनुसार होने वाली विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय फैजाबाद (जो कि वर्तमान में कार्यवाहक, अपर निदेशक, का भी कार्यभार ग्रहण किए हैं ) द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके समाप्त कराने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो मामले में दोषी पाए गए कर्मचारी के विरुद्ध अपर निदेशक, चि0स्वा0प0 क0 फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद स्तर से दण्डात्मक कार्यवाही का निष्पादन कराने के लिए सरकार कब तक आदेश जारी करेगी ?

श्री कल्याण सिंह -

कनिष्ठ लिपिक श्री शत्रुघन यादव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद ने उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जांच करायी थी। जांच अधिकारी की संस्तुति पर श्री यादव का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**श्रीमती प्रसन्ना देवी ए0एन0एम0 अलीगंज, लखनऊ का गलत तरीके से स्थानान्तरण किये जाने की शिकायत**

131-श्री घुरहू तथा श्री राम लखन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ में सन् 1987 से लगातार सेवारत श्रीमती प्रसन्ना देवी ए0एन0एम0 का स्थानान्तरण आदेश संख्या-711/91, दिनांक 24 जून, 1991 के द्वारा प्रसूती गृह, अलीगंज लखनऊ में किया गया था तथा पुनश्च आदेश संख्या-802/91 दिनांक 19 जुलाई, 1991 के द्वारा उन्हें दुबारा पूर्व सेवा स्थल पर वापस कर दिया गया है ? यदि हां, तो इतनी अल्प अवधि में ही उक्त ए0एन0एम0 का दो बार स्थानान्तरण करने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी इस अनियमित स्थानान्तरण को तत्काल रद्द करते हुए पूर्व नियुक्त प्रसूति गृह, अलीगंज, लखनऊ को स्थानान्तरित करने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

श्रीमती प्रसन्ना कुमारी के स्थान पर स्थानान्तरित श्रीमती राम बेटी का स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने के परिणाम स्वरूप श्रीमती प्रसन्ना कुमारी को उनके पूर्व स्थान पर वापस स्थानान्तरित करना पड़ा ।

वर्तमान सत्र की स्थानान्तरण नीति के अनुसार यथा समय विचार किया जायगा

132-134-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ।)

135-श्री श्याम देव राय चौधरी-

(दिनांक 20-4-82 को अता0 प्र0सं0 185 द्वारा उत्तरित )

**उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी, महासंघ तथा उत्तर प्रदेश फील्ड स्तरीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उ0प्र0 शासन को दिये गये पत्र एवं उस पर हुई कार्यवाही की जानकारी**

136-श्री किशोरी लाल यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ तथा उत्तर प्रदेश फील्ड स्तरीय

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ का पत्र दिनांक 2-8-91 एवं 20-8-91 अनियमितताओं के सम्बन्ध में तथा नियम विरुद्ध स्थानान्तरण के संदर्भ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी है ? इसके सम्बन्ध मे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, ज्वालापुर हरिद्वार में डिप्लोमा प्राप्त छात्रों का पंजीकरण करने की मांग**

137-डा0 जी0एस0 विनोद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार में डिप्लोमा प्राप्त छात्रों का पंजीकरण सरकार करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं ।

भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1982 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत महाविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है । इस संस्था से डिप्लोमा प्राप्त छात्रों का पंजीकरण किया जाना सम्भव नहीं है ।

138-श्री पूरन प्रकाश-

(दिनांक 14-2-92 को अता0 प्र0 सं0 31 द्वारा उत्तरित)

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए नियुक्त लैब टेक्नीसियन्स का महिला चिकित्सालय (डफरिन) लखनऊ से सम्बद्धीकरण को समाप्त किये जाने की मांग**

139-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय महिला चिकित्सालय (डफरिन) लखनऊ में कितने ऐसे लैब टेक्निशियन है, जिनकी नियुक्तियां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर है और वह स्थानीय महिला चिकित्सालय से सम्बद्ध हैं ? क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 2833/सं0क0-6/पांच-1031/90 दिनांक 11 सितम्बर, 1990 के द्वारा ऐसे कर्मचारियों की सम्बद्धता समाप्त करने तथा सितम्बर, 1990 का वेतन आहरित न किए जाने के आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश का उल्लंघन करके, उनका वेतन किन परिस्थितियों में आहरित किया जा रहा है ? क्या उक्त कर्मचारी-गण अब भी महिला चिकित्सालय से सम्बद्ध हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या उन कर्मचारियों की सम्बद्धता तत्काल समाप्त की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

कोई नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

140-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ।)

141-श्री दल सिंगार यादव-

(7 वें शुक्र के लिए स्थगित)

**टाउन हाल वाराणसी में बने महिला शौचालय की मरम्मत कराये जाने की मांग**

142-श्री ऊदल-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि टाउन हाल, वाराणसी के परिसर में जो महिला शौचालय बनवाया गया है, वो टूट गया है और वहां गंदगी फैल रही है? यदि हां, तो नगर महापालिका वाराणसी ने करीब दो वर्षों से इसको ठीक क्यों नहीं कराया है ? कब तक यह ठीक कराया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां । टाउन हाल के मैदान में महिला शौचालय का निर्माण कराया गया था । उक्त शौचालय की सीट टूट गई है, जिसे एक माह के भीतर ठीक करा दिया जायेगा ।

**प्रशिक्षित बेसिक हेल्थ वर्कर्स (महिला/पुरुष) को नियुक्त करने की मांग**

143-श्री ऊदल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक हेल्थ वर्करों की ट्रेनिंग वर्ष 90-91 में वाराणसी तथा प्रदेश के अन्य जिलों में स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश ने दिलवायी है और लाखों रुपय स्कालर शिप पर खर्च किया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जो ट्रेनीज उक्त ट्रेनिंग में पास होकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, उनको अब तक जगह खाली रहते हुए भी नौकरी में नहीं रखा गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और ट्रेनिंग प्राप्त पुरुष/महिलाओं को नियुक्तियां देगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

रिक्तियां उपलब्ध होने पर नियमानुसार नियुक्तियों के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता । ट्रेनिंग प्राप्त पुरुष/महिलाओं की नियुक्ति नियमानुसार रिक्तिया उपलबध होने पर ही संभव है ।

**वाराणसी शहर में जलकर का विभागवार बकाया धनराशि का विवरण तथा वसूली की मांग**

144-श्री ऊदल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर में जलकर का, किन-किन सरकारी विभागों पर, कितना-कितना रुपया बकाया है ? क्या यह

सही है कि यह बकाया लाखों रुपये का और कई वर्षों का है ? यदि हां, तो इसको वसूलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वाराणसी नगर में राज्य सरकार के 20 विभागों के विरुद्ध जलकर के रूप में कल 22,74,979.45 (बाईस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ उन्यासी रुपये तथा पैतालिस पैसे ) बकाया है । विभागावार सूची संलग्न है* ।

जी हां ।

संबधित विभागों से अवशेष धनराशि की वसूली हेतु निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है एवं उन्हे तत्काल भुगतान हेतु नोटिस दी गई है ।

(देखिये नत्थी "ड" आगे पृष्ठ 247 पर)

**वर्ष 1991 में रा0टी0 होम्योपैथिक कालेज, जौनपुर के प्रधानाचार्य पर अनुसूचित जाति के छात्रों के 2 लाख रुपये की छात्रवृत्ति की धनराशि का घपला करने का आरोप तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी**

145-श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1991 में स्थानान्तरित हुए प्राचार्य रा0टी0 होम्योपैथिक कालेज, जौनपुर ने शासन द्वारा उपलब्ध लाटरी फंड से प्राप्त 2 लाख रुपये की अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में कोई अनियमितता बरती है ? यदि हां, तो उक्त प्राचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी डारेक्ट्रीयल, मिनीस्ट्रीयल सर्विस एसोसियेशन के अध्यक्ष श्रीएम0एम0 भारद्वाज के पत्र पर कार्यवाही की मांग**

146-श्री मुन्ना चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी डाइरेक्ट्रेट मिनिस्ट्रीयल, सर्विस एसोसियेशन (उ0प्र0) के मण्डलीय अध्यक्ष, श्री एम0एल0 भारद्वाज का पंजीकृत शिकायती पत्र दिनांक 30-11-91 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार पत्र में उल्लिखित भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह -

पत्र की तलाश की जा रही है ।

**निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उ0प्र0 द्वारा वर्ष 1990-91 में खुले बाजार से खरीदी गयी करोड़ों रुपये की दवाओं में घपले की जांच की मांग**

147-श्री मुन्ना चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उ0प्र0 ने गत वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में कितने करोड़ की दवाओं की खरीद बाजार से की है ? क्या दवाओं की खरीद में हुए कथित घोटाले की जानकारी शासन को है ? दवाओं के क्रय में हुए घोटाले के सम्बन्ध में कितने शिकायती-पत्र उपरोक्त अवधि में शासन को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**माननीय मुख्य मंत्री आदि को सम्बोधित श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 16-12-91 का विवरण एवं कृत कार्यवाही की जानकारी**

148-श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मुख्यालय पर 15 से 20 वर्षों से अधिकारयुक्त संवेदनशील पदों पर बिना स्थानान्तरण के एक ही पदों पर कार्यरत अभियन्ताओं के बारे में उच्च स्तरीय विभागीय बैठक द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति के परिपेक्ष्य में अनुपालन की समीक्षा का सुझाव एवं मुख्य मंत्री के स्तर से कार्यवाही हेतु श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, विधायक का कोई पत्र दिनांक 16-12-91 को मुख्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो पत्र का मुख्य विवरण क्या है तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

पत्र के मुख्य विवरण निम्नवत् है :-

1- स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ता संवर्ग में संवेदनशील पदों पर स्थानान्तरण विषयक श्री राम सिंह, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 30-3-91 तथा 27-9-91 पर कार्यवाही नहीं हुई ।

2- डा0 राम सिंह के उपर्युक्त पत्र दिनांक 27-9-91 में उल्लिखित तथ्यों पर मंत्री स्तर पर शीघ्र विभागीय बैठक आवश्यक है ।

3-लोक निर्माण विभाग के विशेषज्ञ अभियन्ताओं से परामर्श कर एकीकृत सेवा नियम व कैडर बनाना आवश्यक है ।

4-विषय का परीक्षण मुख्य सचिव के स्तर से कराया जाय ।

प्रश्न में उल्लिखित श्री बाल्मीकि के पत्र दिनांक 16-12-91 पर स्वास्थ्य महानिदेशक से आख्या मांगी गयी है ।

**स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ता संवर्ग की कतिपय समस्याओं के संबंध में विधायक श्री राम सिंह के पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी**

149-श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त विषयक पत्र में उल्लिखित एक अन्य विधायक श्री राम सिंह के पत्र दिनांक 30-8-91 व दिनांक 27-9-91 भी शासन को प्राप्त हुए हैं ? उक्त पत्र में ही संदर्भित मुख्य मंत्री सचिवालय विधायक कोष्ठक के आदेश दिनांक 21-9-91 सम्बन्धी पत्रों का मुख्य विवरण तथा मुख्य बिन्दु क्या है ? उन पर सरकार का मत क्या है ? क्या इन पत्रों एवं मुख्य मंत्री के आदेश दिनांक 21-9-91 के क्रम में दिसम्बर, 91 तक क्या समुचित अपेक्षित कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

उक्त पत्र दिनांक 30-8-91 के मुख्य बिन्दु निम्न थे:-

1-स्वास्थ्य विभाग के अभियन्ता संवर्ग के एक ही स्थान पर काफी समय से तैनात विभिन्न अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाय ।

2-अभियन्ता संवर्ग के सेवा नियमों को लोक निर्माण की भांति एकीकृत रूप में बनाया जाय ।

3-लगभग 40 अभियन्ताओं के अधिष्ठान कार्य का नियंत्रण एक ही अनुभाग से शासन तथा निदेशालय स्तर से सम्पन्न कराया जाय ।

जब तक कि मामले का विस्तृत परीक्षण न करा लिया जाय, इस विषय में शासन द्वारा कोई मत निर्धारित करना या व्यक्त करना संभव नहीं है ।

प्रश्न में उल्लिखित किसी पत्र पर मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 21-9-91 को कोई आदेश नहीं पारित किये गये हैं । श्री राम सिंह के पत्रों पर स्वास्थ्य महानिदेशक से शीघ्र आख्या मांगी गयी है और आख्या प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**चौपटिया क्षेत्र लखनऊ में कतिपय गलियों एवं सीवर लाइन की मरम्मत की मांग**

150-श्री राम कुमार शक्ल-

क्या सरकार को जानकारी है कि चौपटियां रोड लखनऊ में संदोहन मंदिर से दरगाह तक अंदर गलियों में खड़ंजे और नालियां टूटी हुई है तथा सीवर लाइन जाम है जिससे आवागमन में विशेषकर बरसात में बहुत परेशानी होती है ? क्या सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

सीवर लाइन चालू है । गत वित्तीय वर्ष में सड़क और नालों का सुधार रु0 67000 खर्च करके आंशिक रूप से कराया गया ।

शेष कार्य धनाभाव वश नहीं कराया जा सका है । धन की उपलब्धता के अनुसार व्यवस्था की जायगी ।

**उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत वैक्सीनेटर, चेचक परीक्षक, पी0एम0ए0 को पदोन्नति वेतन मान दिये जाने की मांग**

151-श्री सन्त बक्श रावत-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत सृजित तीन पद बैक्सीनेटर, चेचक परवेक्षक, पी0एम0ए0 के है जिनके कर्मचारियों को 16 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी अभी तक प्रोन्नति वेतनमान नहीं प्रदान किया गया ? वर्तमान में बैक्सीनेटर को कौन सा प्रोन्नति वेतनमान मिल रहा है और यदि नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? बैक्सीनेटर को प्रोन्नति वेतनमान के सम्बन्ध में कब तक शासन स्वीकृति प्रदान कर देगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

प्रश्न प्रकरण से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है ।

152-श्री राम ललित चौधरी-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**श्री अनिल कुमार निगम, सहकारी कामदार जनपद बिजनौर को जीवन निर्वाह भत्ता न दिये जाने की शिकायत तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

153-श्री बसन्त लाल गुप्ता-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिल कुमार निगम, सहकारी कामदार जनपद बिजनौर का निलम्बन दिनांक 16-2-90 को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उनको प्रत्येक माह जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है जिसने जीवन निर्वाह भत्ता उपरोक्त कर्मचारी को नहीं दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां ।

जी नहीं ।

आदेश का पालन न करने के कारण ।

जी नहीं ।

क्योंकि अधिकारी दोषी नहीं है ।

**किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में मृत लोगों की आखों की चोरी का मामला**

154-श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री अवध पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ किंग जार्ज मेडिकल कालेज में मृत लोगों की आखों की चोरी की घटना के सम्बन्ध में 23 जनवरी, 92 को चौक कोतवाली में आखों की चोरी की एफ0आई0आर0 दर्ज है ? क्या यह भी सच है कि 24 जनवरी, 92 को पी0ए0सी0 के जवान मोहन सिंह के परिवार वालों की आंख चुराये जाने पर मेडिकल कालेज में काफी विवाद हुआ था ? क्या सरकार आंखों की चोरी/तस्करी पर रोक लगवायेगी और जांच करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । पुलिस विवेचन में एफ0आई0आर0 में वर्णित घटना सत्य नहीं पाई गई । अतः विवेचना समाप्त करते हुए दिनांक 31-1-92 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी । इस सम्बन्ध में मेडिकल कालेज में किसी विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**शासनादेश के बाद भी मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों को आहरण वितरण तथा दवाओं के खरीद का कार्य न दिये जाने की शिकायत**

155-श्री वंशीधर राज-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या-6625/ई7/85 दिनांक 22 सितम्बर, 1986 में यह प्राविधान है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण का कार्य होगा ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर द्वारा यह कार्य स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारियों से न कराकर वह स्वयं कर रहे हैं और दवाओं की खरीद फरोख्त का कार्य एवं ठेकेदारों के भुगतान का कार्य भी स्वयं कर रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं । शासनादेश संख्या-6628/पांच-7-890/95 दिनांक 22 सितम्बर, 1986 में प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामान्य मरम्मत का कार्य प्रभारी चिकित्साधिकारियों के सहयोग से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**गोण्डा नगर एवं मोअईमा तालाब के सुन्दरीकरण की मांग**

156-श्री तुलसी दास-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा नगर के जल विकास व इससे संबंधित मोअईमा तालाब के विकास या सुन्दरीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बजट सत्र में इस पर विचार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**अनुसूचित जाति बाहुल्य आगरा पश्चिम के कतिपय मोहल्लों में सीवर लाइन बिछाने की मांग**

157-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री आगरा पश्चिम अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में गोदला से लोहा मंडी तक, पृथ्वीनाथ से रुई की मंडी तक शिवनगर नगला भगवती, अजीत नगर, अर्जुन नगर, अयोध्या कुंज बारह खम्भा, नगला छअउग, नागला फकीर चन्द्र, नगला पासी, वागनानक चन्द्र, शास्त्री नगर, बाबू नगर खन्दारी, चिल्ली पाड़ा,

कोल्हाडियाडा भाहागंज गोकुल पुरा में जल निगम द्वारा सीवर लाइन डलवाने का आदेश प्रदान करेंगे जिससे वहां के अनुसूचित जाति के लोगों व गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को उक्त का लाभ मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण इन क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने की कोई योजना नहीं बनायी गयी है ।

158-श्री किशन गोपाल-

(अस्पष्ट एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

**स्वर्गीय श्री उदय भान सिंह, सहायक अध्यापक ग्राम तिघरा जनपद मऊ के देयों के भुगतान का मामला**

159-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के श्री उदय भान सिंह, ग्राम तिघरा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या उनकी मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उनके मृत्यु के बाद उनकी दो विधवाओं ने सहमति के आधार पर बेसिक शिक्षाधिकारी आजमगढ़ से यह आवेदन किया था कि श्रीमती रामा देवी पत्नी श्री उदयभान सिंह के नाम पेंशन तथा श्रीमती कमलावती देवी पत्नी श्री उदयभान सिंह के नाम जी0पी0एफ0एल0आई0सी0 तथा ग्रेच्युटी को जारी कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अब तक इन विधावाओं को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा कोई धनराशि भुगतान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या इन प्रकरण में की गयी उदासीनता से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? क्या संबंधित विधवाओं को तत्काल पेंशन दिलाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

औपचारिकताएं पूरी करने की कार्यवाही हो रही है ।

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उदासीनता नहीं दिखायी गई है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही करना संभव होगा । प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश स्तर पर बिकने वाला पान मसाला एवं जर्दायुक्त मसाला के प्रयोग से कैंसर होने की शिकायत एवं इनके बेचने पर रोक लगाने की मांग**

160-श्री किशन गोपाल तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में सादा व नशीली पुड़िया जैसे रजनी गन्धा पान पराग, आशिकी, लतब, कुमार, सरगम टेस्टी, तुलसी व अन्य नामों से बेची जाती है जिससे जनता, कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार हो रही है ? क्या इन पाउचों के बेचने पर सरकार द्वारा पाबंदी लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां । सादा पान मसाला एवं तम्बाकू मिश्रित पान मसाले की पुड़ियों/पाउचो के सेवन से कैंसर जैसे रोग की संभावना के तथ्य वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं ।

खाद्य एवं अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत सादा पान मसाला तम्बाकू मिश्रित पान मसाले की पुड़ियों/पाउचो के विक्रय पर पाबंदी लगाना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ।

161-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ।)

**मदरसा मिस्वाहुल उलूम देवा शरीफ बाराबंकी में कार्यरत लिपिक मोहम्मद जुबेर को वित्तीय वर्ष 1987-88 व 1988-89 का वेतन न दिये जाने की शिकायत पर कार्यवाही करने की मांग**

162-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदरसा मिस्वाहुल उलूम देवा शरीफ जनपद बाराबंकी में कार्यरत कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में प्रत्येक कर्मचारी को वित्तीय वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में प्रत्येक कर्मचारी को पृथक-पृथक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मदरसे में कार्यरत श्री मो0 जुबैर लिपिक को उक्त वित्तीय वर्षों की आहरित धनराशि प्रबंधक द्वारा आज तक भुगतान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त कर्मचारी का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? जांच के उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

वेतन भुगतान हेतु निर्देश दिया गया है ।
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 248 पर)

**जिला अधिकारी बांदा द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी बांदा को प्रश्नकर्ता के भ्रमण के साथ सचल अस्पताल भेजे जाने संबंधी आदेश का पालन न कराने की शिकायत**

163-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-12-91 को मुख्य चिकित्साधिकारी बांदा को जिलाधिकारी बांदा ने दिनांक 17-18, 20 एवं 21 दिसम्बर, 91 को प्रश्नकर्ता के भ्रमण के दौरान सचल अस्पताल के भेजे जाने की व्यवस्था हेतु लिखा था ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी बांदा के आदेश का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा के कार्यालय में डाक प्राप्त करने वाले लिपिक को लापरवाही के कारण मुख्य चिकित्साधिकारी बांदा को पत्र समय पर नहीं मिल सका और उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

मामले में जांच करके दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

**प्रधानाचार्य मदरसा मिस्वाहुल उलूम देवा शरीफ जनपद बाराबंकी की घटना के संबंध में प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

164-श्री अब्दुल मु0 गुलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद बाराबंकी के पत्र दिनांक 6-1-91 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को प्रेषित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखकर जांच आख्या मांगी थी ? क्या दिनांक 5-9-91 की घटना पर स्वयं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी या किसी सक्षम अधिकारी से उक्त मदरसे में घटी घटना की जांच करा ली गयी थी ? यदि हां, तो क्या दिनांक 5-9-91 की घटना के बाद प्रधानाचार्य को प्रबन्धक द्वारा निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्या इस घटना का सम्बन्ध मदरसे में रहने वाले अभिलेखों से है ? यदि हां, तो क्या प्रधानाचार्य का निलम्बन निरस्त किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

जी नहीं ।

चूंकि प्रकरण पुलिस अधीक्षक को संदर्भित कर दिया गया था अतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, लेकिन प्रधानाचार्य को निर्गत आरोप पत्र में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है ।

जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद जालौन के ग्राम अकबरपुर इटौरा में शासकीय अस्पताल के भवन के निर्माण का मामला**

165-श्री श्रीराम-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद जालौन के ग्राम अकबरपुर इटौरा में 15 शैय्या के शासकीय अस्पताल के भवन का निर्माण वर्ष 1985 में शासन द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्मित भवन में शासकीय अस्पताल संचालित है ? यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल में डाक्टर तथा अन्य स्टाफ की नियुक्तियां की गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कर्मचारी तैनात हैं ? क्या यह सही है कि उक्त शासकीय अस्पताल के भवन में ग्राम के लोगों के पशु बांधे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद जालौन के ग्राम इटौरा में 4 शैय्या वाले सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर का भवन निर्माण वर्ष 1985 में कराया गया था ।

उक्त निर्मित भवन में सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर संचालित न हो करके निकट के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में संचालित है ।

उक्त सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर में निम्नलिखित स्टाफ के पद स्वीकृत हैं, जिनकी वर्तमान तैनाती सामने अंकित है:-

| | | |
|---|---|---|
| क- | चिकित्साधिकारी | कार्यरत |
| ख- | प्रयोगशाला सहायक | रिक्त |
| ग- | दाई | कार्यरत |
| घ- | अंशकालिक जमादार- | रिक्त |

भवन के दरवाजे व खिड़कियां टूटी एवं क्षतिग्रस्त हैं जिन्हें मरम्मत करवाने की कार्यवाही की जा रही है । भवन का ध्यान रखने हेतु निर्देश भी मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन को दिया जा रहा है ।

**जनपद इलाहाबाद में हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु ली गई भूमि के मालिक को उक्त अस्पताल में नौकरी दिये जाने के आश्वासन के बाद भी नौकरी न दिये जाने की शिकायत**

166-डा0बृजभान यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में जो जमीन अधिग्रहीत की गयी वह उपरदहा

गांव के निवासी श्री नरेन्द्र कुमार चौहान आदि की है जो इस जमीन (छः बीघा) के अधिग्रहीत हो जाने से भूमिहीन हो गये हैं ? क्या जमीन अधिग्रहण के समय उनको उसी स्वा0 केन्द्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थान पर नियुक्त करने पर विचार किया गया था ? यदि हां, तो आज तक उनकी नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उन्हें इस जमीन का मुआवजा अभी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें भूमि का मुआवजा एवं नौकरी कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी है वरन् चकबंदी में स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आरक्षित की गयी है जो ग्राम समाज के माध्यम से चिकित्सा विभाग को दी गयी है।

जी नहीं क्यों कि जिन लोगों की भूमि चकबंदी द्वारा आरक्षित की गयी है, उन्हें उस भूमि के एवज में चकबंदी नियमों के अंतर्गत अन्यत्र भूमि दे दी गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

भूमि के बदले भूमि दी जा चुकी है, अतः भूमि का मुआवजा एवं नौकरी देने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**60 वर्षीय सेवा संबंधी शासनादेश के बावजूद भी सेनेटरी सुपरवाइजर मैनपुरी श्री मुंशी लाल को 58 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति किये जाने की शिकायत**

167 - श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि -

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कार्यरत सेनेटरी सुपरवाइजरों की सेवानिवृत्ति की आयु शासनादेश दिनांक 24 अक्टूबर, 1990 के अनुसार 5 नवम्बर, 1985 से पहले नियुक्त होने वालों की 60 वर्ष ही है ? यदि हां, तो इस परिधि के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में ही शासनादेश का उल्लंघन करते हुए ब्लाक सुल्तानगंज मैनपुरी में कार्यरत सेनेटरी सुपरवाइजर को सेवानिवृत्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि नियमों के विपरीत 60 वर्ष के बजाय 58 वर्ष में ही सेवानिवृत्त किए गए सेनेटरी सुवपरवाइजर श्री मुंशी लाल ब्लाक सुल्तानगंज मैनपुरी को सेवानिवृत्त के पश्चात् 2 वर्ष का वेतन तथा पेंशन एवं समस्त फण्ड भुगतान आदि की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । इनके नियमानुसार देय भुगतान के लिए आदेश कर दिये गये हैं ।

**प्रबन्धक मदरसा मिस्वाहुल उलूम देवा शरीफ जिला बाराबंकी के कुछ कर्मचारियों के बकाया वेतन आदि का भुक्तान एवं वेतन बिल पर हस्ताक्षर प्रबन्धक द्वारा कराये जाने पर आपत्ति**

168-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा शरीफ, बाराबंकी द्वारा मदरसे में कार्यरत 16 में से 13 कर्मचारियों का वेतन बिल (जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, 91) लेखा विभाग से पास करा लिया गया है ? क्या तीनों कर्मचारियों का नाम वेतन बिल में सम्मिलित न किए जाने का कारण इनकी नियुक्ति वर्ष 1987-88 में होना है ? यदि हां, तो क्या अगस्त, 87 में स0अ0 तहतानियां के पद पर श्री जलालुद्दीन की नियुक्ति भी की गयी है ? यदि हां, तो श्री जलालुद्दीन का नाम वेतन बिल में सम्मिलित किया जाय और तो तीन अन्य कर्मचारियों का नाम वेतन बिल में सम्मिलित न किए जाने का औचित्य क्या है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रबन्धक द्वारा श्री जलालुद्दीन की गलत नियुक्ति तिथि अंकित करने के कारण सम्मिलित किया गया था ।

169-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-9-91 से दिनांक 9-12-91 तक मदरसा मिस्वाहुल उलूम, देवा शरीफ, जनपद बाराबंकी में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में श्रीमती मकबूल इफ्कतआरा कार्यरत थीं ? यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 91 के वेतन बिल पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य के स्थान पर श्री अजीम बेग के हस्ताक्षर प्रबन्धक द्वारा कराया जाना न्यायसंगत है ? यदि नहीं, तो क्या प्रबन्धक के विरुद्ध जांच के उपरान्त दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के निरीक्षण के समय दिनांक 18-11-91 को श्रीमती इफ्कतआरा कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य देख रहीं थी ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**नगरपालिका बांदा द्वारा जनवरी, 1989 से दिसम्बर, 1991 के मध्य कराये गये निर्माण कार्यों की जांच टी0ए0सी0 से कराये जाने की मांग**

170-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1989 से 20 दिसम्बर, 1991 तक नगरपालिका बांदा में किन-किन सड़कों/गलियों में निर्माण कार्य में सामान उपभोग किया गया ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि घटिया किस्म के सामानों के खरीददारी तथा उपयोग किए जाने के विरोध में नगरपालिका सदस्य श्री ओम प्रकाश शुक्ला ने दिनांक 31 जुलाई, 91 को जिलाधिकारी, बांदा, सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 तथा आयुक्त, झांसी मण्डल को निर्माण समिति के संयोजक पद से त्याग-पत्र भेज दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पालिका द्वारा कराए गए समस्त कार्यों की जांच टी0ए0सी0 से कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? नगरपालिका बांदा की बैठक दिनांक 31 मई, 1989 के प्रस्ताव सं0 10 में क्या प्रस्ताव पारित किया गया था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि बोर्ड के प्रस्ताव का अनुपालन अध्यक्ष द्वारा अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

संदर्भगत अवधि में नगरपालिका, बांदा द्वारा जिन सड़कों/गलियों में निर्माण कार्य कराये गये उनमें उपभोग की गई सामग्री का विवरण संलग्न है ।

जी नहीं । श्री ओम प्रकाश शुक्ला, सदस्य, नगरपालिका, बांदा का संयोजक पद पर कार्यकाल दिनांक 31-7-91 को समाप्त हो रहा था । अतः उक्त तिथि को ही उनके द्वारा उक्त पद से त्याग-पत्र दिया जाना वास्तव में विरोध स्वरूप दिया गया त्याग-पत्र नहीं है । सामग्री क्रय करने के दौरान श्री शुक्ला ने कभी विरोध व्यक्त किया हो, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है ।

अब तक शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 31 मई, 1989 को नगरपालिका बोर्ड, बांदा की कोई बैठक नहीं हुई थी । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 249 पर)

**प्रदेश स्तर पर उर्दू अध्यापकों की संख्या एवं उस पर व्यय होने वाली धनराशि का विवरण**

171-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने उर्दू अध्यापक कार्यरत हैं और उर्दू अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में केवल उर्दू अध्यापकों के वेतन भत्तों के भुगतान में विगत तीन वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? कितने बेसिक विद्यालयों में उर्दू विद्यार्थियों की संख्या शून्य होते हुए भी शिक्षकों को वेतन भुगतान हो रहा है तथा उसका क्या औचित्य है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

172-श्री रामआसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ।)

173-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

(7वें शुक्र के लिए स्थगित ।)

**महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय, डालीगंज, लखनऊ में कार्यरत लिपिक द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र देकर नौकरी प्राप्त करने एवं अन्य अभद्र आचरणों की शिकायत**

174-श्री प्रमोद तिवारी-

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता का महाराजा अग्रसेन बालिका विद्यालय डालीगंज, लखनऊ में कार्यरत लिपिक की आयु तथा शैक्षिक योग्यता संबंधी फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त कर लेने व अनुशासनहीनता व उद्दण्डता का व्यवहार करने सम्बन्धी-पत्र दिनांक 22-2-1991 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के आधार पर जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां ।

जी हां ।

जांच के समय विद्यालय में उपलब्ध व्यक्तिगत पत्रावली में लिपिक श्री अवधेश चन्द्र के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न नहीं पाई गई । उन्हें 15 दिन का समय मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिया गया, किन्तु उनके द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा लेखाधिकारी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ एवं उक्त विद्यालय के प्रबंधक को वेतन रोकने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**स्थायी शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम, जानकी नगर, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अधीन वाहनों के ईंधन एवं रख-रखाव पर व्यय का विवरण**

175-श्री कृष्ण चन्द्र-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थायी शाखा उ0प्र0 जल निगम (जानकी नगर) कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अधीन कुल कितने वाहन हैं और वित्तीय वर्ष 1990-91 में इनके लिए कुल कितना डीजल एवं पेट्रोल स्वीकृत किया गया ? लाग बुक के अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली गाड़ी कुल कितने किलोमीटर चली और इसमें कुल कितना तेल खपत हुआ ? इस गाड़ी की कितनी बार मरम्मत कराई गई और कितना रुपया मरम्मत पर व्यय किया गया ? क्या गाड़ी का प्रयोग निजी उपयोग में ज्यादा किया जाता है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

दो जीप एवं एक ट्रक ।

अधिष्ठान पर एक जीप संख्या यू0पी0-06/274 है, जिस हेतु रु0 80,000 का बजट प्राविधान 90-91 में था । एक जीप एवं ट्रक कार्यो पर भारित है ।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यों के निरीक्षण एवं मीटिंग में भाग लेने हेतु उपयोग में लायी जाने वाली गाड़ी कुल 6837 कि0मी0 चली और इसमें कुल 795 लीटर पेट्रोल खपत हुआ ।

इस गाड़ी पर वर्ष 90-91 में कुल रु0 6, 500 का व्यय सामान्य रख-रखाव पर हुआ । भारी मरम्मत नहीं कराई गई ।

गाड़ी का प्रयोग निजी उपयोग हेतु नहीं किया जाता है ।

176-श्री राम सरन-

(7वें शुक्र के लिए स्थगित ।)

**नगरपालिका, संडीला, जनपद हरदोई के अभियन्ता श्री डी0एस0 त्रिपाठी के बकाये वेतन के भुगतान की मांग**

177-श्री सुल्तान रजा मिर्जा-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद हरदोई की नगरपालिका सण्डीला के अभियन्ता श्री डी0एस0 त्रिपाठी के वेतन का भुगतान माह सितम्बर, 1991 से अब तक नहीं किया जा रहा है इसका क्या कारण है ? वेतन नियमित

भुगतान न करने का कौन दोषी है ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में निदेशक स्थानीय निकाय ने आदेश संख्या 5/138/106 ज0क0/81 दिनांक 14 फरवरी, 1992 को संबंधित अधिकारी को वेतन भुगतान करने के आदेश भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो आदेशों की अवहेलना करने के अधिकारियों को दण्डित करते हुए उक्त भुगतान कराये जाने के आदेश जारी करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

पालिकाध्यक्ष द्वारा दिनांक 10-9-91 से कार्यमुक्त कर दिये जाने के कारण।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

आदेशों की अवहेलना किसी अधिकारी द्वारा नहीं वरन् पालिकाध्यक्ष द्वारा की जा रही है । अतः अधिकारियों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता । वेतन भुगतान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी हरदोई को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

**सहायक अभियन्ता, ग्रामीण विकास प्राधिकरण के पदोन्नति का मामला**

178-श्री विजय सिंह राणा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा केंगी कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 5-9-91 का पत्र मिला है ? यदि हां, तो ग्रामीण विकास प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री केशव सिंह वर्मा की प्रोन्नति के संबंध में कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री वर्मा से कनिष्ठ कई सहायक अभियन्ताओं को प्रोन्नति दे दी गयी है ? यदि हां, तो श्री वर्मा को प्रोन्नत न किए जाने के क्या कारण है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री वर्मा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के नहीं वरन् उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के सहायक अभियन्ता हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयत) सेवा के सहायक अभियन्ताओं की अन्तिम वरिष्ठता सूची अभी जारी नहीं हो पाई है । इसलिए श्री वर्मा को पदोन्नति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति से उनके मूल विभाग में वापस करने के संबंध में कतिपय सदस्यों के पत्र पर कृत कार्यवाही

179-श्री शिव दर्शन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग में वापसी के बारे में सचिव, कार्मिक अनुभाग (1 एवं 2), उत्तर प्रदेश शासन को विधायक, श्री बच्चा पाठक का पत्र दिनांक 3-11-91 एवं विधायक श्री रामआसरे वर्मा का पत्र दिनांक 20-11-91 व श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि का पत्र दिनांक 16-12-91 और उनके बाद उन्हीं विषयों पर अन्य कुछ पत्र जनवरी, 1992 में अन्य किसी विधायक से प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन सभी पत्रों का मुख्य विवरण क्या है ? सरकार ने पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही पूरी की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नगत विषय विधायक श्री बच्चा पाठक का पत्र दिनांक 20-11-91 श्री राम आसरे वर्मा विधायक का पत्र दिनांक 3-11-91 तथा विधायक श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि का पत्र दिनांक 16-12-91 प्राप्त हुए हैं ।

पत्रों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग की सिविल अभियंत्रण इकाई में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियताओं को उनके मूल विभाग को वापस करने की संस्तुति की गयी है ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

## नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24-4-1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अंतर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नांकित प्राप्त सूचनायें स्वीकार की गईं । पहली सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की है कि इलाहाबाद को सदर तहसील चायल का मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्र में करने के सम्बन्ध में है । दूसरी सूचना है श्री राम प्रसाद सिंह की, जो बांदा के ग्राम पुनाहर से सिकलोढ़ी तक सड़क बनवाने के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री राम किशन ददाजू जी की है फिरोजाबाद में बालकों एवं बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज खुलवाने के सम्बन्ध है । चौथी सूचना अकरब हुसैन की है, जो मुरादाबाद में पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली ग्राम बंधु पंजिकाओं को अधिक मूल्य पर दिये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री अंगद सिंह यादव की बांदा के ग्राम गोविन्दपुर में पुलिस चौकी खुलवाने के सम्बन्ध है । छठी सूचना श्री शिव लाल मित्तल की है लेकिन वह उपस्थित नहीं है । सातवीं सूचना श्री भोला शंकर मौर्य की है, बदायूं में धीर पेरेन्टल

लि0 मेहसाना (गुजरात) द्वारा निर्मित ग्लूकोस की बोतलों में फफूदी पाये जाने से जनजीवन को होने वाले खतरे के सम्बन्ध में है । प्रतीक्षा सूची में मैं दो सूचनाओं को ले रहा हूं । पहली सूचना श्री दीनानाथ सिंह यादव व ऊदल जी की है, ये उपस्थित नहीं है और प्रतीक्षा सूची की दूसरी सूचना श्री राजनारायण विन्द की है, बांदा के विकास खण्ड जसपुरा तिंदवारी, बड़ोखर खुर्द में एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में ।

**नियम 301 के अन्तर्गत सात सूचनाओं के स्थान पर दस सूचनाएं लिये जाने का सुझाव**

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इसमें आप 7 की जगह 10 सूचनाएं स्वीकार कर लिया करें ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें मैंने पहले स्वयं कहा है कि बहुत ही शीघ्र 7 की जगह 10 कर लेंगे ।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं ।)

**इलाहाबाद की सदर तहसील चायल का मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

(मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 301 के अंतर्गत निम्नलिखित विषय को उठाना चाहता हूं:-

इलाहाबाद स्थित सदर तहसील चायल जिसका मुख्यालय शहर में स्थित है, जबकि उसके अंतर्गत 70% क्षेत्र ग्रामीण अंचल का पड़ता है तथा मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक का ग्रामीण क्षेत्र उक्त तहसील में पड़ता है उक्त तहसील का मुख्यालय ग्रामीण क्षेत्र में होना अति आवश्यक है ।

क्योंकि ग्रामीण जनता को तहसील मुख्यालय दूर होने से तहसील स्तरीय कार्यों में अत्यधिक कठिनाई का होना तथा शहर आने-जाने में अत्यधिक धन का व्यय होना एवं पूरे क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण का अभाव होना ही पर्याप्त आधार है कि यह जन समस्या सदन एवं शासन के संज्ञान में आवे ।)

कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें )

**जनपद बांदा के ग्राम पुनाहर से ग्राम सिकलोढ़ी तक सड़क व पुलिया बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

श्री राम प्रसाद सिंह-

(मान्यवर, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि ग्राम पुनाहर से ग्राम सिकलोढ़ी तक मार्ग व मार्ग में पड़ने वाली पुलियां का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

क्योंकि ग्रामवासियों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । इस सड़क के बन जाने से सड़क के किनारे लगे कई ग्रामों के वासियों को आवागमन की सुविधा हो जायेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार को उक्त मार्ग के निर्माण हेतु व उक्त मार्ग मे पड़ने वाली पुलियों के निर्माण हेतु आदेशित करने का कष्ट करें ।)

**जनपद फिरोजाबाद में बालक, बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

श्री राम किशन ददाजू -

(मान्यवर, फिरोजाबाद जनपद के अंतर्गत फिरोजाबाद नगर में एक भी राजकीय बालिका इण्टरमीडिएट या राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज नहीं है जिससे फिरोजाबाद में गरीब समुदायों के बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है । फिरोजाबाद नगर की साढ़े तीन लाख की आबादी है अब तक के शासन में यह शहर शिक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से उपेक्षित है ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लेकर कालेज खुलवाये जाने हेतु निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं )

**जनपद मुरादाबाद में पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली ग्राम बन्धु पंजिकाओं को अधिक मूल्य पर दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

श्री अकबर हुसैन -

(मान्यवर, जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों के ग्राम प्रधानों को ग्राम बन्धु पंजिका का वितरण पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया गया है ।

उक्त पंजिका का मूल्य निकटवर्ती जनपदों जैसे जनपद बरेली आदि में पंचायत राज अधिकारी द्वारा मात्र 16 रुपये लिया गया है जबकि जनपद मुरादाबाद में पंचायत राज अधिकारी द्वारा उक्त पंजिका का मूल्य रुपया 80 ग्राम प्रधानों से लिया गया है । इस प्रकार पंचायत राज अधिकारी द्वारा लाखों रुपये अवैध रूप से कमाया गया है जिस कारण जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के ग्राम प्रधानों एवं स्थानीय ग्राम वासियो में पंचायत राज अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध रोष एवं क्षोभ व्यापक रूप से व्याप्त है ।

अतः मै लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अंतर्गत शासन का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट कराना चाहता हूं ।)

---

नोट.-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद बांदा के गांव गोविन्दपुर में पुलिस चौकी खुलवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अंगद सिंह यादव-

(मान्यवर, मैं उपरोक्त विषय में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम गोविन्दपुर जनपद बांदा में एक छोटी पुलिस चौकी इस लिए खोलना आवश्यक है कि एक तो इस ग्राम से बारह किलोमीटर की दूरी पर कोई भी थाना या पुलिस चौकी नहीं है । यह ग्राम केन नदी के किनारे बीहड़ में पड़ता है । केन नदी के उस पार मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है । बदमाश इस गांव में इसके आसपास के गांवों में रात-दिन घूमते रहते हैं और पुलिस के आते ही नदी पार करके मध्य प्रदेश में चले जाते हैं । लोगों की रातों की नींद हराम है । अभी हाल में ही झाड़ी के पुरवा में डकैती पड़ चुकी है ।

अतः ग्राम गोविन्दपुर व अन्य ग्रामों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि ग्राम गोविन्दपुर में एक छोटी सी पुलिस चौकी खोलने की व्यवस्था करें )

**जनपद बदायूं के पेरेन्टल लिमिटेड, मेहसाना (गुजरात) द्वारा निर्मित ग्लूकोज की बोतलों में फफूंदी पाये जाने से जन जीवन खतरा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री भोला शंकर मौर्य-

(मान्यवर, बदायूं के रेन्टल लिमिटेड मेहसना (गुजरात ) की अंग्रेजी दवाओं से निर्मित ग्लूकोज की बोतलों में फफूंदी पाई गई और उसका शिकायती-पत्र श्री आलोक कुमार गुप्ता, निवासी मु0 नम्बर । विलसी जनपद बदायूं संलग्न है जो कि स्वतः स्पष्ट है । इस शिकायती-पत्र के द्वारा इस लोक महत्व प्रश्न पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा है कि ग्लूकोज की उक्त दवा निर्मित कम्पनी खुलेआम फफूंदी युक्त बोतले जनपद बदायूं में बिक्री कर रही है । सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी उक्त दवा कम्पनी से मिले होने के कारण कम्पनी के विरुद्ध नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जनता का जीवन खतरे में है और कार्यवाही न होने के कारण जनपद की जनता में गहरा रोष व्याप्त है । तथा किसी भी समय कोई भयंकर घटना घट सकती है ।

अतएव लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर इस प्रकरण की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु शासन को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ।)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी तथा बड़ोखर खुर्द के कतिपय ग्रामों में एल0टी0लाइन बिछाकर विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राज नारायण विन्द-

(मान्यवर, जनपद बांदा में विकास खण्ड जसपुरा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर आजादी के 44 साल बाद भी निम्नलिखित ग्रामों में विकास की किरण नहीं पहुंची है न ही आज तक एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया गया ग्राम बरेहटा, बुधेड़ा, नारायण, हरवंश पुरवा, मजरा सिन्धनकला, धरीखेड़ा मजरा इछावर चौकी पुरवा, व हूसी पुरवा मजरा डांडामऊ गजपुरवा मजरा गाजीपुर ग्राम झंझरी आदि तथा विकास खण्ड तिन्दवारी में ग्राम जमुवामर्का आदि तथा विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में बोधी पुरवा मजरा आलमखेड़ा मजरा बसहरी आदि में विद्युतीकरण की मांग करता हूं ।)

**मुस्लिम वक्फ का बजट प्रस्तुत होने के पूर्व संबंधित साहित्य उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

नियम 110 में आप मुझे सुनने की कृपा करें । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री मोहम्मद हसन-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज वक्फ का बजट पेश हो रहा है उसका लिट्रेचर या साहित्य अभी तक हमको नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय सदस्य को शिकायत है कि जो बजट आज प्रस्तुत किया जा रहा है उसका साहित्य उनको अभी नहीं मिला है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मैं इसको अभी दिखवाये ले रहा हूं ।

**प्रसिद्ध फिल्मकार श्री सत्यजित रे के निधन पर सदन में शोक प्रस्ताव लाये जाने का सुझाव (क्रमागत)**

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि श्री सत्यजित रे देश के बहुत बड़े फिल्मकार रहे और उनकी भारत रत्न की उपाधि भारत सरकार ने दी थी । उनका निधन हो गया है । उनकी जीवन शैली की प्रशंसा में नहीं करूंगा । मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि किसी निश्चित दिन, चूंकि

नोट -( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उनकी पूरी दुनिया में ख्याति रही है और देश को उनके होने से पूरी दुनिया में सम्मान मिला और वह भारत रत्न से सम्मानित हुए, जब भी संसदीय कार्य मंत्री जी के पास समय हो, उन पर सदन में एक शोक प्रस्ताव आना चाहिए ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

आप इस परिपाटी और परम्परा से अवगत हैं । इस मामले में हम आपस में तय करके इसे करते हैं । इस बारे में आपका सुझाव सुन लिया, इसको देख लेंगे ।

**नियम 311 की सूचना को नियम 300 में परिवर्तित करके औचित्य के प्रश्न के रूप में लेने का निर्णय**

श्री अध्यक्ष-

जो नियम 300 की सूचनाएं आयीं हैं उनमें मैं ग्राह्यता के बारे में सुनूंगा ।

एक सूचना नियम 311 के अन्तर्गत माननीय रेवती रमण सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह और श्री लालजी वर्मा की थी, तो 311 की सूचना को मैंने 300 में परिवर्तित करके ग्राह्यता पर सुनने का निर्णय लिया है ।

**सहारनपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के प्रश्न पर औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई है उसमें पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, डा0 वीरेन्द्र सिंह और श्री लाल जी वर्मा की 'सहारनपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध मे है ।'

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आज मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर ले जाना चाहता हू और वह यह है कि सहारनपुर नगर मे इस सरकार द्वारा अनुसूचितों, दलितों के साथ बहुत पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया जा रहा है । मै बताना चाहता हू कि बाबा भीमराव अम्बेदकर की जन्म शताब्दी देश और प्रदेश में मानायी जा रही है और इसी सिलसिले में सहारनपुर में जो दलित भाई ने एक शोभा यात्रा निकालने की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी थी लेकिन दुर्भाग्य से अनुमति देने से प्रशासन ने मना कर दिया । माननीय नेता विरोधी दल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयास से वहां पर जिला अधिकारी ने उनको अनुमति प्रदान की और ।। अप्रैल को जब शोभा यात्रा निकल रही थी जिसमें हजारों की संख्या मे लोग शरीक हुए शोभा यात्रा के मार्ग में एक जगह चौकी सराय पडती है जहा जुलूस को पुलिस ने रोक लिया । मान्यवर मैं बताना चाहता हूं इस रास्ते से ही परम्परागत

रूप से सभी जुलूस निकलते हैं लेकिन पुलिस ने इस जुलूस को रोका । आयोजकों ने आपत्ति करते हुए कहा कि सभी के जुलूस इसी रास्ते से निकलते हैं तो हमारे जुलूस को क्यों रोक रहे हैं ? इस पर पुलिस ने उत्तेजित होकर लाठी चार्ज किया और रथ को अपमानित कर वापस करके भगा दिया और शोभा यात्रा को वहां से आगे जाने से रोक दिया । मान्यवर, चौक फौब्बारा चौकी सराय मार्ग से दो दिन पूर्व ही स्वामी विवेकानन्द की शोभा यात्रा जूलूस राम नवमी का जूलूस भी निकला था लेकिन हमारे जुलूस को रोका गया । चौक फौव्वारा मार्ग पर जहां पर यह घटना हुई है उसी के पास एक मस्जिद भी पड़ती है जहां पिछले साल मन्दिर मस्जिद के नाम पर कई निर्दोष लोगों की जानें गई थीं और आगजनी से काफी नुकसान हुआ था लेकिन ताज्जुब है इस वर्ष भी इसी ही मार्ग से राम नवमी का जुलूस निकालने की अनुमति तो दे दी गयी थी लेकिन जितने भी मस्जिद वहां है कोई संवेदनशील खतरा नहीं हुआ । शोभा यात्रा को निकालने की अनुमति नहीं दी गयी जबकि इसमें मुस्लिम भाई भी शरीक थे क्योंकि बाबा अम्बेदकर साहब सभी के हैं और सभी जाति धर्म के लोग उन्हें मानते हैं किन्तु इनकी शोभा यात्रा को न निकलने देने के कारण मुस्लिम भाइयों को बहुत अफसोस रहा । यह सरकार इस तरह कटुता फैलाने का प्रयास करती है । इसलिए मेरी मांग है कि जो शोभा यात्रा अधूरी हुई है उसको पुनः निकालने की अनुमति दी जाये यदि सरकार इस काम को पूरा नहीं किया तो तनाव और अधिक बढ़ेगा मुझे जनहित में आहत उन भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए, उस अपूर्ण जुलूस को पूर्ण करने के पुनः जुलूस निकलवाना पड़ेगा । चाहे इसके लिए सरकार अनुमति दे या न दे । इसलिए मैं चाहूंगा कि यह ज्यादती नहीं होनी चाहिए थी । मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण का प्रश्न है । वहां बड़ी गम्भीर स्थिति बनी हुई है । इस पर चर्चा करा लें और जुलूस निकालने की अनुमति देने का कष्ट करें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि बाबा साहब दलितों के थे । मान्यवर, बाबा साहब किसी एक वर्ग विशेष के नहीं थे वह पूरे राष्ट्र के सम्मानित महापुरुष हैं । किसी एक वर्ग के साथ जोड़ना सही नहीं है । मान्यवर, सही स्थिति यह है कि जो जुलूस निकलना था, उसके जो आयोजक थे, उन आयोजकों और जिला प्रशासन के बीच में बात-चीत हो चुकी थी । उस जुलूस के निकालने के लिए एक रास्ता तय किया गया था ।उस जुलूस में कुछ उत्तेजक नवयुवक भी थे वह उस तय किए हुए रास्ते से जुलूस को नहीं ले जाना चाहते थे।

इसके लिए निर्धारित रास्ते से न ले जाकर दूसरे रास्ते से ले जाना चाहते थे। इस तरह से मान्यवर, उन्हीं लोगों में दो गुट बन गये कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन और आयोजकों के बीच समझौता हो चुका है कि जूलूस इधर से जायेगा । उन्होंने अपने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की परन्तु वह नहीं माने और उनमें आपस में ही विवाद हो गया । विवाद के बाद जुलूस वही पर तितर-बितर हो गया । वहां पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ । इस समय मेरी जानकारी के

अनुसार वहां पर न अशान्ति है, न उत्तेजना है । अभी माननीय सदस्य ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन जुलूस नहीं निकालने देगा तो हम यह करेंगे, वह करेंगे । मान्यवर, शान्ति और व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं है बल्कि आप सबकी है । आप सबका सहयोग नहीं मिल सकेगा तो हमें शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपनी तरह से प्रयास करना पड़ेगा । मान्यवर, मेरा अनुरोध है माननीय सदस्य से कि वह इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें, राजनैतिक भेद-भाव का न बनायें, किसी एक वर्ग से बांधने की कोशिश न करें । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आयोजकों से बातें हो चुकी थीं, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी । हम अब फिर बात कर लेंगे और इसका निस्तारण करने की चेष्टा करेंगे ।

ठाकुर वीरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अभी बताया आयोजकों के साथ मिलकर एक मार्ग तय किया गया था । मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जबरदस्ती कुछ लोगों से कागज पर दस्तखत करवा लिये गये थे । जुलूस को निकलने ही नहीं दिया गया । शुरू में ही जुलूस रोक दिया गया था । मान्यवर, यह दलितों के साथ अन्याय हो रहा है । मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वीरेन्द्र सिंह और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को 300 में निरस्त कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, यह सरकार दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी । यह सरकार उनके लिए रास्ता तय कर रही है । भारत के संविधान के रचयिता के मानने वालों के साथ ऐसा अन्याय कर रही है यह सरकार ।

श्री अध्यक्ष-

स्वामी नाथ यादव आप बैठ जायं ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार दलित विरोधी है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री स्वामी नाथ यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया )

(व्यवधान)

श्री पूरन चन्द्र-

यह सरकार बाबा अम्बेदकर को अपमानित कर रही है । इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री पूरन चन्द्र ने सदन का त्याग किया ।)

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

बाबा अम्बेदकर का अपमान हुआ है इसलिए मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री महेन्द्र सिंह भाटी, ठाकुर वीरेन्द्र सिंह आदि सदस्यों ने सदन का त्याग किया । )

(व्यवधान)

**उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

* श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, भारत सरकार और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन अलग-अलग किया गया है, दोनों के अधिकार अलग-अलग दिए गये हैं । भारत का नागरिक चाहे कार्यपालिका का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, अगर उसे किसी एक से न्याय न मिल सके तो दूसरे का उपयोग वह करेंगे । मान्यवर संविधान के अनुच्छेद-154 में महामहिम राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति दी हुई है और इस शक्ति के उपयोग के लिए अनुच्छेद-163 के अन्तर्गत राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद् का गठन किया गया है और अनुच्छेद-168 में विधान मंडल का गठन किया गया है । मान्यवर, इसी तरह से देखें अनुच्छेद-214 में राज्यों के उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है और अनुच्छेद-215 में कहा गया हैं कि उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होंगे तथा अनुच्छेद-225 से 228 तक उच्च न्यायालय की शक्ति दी है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक अध्यादेश में प्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं से चुने हुए अध्यक्ष एवं मंडलों में हटा दिया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे नहीं माना । मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहूंगा उच्च न्यायालय लखनऊ की खंडपीठ की रिट पिटीशन नं0 772/92 दीनानाथ सेवक बनाम राज्य सरकार जिसका निर्णय 15-2-92 को हुआ की ओर मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । मान्यवर, इसमें है कि माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बाद भी सरकार ने उस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया है जो चेयरमैन की पोस्ट है उस पर सरकार ने नामिनेशन कर दिया है ।

वी क्लेरीफाई अगेन दैट इन आल सच केसेज इन हवीच नोमिनेटेड आफ दि पोस्ट आफ चेयर मैन जो चेयर मैन की पोस्ट है उस पर सरकार ने नामिनेशन कर दिया है आगे है-

"हैज बीन मेड आफ वन हू हैज नाट बीन मेम्बर आफ दि कमेटी आफ मैनेजमेंट आफ दि सोसाइटी कुड नाट हैव बीन एपाइन्टेड" ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो व्यक्ति उस वक्त मैनेजमैंट का सदस्य नहीं है, फिर आगे लिखा है:-
"आफ दि सोसाइटी कुड नाट हैव वीन एप्वाइन्टेड "।

वह अध्यक्ष के पद पर नामित नहीं किया जा सकता है ।

एण्ड सो वी हैव स्टेड दियर टेकिंग ओवर आफ चार्ज आफ दि पोस्ट वी हैड फरदर डाइरेक्टेड दैट दि एलेक्टेड कमेटी सुड बी एलाउड टू कान्टीन्यू एलान्ड विच इट्स इलेक्टेड चेयर ।

इसलिए रोक दिया गया । इसलिए जो इलेक्टेड कमेटी है उसको चेयरमैन के साथ कार्य करने के आदेश लिए हैं ।

"इन दि प्रजेन्ट केस आलसो दियर बीइंग नामिनेशन आफ ए स्ट्रांगर ऐज चेयर मैन।"

एक अजनबी को सचिव सहकारिता नामित कर दिया गया है ।

"वी डाइरेक्ट बाई एन इन्टरिम मैनडमस दैट दि अपोजिट पार्टीज बिल आल दि एलेक्टेड कमेटी आफ मैनेजमेंट एण्ड इट्स चेयरमैन "।

इन आदेशों के बाद भी उनको चार्ज नहीं दिया । सम्पूर्ण प्रदेश में चाहे कहीं हो, प्राथमिक कोआपरेटिव इकाईया हों सारे अध्यक्षों को संवैधानिक अधिकार है उसे न्यायालय से अधिकार है । आज हमारे सामने संवैधानिक प्रश्न उपस्थित हो गया है । जिसमें माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि वह केन्द्र सरकार के पटवारी नहीं हैं । आज हो सकता है कि संसदीय कार्य मंत्री जी कहें कि हम अदालत के पेशकार नहीं है । तो इससे स्थित ऐसी हो सकती कि कल निचली अदालतों में अब जनता के मामलों का फैसला हो तो जनता कहे कि हम अदालतों के आदेश को नहीं मानेंगे, जो चाहे सो करेंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति पैदा हो जायगी । मान्यवर, इसी जजमेंट में कहा गया है:-

'दि अप्रोच आफ दि स्टेट एथार्टीज टू दि कन्ट्री एपियर एगेन्स्ट दि स्प्रिट आफ दि कान्सटीयूशन ला "।

इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार संविधान और न्यायालय की खुली अवहेलना कर रही है । मुझे दुःख है कि इस प्रकार के जो सचिव सहकारिता हैं उन्होंने 21 फरवरी, 92 को अपने एक रेडियोग्राम में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए आप बाध्य नहीं है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार संविधान या न्यायालय किसी में विश्वास नहीं रखती है । सरकार केवल तानाशाही रवैये में विश्वास करती है । मान्यवर, मैंने संवैधानिक प्रश्न उठाया है, अगर न्यायपालिका और कार्य पालिका में टकराव पैदा हो गया तो उससे आम जनता प्रताड़ित होगी । सहकारिता के संबंध में जो यह आदेश दिया गया है इससे सहकारी समितियों में जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं,

चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बीच असंतोष है और एक आंदोलन पैदा हो गया है । कृपा करके इसको स्वीकार करके जो संवैधानिक संकट पैदा हो गया है उस पर सरकार की स्थिति स्पष्ट कराने का कष्ट करें ।

*श्री सुरेन्द्र नाथ-

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान में निहित शक्तियों के संदर्भ में, समाज के मेरुदंड के रूप में कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका हैं । संविधान में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि किसी स्तर पर कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव न हो । माननीय नरेश अग्रवाल ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला दिया और अपनी बात स्पष्ट की । मैं कहना चाहता हूं कि न्यायालय का जो फैसला है उसमें कहा गया है -

"इन दि डिमोक्रेटिव सेटअप रुल आफ ला इज सोल आफ दि कान्स्टीट्युशन।"

प्रजातांत्रिक स्वरूप में कानून का राज्य संविधान की आत्मा है । जब कानून के राज्य म कहीं भी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है तो निश्चित ही यह स्पष्ट होता है कि राज्य की शक्तियां और न्यायपालिका की शक्तियां आपस में टकराव करने के लिए कटिबद्ध हैं । दीनानाथ सेवक बनाम सरकार के संदर्भ में एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं । जनपद बलिया में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, जनपद जौनपुर में वीरेन्द्र सिंह, जो एम0एल0सी0 भी हैं, जनपद फैजाबाद में नरेन्द्र प्रताप सिंह, लखीमपुर में जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष वंशीधर राज आदि लोगों ने उच्च न्यायालय के निर्णय को प्राप्त किया और उसमें स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के बाद चुने हुए अध्यक्षों को उनकी निर्वाचित कार्य समिति के साथ कार्यभार ग्रहण कराया जाय । लेकिन आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 21-2-92 को सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश ने विभिन्न जनपदों को एक रेडियोग्राम प्रेषित किया जिसमें जिलाधिकारियों से यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं ।

(इस समय 12 बजकर 42 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इससे स्पष्ट औचित्य और क्या हो सकता है कि सम्पूर्ण साक्ष्य आपके समक्ष हैं कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के बजाय उत्तर प्रदेश के एक प्रभावी सचिव उन निर्देशों की अवहेलना करने के लिए जनपद के सहायक निबन्धकों को कह रहे हैं । इसमे संविधान का पूर्णतः उल्लंघन हुआ है और संविधान में जो शक्ति उपलब्ध कराई गयी है कि कार्यपालिका न्याय प्रदान नहीं करती है तो न्यायपालिका से करा करें, तो न्यायपालिका से प्राप्त निर्देशों के बावजूद न्याय नहीं दिया जा रहा है । सरकारी अमला इसमें बाधा डाल रहा है । इससे स्पष्ट संविधान का उल्लंघन और क्या हो सकता है ? यह औचित्य का प्रश्न बनता है, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि शासन को निर्देशित करें कि वह न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करावे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)-

मान्यवर, यह जो नियम 300 के तहत औचित्य का प्रश्न श्री नरेश अग्रवाल, सुरेन्द्र नाथ अवस्थी व प्रमोद तिवारी द्वारा उठाया गया है, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जिस प्रकरण का इन्होंने उल्लेख किया है, वह उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड से संबंधित है । मान्यवर, उक्त संघ के निर्वाचित सभापति श्री दीनानाथ सेवक थे, जिनके स्थान पर सचिव, सहकारिता को राज्य सरकार द्वारा संशोधित धारा 34 (1) के अधीन प्रबन्ध कमेटी का सदस्य एवं सभापति नाम-निर्दिष्ट किया गया तथा उन्होंने दिनांक 11-2-92 को ही प्रभार ग्रहण कर लिया माननीय उच्च न्यायालय में श्री दीनानाथ सेवक द्वारा उक्त नामांकन आदेश के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी जिसमें दिनांक 18-2-92 को दिये गये अन्तरिम आदेश के अनुपालन में दिनांक 20-2-92 को श्री दीना नाथ सेवक ने पुनः प्रभार ग्रहण करने की सूचना दी जिसे माननीय उच्च न्यायालय में तत्काल ही दिनांक 21-2-92 को स्पष्टीकरण हेतु शासन की ओर से प्रस्तुत कर दिया गया । माननीय उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण के क्रम में मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अपने पत्रांक 1707/सिविल दिनांक 21-2-92 द्वारा जो परामर्श दिया उसी के आधार पर नामांकित सभापति अभी तक कार्यरत हैं । मान्यवर, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि दिनांक 21-2-92 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने उसे परामर्श दिया, उसके आधार पर मान्यवर, यह जो टिप्पणी है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं-

"फार इन्सटान्स इन दि प्रजेन्ट केश यू हैव बीन एप्वाइन्टेड ऐज मेम्बर एण्ड चेयरमैन बाई दि आफिस मेमोरेन्डम डेटेड 11 फरवरी, 1992 एण्ड हैड टेकिन ओवर प्रेर टू 14 फरवरी, 1992 दि डारेक्शन वन टू फोर आर नाट अप्लीकेबुल इन दिस केश एण्ड यू कैन कान्टीन्यू टू फंक्शन ऐज दि चेयरमैन एण्ड दियर शैल बी नो कन्टैम्प्ट आफ दि कोर्टस आर्डर"... मान्यवर, यह क्लीयरिफिकेशन है मुख्य स्थायी अधिवक्ता की ओर से ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, हमने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ा है, इसके जवाब में क्लीयरिफिकेशन नहीं सुनना चाहते । मैं सरकार की वकालत सुनने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, यह स्पष्टीकरण स्टैंडिंग काउन्सिल की ओर से दिया गया है । उसके बाद मान्यवर, दिनांक 15-4-92 का जो स्पष्टीकरण श्री दीना नाथ सेवक को माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ है उसके संबंध में शासन की ओर से प्रति शपथ-पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दिया जा चुका है जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । शीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्देश दिए जायेंगे उसका पालन किया जायगा । मान्यवर, इसमें न्यायालय की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, दिनांक 15-4-92 को जो स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, उस पर उच्च न्यायालय ने कोई फैसला नहीं किया है । उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिये थे, उनका पालन करने के बाद उच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण देना चाहिए और न्यायालय के आदेश को मानना चाहिए । इसीलिए मैंने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव पैदा हो गया है । न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं वे क्या हैं, उसका पालन क्यों नहीं किया गया ? दिनांक 15-4-92 के आदेश की कापी आपके पास रखी हुई है, उसे बता दें ?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, अभी जब मैं बोल रहा था, तो उस समय माननीय विरोध पक्ष के सदस्य अवरोध उत्पन्न कर रहे थे । मेरा अनुरोध है कि मेरी पूरी बात सुन लें । मान्यवर, शासन की ओर से प्रति-शपथ पत्र दिया जा चुका है, जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । उसके बाद जो भी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जायगा, उसका पालन किया जायगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि दिनांक 15-4-92 को उच्च न्यायालय से श्री दीना नाथ सेवक को स्थगन आदेश दिया गया था, यह बड़ा स्पष्ट आदेश हैं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उसके संबंध में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया । मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, उसका अनुपालन क्यों नहीं किया ? दिनांक 15-4-92 की कापी आपके पास भी है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय नरेश जी जिस न्यायालय के निर्णय की बात कर रहे हैं, उस निर्णय की कापी आपके पास होगी, उच्च न्यायालय के जिस निर्णय की बात माननीय नरेश जी उठा रहे हैं, उसके अनुपालन को सुनिश्चित कराने की बात माननीय नरेश जी और माननीय अवस्थी जी कह रहे हैं ।

श्री सुधीर कुमार बालियान-

मान्यवर, मैंने पहले ही उल्लेख किया कि दिनांक 15-4-92 का जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, वह स्पष्ट है, मैं उसे पढ़ देता हूं ।

"वी डारेक्ट बाई ऐन इन्ट्रिम मैण्डमस दैट दि अपोजिट पार्टीज विल एलाउ दि एलेक्टेड कमेटी आफ मैनेजमेंट एण्ड इट्स चेयरमैन टू फंक्शन एण्ड दि पर्सन नोमिनेटेड इफ ही हैज टेकेन चार्ज बिल नाट इन्टरफेयर इन दि फंकशनिंग आफ दि एलेक्टेड कमेटी आफ मैनेजमेंट एण्ड इट्स चेयरमैन ।"

मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक इस आर्डर की बात है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यह जो दिनांक 15-4-92 का आर्डर है, इसमें कहा गया है कि कमेटी आफ मैनेजमेंट को इन्टरफियर न किया जाय । श्री दीना नाथ सेवक अभी भी अपने कार्यालय में बैठ रहे हैं, उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, लेकिन जो भी न्यायालय का निर्णय हो, उसका अनुपालन शासन की ओर से होना चाहिए ।

(घोर व्यवधान)

अब आप कृपया बैठ जायं । अब उस पर व्यवस्था दे दी गयी है ।

**जनपद आगरा के पेयजल संकट के समाधान न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

* श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया, नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया, नियम 49 में मैंने उठाया, उसके बाद विवश होकर नियम 300 के अन्तर्गत दे रहा हूं ।..

मान्यवर, आगरे की पेयजल की समस्या है, लेकिन मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने आगरे के लिए 200 हैण्ड पम्प दिये हैं, लेकिन वहां के अधिकारी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और एक भी हैण्ड पम्प का कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री किशन गोपाल-

जो मैंने लिखकर दिया है, वही बोल रहा हूं । मान्यवर, पाइप लाइन में पानी नहीं आता है, हैंण्ड पम्प खराब हैं और अगर किसी में पानी आता है, तो वह काला-काला और जहरीला होता है । उसको पीना बड़ा मुश्किल है । जनता सड़क पर उतर आयी है और पानी की मांग कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, वह अपने निकम्मेपन का परिचय दे रहे हैं और इस कारण पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी है, अब आप समाप्त करें ।

श्री किशन गोपाल-

बहुत जरूरी बात है, आप सुन तो लें । जो हैण्ड पम्प हैं उनको ठीक करावें कुएं जो हैं, उनकी सफाई करावें । कुओ की सफाई के लिए लिख दिया गया है, परन्तु मुख्य अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगा है । जल संस्थान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं । हमारी कल्याणकारी सरकार है, बराबर प्रयास करती है कि समस्या का समाधान हो जाये, लेकिन यह अधिकारी काम नहीं करते हैं । जल संस्थान को लिखा गया और रुपया भी दिया गया है, लेकिन पेय जल की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है । मैंने इस विषय पर सभी नियमों के अन्तर्गत प्रश्न उठाये हैं, सूचना दी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तब इस नियम में इसको लाया हूं । कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाये, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि इस समस्या को सुलझाने की कार्यवाही करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह मनमानी नहीं चलेगी । इतना गम्भीर सवाल है और सत्ता पक्ष के विधायक ने उठाया है और वह इतने गम्भीर आरोप लगा रहे हैं, यह क्या तरीका है ? आप दीक्षित जी की व्यवस्था को सुनें, इस तरह से नहीं चलेगा ।

श्री किशन गोपाल-

26 पत्र लिखकर आपको भी दिये हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव-

वैसे माननीय उपाध्यक्ष जी, सवाल को उठना चाहिए था, यह मान्यवर, आगरा के जो विधायक जी है, इनको तकलीफ हमारी सरकार के समय में ही रही है उसको हम स्वीकार करते हें हमेशा स्वीकार करते हैं, हमारी सरकार की गलती है और माननीय जनप्रतिनिधि कहते हैं तो मुझे उसे स्वीकार करने में गर्व है, मेरा इसमें अपमान नहीं है । एक सत्ता पक्ष के विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि पानी की कमी है और सरकार का भी निदेश है, कल्याणकारी सरकार भी है उन्होंने सवाल उठा करके कहा कि सरकारी नौकर शाही का निकम्मापन एक भी काम नहीं होने दे रहा है । पानी जैसा सवाल है और आज भी हम कहना चाहते हैं और मैंने अपनी सरकार में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जो सरकार जनता को पानी नहीं पिला सकती है उसको एक मिनट भी सरकार में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है । यह मैंने करके दिखा दिया है, आगरा में भी दिखाया है तो माननीय सदस्य इतना गम्भीर सवाल उठा रहे हैं ।

वह सत्ता पक्ष के हैं, जिन अधिकारियों ने निकम्मापन किया है जिन सरकारी अधिकारियों ने सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया है, यह संवैधानिक मामला उठाया है इसलिए इस सवाल को स्वीकार करके, पहले तो संसदीय कार्यमंत्री से उम्मीद है कि अपने सदस्य का सम्मान रखते हुए, क्योंकि हम लोगों को अपमानित करने के अलावा आपकी सरकार का कोई काम नहीं है । लेकिन अपने एक माननीय सदस्य का सम्मान रखते हुए उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की घोषणा तत्काल इस सदन के अन्दर आपको करनी चाहिए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस गम्भीर विषय पर जो सवाल उठाया गया है वह औचित्य का बनता है उसको आपको स्वीकार करना चाहिए ।

(श्री बाबू राम यादव के बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं आप बैठें, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

मेरा निवेदन है कि आप कृपया बैठ जायं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत ही गम्भीर बात की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है । मैं शासन की नीति स्पष्ट करना चाहता हूं । हमारे सामने जो हमारे माननीय सत्तापक्ष के विधायक हैं और जो प्रतिपक्ष के विधायक हैं, मैं सभी की बात का पूरा-पूरा सम्मान करता हूं, किसी की बात को कम ज्यादा समझने का इरादा नहीं है । माननीय विधायक ने बहुत सही बात की है । कल्याणकारी सरकार ने कुछ ऐसे काम आगरा में किये हैं लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे शिकायत हैं यह माननीय किशन गोपाल ने इस आदरणीय सदन में कहा तो जो कहा है । माननीय मुलायम सिंह जी स्वयं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, सरकारी आदेशों के साथ अनुश्रवण करना सरकार का काम है, हम यह तो नहीं कहते हैं कि हमारे आदेश में शतप्रतिशत काम हो रहा है । हम उसका अनुश्रवण करते हैं । माननीय किशन गोपाल जी ने यह बताया, यह अच्छी बात है कि उन्होंने आगरा के पेयजल संकट की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया । जब हम उधर बैठते थे तो माननीय राणा जी और माननीय बदन सिंह जी भी वहां आगरा की समस्या उठाया करते थे ।

मान्यवर, आगरा के पेयजल संकट के बारे में शासन को जानकारी है उस संकट के संबंध में मैं वर्तमान और पिछली सरकार का नाम भी नहीं लेता, शासन के द्वारा जो-जो काम किये गये हैं वहां की पेयजल की समस्या को ठीक करने के लिए उसमें 2-4 बातें मैं इस आदरणीय सदन में रखना चाहता हूं मैं समझता हूं कि शंका का समाधान होगा ।

(व्यवधान)

जो बातें किशन गोपाल जी ने कही हैं, उसको गम्भीरता से लिया है । आगरा में या और भी स्थानों पर जहां पर वाटर वर्कस में बिजली की कमी से व्यवधान पैदा हो जाता है, प्रयास किया गया है कि वह व्यवधान न उत्पन्न हो । वहां विद्युत परिषद् का 33 के0वी0 का एक पावर स्टेशन देने की बात है, उसके लिए 8 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । 2500 इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाने की बात कही गयी वहां कुछ हैण्ड पम्प खराब थे, 200 स्थायी रूप से ठीक करने के लिए इस समय 16 लाख रुपये की व्यवस्था की है, वे पम्प ठीक हो जायेंगे । आगरा नगर में 200 नये हैण्ड पम्प लगाने का निर्णय लिया गया है इसके लिए 32 लाख रुपये का प्राविधान कर दिया है । वे शीघ्र ही लग जायेंगे । कहीं और कोई कमी होगी तो उसको देखी जायेगा ।

(व्यवधान)

डा0 बृजभान यादव-

मान्यवर, यह सवाल किशन गोपाल जी ने नहीं किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय सदस्य अकारण चिन्तित हो रहे हैं । जो-जो बातें किशन गोपाल जी ने कही हैं उनको गम्भीरता से लिया गया है इसका मतलब उन्होंने कार्यवाही करने की बात कही है । आगरा को शुद्ध पेयजल मिले इसके लिए केमिकल मिलाने की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए 50 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है । पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 1.18 करोड़ रुपये की वहां व्यवस्था की गयी है । इसी तरीके से अनेक काम वहां किये गये हैं । आगरा में पेयजल की समस्या है और गर्मी आते-आते समस्या पैदा होती है उसका निराकरण करेंगे । मान्यवर, आगरा ही नहीं, कई महानगरों में, गांवों-गांवों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है और उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है । हमने अलग-अलग प्राविधान किया है । माननीय सदस्यगण सत्रावसान के बाद जब क्षेत्रों में जायेंगे तो उन्हें जानकारी मिलेगी कि इतने हैण्ड पम्प लगने हैं आप सभी स्थानों का चयन करके शासन को सहयोग देने की कृपा करेंगे । यह कहा गया है कि सरकार के निर्देशों का पालन करने में कोई कठिनाई आ रही है तो उसको देख लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आता है इसलिए इसको अस्वीकार किया जाता है ।

**विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पांचवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 104 का उत्तर त्रुटिपूर्ण होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

श्री हरिवंश सहाय-

मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि से 90-91 में देवरिया जिले में विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर, विधान सभा क्षेत्र भाटपार-रानी इन दोनों विधान सभा क्षेत्रों में चकरीघाट

पर पक्का पुल बनाने के लिए 35 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी, वह धन अवमुक्त भी हो गया था । माननीय श्री राम शरण दास, तत्कालीन मंत्री द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था । अभी जब हाल में इस पर सवाल किया गया तो उत्तर आया कि पैरवा पुल बनाने का जो शिलान्यास किया गया था, उस योजना को निरस्त कर दिया गया है ।

मैं बताना चाहता हूं कि उसको दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में दे दिया गया है। देवरिया जिले के अंतर्गत इस साल के चुनावों में तीन विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष के विधायक बने-भाटपार रानी सलेमपुर और फाजिलनगर । 90-91 का पैसा पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत था, इस सरकार ने उसको समाप्त कर दिया । माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था कि जिन विधान सभा क्षेत्रों में काम स्वीकार किया गया है, वह काम किये जायेंगे । फिर यह बात आयी कि यदि बड़ी योजना में कोई दिक्कत है तो छोटे काम करा दिये जायेंगे । मान्यवर, इस सरकार ने अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं किया है । दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में दूसरे पुलों का काम कराया जा रहा है । मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा में कहा, देवरिया जिले की भरी सभा में कहा कि 90-91 के लिए पूर्वांचल विकास निधि से जो योजनाएं स्वीकृत हैं उन पर काम किया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया है । मान्यवर, जो 35 लाख रुपये हमारे क्षेत्रों के लिए स्वीकृत है उसको देने के लिए और काम कराने के लिए सरकार को निर्देश दें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, कई बार विधान सभा में इस बात की घोषणा की गयी कि हम सभी सदस्यों का समान रूप से सम्मान करते हैं । उस सम्मान का प्रतिफल यह निकला कि 90-91 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के द्वारा चमुकीघाट पर पुल बनाने के लिए योजना स्वीकृत हुई थी, यह योजना भाटपार रानी और सलेमपुर दोनों क्षेत्रों से सम्बन्धित थी । फिर यह बात हुई कि पूर्वांचल विकास निधि से इसका निर्माण नहीं होगा । वहां देवरिया के कलेक्टर के यहां मीटिंग हुई, सारे विधायकों की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि अगर बड़ी योजना नहीं बन पा रही है तो छोटी योजना दे दी जाये । हम लोगों ने प्रस्ताव दे दिये । माननीय मुख्य मंत्री जब देवरिया गये तो वहां भी यह सवाल उठा, इस सवाल मे सत्ता पक्ष ने भी जबरदस्त विरोध किया था आप चाहें तो इसका पता लगा लेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुले आम जनता के बीच में, क्योंकि वे वहां विकास गोष्ठी के नाम पर गये थे, हम लोगों को भी वहां जाने का मौका मिला, एलान किया कि किसी भी विधान सभा क्षेत्र का पैसा काटा नहीं जायेगा, कोई योजना हटायी नहीं जायेगी । मान्यवर, हम दो आदमी विपक्ष के हैं । हमारा इतना सम्मान किया गया कि सदन में कई बार कहने के बावजूद उस पैसा को ट्रांसफर कर दिया गया । जिन लोगों के क्षेत्रों में वह पैसा गया उसमें एक शाही जी के क्षेत्र में गया और एक जगह और कर दिया गया।

मान्यवर, पिछली सरकार ने तब भी 35 लाख रुपये दिये थे । जनता ने मान्यवर, हमें चुनकर भेजा है तो कोई गुनाह तो नहीं किया है । सदन के माध्यम से तमाम सवाल हुए, जिलाधिकारी के यहां छोटी योजनाओं की बात हुई, तो कौन सी गुनाह की बात हो गयी । जो वायदा किया गया था उसको पुरा नहीं किया गया और पैसा अन्यत्र ट्रान्सफर कर दिया गया । मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष के लोगों को ही गवाह बना देता हूं अगर वह कह देंगे कि ऐसा नहीं तय हुआ था तो मैं अपना प्रश्न वापस ले लूंगा । मान्यवर, हमारे साथ अन्याय हुआ है । यह औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है कि सदन में यह कई बार आ चुका है इस पर घोषणाएं हो चुकी हैं । आप कृपया इस पर अपना निर्णय लें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, जो बिन्दु उठाया गया है कि इसके पहले आप देख लें कि प्रश्नों के माध्यम से उत्तर हो चुका है । कदाचित इस पर विचार करते कि प्रश्नों से अगर बात का समाधान नहीं होता है तो उसकी प्रक्रिया नियमावली में दी गयी है । प्रश्नों के माध्यम से औचित्य के प्रश्न उठाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें औचित्य किस बात का बनता है, प्रश्न स्वीकार होने वाला था, अस्वीकार कर दिया गया, नत्थी (क) नत्थी (ख) में कर दिया गया, तो इन सारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है । मान्यवर, पहले ही स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि किसी क्षेत्र का पैसा काटकर किसी दूसरे को देने वाले नहीं हैं । अगर किसी मामले में भ्रांति है तो मिल लें । हम पत्रावली मंगा लेगें और समाधान कर देंगे । नियोजन सचिव से पुरी पत्रावली मंगाकर स्थिति स्पष्ट कर लेंगे ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, आप सत्ता पक्ष के लोगों से ही पूछ लें कि अन्याय हुआ है कि नहीं अगर वह कह देंगे कि नहीं हुआ है तो मैं अपना प्रश्न वापस ले लूंगा । इसमें संतुष्टि की बात तो यह है कि आप स्वयं वह पत्रावली मंगाकर और उस पर आदेश कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

यह प्रश्नगत मामला नियम 300 की परिधि में नहीं आता है । अतः मैं अस्वीकार करता हूं ।

**श्री भगवन्त प्रसाद, सदस्य, विधान सभा के इलाहाबाद स्थित मकान पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, कल इस सदन में माननीय नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न उठाया था, आपके माध्यम से, इस सरकार के सामने, कि इलाहाबाद जनता दल के विधायक माननीय भगवंन्त प्रसाद, जो आजकल सदन में नहीं आ रहे हैं, उनके मकान पर अपर जिलाधिकारी, नगर इलाहाबाद के सहयोग से कुछ असमाजिक तत्वों ने कब्जा कर

लिया है । माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दिया था कि इस विषय को आप मेरे सामने संदर्भित करियेगा, इस विषय पर ुल चर्चा हो जायेगी , उसी संदर्भ में नियम 300 के अन्तर्गत मैंने और हमारे विधायक भाई श्री विक्रमाजीत मौर्य व श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने इसे उपस्थित किया है । मान्यवर, इलाहाबाद में माननीय भगवन्त प्रसाद जी का जो मकान नं0 9, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है, उसको सन् 1987 में उन्होंने अपने तीन पुत्रों सर्वश्री देवेश कुमार मेदनी, माधुरीभूषण व अनिल कुमार के नाम से खरीदा था ।

इस मकान के आधे पोरशन में उन्होंने किसी तरह कब्जा ले लिया था, बाकी बगल की साइड में बलबीर सरन दास, उनके पुत्र व बहू, मूरतपति आदि रहा करते थे । उस मकान पर कब्जा करने के लिए 1987 से ही इलाहाबाद की कई जानी-मानी हस्तियां लगी हुयीं थीं, परन्तु विधायक होने के नाते, यह भी बता दूं कि वह न्यायिक सेवा में जिला जज के पद से अवकाश प्राप्त किये थे और लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे, की वजह से जबरन निकालने की लोगों की हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी, अभी उस मकान का विवाद न्यायालय के सामने विचाराधीन है, इसके अतिरिक्त रेंट कन्ट्रोल की धाराओं के अन्तर्गत रिलीज कराने के लिए भी प्रार्थना-पत्र दिया गया था, जिस पर विचार हो रहा है, अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है । पिछली 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में रात को किसी समय बलबीर सरन दास के पुत्र व बहू जो रहा करते थे, ने चुपचाप उस मकान को छोड़ दिया । एक विजय शंकर मिश्र नैनी के निवासी हैं, वे अपर जिलाधिकारी को साथ लेकर माननीय भगवन्त प्रसाद जी के निवास पर कब्जा दिलाने के लिए 21 फरवरी, 1992 को पहुंचे । वहां पर काफी तू-तू, मैं-मैं हुई। स्थिति को देखकर अपर जिलाधिकारी नगर यह कहकर वहां से चले गये कि मैं आपको देख लूंगा । मान्यवर, उसके बाद भगवन्त प्रसाद जी के लड़के कल आये, उन्होंने सूचना दिया कि कल 22 तारीख को अपर जिलाधिकारी नगर ने विजय शंकर मिश्र को उनके मकान पर बाईफोर्स कब्जा करा दिया है । उनकी हत्या करने की धमकी भी दी गयी है, कहा गया है कि ज्यादा बोलोगे तो हत्या कर दी जायेगी, इसी डर से पिछले कई दिनों से वह इस विधान सभा के उपवेशनों में भाग नहीं ले पा रहे हैं और वह आतंकित हैं । मान्यवर, यह सरकार जो बार-बार पिछले 1991 के प्रथम सत्र तथा 1992 के प्रथम सत्र में अनेकों बार घोषणा किया है कि माननीय विधायकों का सम्मान, उनका मान, उनकी जानमाल की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट )

यहां पर घोषणा होने के बावजूद भी आये दिन विधायकों के साथ ऐसी-ऐसी घटनायें घट रही हैं । यह विषय इसलिए भी गम्भीर है कि घोषणा होने के बावजूद भी माननीय विधायक के घर पर कब्जा किया गया । उनके जान-माल को नुकसान

पहुंचाने की धमकियां आये दिन उनको दी जा रही हैं, जिस कारण माननीय विधायक जी इस सत्र में भाग नहीं ले पा रहे हैं । इसलिए आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर इस पर चर्चा करवायें और सरकार को निर्देश दें कि जिन असामाजिक तत्वों ने उनके मकान पर कब्जा कर रखा है, उससे छुड़वायें और अपर जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें । श्री भगवन्त प्रसाद की सुरक्षा की व्यवस्था करें और इस प्रकरण की जांच कर, जो भी इसमें दोषी पाये जायें, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये ।

*श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट-

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे साथ विधायक जी ने इलाहाबाद जनपद के माननीय विधायक श्री भगवन्त प्रसाद जी के मकान पर कब्जे के बारे में विस्तृत जानकारी यहां पर दी है । मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता । जबसे यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और राम राज्य का नारा देती है तथा कल्याणकारी सरकार बनना चाहती है और साथ ही विधायकों के सम्मान की भी बात करती है लेकिन जिस तरह से आये दिन विधायकों का अपमान किया जा रहा है, उसके लिए जितना खेद व्यक्त कियाजाय कम है । श्री भगवन्त प्रसाद जी पूर्व जज रहे हैं । वे लोक सेवा आयोग के मेम्बर भी रहे हैं । उन्होंने 9, कस्तूरबा मार्ग पर अपने तीन लड़कों के नाम पर रजिस्ट्रेशन किया था । परन्तु जिस तरह से ए0 डी0 एम0 (सिटी) ने कुछ राजनैतिक नेताओं के कहने से असामाजिक तत्वों को साथ लेकर उनके मकान पर कब्जा करने का काम किया है, वह बहुत ही शर्म की बात है । इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि इस गम्भीर प्रकरण पर अबिलम्ब कार्यवाही करें और असामाजिक तत्वों से मकान खाली कराकर उन्हें पुनः स्थापित किया जाय ।

* श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, यह तो अन्तहीन प्रक्रिया है कि जो कुछ हम कहें, उसे माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी झुठला दें । इस सारे मामले में सरकार की कमजोरी रही है । पूर्व जज और आज के विधायक की सम्पत्ति पर गुण्डों से कब्जा करा दिया गया और फिर आप उसे जस्टीफाइड करने लगें, तो फिर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ बचा नहीं रह जायेगा । आज उनके अपने मकान की सुरक्षा नहीं है । स्थिति यह है कि सरकारी अफसर बदमाशों को लेकर उनके मकान पर कब्जा कर लेता है । उनको डराया-धमकाया जा रहा है । यह बात अलग हो सकती है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उसका अलग से इनटरप्रिटेशन कर दें । सच यह है कि आज कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है । उसी का मकान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो और उसी से छीन लिया जाय । इसमें शासन और प्रशासन की बड़ी कमजोरी है । उस आदमी ने सारा जीवन मेहनत करके मकान बनाया और उस मकान को कोई आदमी जबरदस्ती सरकारी अफसर के कहने से उसमें घुस जाये । ऐसी स्थिति में न तो सरकार के पास कोई बोलने की जगह है और न हमारे पास ही । वह जज भी रहे हैं । इसलिए आप संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि उस मकान को खाली करवाकर उन्हें उपलब्ध करवाया जाय । वह बहुत बूढ़े हैं आपने देखा नहीं लगता है । कोई अपना मकान बना कर बैठा हो उसको मकान से निकाल दिया जाय और मकान में कब्जा कर लिया जाय तो वह सारी जिदंगी सो नहीं सकता है, उसके बच्चे सो नहीं सकते हैं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय विधायक के सम्मान की पूरी रक्षा की जाय इसका पूरा प्रयास होता है इसमें कोई बहस नहीं है । यह जानकारी जब से मुझे मिली, हमने जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की । आपको मालूम है हमको विशेषाधिकार होते हुए विधि के सामने हम सब बराबर हैं । जैसा मैंने कहा जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की । लेकिन उससे हमारा समाधन नहीं हुआ दुबारा जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की है जो जानकारी मिलेगी उसके बाद कार्यवाही की जायेगी । माननीय सदस्य की हर तरह से सुरक्षा की जायेगी ।

दूसरी बात यह भी कही गयी कि इस विधान सभा में आने में बाधक बन रहे हैं तो यह तो विशेषाधिकार का मामला है । आपको विशेषाधिकार की सूचना वह दें आप कार्यवाही करें हमें खुशी होगी उसमें समीक्षा की जायेगी । इसलिए यह दो बिन्दु अलग-अलग हैं विशेषाधिकार का अलग है । दूसरा उनके सम्मान की रक्षा की जाय, उनकी हकतलफी नहीं की जायेगी । इसके बारे में हम देख लेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि माननीय सदस्य के मकान की सुरक्षा की जायेगी । उनके सम्मान को सुनिश्चित किया जायेगा माननीय सदस्य की दोनों बातें आ गयी हैं अब आगे कोई बात नहीं रह जाती है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मकान खाली है उनको बाहर कर दिया है उनका सामान बाहर है, पत्नी बच्चे बाहर सड़क पर हैं, लड़कियां सड़क पर हैं तो उसके बाद कौन सी सुरक्षा हो रही है मेरी समझ में नही आता है ? (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह दी बच्चे सड़क पर हैं, सब लोग घर बाहर हैं ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

कोई कानून कायदा होगा, वह जज रह चुके हैं इसके बावजूद यह हो रहा है उनका कोई अपराधिक जीवन भी नहीं है, कायदा कानून वह जानते हैं जज रह चुके हैं । उनके मकान पर कब्जा कर लिया गया है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

कोई आश्वासन दें उनके मकान पर कब्जा नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायं (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप कुछ कहने जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैंने जानकारी दे दी कि मुझे जो जानकारी मिली उससे मुझे समाधान नहीं हुआ आगे और क्वैरी की है । दूसरे पक्ष को भी देखना है, कुछ विधिक बिन्दु इनवाल्व हो गये हैं । उनके खिलाफ मैंने कहा हकतलफी नहीं की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्नगत मामला नियम 300 में नहीं आता है इसलिए अस्वीकार है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

उन्होंने कहा पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी के बाद सूचित करेंगे । तो सोमवार तक कर दें यह आश्वासन दे दें । (व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं 24 घंटे के बाद भी यह सरकार नहीं बता पाई, इनको पता नहीं लगा कि उनके मकान पर कब्जा हुआ या नहीं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मेरा निवेदन सुन लें । इतने तैस में आप बोलने लग जाते हैं बात साफ नहीं हो पाती । (व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

कल नेता विरोधी दल ने यह मामला उठाया था 24 घंटे हो गये हैं (व्यवधान) कल ही नेता विरोधी दल ने कहा कि माननीय सदस्य भगवन्त प्रसाद जी के मकान पर कब्जा कर लिया गया है सदन में इस बात की घोषणा की गयी इसके बावजूद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सूचना नहीं मंगा सके । उनका परिवार बाहर हो गया है वह सदन में आने में असमर्थ हैं । कल ही संसदीय कार्य मंत्री के सामने नेता विरोधी दल ने लिखित रूप से दे दिया था कि वह घर से बाहर हैं और

उनका परिवार उनसे दूर है । कल ही यह प्रश्न सरकार और सदन के संज्ञान में खड़ा हो गया था मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि एक विधायक जो जज रह चुका है उसके साथ यह ज्यादती की गई है । आप बतायें कि उनके साथ कौन सलूक हो रहा है ? यदि उनके मकान पर कब्जा किसी ने किया हो तो उनका मकान दिला दीजिए । मैं इतना ही चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जब मैंने यह बात कह दिया, कि हमारा विशेषाधिकार है, सम्मान है, लेकिन विधि के सामने तो हम सब बराबर हैं । इस मामले में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है और उन्होंने कहा "यदि" शब्द लगा दिया-यदि ऐसा हो तो ऐसा कर दीजिए । हम सब को देख रहे हैं और हमें दूसरे पक्ष की बात भी देखनी है । फिर भी हम ऐसी कार्यवाही करेंगे कि माननीय सदस्य का सम्मान रहेगा । लेकिन यह कहना कि सदन में यह कह दीजिए या यह कर दीजिए, यह बात उचित नहीं है । इस तरह का आदेश मंत्रियों को नहीं देना चाहिए । मैंने संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कहा है कि दूसरे पक्ष को भी हमें देखना है । दूसरे पक्ष की जो जानकारी मिली है उसको मैं सदन में बताना नहीं चाहता हूं । यहां यह भी कहा जा सकता था कि आपका यह कहना है कि और उनका यह कहना है और यह मामला न्यायालय का है । उसमें न्यायिक प्रक्रिया भी चल गई है । उस पर बिना सोचे समझे कोई व्यवस्था दे दी जायेगी, कार्यवाही कर दी जायेगी तो एक नयी समस्या खड़ी हो जायेगी । यह सही है कि वह सम्मानित व्यक्ति हैं और बुजुर्ग हैं और मेरी जानकारी तो यह भी है कि वह अनुसूचित जाति वर्ग के भी हैं । मैं पूरा उनका सम्मान करता हूं और उनके सम्मान की पूरी रक्षा की जायेगी । अब इससे ज्यादा कुछ कहना इस समय मेरे लिए सम्भव नहीं है ।

* वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दूबे)-

मान्यवर, पिछले कुछ दिनों से पीठ द्वारा कुछ नई परम्परा यहां शुरू की जा रही है

श्री नरेश अग्रवाल-

देखिये मान्यवर, यह आप पर और सम्मानित पीठ पर आक्षेप है ।

(व्यवधान)

श्री हरद्वार दूबे-

इस सम्बन्ध में मुझे कहना यह है और दुख इस बात का है कि जब कुछ माननीय सदस्य यहां आंखे तरेर कर, गुस्से में और आरोपित भाषा में कह देते हैं तो उनकी बात पीठ से सुन ली जाती है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, एक परम्परा यह है । अभी मुलायम सिंह जी ने एक शब्द प्रयोग किया कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, तो उनकी बात सुन ली गयी । और जैसे राणा जी ने कहा आपसे कि कैसे नहीं सुनेंगे, तो आपने उनको भी सुन लिया ? तो क्या अब ऐसे ही सुना जाया करेगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

उसी धमकी में मैं आपकी भी व्यवस्था सुन रहा हूं ।

श्री हरद्वार दुबे-

मेरी बात धमकी नहीं है, एक निवेदन है ।

**स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रस्तुत स्वास्थ्य विभाग के बजट का उत्तर भाषण राजस्व मंत्री द्वारा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

श्री उपाध्यक्ष-

अगली सूचना माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की है । आपने जो सूचना दी है उस सूचना पर अपने विचार ग्राह्यता पर रखें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने जो नियम-300 की सूचना दी थी वह बहुत गम्भीर मामला है । केवल यही एक प्रश्न था जो औचित्य में औचित्य रखता था । मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि सबसे पहले हमारे प्रश्न को लेकर मुझे कहने का अवसर देंगे । मान्यवर, कल जब स्वास्थ्य विभाग का बजट इस आदरणीय सदन में आया तो उसे माननीय राज्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया ।

श्रीमन्, आप अवगत हैं कि माननीय राज्य मंत्रियों को वही काम करने के अधिकार हैं जो उनको मंत्रीगण आवंटित करते हैं । माननीय राज्य मंत्रीगण कैबिनेट मीटिंग में और नीतिगत बातों में हिस्सा नहीं लेते हैं । बजट जो विधायी कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो धन से जुड़ा है उस पर राज्य मंत्री ने अपना भाषण शुरू किया जबकि उसमें मुख्य मंत्री को आना चाहिए था चूंकि यह विभाग उनका है किन्तु उनके पास समय नहीं था तो उन्हें किसी और दिन के लिए स्वास्थ्य विभाग का बजट पास करने का अनुरोध आपसे बात करके तय करना चाहिए था लेकिन मुख्य मंत्री जी नहीं आये, और यह पहली बड़ी गलती हुई है कि राज्य मंत्री को यहां भेजा और उन्होंने बजट भाषण किया । मान्यवर, मेरा यह मानना है कि यह बजट कैबिनेट स्तर के मंत्री को प्रस्तुत करना चाहिए था लेकिन यह संवैधानिक गल्ती हुई है ।

मान्यवर दूसरी त्रुटि यह हुई है कि जब माननीय राज्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया और हमने उस पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । मान्यवर, जबसे यह आदरणीय सदन बना है तब से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बजट

का प्रस्ताव दूसरे मंत्री ने किया हो और उत्तर किसी दूसरे मंत्री ने दिये हों । यह वैसे ही बात हुई कि हमको बीमारी हो और इलाज पटवारी से करवाया जाये । मान्यवर, कोई मंत्री किसी दूसरे विभाग के बजट पर चर्चा में भाग ले सकता है और हस्ताक्षेप कर सकता है लेकिन बजट का प्रस्ताव एक मंत्री प्रस्तुत करें और उसका उत्तर दूसरे मंत्री दें ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी को ही उत्तर देना चाहिए था । मान्यवर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 208 को देखे जिसमें कहा गया है कि-

208 (1) "ए हाउस आफ दि लेजिस्लेचर आफ ए स्टेट में मेक फार रेगुलेटिव सबजेक्ट टू दि प्रोवीजन्स आफ दिस कानस्टीच्यूशन इट्स प्रोसीजर एण्ड दि कन्डक्ट आफ दि बिजिनेस "।

मान्यवर यह सदन अपने लिए नियम बनाता है और जो नियमावली है उसके अनुसार इस सदन का कार्य चलता है । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 की उक्त धारा 3 को देखें जिसमें लिखा है:-

कोई सदस्य जिन्होंने कोई मूल प्रस्ताव किया हो जैसा राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने किया या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो या आय-व्ययक की मांगों के लिए किसी मद को कम करने या हटा देने के का प्रस्ताव जैसा मैंने किया प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रुप में पुनः भाषण कर सकेंगे, और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया हो तो उस मंत्री को, जिसके विभाग चर्चाधीन विषय का संबंध हो प्रस्तावक के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा, चाहे उन्होंने विवाद में पहले भाषण किया हो या न किया हो ।

मान्यवर यह बहुत बड़ी त्रुटि हुई है और इस सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं ऐसा हुआ कि जिन्होंने प्रस्ताव रखा हो उन्होंने बजट चर्चा का उत्तर न दिया हो । इस प्रकार आपकी आज्ञा से मैंने यह दो विषय उठाये हैं और श्रीमन्, दो छोटी-छोटी बातें और हैं जो गम्भीर हैं । मैंने आपकी सेवा में उल्लेख भी किया है । अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन की एक पुस्तिका है । मेरे पास भी है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास रखी रहती है । मान्यवर, उसमें 1979-80 के आय-व्ययक के समान्य चर्चा के समय हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय ऊदल जी हैं, इन्होंने कहा था कि बजट पर चर्चा चल रही है, और माननीय मंत्री जी, और इस विभाग के जो संबंधित अधिकारीगण, और सचिव हैं, वह उपस्थित नहीं हैं । तत्कालीन उपाध्यक्ष ने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने यह बात उठाई है, इस पर शासन का ध्यान दिलाते हुए कहा था कि संबंधित विभाग के मंत्री, सचिव और अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए । मान्यवर, यह निर्देश उन्होने उसी दिन के लिए नहीं दिये थे ।

मान्यवर, आपकी पीठ से जो भी निर्णय होते हैं उन्हें सरकारी परम्पराओं और नियमों के साथ माना गया है । मान्यवर, कल जब चर्चा चल रही थी तब एक ऐसा समय आया जब कैबिनेट स्तर के एक भी मंत्री वहां उपस्थित नहीं थे । माननीय यादव जी ने व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया था । तब कोई एक मंत्री उपस्थित नहीं थे, मुझे याद पड़ रहा है, समाज कल्याण मंत्री बुलाकर लाये गये । मान्यवर, बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय को सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है । मान्यवर, मैंने जैसे पहले बताया है कि अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन में इस बात का उल्लेख है कि जब कोई बजट पर आय-व्ययक पर चर्चा होती है तो उस समय संबंधित विभाग के अधिकारियों, मंत्री और सचिव को वहां उपस्थित रहना चाहिए । इसका एक उद्धरण और बताता हूं कि 79-80 के आय-व्ययक के चर्चा के संबंध में श्री विक्रमा राय ने कहा था कि विभागीय अधिकारियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए जिससे कि वह सदन में आये सुझावों को नोट करें । उस समय भी माननीय अधिष्ठाता महोदय ने निर्णय दिया था हालांकि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है फिर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे । मान्यवर, यह दो-तीन बातें महत्वपूर्ण हैं । मैंने ऊपर कह दी हैं मैं दोहराना नहीं चाहता । ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि स्वास्थ्य विभाग का बजट है, या कोई और बजट है तो उस पर चर्चा का उत्तर किसी अन्य-विभाग द्वारा दिया जाय जैसे मेरा स्वास्थ्य खराब हो और इलाज कुछ और हो ऐसा इसलिए हुआ है कि यह सरकार अपने दायित्वों के प्रति गम्भीर नहीं है, इसकी जो भी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा नहीं कर रही है । मान्यवर, यह विषयं गम्भीर है, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यह गम्भीर विषय है, इसलिए यह भी चाहता हूं कि आप स्पष्ट निर्देश सरकार को दें ताकि सरकार आगे कोई गलती न करें ।

श्री राम औतार शाक्य-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दीक्षित जी ने अभी पूर्व में अपने विचार व्यक्त किये, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सदन संविधान के अनुच्छेदों और इस सदन की कार्यवाही में समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार चलती है । आज जो कुछ कर रहे हैं, वह इतिहास बनेगा । ऐसा इतिहास, ऐसी गलत प्रथा पड़ जायेगी । यह भारतवर्ष में सबसे बड़ा सदन है । यहां के निर्णय अन्य जगह भी कोट किये जाते हैं । आगे आने वाली पीढ़ी शुद्ध संसदीय कार्यवाहियों पर थीसिस लिखेगी । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि नियमों और कानून का उल्लेख किया गया है । कल राजस्व मंत्री, आदरणीय द्विवेदी जी स्वास्थ्य विभाग का उत्तर भाषण दे रहे थे । इन्होंने एक बात कही कि मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता । जब राज्य मंत्री जी ने आंकड़े प्रस्तुत किये और एक मंत्री जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उत्तर भाषण दे रहे थे वह इस बात को कह रहे थे कि वह आंकड़ों में विश्वास नहीं करते । तो

सारे खर्च के आंकड़े जिन मदों में दिये गये उनका क्या होगा ? एक और गम्भीर बात यह है कि आपका ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया तो आज की जो रूलिंग बन जायेगी वह ऐतिहासिक होगी । जो बजट नियमों के अनुसार नहीं लाया गया, उसके अनुसार चर्चा नहीं हुई । इसके लिए यह अपेक्षित हो जाता है कि वह बजट दोबारा इस सदन में लाया जाय । यह औचित्य का प्रश्न बनता है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं अब तो मान्यवर, भगवान की कृपा से चलने के लिए उनके पास भी सवारी है और हमारे पास भी सवारी है । किसी समय हम दोनों एक ही रिक्शे पर चलते थे । जब यह उन्नाव या कानपुर जाते थे तो बस-अड्डे पर कई गाड़ियां खड़ी होती हैं तो यह तय नहीं कर पाते थे कि कौन सी गाड़ी में बैठूं कौन सी जल्दी जाएगी इतने में ही इनकी गाड़ी छूट जाती थी इसी तरह से मान्यवर, यह मामला कल उठाना चाहिए था, इन्होंने नहीं उठाया इनकी गाड़ी छूट गई और मामला लम्बित हो गया वैसे यह मामला महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष-

ऐसा न हो कि दोनों एक गाड़ी में सवार हो जाएं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

एक बिन्दु अनुदानों की मांगों पर इन्होंने उठाया कि नियमों के तहत नहीं रखा गया और कहा कि सदन में चर्चा का उत्तर भाषण विभागीय मंत्री ने नहीं दिया । तीसरी बात इन्होंने कही गैलरी में अधिकारी नहीं थे । तो पहला बिन्दु जो है इसके बारे में नियमावली के नियम-3 में देखें यह नियम 3 (ठ) है "मंत्री का तात्पर्य मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है, इसमें राज्य मंत्री उप मंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें "-इसलिए राज्य मंत्री, उप मंत्री कैबिनेट मंत्री किसी का भेद नहीं है । राज्य मंत्री ने बजट पेश किया यह संवैधानिक भूल नहीं हुई है । आपने रुलिंग दी उसको फिर से देख लें बजट की सामान्य चर्चा के बारे में है अनुदान की चर्चा के बारे में इसमें लिखा नहीं है । सामान्य प्रकार की चर्चा के बारे में है। यह माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये निर्णयों की पुस्तिका है इसके पृष्ठ-130 पर नियम-35 देखें -"मंत्री सदन में उपस्थित रहते हुए भी किसी दूसरे से अनुदान उपस्थित करा सकते हैं ।" तो यहां तो मंत्री उपस्थित नहीं थे । काम से अन्यत्र गए थे अगर उपस्थित होते तो भी राज्य मंत्री द्वारा या किसी और मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता था, यह संसदीय परिपाटी के अनुकूल है । दूसरा बिन्दु है कि दूसरे मंत्री ने उत्तर दिया तो इसमें भी संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन किया गया है । इसकी

जानकारी आपको दे दूं । तीसरा बिन्दु यह था कि सदन में मंत्री गण, उपस्थित नहीं थे, गैलरी में अधिकारी नहीं थे । सामान्यतः यह परिपाटी रही है कि माननीय सदस्य गैलरी में नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अधिकारियों को होना चाहिए । मैं भी आदरणीय सदन में था मैंने देखा था कि अधिकारी विराजमान थे । कैबिनेट मंत्री थे या नहीं, तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन में पृष्ठ-47 देखें इसमें लिखा है-"सदन में आय-व्ययक के किसी अनुदान पर चर्चा के समय संबंधित राज्य मंत्री के उपस्थित होने पर किसी कैबिनेट स्तर मंत्री की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है ।"

अब मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । नियमावली जो पढ़ी थी तो नियमावली के नियम 292 (3) की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं उसमें है:- कोई सदस्य जिन्होंने कोई मूल प्रस्ताव या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया गया हो या आय-व्ययक की मांगों के लिए किसी मद को कम करने या हटा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो उत्तर के रुप में पुनः भाषण कर सकेंगे । मान्यवर, यह मैनडेटरी है अगर होता कि करेंगे तो बाध्यता थी, लेकिन है कि कर सकेंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि यदि राज्य मंत्री जी ने बजट रखा है तो प्रक्रिया के अनुसार कोई दोष नहीं है और अविधिमान्य कोई कार्य नहीं हुआ है । हां एक बात को स्वीकार करने में मुझे हिचक नहीं है । अगर चर्चा के समय अधिक से अधिक मंत्री यहां बैठे हों तो अच्छा होगा क्योंकि चर्चा जब होती है तो उस विषय से प्रकारांतर अन्य बिन्दु भी उठ जाते हैं और उस समय यदि दूसरे मंत्री हों तो अच्छा रहता है । हमारे लिए सदन का कार्य सबसे प्राथमिकता पर है लेकिन यहां के कार्य के साथ हमारे ऊपर प्रशासनिक जिम्मेदारी है । अब मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं । यह मैं तय करूंगा कि कौन कार्य ज्यादा आवश्यक है । मान लीजिए मैं अपने विवेक से फैसला करता हूं कि मुझे बाहर जाना है तो वह कोई असंवैधानिक कार्य नहीं हुआ, आवश्यक कार्य होने पर हमें बाहर जाना पड़ता है । माननीय दीक्षित जी ने जो प्रश्न उठाये थे उनका उत्तर मैंने दे दिया है अब आपका निर्णय प्रतीक्षित है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो नियम 291 (3) को उद्धरित किया उसमें यह नहीं सुझाया गया है कि राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का स्तर क्या है। मेरे ख्याल से यह एक ऐतिहासिक घटना है जब विभागीय मंत्री ने न पेश करके राज्य मंत्री ने पेश किया है । मैं समझा था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसके बारे में बतायेंगे । मान्यवर, यह सदन परम्पराओं से चलता है, नियमों से चलता है और आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों से चलता है । जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर एवं महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, यह जो 1952 से लेकर 62 तक के लिए निर्णयों की संकलन की किताब है इसके पेज 34 पर देखने की कृपा करें ।

22 मार्च, 1960 को जब श्री राम स्वरुप यादव ने (गृह उप मंत्री) गृह मंत्री की ओर से अपने विभाग के अनुदान को प्रस्तुत किया तब श्री राज नारायण ने वैधानिक प्रश्न उठाया कि क्या मंत्री जी ने लिखित रुप से दूसरे के जरिये उस अनुदान को पेश करवाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर ली है । इस पर श्री अधिष्ठाता ने निम्न व्यवस्था दी.-

"यह आवश्यक नहीं है कि लिखकर दिया जाय जब वह बैठे हैं तो अनुमति दे सकते हैं ।..माननीय मंत्री जी को अधिकार है कि चाहे लिखकर दें या बैठे हुए दूसरे से पेश करवा सकते हैं ।"

तो मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले भी ऐसा यहां पर हुआ है । माननीय मंत्री जी को यह अधिकार है कि वह दूसरे से पेश करा सकते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से यह तय है कि विधान सभा में उनके प्रश्नों का कौन-कौन उत्तर देगा ? चूंकि इस विभाग का काम राज्य मंत्री जी देखते हैं इसलिए उन्होंने यहां रखा । मान्यवर, मैंने उनकी जिज्ञासा को शांत किया है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

बजट दूसरे ने पेश किया और कटौती के प्रस्ताव का जबाव दूसरे ने दिया है, प्रश्न यह है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय दीक्षित आपके तर्क आ गये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उन तर्कों का जवाब दिया अब मुझे निर्णय लेने दीजिए । आप दोनों का काम हो गया । मुझे भी कुछ कहने दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि क्या इस आदरणीय सदन में ऐसा कोई उदाहरण मौजूद है कि एक मंत्री ने प्रस्ताव किया हो और जब पक्ष-विपक्ष यानी इधर के और उधर के माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर लिये हों, उसके बाद दूसरे विभाग के मंत्री ने उत्तर दिया हो ? ऐसा उदाहरण मौजूद हो तो बता दें ? इसको ध्यान में रखकर व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष

आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि भावनाओं का सम्मान करेंगे । दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद मैं अपना निर्णय दे रहा हूं । माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित एवं माननीय श्री राम औतार शाक्य, सदस्य गण, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत जो

औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है उसमें उन्होंने निम्नलिखित बिन्दु उठाए हैं- दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को : (क) स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांगे कैबिनेट मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं की गयी । राज्य मंत्री को नीतिगत घोषणाएं करने का अधिकार नहीं होता और वे कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते, (2) स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांगों पर सदन में हुयी चर्चा का उत्तर भाषण विभागीय मंत्री ने नहीं दिया । इस प्रकार विभाग के संबंध में उठे बिन्दु उत्तर भाषण में नहीं आ पाये । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने अध्यक्ष पीठ से दिनांक 7 एवं 9 मई, 1979 को दिये गये निर्णय का उल्लेख करते हुए यह आपत्ति की है कि स्वास्थ्य विभाग की मांगो पर चर्चा एवं मतदान के समय सदन में अधिकांश मंत्री एवं पदाधिकारी दीर्घा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं थे । उक्त तिथि को एक समय ऐसा भी आया था जब सदन में एक भी मंत्री उपस्थित नहीं था । मैंने औचित्य के प्रश्न की ग्राह्यता पर उक्त दोनों माननीय सदस्यों एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुना । औचित्य के प्रश्न में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में मेरी व्यवस्था निम्न प्रकार है 55 (1) प्रक्रिया नियमावली के नियम 3 (1) (ठ) के अनुसार "मंत्री" का तात्पर्य मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है । इसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिति हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अंतर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया नियमावली के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अनुदानों की मांगे कैबिनेट स्तर के हैं मंत्री द्वारा ही सदन में प्रस्तुत की जाय । जहां तक नीतिगत घोषणाओं और कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का प्रश्न है यह सदन की कार्यवाही के संचालन से संबंधित नहीं है । (2) दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगे सदन में राज्य मंत्री डा0 अमर सिंह ने प्रस्तुत की थी । प्रक्रिया नियमावली के नियम 292 के उप नियम (3) के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की मांगों पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य के भाषण के उपरान्त संबंधित विभाग के मंत्री को भाषण देने का अधिकार था और उनको उत्तर भाषण देना चाहिए था । इस प्रसंग में मैं 13 मार्च, 1956 को अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें यह स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि पहले माननीय मंत्री जी भाषण करेंगे । उसके बाद कटौती के प्रस्तावक और फिर माननीय मंत्री जी को बोलने का मौका मिलेगा । इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष को यह सूचित भी कर दिया था कि उत्तर भाषण उनकी ओर से माननीय राजस्व मंत्री देंगे । माननीय अध्यक्ष ने इसकी अनुमति दे दी थी । जहां तक अन्य बिन्दुओं का प्रश्न है, वे प्रश्नगत मामले में लागू नहीं होते । दिनांक 7 एवं 9 मई, 1979 को अध्यक्ष पीठ से दी गयी व्यवस्था आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के संबंध में है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, इसको आपने स्वीकार किया या अस्वीकार किया, यह आपने नहीं बताया ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैंने व्यवस्था दे दी है, व्यवस्था के बाद अब इसे आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता है । अब आप कृपया बैठ जायं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने भी नियमावली पढ़ी है, आपने इसको नियम 300 में ग्राह्य किया है या अग्राह्य किया है ?

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप कृपया बैठें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैंने नियम 300 में आपको नोटिस दिया था, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उसे ग्राह्य किया है या अग्राह्य किया है ?

श्री उपाध्यक्ष-

जो आपने सूचना दी थी, उस पर मैंने अपना निर्णय दे दिया है, अब आगे कोई औचित्य नहीं है कि आप इसको और आगे बढ़ायें । ऐसा लगता है कि औचित्य के नाम पर आप अनौचित्य जोड़ रहे हैं ।

(श्री राम औतार शाक्य सदन के वेल में आ गये ।)

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष-

उसको स्वीकार नहीं किया गया । मैंने अपना निर्णय दे दिया । मैं इस पर और आगे कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया आप अपने स्थान पर जायं ।

(घोर व्यवधान)

माननीय शाक्य जी, आप अपने स्थान पर जायं ।

(श्री राम औतार शाक्य अपने स्थान पर चले गये ।)

(घोर व्यवधान)

जो सूचना आपने नियम 300 के अन्तर्गत दी थी, उस सूचना पर निर्णय देते हुए, उसको अग्राह्य कर दिया गया । अब जब उस पर व्यवस्था हो गयी है, तो अब यह उचित नहीं प्रतीत होता है कि आप इसको और आगे बढ़ाये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, आप नियम 300 का खण्ड 3 देखें, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि "उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य का प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य का प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अंतिम होगा" आपने अपनी व्यवस्था तो दे दी है परन्तु यह नहीं बताया है कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष-

बता दिया है कि इसको नियम 300 के अन्तर्गत अग्राह्य कर दिया गया है।

श्री नरेश अग्रवाल-

( × × × )

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

( × × × )

श्री उपाध्यक्ष

दीक्षित जी और अन्य माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, उनकी बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(× × × )

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने जो व्यवस्था दी है, उसमें स्पष्ट कर दिया है इसकी माननीय अध्यक्ष ने अनुमति दे दी थी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

सरकार यह कह दें कि आगे गलती नहीं होगी । मैंने आपके साथ बैठकर सीखा है ।

श्री उपाध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जो भावना व्यक्त की गयी है उसका सम्मान करेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने आपकी व्यवस्था को मान लिया, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट संकल्प आना चाहिए कि ऐसी गलती नहीं करेंगे ।

---

(× × × ) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

आप सरकार को निर्देश दें दे कि आगे से देखें । आपने कोई न तो निर्देश दिया है और न कोई सुझाव दिया है कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे ।मान्यवर, भविष्य में यह सरकार कोई गलती नहीं करेगी, इस प्रकार का कोई संकल्प या आश्वासन दें, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, यह बड़ा गम्भीर मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, या तो सरकार की तरफ से इस तरह का कोई उदाहरण मिल जाता ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने 300 के उप नियम 2 को दृष्टिगत रखते हुए इसे अग्राह्य कर दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, नियम 300 के उप नियम 2 को देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं जो माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेगें वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल-

( × × × )

(सर्वश्री नरेश अग्रवाल, श्री हृदय नारायण दीक्षित, बाबू राम यादव, राम औतार शाक्य के एक साथ बोलते रहने से व्यवधान बना रहा )

श्री उपाध्यक्ष

कुछ भी नहीं लिखा जायेगा ।

**उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (षष्टम संशोधन) नियमावली, 1989 †**

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या 3 ले रहा हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2034 टी/30-4-11-पी/79, दिनांक 30 जून, 1989 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 1989 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1989 को सभा के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर

---

नोट:- (× × × ) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

† छापी नहीं गयी ।

रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि दिनांक 30 सितम्बर, 1989 को विधान सभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाने एवं तदोपरान्त दिनांक 29 नवम्बर, 1989 को नवम् विधान का विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 की धारा 32 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या 4 में कुछ नहीं है,

**उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 66 वां प्रतिवेदन +**

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या 5, सभापति आश्वासन समिति

* श्री सोमांश प्रकाश-

मान्यवर, मैं समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 66 वां प्रतिवेदन जो शिक्षा विभाग के वर्ष 1977 से वर्ष 1987 तक के कुल 491 लम्बित आश्वासनों से संबंधित है, को आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं।

**उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 67वां प्रतिवेदन +**

श्री सोमांश प्रकाश-

मान्यवर, मैं समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 67 वां प्रतिवेदन जो ग्राम्य विकास विभाग के वर्ष 1979 से वर्ष 1989 तक तथा लोक निर्माण विभाग के वर्ष 1978 से वर्ष 1990 तक के कुल 386 लम्बित आश्वासनों से संबंधित है, को आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह सरकार इस विधान सभा के प्रति गम्भीर नहीं है, अपने दृष्टिकोण के प्रति गम्भीर नहीं है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है, 8 में कुछ नहीं है और मद संख्या 9 में कुछ नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

+ छापी नहीं गयी।

## विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मेरी एक विशेषाधिकार की सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष-

परीक्षण कराया जा रहा है।

## नियम 311 की सूचना को नियम 56 में परिवर्तित कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)

आज दिनांक 24-4-92 को नियम-311 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर 10 सूचनायें चयनित की गयीं।

पहली सूचना श्री विजयपाल सिंह तोमर, श्री सोमांश प्रकाश तथा श्री स्वामीनाथ यादव जी की जनपद मेरठ में सर्वहितकारी इण्टर कालेज के छात्रों पर पुलिस द्वारा फायरिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(श्री विजयपाल सिंह तोमर का नाम पुकारा गया)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, नाम पढ़ दें तो पता लग जाय कि कौन-कौन सी ग्राह्यता पर सुनेंगे?

श्री उपाध्यक्ष-

जो शलाका पर नहीं आयी हैं और चयनित नहीं हुई हैं, उनके नाम हैं श्री महेन्द्र सिंह भाटी एवं श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री हृदय नारायण एवं श्री शिव कुमार बेरिया, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री अब्दुलसलाम, श्री जाहिद हुसैन एवं श्री रिजवानुलहक तथा श्री विजयपाल सिंह तोमर, श्री हरिवंश सहाय, श्री तो मुकीम, श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं श्री विशम्भर प्रसाद, श्री नरेश अग्रवाल एवं श्री सुरेन्द्र नाथ तथा श्री प्रमोद तिवारी।

* श्री विजयपाल सिंह तोमर-

मान्यवर, जब से यह वर्तमान सरकार आई है, प्रदेश में छात्रों का उत्पीड़न जारी है, इस सम्बन्ध में चर्चा भी हुई परसपुर (गोण्डा) छात्रों पर गोलियां चलायी गयीं, हापुड़ में छात्राओं पर गोलियां चलायी गयीं। मेरठ में दोनों को रासुका में निरुद्ध किया गया उसी क्रम में कल जब बोर्ड की परीक्षायें हो रही थीं, सर्वहितकारी इण्टर कालेज, किशनपुर थाना श्रवनपुर जिवा, मेरठ वहां पर 3 छात्रों और 2 छात्राओं को नकल के मिथ्या आरोप में पकड़ा गया है। वहां पर मैजिस्ट्रेट का घेराव हुआ, वहां की पलिस बिना लाठी चार्ज अथवा पलिस ने बिना चेतावनी और आसं गैस के गोले

छोड़े ही फायरिंग शुरू कर दी। वहां की नकल के आरोप में पहले भी छात्र पकड़े गये हैं, कभी गोलीकाण्ड की नौबत नहीं आयी। वास्तविकता यह है कि उस थाने की स्थानीय पुलिस पैसा लेकर नकल कराने के लिये दबाव डालती है, जब अभिभावकों ने मना कर दिया, तो छात्रों को उत्पीड़ित किया गया। छात्राओं के साथ तालाशी के नाम पर दुव्यर्वहार किया गया। जब छात्रों ने विरोध किया तो फायरिंग शुरू कर दी गयी। कई हजार छात्रों पर फायरिंग हुई है, काफी छात्र घायल हुए हैं। मेरठ में लगी हुई थाना आन्दोलन की चिन्गारी तथा यह सरकार छात्र आन्दोलन की आग में झुलसे बिना नहीं रह सकती पूरे प्रदेश मे फैल जायगी। छात्रों का आन्दोलन पहले भी चला है। मेरठ जनपद में पुलिस अपराधियों को तो पकड़ने में नाकामयाब है। मेरे क्षेत्र के ददरौला कस्बे के क्षेत्र में दो अपहरण हुए, पुलिस पकड़ नहीं सकी है। वह निर्दोष छात्रों पर फायरिंग करके उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, वहां निर्दोष छात्रों पर फायरिंग करके उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है छात्र एन0एस0ए0 में जेल में पड़े हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि इस काण्ड की न्यायिक जांच के आदेश दें नहीं तो छात्रों का आन्दोलन पूरे प्रदेश में फैल जायेगा। इसके साथ ही इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

## सदन में कोरम के अभाव की सूचना

श्री पवन कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, सदन में कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-

कोरम की घण्टी बजायी जाय।

( 2 बजकर 20 मिनट पर कोरम की घंटी बजायी गयी तथा 2 बजकर 22 मिनट पर कोरम पुरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

## नियम 311 की सूचना को नियम 56 में परिवर्तित करते हुए कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री सोमांश प्रकाश-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर गम्भीरता से सुनने का कष्ट करें वह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के समक्ष अध्यक्ष जी के कक्ष में भी बात आयी थी। यहां भी जो घटना हुई है वह दुखद घटना है। तीन लड़के दो लड़कियां थी, नकल का जो आपने कानून बनाया, नकल नहीं होनी चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका हामी हूं, लेकिन उस वक्त भी एक संदेह था कि इस कानून के अंतर्गत जो पुलिस को तमाम अधिकार सौंप दिये हैं तो इसमें यह निरंकुश होते चले जा रही है। घटना में यह बात आयी थी कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरठ में तीन लड़कियों को पुलिस ले जाने लगी । वहां जो अभिभावक और अन्य लोग थे उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ नहीं जाने देंगे । वह लड़कियां कहने लगीं कि हमारा कोई दोष नहीं है, हमने नकल नहीं की है । लेकिन पुलिस वाले जब उन्हें ले जाने लगे तो लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कि अगर लेडी पुलिस होगी तभी लड़कियों को भेजा जायेगा । मान्यवर, जब वे उन लड़कियों को ले जाने लगे तो वहां तमाम लोगों ने एस0डी0एम0 को घेर लिया, पुलिस वालों को घेर लिया । पुलिस वालों ने न तो कोई चेतावनी दी, न आसूं गैस छोड़ी न लाठी चार्ज किया, एकदम से फायरिंग की बात शुरू कर दी यह बहुत ही बर्बरता की बात है ।

मान्यवर, यह जो कानून बना है, जो इसके पीछे भावना है, नकल को रोकने की, लेकिन इसमें पुलिस वाले सब गड़बड़ी किये जा रहे हैं और इससे दुर्भावना फैलती जा रही है । मेरा कहना यह है कि इसमें न्यायिक जांच करायें । आपके अधिकारियों की ओर से तो लीपापोती भरा उत्तर आ जायेगा । लेकिन आप यह महसूस करें कि जो हम लोग कह रहे हैं केवल राजनीतिक आधार पर नहीं कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं, आप इसकी न्यायिक जांच करा लें । लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए क्योंकि यह उनके जीवन का प्रश्न है अगर इस तरीके से लड़कियां पुलिस के साथ जायेंगी तो उनका भविष्य क्या होगा । मेरा सुझाव है, जहां तक लड़कियों की बात है, वहां आपके पास जो लेडी पुलिस है तो ऐसी बातों में लेडी पुलिस होनी चाहिए । मैं इस बात पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि आप इसमें किसी तरह से न्यायिक जांच करा लें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, जो मेरठ में हुआ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भूलना नहीं चाहिए कि देश की लड़ाई मेरठ की छावनी स हुई थी, नकल संज्ञेय अपराध की लड़ाई भी इधर से शुरू हो गयी है ।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष-

कोरम पूरा है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मेरठ जनपद में सर्वहारी इण्टर कालेज, थाना भवन में जो कुछ हुआ वह वास्तविक रूप से केवल सरकार के लिए नहीं वरन सम्पूर्ण भारत के लिए वह इस प्रदेश के लिए कलंक की बात है । मान्यवर, केवल यही बात नहीं थी कि लड़कियों की चेकिंग की गयी । आप महसूस करेंगे कि पुलिस किसी भी तरीके से छात्राओं को पकड़ने की कोशिश करेगी तो कोई भी सम्मानित व्यक्ति उसे बर्दाश्त

नहीं कर सकता । जो भी घटना हुई है, पुलिस को इतनी छूट दी गयी है, कि पुलिस इतनी निरंकुश हो गयी है, इसमें यह देखना पड़ेगा कि संज्ञेय अपराध की कोई सीमा है या नहीं । मान्यवर, इमरजेंसी में भी पुलिस की यही हालत थी । डी0आई0आर0 और मीसा0 की उन्हें कोई सीमा नहीं पता थी । यह संज्ञेय अपराध सीमा से बाहर होता चला जा रहा है । लड़कियों की चेकिंग पुलिस ने की, जबकि उसे महिला पुलिस को करना चाहिए था । उसके बाद उन लोगों को थाने ले जाने का काम पुलिस को नहीं करना चाहिए था । उनके तमाम कपड़ों को पुलिस को हाथ नहीं लगाना चाहिए था । जिस तरीके से उनको कमरे से बाहर ले जाया गया, जीप में बैठाने की कोशिश की गयी वहां यह घटना वीभत्स रूप में खड़ी हो गयी । मान्यवर, यह समस्या बड़ी गम्भीर हो गयी है । मेरठ से चलकर यह पूरे पूर्वांचल में पहुंच जायेगी । संसदीय कार्य मंत्री जी इस संज्ञेय अपराध की सीमा को बांधिये । पुलिस को उच्छृंखल मत बनाइये नहीं तो पुलिस की व्यवस्था लुंजपुंज हो जायेगी । यह जो लड़कियों के साथ घटना हुई है आप इसकी न्यायिक जांच करायें । मान्यवर, जिस तरीके से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन चुनौती देकर कहा था कि अगर इस तरह का कोई प्रकरण आयेगा तो न्यायिक जांच करा लेंगे । मान्यवर, यह नियम-56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन का प्रस्ताव बनता है । इसलिए सम्पूर्ण कार्यों को रोककर सदन में चर्चा करायी जाय ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, जिस समस्या की ओर माननीय सोमांश प्रकाश व अन्य माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट किया है उसमें जो घटनाक्रम है वह तो करीब-करीब सही है । यह बात सही है कि दिनांक 23-4-92 को एस0डी0एम0 सरदना जांच करने गये कालेज में । जांच में उन्होंने तीन लड़के और दो लड़कियों को उन्होंने नकल करते पकड़ा, उनको बाहर ले आये यह काम पुलिस ने नहीं एस0डी0एम0 ने किया । अब एस0डी0एम0 और पुलिस में थोडा भेद तो करना ही पड़ेगा । जब उसकी पाली खत्म हो गयी तो जो लड़के छूटे उन्होंने इन पांचों को छुड़वा लिया । छुड़ाने में वहां पर ईंटें चलीं, हमले हुए, दो चार पुलिस कर्मी घायल हुए, कालेज के कर्मी घायल हुए, परगनाधिकारी सरदना की जीप जल गयी, दौड़ भाग की गयी तो एक लड़का पकड़ लिया गया तो यह स्थिति बनी । जो माननीय सोमांश प्रकाश जी ने मामला उठाया है हम उनकी भावनाओं को आदर करते हैं । उनहोंने कहा कि नकल रुके इसका उन्होंने समर्थन किया ।

अब नकल की चेकिंग कौन करेंगे, अध्यापक करेंगे ? मजिस्ट्रेट को अधिकार दिये हैं, पुलिस का इसमें इन्वाल्वमेंट होता नहीं है, पुलिस का सिपाही गया होता तो हम आपके तथ्य को मान लेते । वहां गुत्थमगुत्था आदि हुई । अब जो न्यायिक

जांच का सवाल इसके अंदर है, न्यायिक जांच किस बात की होगी, नकल करते मजिस्ट्रेट ने पकड़ा ? उनको बाहर लेकर आया गया, तो वहां अभिभावक जरूर होंगे तो उन अभिभावक और छात्रों ने मिलकर उन लोगों को छुड़वा लिया । अब एक तथ्य है जिसकी जांच होने की जरूरत है । वह यह थी कि महिला पुलिस वहां थी या नहीं, मैं सहमत हूं कि महिला पुलिस होनी चाहिए । एक चूक हो सकती है कि एस0डी0एम0 ने शायद यह सोच लिया कि जो सेन्टर है वहां लड़के होंगे । अगर जानकारी थी कि लड़कियां भी होंगी, तो वहां महिला पुलिस साथ होनी चाहिए थी तो इन बिन्दुओं की जांच करा लेंगे । इसको गम्भीरता से लिया है, महिला पुलिस क्यों नहीं ली इस दूरदर्शिता की बात अधिकारियों ने क्यों नहीं की तो इसके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जायेगी । नकल की गयी, कानूनी काम किया गया है, अब लोगों ने कानून अपने हाथ में लेकर लड़के लड़कियों को छुड़वा लिया अब पुलिस क्या करती ? न्यायिक जांच का कोई औचित्य नहीं है, अब उसमें जज मांगे, डब्लू0एस0 दाखिल हों और इसूस बने तो इसमें चार साल का काम हो गया, इसलिए इतना दबाव न डालें जितनी बात सही है कि महिला पुलिस थी कि नहीं इस बात की जांच करा ली जायेगी ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

इससे पहले भी वहां पर नकल करते छात्र पकड़े गये तो आग लगने आदि की नौबत क्यों नहीं आयी ? जो फायरिंग की बात हुई, उस फायरिंग से पहले पुलिस और भी उपाय इस्तेमाल कर सकती थी, चेतावनी देते, आसूं गैस छोड़ते लाठी चार्ज करते लेकिन वह नहीं हुआ । एक मेरा स्पष्ट आरोप है कि नकल करते हुए लड़कियां बिल्कुल नहीं पकड़ी गयीं, नकल सामग्री के इन पर प्लान किया गया है । लड़कियों को इन्सल्ट करने का प्रयास किया गया है जिससे वहां छात्रों में उत्तेजना हुई । माननीय मंत्री जी का उत्तर बिल्कुल ठीक नहीं है । इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए । इस मामले की जांच होनी चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, वहां कोई छात्र या छात्रा घायल नहीं है, न वहां कोई उत्तेजना है सामान्य तरीके से परीक्षायें हो रही हैं और किसी जांच की आवश्यकता नहीं है । इस बिन्दु पर अवश्य जांच के लिए मैंने कहा है कि महिला पुलिस ने वहां तलाशी ली थी कि नहीं ? अगर लड़कियों की तलाशी ली गयी, तो पुरुष कान्स्टेबिल ने क्यों ली ?

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

मान्यवर, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं । इसलिए मैं वाकआउट करता हूं ।

(श्री विजय पाल सिंह तोमर सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष-

इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में अग्राह्य किया गया । अगली सूचना श्री श्याम लाल की रावत की है ।

श्री महक सिंह-

मान्यवर, मैं भी वाकआउट करता हूं ।

(श्री महक सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री श्याम लाल रावत-

मान्यवर, सीतापुर में एक बहुत ही पुरानी प्लाई बनाने की फैक्टरी चल रही है । इधर काफी अरसे से वहां की कर्मचारी यूनियन का संघर्ष चल रहा है, वहां के मालिकों से । करीब ढाई तीन हजार कर्मचारी वहां कार्यरत हैं । करीब तीन महीने से उनको वेतन नहीं मिला है । इतना ही नहीं, उनकी जो आवासीय कालोनी है, उस कालोनी में पानी और विद्युत के कनेक्शन काट दिये गये हैं, इससे वहां पर पीने के पानी की गंभीर परेशानी पैदा हो गयी है तथा विद्युत कनेक्शन काट दिये जाने से रात में अंधेरा रहता है और चोरी डकैती की गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है । मान्यवर, यह प्लाईवुड फैक्टरी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में आती हैं, और जो तक मुझे जानकारी है, आप वहां की यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं, और आज भी संभवतः अध्यक्ष हैं । तीन-तीन महीने तक कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उनके परिवार के सामने भुखमरी की स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा परिवार के जो बीमार लोग हैं, उनके दवा-पानी में भी कठिनाई आ रही है । कुल मिलाकर वह लोग बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं । जहां तक जानकारी मिली है, उसके अनुसार इसके पुराने मालिक थामसन साहब थे, उन्होंने इसे बाम्बे के किसी साहब को बेच दिया, अब वह साहब भी इसे किसी और को बेच देना चाहते हैं, इसीलिए वहां पर व्यवस्था, अव्यवस्था में परिवर्तित हो गयी है । मेरा आपसे निवेदन है कि वहां के कर्मचारियों को वेतन दिलाने के संबंध में तथा उनकी आवासीय कालोनी में पानी के कनेक्शन, विद्युत के कनेक्शन, जो काट दिये गये हैं, को जुड़वाया जाय । यह ढाई-तीन हजार कर्मचारियों और उनके परिवारों के सामने बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गयी है, इसलिए यह लोक महत्व का निश्चित रूप से मामला है और आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस पर चर्चा कराकर इंगित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय श्याम लाल जी ने बड़े ही महत्वपूर्ण मामले की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है । यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है और मैं स्वयं भी इस मामले में पूरी रुचि रखता हूं । वस्तु स्थिति यह है कि फैक्टरी पर करीब-करीब ढ तीन करोड़ रुपया सरकार का, संस्थागत वित्त का, बैंक का और पिकअप का बकाया है होली के पहले वह फैक्ट्री बंद कर दी गई परन्तु मजदूर संगठित रहे । सरकार ने मजदूरों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान दिया । उसका परिणाम यह हुआ कि मजदूरों का पूरा वेतन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिलवाने के लिए सरकार ने रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिये हैं । शायद माननीय सदस्य के पास पूरी जानकारी नहीं है । दो महीने का वेतन होली के पहले और बाद का दिया जा चुका है । डेढ़ महीने का बकाया रह गया है अब बिजली क्यों काटी गयी पांच लाख रुपये बिजली का बकाया था । सरकार का यह भी काम है कि बकाये की वह वसूली करे । जहां तक मेरी जानकारी है कि बिजली का कनेक्शन कल लग गया है । करीब डेढ़ लाख रुपये उन्होंने जमा कर दिया है, शेष पैसे की किश्त कर दी गई है । हम तो चाहते हैं कि फैक्ट्री चले और मजदूरों को काम मिले । हम चाहते हैं कि मजदूरों की तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसकी ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए और उसका प्रोविडेन्ट फण्ड मिलना चाहिए । कर्मचारियों के एकएक पैसे के देय के लिए रिकवरी सार्टीफिकेट जारी किया जा रहा है । मालिकों पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है । एक प्रश्न यह भी आया कि कालोनी की बिजली काट दी गई । अगर मान्यवर, हम कालोनी में बिजली को जुड़वा देते तो वह नियम विरुद्ध काम होता । जिसकी वजह से कर्मचारियों और मजदूरों को कुछ कष्ट उठाना पड़ा । जहां तक पानी की आपूर्ति का सवाल है, वह जारी कर दी गई थी और आज तथा कल में फैक्ट्री भी चालू हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष

इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है ।

(श्री अखिलेश सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थिति नहीं थे । )

(श्री पूरन प्रकाश जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे । )

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी वेदना सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वैसे तो मैं व्यक्तिगत हित व व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा के लिए इस आदरणीय सदन में कोई प्रश्न नहीं उठाता । लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विपक्ष के विधायकों पर व विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर कत्ले आम शुरु हो गया है। इसी आदरणीय सदन में अपने भाई की हत्या के सिलसिले में एक आदरणीय सदस्य श्री त्यागी जी को रोते हुए देखा गया है । इसके पूर्व एक विधायक का कत्ल कर दिया गया । श्रीमन् मुझे अपने जीवन का भारी खतरा है । जिस दिन मेरे चुनाव की घोषणा हुई थी, उसी दिन काउन्टिंग के समय मेरे विपक्षी ने मुझे जाने से मारने की धमकी दी और कहा कि मैं किसी भी कीमत पर इन्हें कार्यकाल पूरे नहीं करने दूंगा । मेरे विरुत्र में विपक्ष के जो उम्मीदवार थे, वह भारतीय जनता पार्टी के थे और उनका नाम शिवराज सिंह है । उसके खिलाफ 32 अपराधिक मुकदमें कायम हैं और वह सजायाफ्ता है । उसका भाई उपदेश उर्फ खलीफ के खिलाफ 40 मुकदमें कायम हैं और वह भी सजायाफ्ता है । वह भी बी0जे0पी0 के समर्थन से महमूदाबाद

से चुनाव लड़ा था । उसके तीसरे भाई के खिलाफ 19 अपराधिक मुकदमें हैं और चौथे भाई के खिलाफ 13 मुकदमें हैं और उसके पांचवें भाई के खिलाफ 25 मुकदमें कायम हैं तथा उसके ससुर के खिलाफ 25 अपराधिक मुकदमें कायम हैं । इस तरह से हमारे विपक्ष में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ा, उसका एक लम्बा अपराधिक इतिहास है । यह मेरी जिन्दगी का सवाल है । न्याय हेतु इस आदरणीय सदन में बात रख रहा हूं । आज मुझे जीवन का खतरा है । पहले मेरी सुरक्षा के लिए मेरे निवास पर दो सिपाही लगाये गये थे, परन्तु अब उनको भी हटा दिया गया है । अब मेरे पास एक गनर है, जो कि मेरी सुरक्षा के लिए अपर्याप्त है ।

मैं अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने विधान सभा क्षेत्र नहीं जा पा रहा हूं । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं मेरे जीवन की रक्षा करें । मेरे परिवारजनों की रक्षा करें ।

हमारी पार्टी के श्री तोता राम यादव जो भूमि विकास बैंक के चुने हुए अध्यक्ष रहे हैं उनके जीवन को भी खतरा है ।

श्री उपाध्यक्ष

अब आप समाप्त करें ।

राम औतार शाक्य-

कांग्रेस शासनकाल में उनको गनर उपलब्ध कराया गया था उनका गनर भी छीन लिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं (व्यवधान) लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य-

इस तरह से मौत हो जायेगी और इस सदन में एक क्रम बन जायेगा । हम अपनी बात यहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं (व्यवधान) में आपकी बात आ गयी ।

श्री राम औतार शाक्य-

अपनी जिंदगी के संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं कर पायेंगे तो फिर कहां कहेंगे, कौन सुनेगा हमारी वेदना को ? मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय पीठ से सुना जायेगा, हमें पीठ पर पूरा भरोसा है । हमारी जिंदगी की रक्षा का निर्देश सरकार को दिया जायेगा ।

हमारे यहां तिलक सिंह यादव, शिया खुर्दा थाना करी को कांग्रेस शासनकाल में गनर और शैडो दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसे हटा लिया गया । इसी तरह से तोता राम यादव को गनर और शैडो दियागया था उसे भी इस

भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हटा लिया गया । लेकिन इनके दसियों कार्यकर्ताओं को गनर और शैडो प्रदान कर दिये गये हैं । समाजवादी जनता पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को शैडो नहीं दिये गये हैं । जिनको पूर्व शासन काल में दिये गये थे उनको हटा दिया गया है । तो यह एक खतरनाक मोड़ है मैं आपके माध्यम से अपनी वेदना सदन में रखना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठें ।

श्री राम औतार शाक्य-

मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं । इस पीठ के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमेरे जीवन की और समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें ।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय उपाध्यक्ष जी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री बाबूराम यादव-

माननीय उपाध्यक्ष जी हमें आप नियमों का रास्ता दिखा देते हैं ।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय बाबूराम जी माननीय शाक्य जी की बात बहुत पहले आ गयी, पूरी बात उनकी आ गयी । उनको अपनी बात का जबाव भी सुनना चाहिये । बिना अनुमति के वह बोलते गये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उनकी बात का जबाब देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, क्या कोई नोटिस इस संबंध में दिया है मेरे पास जानकारी नहीं है । जिस बात की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया मैंने उनकी वेदना सुनी मुझे उनकी बात से जानकारी मिली इससे पहले कदाचित कोई नोटिस भी नहीं था इसलिये पूरा उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं जो बाते उन्होंने कही है उसको दिखवा लेंगे हो सकता है कि शासन स्तर पर गया हो मान्यवर, बाकी भगवान रक्षा करता है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

अस्वीकार हैं। अन्य सूचनायें माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डेय, माननीय विजय सिंह राणा इन्हीं के साथ माननीय स्वामी नाथ यादव, इम्तियाज अहमद खां, माननीय ऊदल तथा अगली सूचना श्री बाबूराम यादव, श्री राम औतार शाक्य, रामेश्वर दयाल बाल्मीकी एवं श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र सिंह की हैं । इनकी सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और अन्य सूचनायें शलाका में चयनित नहीं की गयी अस्वीकार की जाती हैं ।

**सदन में अनुपस्थित सदस्यों की सूचनाओं के संबंध में श्री उपाध्यक्ष का निर्देश**

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

(व्यवधान)

*श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मेरा नाम लिया था मैंने नियम 56में मथुरा जनपद के फरह एवं गोवर्धन विकास खण्डों में पेयजल की समस्या के बारे में दिया था। वहां पर पेयजल की भीषण समस्या पैदा हो गयी है जितनी जल निगम की टंकियों के साथ गांव अटैच हैं उसमें पानी नहीं मिल रहा है स्थिति बहुत गम्भीर है ।

(व्यवधान)

आप मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

जिस समय आपका नाम लिया गया था, उस समय आप सदन में अनुपस्थित थे इसलिये मैं इसके लिये अब अनुमति नहीं दे रहा हूं ।आप क्षमा करें और बैठें ।

श्री पूरन प्रकाश-

यह मेरा निवेदन है और मुझे आप थोड़ा बोलने का समय दे। हमारे यहां मथुरा में पेयजल की समस्या बड़ी गम्भीर है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता हूं और जितने भी माननीय सदस्य उस समय अनुपस्थित थे उनकी भी मैं सूचना नहीं ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, आज प्रश्न काल से पहले जैसे ही अध्यक्ष जी सदन में पधारे, मैंने उनको अपनी सूचना नियम 301 में दी थी उसके बारे में अध्यक्ष जी से आग्रह किया था तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद हम आप को सुनेंगे। उन्होंने यह आश्वासन दिया था तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे इस गम्भीर घटना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये अनुमति प्रदान करें ताकि हम अपनी बात आपके सामने कह सकें ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी सूचना की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है ।

श्री बाबूराम यादव-

नहीं उन्होंने कहा था मैं इसे सुनूंगा । जब मैंने उनसे अनुरोध किया था ।

श्री उपाध्यक्ष-

चूंकि आपने कहा है कि अध्यक्ष जी ने आपको समय दिया था इसलिये आप बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कह दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बाबूराम यादव-

पिछले 23 तारीख को हमारे यहां जनपद मैनपुरी की पुलिस ने निरंकुशता का परिचय दिया । जब वहां के जसवीर सिंह निवासी आये थाना धिरौर अपने अन्य साथियों के साथ अपने भाई भूलेन्द्र सिंह उर्फ भूले को अदालत में हाजिर कराने के लिये ले जा रहे थे तो दिन को साढ़े दस बजे थाना धिरौर की पुलिस जसवीर सिंह के भाई भूले को मैनपुरी रेलवे स्टेशन के पास से उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी जीप में डाल कर ले गयी और 30 किलोमीटर दूर ले जाकर पुलिस ने डेढ़ बजे उसे गोली मार दिया और इसे फर्जी मुठभेड़ दिखा दिया । पुलिस ने कहा कि वह अपराधी था और उसको पकड़ने में मुठभेड़ हुई और उसी मुठभेड़ के दौरान वह मारा गया। उनके भाई ने उसको गिरफ्तारी के बाद कचहरी मैनपुरी को तार दिया था कि हमारे भाई को पुलिस पकड़ ले गयी है, हमें डर है कि वह उसे किसी झूठे अपराध में न फसां दें ।

हम लोग भी उसी दिन जब पुलिस के लोगों से और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिले थे तो उन्होंने बताया कि वह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया । जबकि मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन के सामने के दुकानदार कह रहे हैं कि भूले को यहां से पुलिस वाले पकड़ कर ले गये थे। आप मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी की बात कहेंगे ऐसी कोई मुठभेड़ नहीं होती जिसकी मजिस्ट्रयल जांच नहीं होती जिसमें वही वर्जन न आता हो जो पुलिस का होता है जो दरोगा का बयान होता है उसी पर जांच रिपोर्ट लिख दी जाती है। उस पर भी कई अपराधिक मुकदमें हो सकते हैं किन्तु साढ़े दस बजे पकड़ा और डेढ़ बजे 30 कि0मी0 दूर ले जाकर गोली मार दी । उसकी विधवा ने रिपोर्ट लिखाने के लिये प्रार्थना की लेकिन वह नहीं लिखी गयी । मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर और लोक महत्व के प्रश्न पर आपका संरक्षण चाहूंगा और संसदीय कार्य मंत्री से भी संरक्षण चाहूंगा कि इस मामले में तुरन्त रिपोर्ट दर्ज करा ली जाये रिपोर्ट दर्ज करके सी0आई0डी0 से जांच करा ली जाय साथ ही इस विषय पर कार्य-स्थगन करके सदन में चर्चा करा ली जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर इस पूरी घटना की जो हमें जानकारी है, वह अभी मैंने आपसे सुना है । इसे मैं दिखवा लूंगा कि क्या मामला है ?

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या ।।... व्यवधान...अब मैंने अगला कार्य ले लिया है, मैं किसी को नहीं सुनूंगा । अब कोई अनुमति नहीं दी जायेगी ।

**दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1992 ।**

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या ।।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

**नियम 311 की निमय 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)**

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

मान्यवर, मैनपुरी जिले में 23 तारीख को फर्जी मुठभेड़ में मूले यादव को मार दिया गया । (व्यवधान)

(श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री अखिलेश सिंह, श्री बाबूराम यादव, श्री राम औतार शाक्य आदि माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(माननीय सदस्य सदन के वेल में नारे लगाते रहे ।)

(व्यवधान)

आप लोग व्यवधान कर रहे हैं इसलिये मैं सदन की कार्यवाही दस मिनट के लिये स्थगित कर रहा हूं ।

(इस समय 2 बजकर 52 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापत्वि में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है । अभी लोग भोजन कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

भोजन के समय कोरम की कोई बात नहीं उठती ।

श्री बाबू राम यादव-

मैंने प्रार्थना की थी कि हमारे यहां दर्जनों फर्जी इनकाउन्टर हो रहे हैं। सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने की बात कही थी । वहां पर श्री भूलेन्द्र सिंह की हत्या की गयी । हत्या पुलिस द्वारा हुई है, उसकी जांच कराने में सरकार उदासीन दिखाई दे रही है । मैंने सरकार से अनुरोध किया था कि श्री भूले, जो कि 22 वर्षीय नवयुवक था, पुलिस के द्वारा उसकी हत्या की गयी । उसकी रिपोर्ट दर्ज करा ली जाय और उसकी सी0आई0डी0 जांच कराई जाय। जांच के बाद जो परिणाम होगा उस पर कार्यवाही हो जाय ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैंने पहले यह भी बात कही थी कि जिस घटना की ओर माननीय यादव जी ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। शासन को इसकी पूर्व जानकारी थी । मैं इस बात को छिपा नहीं रहा हूं मैंने कहा है कि हम इसको दिखवा लेंगे ।इनकाउन्टर हुआ है तो उसकी मजिस्ट्रेटी जांच हो रही होगी ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाबूराम यादव जी का आरोप है कि इनकान्टर का नाम दिया गया है, और वास्तव में हत्या हुई है । लड़के को कहीं और से पकड़ा है। इसका निवेदन है कि रिपोर्ट लिखा लें और जांच करवा लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई कैसा भी अपराधी हो। कितना भी खराब ऐतिहासिक अपराधी रहा हो, इसकी अनुमति हम नहीं देंगे न सरकार की नीति ऐसी है कि अपराधियों को पकड़कर गोली मारी जाय । हां, कभी मुठभेड़, हंगामें गिरफ्तारी में कोई घटना हो जाय तो बात और है । मैंने कह दिया है कि हम इसको दिखवा लेंगे ।

श्री बाबूराम यादव-

मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि जो आदमी मारा गया है उसकी 20 साल की पत्नी है, वह प्रार्थना कर रही है कि रिपोर्ट लिख ली जाय। मेरा निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज हो जाय । उसकी सी0आई0डी0 जांच आप करवा दें । इसके लिये 15 दिन । महीना, जितना समय चाहें ले लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैंने कहा है कि मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश तो हो ही गये होंगे। बाकी हम इसे दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

बाबूराम यादव जी, लिखित सूचना दे दें एक सूचना आ गयी है। जो सूचना बाबूराम यादव जी की है इस पर आप कार्यवाही कर लीजियेगा ।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, ऐसा कोई इन्काउन्टर पुलिस का नहीं हुआ जिसमें मजिस्ट्रेट की जांच न हुई हो, और मजिस्ट्रेट की जांच ने परिणाम वही दिया है जो दरोगा लिख देता है कोई मजिस्ट्रेट दरोगा के इन्काउन्टर में विपरीत रिपोर्ट नहीं दे सका, तो सरकार इसमें स्पष्ट घोषणा करे ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने जांच के लिये कह दिया है ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, उस विधवा की रिपोर्ट लेकर सब लोग पुलिस प्रशासन से मिले, उसका आदमी मर गया, उस लड़की की पूरी जिन्दगी खराब हो गयी बीस साल की लड़की है, गुप्ता जी उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा लें ।

श्री अध्यक्ष-

रिपोर्ट लिखाने में कोई आपत्ति है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

विधवा की दरख्वास्त, कोई आवेदन पत्र तो मिले मात्र विधान सभा में कह दिया, तो उसको संज्ञान में लेते हैं लेकिन यह प्रथम सूचना अंकित कराने का आधार नहीं बन सकता है ।

श्री अध्यक्ष-

दरख्वास्त भिजवा दें ।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, पुलिस कप्तान के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट है आपको भी एक कागज दिया है । मान्यवर, इसमें आप कह देंगे तो उसकी प्रथम रिपोर्ट दर्ज हो जायेगी इसके लिये मैं निवेदन कर रहा हूं। जो रिपोर्ट जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान को दी गयी है, वह दर्ज हो जाय ।

श्री अध्यक्ष-

जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान को जो रिपोर्ट दी गयी है उसे दर्ज कराकर जांच करा लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी ठीक है ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, आप विधि वक्ता हैं, संसदीय नियमों के ज्ञाता हैं। मान्यवर, फौजदारी में ऐसी कोई धारा नहीं है कि पहले जांच कराई जाय फिर प्रथम रिपोर्ट दर्ज की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अखिलेश-

मैंने मान्यवर, एक सूचना नियम 56 में दी है ।

श्री अध्यक्ष-

वह शलाका में नहीं आई ।

(व्यवधान)

जिस समय नाम पुकारा गया उस समय आप उपस्थित नहीं थे । आप बहुत जल्दी अपनी बात कहिये ।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, आज गेहूं की कटाई हो रही है और मड़ाई भी हो रही है। भारत सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 250 रुपये निर्धारित किया है और पन्द्रह दिन पूर्व में गेहूं पर 25 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, यह पेश हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना प्रस्तुत हो चुकी है आप कृपया बैठिये ।

श्री अखिलेश-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री अखिलेश-

( × × × )

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जा रहा है ।

माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अखिलेश-

(× × × )

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जा रहा है । इसका कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11

**दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 1992 (क्रमागत)**

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर यह एक छोटा सा विधेयक है। जैसा कि माननीय सदन में बार-बार आवाज उठती रही है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति को विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिये । भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के 357 में यह व्यवस्था है कि उत्पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय उचित समझे तो प्रतिकर के रूप में धनराशि दिला सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर यदि कोई उच्चतर जाति के लोग उत्पीड़न करते हैं तो न्यायालय यदि उचित समझे तो प्रतिकर दिला सकता है यह व्यवस्था इसमें की जा रही है। उभयपक्ष के लोगों मैं समझता हूं कि इससे सहमत होंगे और इसे पारित करने का कष्ट करेंगे ।

---

नोट:- ( × × × ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(श्री सुरेश प्रताप गांधी का नाम पुकारे जाने व उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय गांधी उपस्थित नहीं है। यदि अन्य कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहें तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जाब्ता फौजदारी में यह प्राविधान पहले से है ऐसे मुकदमें न्यायालयों, मजिस्ट्रेट, जनपदीय न्यायालयों में सुने जाते हैं और उन पर निर्णय लिया जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस अतिरिक्त व्यवस्था करने की भा0ज0पा0 की सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी ? यह केवल एक दिखावा किया है कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है। फिर भी मैं आपकी भावना का आदर करता हूं। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि यह केवल एक दिखावा है। बहुत से और ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का शोषण होता है, उनका रिजर्वेशन पूरा करने की बात है, ऐसे तमाम मामले हैं, जिन पर यदि गृह राज्य मंत्री जी आश्वासन दें तो अच्छी बात होती। जहां जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की हकतलफी हो रही है उसको दूर किया जाना चाहिये । मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दें और माननीय मंत्री जी यह घोषणा सदन में करें कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिये जो नियम हैं और जो शासनादेश हैं उनका पालन किया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षण दिये जाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की है और इसीलिए आवश्यकता पड़ी है कि संशोधन करके उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाय और विधिक जामा पहनाया जाय। इसलिए यह प्रस्ताव रखा है । आज राम औतार जी विधेयक की इस बात पर सहमत होंगे कि इसकी बड़ी आवश्यकता रही है । आप निरन्तर मांग भी करते रहे हैं । आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि हमने बिना आपके कहे ऐसी व्यवस्था की है । अच्छा काम किया जाता है उसे तो अच्छी निगाह से देखिये । अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए और हमेशा हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अच्छी चीज भी नहीं देख पा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इसको पारित करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहित (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 पर, विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड 2, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक**

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

## विधेयक

भारत गणराज्य के तैतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश-संशोधन) अधिनियम 1992 कहा जायेगा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधि सूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 357 का संशोधन

2-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 में,-

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्-

"परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे खण्ड (ख), (ग) और (घ) के अधीन प्रतिकर प्राप्त हो सकता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है और दण्डादिष्ट व्यक्ति ऐसी जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है तो न्यायालय यह आदेश देगा कि वसूल किये गये सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन ऐसा प्रतिकर देने में किया जाय ।"

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:-

"जब न्यायालय ऐसा दण्ड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है तब निर्णय पारित करते समय न्यायालय दण्डादिष्ट व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है; और जहां वह व्यक्ति जिसे कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और दण्डादिष्ट व्यक्ति ऐसी जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है वहां न्यायालय दण्डादिष्ट व्यक्ति को यह आदेश देगा कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे दण्डादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितना आदेश में विनिर्दिष्ट है ।"

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

**"स्पष्टीकरण**-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का वही, अर्थ होगा जो क्रमश. संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में उसके लिए दिया गया है ।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

**वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 21 खाद्य तथा रसद विभाग अनुदान संख्या 48 मुस्लिम वक्फ विभाग**

खाद्य एवं रसद एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,35,49,87,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, खाद्य विभाग के सम्बन्ध में मैं माननीय सदन के सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं । इस विभाग की कार्य प्रणाली कैसी है, किस प्रकार की है , इस पर हल्का सा प्रकाश डालते हुए इस विभाग के द्वारा जो उपलब्धियां हैं

और जो हमारी अब तक की कार्यवाही है और जो प्रस्तावित है, इस पर माननीय सदन के सामने रखूं । प्रदेश की जनता को खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु समुचित मात्रा में और उचित मूल्य पर सुलभ करना , केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और चावल की खरीद करना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, खाद्यान्नों का क्रय करना आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु निगम के अन्तर्गत उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए खाद्य एवं रसद विभाग कार्य कर रहा है । इसके अलावा मीट्रिक बांट तथा माप के क्रियान्वयन के लिए इसी विभाग का दायित्व है । खाद्य तथा रसद विभाग की पांच शाखायें हैं, जिनके माध्यम से कार्य होता है । पहली शाखा है हाट शाखा, दूसरी आपूर्ति शाखा है, तीसरी माप शाखा है और चौथी उपभोक्ता संरक्षण पांचवीं शाखा कोयला संरचण है । मान्यवर, हाट शाखा मुख्य रूप से इसके माध्यम से केन्द्र की सरकार को जो हम खाद्यान्ना गेहूं और चावल खरीद करके देते हैं, इस विभाग द्वारा किया जाता है । मान्यवर, इसी के अलावा हमारे विभाग में खाद्य विभाग के अन्य चार ऐसे हमारे विभागीय कार्य हैं, जिन्हें हम 4 तरह से प्रस्तुत करेंगे, एक आपूर्ति विभाग है, दूसरा हाट, तीसरा लेखा तथा चौथा खाद्य प्रकोष्ठ । मान्यवर, आपूर्ति विभाग के माध्यम से जनता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को खाद्यान्न केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसे हम वितरित करते हैं । मान्यवर, आपूर्ति शाखा का मुख्य दायित्व जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध कराने के साथ-साथ नियंत्रण रखना, उपलब्धता बनाये रखना, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम नियंत्रण के आदेश के अन्तर्गत प्रस्तुत करना है । मान्यवर, इसी प्रकार हाट शाखा का कार्य भी जिसका मुख्य दायित्व कृषकों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना ...

(व्यवधान)

**प्रस्तुत खाद्य एवं रसद विभाग के बजट संबंध साहित्य प्राप्त न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन् खाद्य विभाग का बजट पेश हो रहा है और सुबह भी आपके संज्ञान में लाया गया था कि किसी भी तरह का लिटरेचर नहीं मिला है, लिटरेचर के बिना जो हमारे विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, वे इस विभाग पर कैसे प्रकाश डाल सकेंगे । मान्यवर, इस विभाग का साहित्य अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपके विभाग का साहित्य अभी नहीं आया है ।

खाद्य एवं रसद मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)-

मान्यवर, मैं अभी दिखवा लेता हूं ।

**वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान:- अनुदान संख्या 21 खाद्य तथा रसद विभाग अनुदान संख्या 48 मुस्लिम वक्फ विभाग**

**(क्रमागत)**

खाद्य एवं रसद मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)-

मान्यवर, मैं अपने विभाग की हाट शाखा के दायित्व की बात कर रहा था । मान्यवर, हाट शाखा का मुख्य दायित्व कृषकों को उनकी उपज का लाभकर मूल्य दिलवाना है । खाद्यान्नों का क्रय करना, गेहूं और चावल की खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करके जनता तक उपलब्ध कराना है । मान्यवर, विभाग में लेखा-जोखा रखने की भी व्यवस्था है । इस लेखा संगठन का मुख्य काम वित्तीय मामलों को देखना है और लेखों का नियमानुसार रख-रखाव सुनिश्चित करना है । इसके अतिरिक्त खाद्य प्रकोष्ठ का मुख्य दायित्व है, विभागीय कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को देखना अनियमितताओं की जाचं करना आदि है और जो दोषी व्यक्ति पाये जायें, उनको दण्ड सुनिश्चित किया जाना है ।

मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, इस बात की जानकारी की गयी कि खाद्य और रसद विभाग के माध्यम से जनता तक किस मानक से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता रहा और जब इस बात की जानकारी की गयी तो यह बात सामने आयी कि 2 अप्रैल, 1982 को तत्कालीन सरकार ने एक मानक बनाया था और 1981 की जनगणना के आधार पर जब प्रदेश की जनसंख्या 12 करोड़ थी, उस 12 करोड़ की जन संख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए तत्कालीन सरकार ने यह मानक बनाया था कि हम प्रदेश की जनता को एक यूनिट पर प्रतिमाह 8 किलो गेहूं देंगे, एक यूनिट पर 7 किलो चावल देंगे और यह भी सुनिश्चित किया गया था कि प्रदेश की जनता को जो शहरों और नगरों में रहती है, उसको एक किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से चीनी उपलब्ध करायेंगे । 1982 में ही उस सरकार ने निर्णय लिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को केवल ढाई सौ ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रति माह उपलब्ध करायी जायेगी । मान्यवर, हमारी सरकार के आने के बाद जब इस मानक को देखा गया और प्रदेश की जनसंख्या की ओर ध्यान दिया गया तो 1981 की जनगणना के आधार पर जो मानक बनाया गया था, वह मानक 1992 की जनसंख्या के अनुकूल नहीं पाया गया । मान्यवर, प्रदेश की जनसंख्या 12 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गयी है और 14 करोड़ जनता को खाद्यान्न की खपत आपूर्ति करने का दायित्व प्रदेश सरकार का केन्द्र की सरकार के माध्यम से कराने का है और जब यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश को केन्द्र से केवल 50 हजार मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इस ओर विशेष ध्यान दिया गया । जो गेहूं 1991 में मिल रहा था, वह 1982 में बनाये गये मानक के अनुसार मिल रहा था । उस समय भी केन्द्र से उत्तर प्रदेश को 50 हजार मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया जाता था । इस तरह से पिछले

लगभग 11 वर्षों से बराबर 50 हजार मैट्रिक टन गेहूं की उपलब्ध कराया जा रहा है । मान्यवर, एक तरफ देखे प्रदेश में जो तत्कालीन सरकार ने मानक बनाया था कि एक यूनिट पर प्रतिमास में 8 किलोग्राम चावल उपलब्ध करायें तो मान्यवर, माननीय सदन के सम्मुख मैं यह रखना चाहता हूं कि हमें आज भी केन्द्र सरकार की ओर 50 हजार मीट्रिक टन ही गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है जब कि हमें 14 करोड़ जनता को यहां पर खाद्यान्न, गेहूं, चावल उपलब्ध कराना है और जो हमें दिया जा रहा है उसकी मात्रा केवल 50 हजार है तो अब माननीय सदन के हमारे साथी स्वयं जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसका वितरण करेंगे ? ऐसा नहीं है कि शेर में एक लब्ज में अगर इसे कहा जाय तो इस तरह से होगा ।

"यह एक अब्र का टुकड़ा कहां-कहा बरसे,
तमाम दस्त प्यासा ही दिखाई देता है "।

मान्यवर, 14 करोड़ की यूनिट को गेहूं की आपूर्ति के लिए सवा 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता होगी और एक माह में इसके मुकाबले पर 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं मिल रहा है । मैं अपने सभी सम्मानित साथियों को, माननीय विधायक गणों को यह बताना चाहता हूं कि वे स्वयं समझ सकते हैं कि क्या कठिनाई हैं, हमारे विभाग को क्या कठिनाई हो रही होगी ?

मान्यवर, सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि 1982 में जब तत्कालीन सरकार ने चावल की उपलब्धता के संबंध में यह एक निर्णय लिया था कि हमें चावल प्रति यूनिट प्रति मास 6 किलोग्राम के हिसाब से वितरित करेंगे, उपलब्ध करायेगें । मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को भारत सरकार के माध्यम से 1982 में जब यह मानक बनाया गया था उस समय भी चावल 28 हजार से कभी 28 हजार, कभी 25 हजार और कभी 30 हजार मीट्रिक टन ही एक माह में उपलब्ध कराया गया, हर माह में 25, 26, 27, 28 और अधिक से अधिक 30 हजार मीट्रिकटन उपलब्ध कराया गया । मैं यहां पर फिर माननीय सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जब हम 6 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से चावल के वितरण का मानक देना चाहते हैं और हमें प्रदेश की 14 करोड़ जनता को यह उपलब्ध कराना है, इस मानक के ऊपर जितना भी चावल राशन चाहिए, तो मैं बताऊंगा कि हमें लगभग साढ़े 8 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता होगी और इसके मुकाबले हमें केवल 30 हजार मीट्रिक टन ही चावल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

मान्यवर, इन परिस्थितियों में हमारी सरकार के सामने जो समस्याएं हमें विरासत में मिली हैं इसे मैं माननीय सदन के समक्ष रखने का साहस कर रहा हूं । मान्यवर, हमारे सामने अनेकों समस्याएं रहीं हैं उसमें से चंद समस्याएं मैं माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं । विभिन्न आवश्यक जनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । मान्यवर, यह भी बात हमारे सभी सदन के सम्मानित साथियों के संज्ञान में होगी ..

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

पिछले सालों खाद्यान्न की कीमतें बराबर बढ़ती रही हैं और इस कारण जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो वितरण किया जाता है, उसके ऊपर काफी बोझ पड़ने लगा है । 1982 में तत्कालीन सरकार ने जो यह 8 किग्रा0 का मानक बनाया था, उस समय खुले बाजार में गेहूं और चावल जो उपलब्ध होता था उसकी बाजार की कीमत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो मिलता था उसमें बहुत थोड़ा अन्तर रहता था । उदाहरण के लिए 1.85 रुपये प्रति किग्रा0 वितरण प्रणाली की दुकानों पर था और बाजार का भाव दो रुपये था । इससे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था । जब दुकानों पर दो रुपये और 2.15 बिकने लगा तब भी बाजार में दो 2.25 और 2.30 का भाव रहा । वितरण प्रणाली की दुकानों की तरफ जनता ज्यादा आकर्षिक नहीं होती थी जितनी जरूरत होती थी जनता खुले बाजार से गेहूं और चावल ले लिया करती थी । जैसे समय बीतता रहा, बाजार में गेहूं का दाम बढ़ता रहा । बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में गेहूं का बाजार भाव और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से गेहूं बिकता था उसमें काफी अन्तर हो गया है । जब 2.55 पैसे वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से गेहूं दिया जा रहा था उस समय बाजार में भाव बढ़ते-बढ़ते 3.00 रुपये, 3.50 रुपये और 4.00 रुपये प्रति किग्रा0 तक हो गया । इससे निपटने के लिए और जनता को राहत दिलाने के लिए हमारी सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं । यद्यपि हमारे प्रदेश के मुकाबले में अन्य प्रदेशों को देखें तो इस बात की पूरी जानकारी होगी कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो प्रभावी कदम उठाये हैं जिसके कारण प्रदेश में बाजार का भाव दूसरे प्रदेशों की तुलना में कम रहा है । दिसम्बर, और जून के महीनों में जब बाजार का भाव 4.00 रुपये, 4.50 रुपये और 5.00 रुपये पहुंच गया था उन्हीं दिनों में केन्द्र की सरकार ने 18 दिसम्बर, 91 को आदेश दिया कि जिसके तहत गेहूं का दाम 2.55 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपये 15 पैसे वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से करना पड़ा ।

## सदन में कोरम के अभाव की सूचना

**वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग (क्रमागत)**

डा0 बृजभान यादव-

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है, कुल 36 सदस्य है ।

श्री अध्यक्ष-

कोरम की घंटी बजाई जाय । कोरम की घंटी बजाई गयी ।

(कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, पिछले दिनांक बाजार में गेहूं का भाव 5 रुपये था । हमारे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है

उसकी कीम 3.10 पैसे थी । हमारी सरकार ने बाजार के भाव पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा यह जब आप दूसरे प्रदेशों के बाजार के भाव से तुलना करेंगे तब माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमारी सरकार ने कितने प्रभावी कदम उठाये हैं । जिन दिनों रुपये 5 किलो गेहूं का बाजार भाव था, महाराष्ट्र में गेहूं 9.50 से लेकर ।। रुपये किलो तक बिका । इससे यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जो प्रभावी कदम उठाये गये थे उनके बाजार के भाव बढ़ने नहीं पाये । बाजार का भाव कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रवर्तन के कार्य किये गये, प्रदेश में आंदोलन छेड़ा था, हमने पिछले वर्ष में 20, 886 छापे मारे, इन छापों के आधार पर 1, 263 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी । इस इनफोर्समिंट कार्य में 2,878 लाइसेंस निलम्बित किये गये । निलम्बन के फलस्वरूप निरस्त्रीकृत किए गये लाइसेंसों की संख्या 2,504 रही । इसमें 6,34,156 रुपये की जमानत हमने बात की । जो छापे मारे उसमें 9,51,50,241 रुपये मूल्य की वस्तुएं हमने जब्त की हैं । केवल एक दिन का जो हमने प्रवर्तन का कार्य किया है, जिन दिनों में बाजार का भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, हमने 29 जनवरी को पूरे प्रदेश में हर जनपद में हर जगह जहां-जहां पर गेहूं खुले बाजार में बिकता था, जहां-जहां पर गेहूं की कारोबारी थी, एक इनफोर्समिंट ड्राइव किया गया था, छापे मारे गये थे, इन छापों की संख्या 1,802 थी । इसमें 41 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाइसेंस भी निरस्त किए गए और 90,26,685 रुपये का खाद्यान्न हमने जब्त किया है ।

इस तरह के प्रभावी कदम उठाने के कारण हमने यह सिद्ध कर दिया और उत्तर प्रदेश के गेहूं और खाद्यान्न के भाव बढ़ने नहीं पाये, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बढ़ने नहीं पाये । हमने जनता को, जहां तक हो सकता था, लाभ पहुंचाने की गर्ज से सारे के सारे काम किए । एक समस्या रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली जनपयोगी सिद्ध नहीं हो रही थी, उसके ऊपर प्रभावी कदम उठाने का प्रयास किया गया । मान्यवर, राशन कार्ड जो प्रचलित थे, उनके बारे में जानकारी की गयी कि इनकी संख्या कितनी है, जनसंख्या के मुकाबला में अन्दाजा लगाया गया तो यह पता लगा कि यहां फर्जी और बोगस राशन कार्ड यूनिट की संख्या बहुत है । इसके कारण जो चोर-बाजारी, काला-बाजारी चल रही थी, इसको रोकने के लिए पहली अगस्त से एक विशेष अभियान चलाया गया । वह अभियान पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ चलाया गया । मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि जो प्रभावी कदम उठाया गया था, 31 दिसम्बर तक हमने इस अभियान के तहत दो करोड़ उनहत्तर लाख यूनिट्स को हमने पकड़ा, जो बोगस थे, उनको निरस्त किया गया । दूसरे चरण में जो कार्यवाही की है, वह बताना चाहता हूं कि आम तरीके से माननीय सदस्य शिकायत किया करते हैं कि जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं मिट्टी के तेल की दुकानें हैं, उनकी समीक्षा करने का कार्य शुरू किया गया । उसमें काफी इस तरह के नतीजे आ रहे हैं, जिससे हमें यह मालूम

हो रहा है कि जो गलत काम किया करते थे, फर्जी लोगों ने दुकानें बना रखी हैं, नाम किसी का है, दुकान कोई चलाता है, उसको निरस्त करने के लिए आदेश दिये हैं । जो माननीय सदस्यगण समय-समय पर मिलते रहते हैं उन्होंने इसकी प्रशंसा की है ।

मान्यवर, जो उपभोक्ता वस्तुएं थीं वे ठीक से सुलभ नहीं हो पा रही थीं । इसमें प्रभावी कदम उठाये गये । 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में हमारे सरकार में आने के बाद हमने पूरे 63 जिलों में उपभोक्ता संरक्षण फोरम कायम कर दिये हैं । हर जिले में जिला जज यहां 150 से कम शिकायतें थीं, वहां जिला जज उसके अध्यक्ष हैं और जहां 150 से अधिक शिकायतें हैं वहां पर अपर जिला जज वहां के उस फोरम के अध्यक्ष हैं और इनके अतिरिक्त एक महिला और एक पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता इसमें सदस्य रूप में हैं । हर जिले में इस तरह के प्रभावी कदम उठाये गये हैं, जो जनता की शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों का निराकरण इसके माध्यम से होता है । मान्यवर, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु जिला फोरम भी स्थापित कर दिये गये हैं, इस फोरम में दिसम्बर, 1991 तक विभिन्न जिलों से 17, 771 शिकायतें दर्ज कराई गयी थीं जिसमें से 10,514 मामले निस्तारित किये जा चुके हैं, इस प्रकार आप देखेंगे कि जनता को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये मान्यवर, हर जिले में उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अतिरिक्त प्रदेश में इस तरह का भी फोरम गठन कर दिया गया है, जो उपभोक्ता आयोग के नाम से जाना जाता है, इसमें 1 लाख से ऊपर तथा 10 लाख से नीचे के मामले निस्तारित किये जायं इसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज इसके अध्यक्ष हैं और एक महिला तथा पुरुष सदस्य भी हैं ।

मान्यवर, दिसम्बर, 91 तक इस आयोग में 1,360 शिकायत दर्ज कराई गयी थीं, जिसमें से 576 मामलों का निर्णय किया गया । इसमें आपत्ति करने का भी प्राविधान है और जो लोग आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं वह अपील भी करते हैं, इस तरह की 998 अपीलें पिछले वर्ष दाखिल हुयी थीं जिनमें से 353 पर सुनवाई की जा चुकी है और निर्णय लिया जा चुका है । मान्यवर, कम खाद्यान्न प्राप्त होने की वजह से जनता के सामने होने वाली परेशानियों को देखकर हमने केन्द्र की सरकार के खाद्य मंत्री से स्वयं तथा माननीय मुख्य मंत्री जी ने मिलकर अनुरोध किया और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार आग्रह किया, इसके फलस्वरूप मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि भारत सरकार की ओर से 1 लाख 32 हजार, 500 मीट्रिक टन गेहूं फ्री सेल के लिए उपलब्ध कराया गया, जिसे हमने 4.10 पैसे और 4.25 पैसे की दर से जनता में उपलब्ध कराया । मान्यवर, जैसा

कि मैंने पहले बताया कि हमें केवल 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं मिला करता था, जनता जिस समय परेशानियों से जूझ रही थीं उसको देखते हुए पुनः भारत सरकार से बार-बार आग्रह किया और तब फरवरी और मार्च महीनों में इसे केन्द्र ने बढ़ाकर 75 हजार मीट्रिक टन कर दिया था, लेकिन केवल फरवरी और मार्च में ही इतना गेहूं मिला, उसके बाद अप्रैल में फिर कटौती कर दी गयी । हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि हमको ज्यादा मिले । मान्यवर, मूल्यों में कमी करने के लिए सरकार की ओर से व्यापारियों से सहयोग मांगा गया और अधिकारियों के माध्यम से भी व्यापारियों से सम्पर्क किया गया और उनसे कहा गया कि इस जमाने में जब खाद्यान्न की कमी है, जमाखोरी न की जाय । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरस्त बनाने व भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाये गये हैं । इस समय प्रदेश में 74,238 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें चल रही हैं । जिसमें से 6,160 कोआपरेटिव के माध्यम से चलाई जा रही हैं, 68,078 दुकानें निजी लोगों की हैं और 66 दुकानें आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से चलाई जा रही हैं । इनमें से 11,076 दुकानें नगर क्षेत्र में और 63162 ग्रामीण क्षेत्र में हैं । अक्सर माननीय सदस्य इस बात की शिकायत करते हैं और जनता के बीच से भी शिकायत आती है कि सस्ते गल्ले की दुकानों पर विभाग द्वारा जो खाद्यान्न एलाट किया जाता है उसे जब वह गोदामों से लाते हैं तो बीच में ही उसकी चोर-बाजारी कर दी जाती है इसको रोकने के लिए आवश्यक वस्तु निमग के माध्यम से डोर टु डोर डिलीवरी करने की योजना चालू की गई है । 19 जिलों में इस सिस्टम को चालू किया गया है ताकि दुकानदारों को उनका सामान दुकान पर ही मिल जाय, जिससे दुकानदारों को गोदाम तक जो आना-जाना पड़ता था और बीच में चोर-बाजारी जो हो जाती थी, ऐसा करके अब उसके ऊपर रोक लग गई है ।

श्रीमन्, मिट्टी तेल के बारे में कहना चाहता हूं कि 1962 से उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है । इस समय प्रदेश में 654 होल सेलर्स हैं और 58,892 रिटेलर्स हैं । इसमें से 48,167 ग्रामीण क्षेत्र और 10,725 नगर क्षेत्र में हैं । 1991 की जनसंख्या के अनुसार मासिक आवश्कता 1 लाख 534 किलो लीटर्स की थी परन्तु भारत सरकार से 90 हजार किलो लीटर्स मिट्टी का तेल हमें हर माह प्राप्त हो रहा है । मार्च, 92 व अप्रैल, 92 में हमें 93,146 किलो लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा सकता है । इस तेल को हम सस्ते दुकानों के माध्यम से वितरण करा रहे हैं । मिट्टी तेल की रोजाना जरूरत पड़ती है परन्तु शादी-ब्याह के मौके पर, इम्तिहान के समय विद्यालयों पर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, छात्रावासों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, परन्तु इसके लिए हमें केन्द्र से कोटा नहीं मिलता है । जो कोटा हमें मिला है, उसमें कटौती करके

हम इसकी व्यवस्था करते हैं छात्रावासों में विद्यार्थियों को जहां जरूरत होती है वहां उपलब्ध कराते हैं । इसके अलावा इस वर्ष हमें हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ मेले के लिए मिट्टी के तेल की जरूरत पड़ी थी उसके लिए हमने 2,973 कि0लीटर मिट्टी तेल उपलब्ध कराया प्रदेश की जनता के कोटे में से काटकर । इसी तरह से इलाहाबाद माघ मेले में 250 कि0ली0 मिट्टी तेल उपलब्ध कराया । मिर्जापुर में नवरात्रियों का मेला होता है उसमें 200 किलो लीटर मिट्टी तेल उपलबध कराया । हमारा बराबर प्रयास है कि जनता को राहत मिले ।

चीनी के विषय में कहना चाहता हूं कि जितनी चीनी हमें मिल रही है वह हमारी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त नहीं है । 1991 में जब हमारी सरकार आई जुलाई में हमें 55,572 एम0टी0 प्रतिमाह चीनी आवंटित की गयी । यह मानक 1982 में सरकार द्वारा बनाया गया और उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि शहरी क्षेत्र में प्रति यूनिट प्रति माह एक के0जी0 के हिसाब से वितरण करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 250 ग्राम का मानक रखा गया । हमें अपनी जरूरत के मुताविक पूरी चीनी नहीं मिल रही है । हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो असंतुलन है इसको समाप्त करना चाहते हैं इसके लिए हमने प्रधान मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से आग्रह किया है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के भेदभाव को मिटाने के लिए अधिक चीनी मिले । जो मात्रा मिल रही है उसमें यह संभव नहीं है । इस वक्त जो मात्रा मिल रही है उसमें प्रति यूनिट केवल 4 सौ ग्राम ही वितरण कर पायेंगे । फिर भी हमारा प्रयास जारी है ।

इन तमाम परेशानियों के बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि जब-जब कोई त्यौहार हमारे प्रदेश में आता है या कोई शादी या गमी हो जाती है तो ऐसे मौकों पर भी चीनी उपलब्ध कराई जाती है तो यह सारे काम हम इसी कोटे के अन्दर करते हैं । यह हमारी सीमायें हैं, हमारी मजबूरियां हैं । एक तरह से मैं यह कहूं खाद्य विभाग उसी तरह से है जैसे कोई बहुत बड़ी कम्पनी डिस्ट्रीब्यूटर होती है उसी तरह से हम भी केन्द्र सरकार के एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर हैं । जितना केन्द्र सरकार देती है उतना हम जनता में उपलब्ध करा देते हैं फिर भी हमारे साथी आलोचना करते हैं कि बड़ा गलत काम हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों से आपको आलोचना करने का अधिकार है लेकिन आपका भी कुछ दायित्व है हमारी कठिनाइयों पर सोचें । इसके लिए मुझे एक शेर याद आ गया-

"हक्के तनकीद है मगर इस शर्त के साथ
जायजा लेते रहे अपने गरेवानों का ।"

तो जो स्थिति है उसी के हिसाब से मैंने कहा है । मैं इसी सिलसिले में एक शेर और कहना चाहता हूं -

"वही कातिल वही हाकिम वही मुलजिम ठहरे,
अकरवा मेरे करें खून का दावा किस पर ।"

मान्यवर, हमें जो भी परेशानी है वह भारत यानी केन्द्र को लेकर है । हमें उनसे सामान उपलब्ध नहीं है । समय का अभाव है और घड़ी भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है वरना मैं चाहता था..

**सदन में कोरम के अभाव की सूचना (क्रमागत)**

श्री अखिलेश-

कोरम का मान्यवर प्रश्न है ।

(गणपूर्ति हेतु घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही आरम्भ हुई।)

**वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग (क्रमागत)**

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, चारों तरफ से आवाजें हमारे विभाग के खिलाफ आती हैं कि विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है । इस संबंध में मैं अपने माननीय साथियों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत प्रभावी कदम उठाये हैं । हमने कर्मचारियों पर अंकुश लगाने की गर्ज से कार्यवाही की हैं । विभाग में 261 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । एक सौ अड़तालिस को दण्डित किया गया है, 92 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है और 4 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की हैं । ऐसे 12 जिलापूर्ति अधिकारी हैं जिनको दण्डित किया गया है । कुछ जिलापूर्ति अधिकारयों को हमने निलम्बित किया है, उनकी संख्या-2 है। उपनियंत्रक और 5 नाप विभाग के नियत्रकों को भी हमने निलम्बित किया है । क्षेत्रीय खाद्य अधिकारयों को भी हमने दण्डित किया है । इस तरह से मैं अपने सम्मानित साथियों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब-जब उन्होंने किसी तरह की बात हमारे सामने रखी है तो हमने प्रभावी कदम उस पर उठाये हैं । मान्यवर, समय के अभाव के कारण बहुत सी बातें में नहीं रख पा रहा हूं ।

मान्यवर, वक्फ के संबंध में भी मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा । हमारे वक्फ विभाग ने भी बहुत कुछ प्रभावी कार्य किये हैं..

श्री अध्यक्ष-

केवल आप प्रस्तावना का उल्लेख कीजिए ।

श्री एजाज रिजवी-

वक्फ विभाग के कार्यों को दुरुस्त करने के लिए और वक्फ सम्पत्ति को सुरक्षा करने के लिए हमने फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन बुलाने का उल्लेख किया है । यह सम्मेलन सम्भवतः हम जून माह में करेंगे जिसमें हम बड़े-बड़े लोगो को आमंत्रित कर रहे हैं और उनके सुझाव लेंगे । सभी प्रदेशों के वक्फ मंत्रियों और अधिकारियों को भी हमने आमंत्रित किया है ।

मान्यवर, हम समझते हैं कि वक्फ की सम्पत्ति की सुरक्षा करने में हम सक्षम होंगे । मान्यवर अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय

लगभग सुन्नी और शियाओं की मिलाकर कुल 157 वक्फ है, और जिनकी लगभग करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है, जिसकी सुरक्षा के लिए हमने व्यवस्था किया है । इस व्यवस्था के तहत निगम के माध्यम से 53 योजनायें दिया है जिसके अन्तर्गत कामर्शियल काम्प्लेक्स, व्यावसायिक दुकानें बनाने की कार्यवाही शुरू कर दिया है । मुझे अपने सार्थियों को बताने में खुशी हो रही है कि तेरह जिलों में ऐसी योजनायें लाकर प्रभावी कार्यवाही करके काम्प्लेक्स बना दिये गये हैं और उसमें तरक्की के काम शुरू करवा रहे हैं । इस प्रकार हमारी सरकारी की नीति वक्फ की सम्पत्ति की सुरक्षा के मुताबिक अमल करना है ।

मान्यवर उत्तरांचल क्षेत्र में कुकिंग गैस की आवश्यकता पड़ती है । हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने आज ही लिखित सूचना भेजा है कि वर्ष 1992-93 में 74 हजार कनेक्शन इस वर्ष दे देंगे । जो 4,500 फीट से ऊपर के क्षेत्र हैं जहां कुकिंग 1 अप्रैल, 1991 तक की गयी थी उसकी आपूर्ति सारी की सारी 74,000 कनेक्शन 1992-93 में पूरी कर दी जायेगी । मान्यवर यही नहीं 2,000 फीट तक क्षेत्र है जहां 42,000 कनेक्शन वर्ष 1992-93 और अगले साल 41,000 गैस कनेक्शन देकर, जो अभी तक बुकिंग है उसे 31 मार्च, 1994 तक पूरी कर दी जायेगी । इस तरह उत्तरांचल क्षेत्र में जो जनता को बहुत बड़ी परेशानी है वह दूर की जा सकेगी, जिससे जनता को राहत मिलेगी । इन शब्दों के साथ, समय अभाव के कारण, अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जो बजट माननीय सदन के सामने प्रस्तुत है उसे पारित करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, अन्त में मैं एक शेर अर्ज करता हूं-

"इतना न बढ़ा पाकिए दामा कि हिदायत
दामन को जरा देख जरा बन्दे रबा देख ।"

इन शब्दों के साथ पुन: अपने साथियों से आशा करता हूं कि वे बजट को पास करेंगे ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष-

अब पहले श्री मोहम्मद हसन, मुस्लिम वक्फ विभाग पर अपना कटौती का प्रस्ताव रख दें उसक पश्चात् माननीय सुरेश प्रताप गांधी जी अपना भाषण देंगे ।

*श्री मोहम्मद हसन-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की अलोचना करना एवं सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेश प्रताप गांधी के बाद माननीय मोहम्मद हसन अपना भाषण करेंगे ।

* श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, आज कटौती का प्रस्ताव दूसरे हमारे सम्मानित सदस्य को रखना था किन्तु किसी कारणवश वह अनुपस्थित रहे हैं । मैं नेता विरोधी दल की टीम का बारहवां खिलाड़ी हूं, एक्स्ट्रा स्पेयर खिलाड़ी हूं । मुझसे लालजी वर्मा ने कहा कि आपने कोई तैयारी नहीं की है, आप कटौती का प्रस्ताव क्या रखेंगे ? मान्यवर, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ग्रान्ट देखी हैं । जो इनकी ग्रान्ट हैं, लेखाशीर्षक में, उनको देखा है । कोई नई योजना का इसमें उल्लेख नहीं है । इसमें एक तो भारित व्यय है । जो ऋण इन्होंने लिया है, बैंकों से या अन्य संस्थओं से, वह तो देना ही है । दूसरा हैं अधिष्ठान व्यय जिनमें कर्मचारी, जो लाबी में बैठकर पर्चा देखते हैं उनकी तनख्वाह और रख-रखाव में से कोई कटौती नहीं की जा सकती है । इसमें कोई ऐसी मद नहीं है, जिस पर चर्चा की जाय और कटौती रखी जाय । बस औपचारिकता निभाने के लिए और मात्र कुछ सुझाव देने के लिए यह कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं ।

मान्यवर, न तो इसमें कोई गोदाम बनाने की योजना है, किसी भी प्रकार की कोई नई योजना नहीं है । तो मान्यवर, किस बात की चर्चा की जाय और किस पर सुझाव दिया जाय ? मान्यवर, खाद्य और रसद विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग था । मैं तो यही कहूंगा परन्तु अब इस विभाग की एक मात्र प्रासंगिकता रह गई है । पुराने सदस्य, हमारे जो इधर बैठे हैं और कुछ उधर बैठे हैं । श्री भगवती सिंह जी है वह जानते हैं कि जब यह विभाग राजस्व विभाग के अन्डर में था तो राशनिंग वगैरह की कितनी अच्छी व्यवस्था थी । अब आज इस विभाग का क्या हाल है, आप देख लें । पूरे विभाग में स्वतंत्रता नहीं है । किसी भी अधिकारी को स्वतंत्र रूप से अधिकार नहीं है । आपने कहा कि सहायक खाद्य आयुक्त नियुक्त किये गये हैं परन्तु मण्डलायुक्तों का ही आदेश चलता है । जिले में जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं, जो ए0डी0एम0 हैं फाइल लेकर कलेक्टर के यहां हाजिरी बजाते हैं । विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन पूर्ण निर्देश जिलाधिकारी का ही चलता है । मेरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सबसे पहला सुझाव माननीय मंत्री जी से यह है कि इस विभाग को ऐसी स्वतंत्रता दें कि यह अपनी नीतियों का कार्यान्वयन कर सके । खाद्य एवं रसद विभाग का जो उद्देश्य बताया गया है उसमें एक उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना शामिल कर लें ।

खाद्यान्नों का क्रय करके सेन्ट्रल पूल में दे । [illegible]रों में जो मूल्य वृद्धि हुई है उस पर नियंत्रण और जन साधारण के लिए सामान्य मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय ।

(4 बजकर 20 मिनट)

चौथा मान्यवर कन्ट्रोल काला-बाजारी है इसको रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियमों को जागरुकता से पालन होना चाहिए पांचवा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना ।

मान्यवर, भोजन, खाद्य मुल्क की आवश्यकता हैं । किसी भी व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा और मकान दूसरे और तीसरे पर हैं और पहले नम्बर पर खाद्य और भोजन आते हैं । लोक कल्याणकारी राज्य में शासन का दायित्व हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भोजन उपलब्ध करावे राज्य में कोई भूखा न रहे । मान्यवर, यह प्रदेश बहुत विशाल प्रदेश है इस प्रदेश में खाद्यान्न या अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सर्वोपरि सामान नहीं है । कहीं कोई चीज अधिक उपलब्ध होती है तो कहीं कोई चीज कम उपलब्ध होती है, पूरे प्रदेश में समान वितरण करने के लिए जो प्रादुर्भाव किया गया है । मान्यवर 74, 283 सस्ते गल्ले की दुकानें कर रहे हैं ।

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे थे मैंने राशनकार्ड का सत्यापन करा दिया है । जो बेकार यूनिट थे वह निकाल दिए गये हैं और नये कार्ड बना दिए गये हैं और नये कार्ड बना दिए गये हैं । मान्यवर, शहरों के कार्ड तो बन गए हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 1977 के बाद से कार्ड नहीं बनाए गये हैं कार्डों का सत्यापन तो कर लिया गया है लेकिन कार्ड नहीं बनाए गये हैं । शिकायतें हुई बार-बार कहा गया तो कार्ड बनाए गए । ए0डी0एम0 के पास जिलाधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं डी0पी0आर0ओ0 से मिलो डी0पी0आर0ओ0 से मिले तो पैसा एडवांस के लिए कहते हैं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री के क्षेत्र में बहुत से उपभोक्ताओं के पास कार्ड नहीं है । इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा । मान्यवर, सबसे बड़ी निराशा की बात यह है कि माननीय सम्मानित जितने मंत्रीगण बोले हैं जितने विभागों के बजट आए है सभी ने छोटी बड़ी किसी योजना की घोषणा की है । हम समझते थे कि माननीय मुख्य मंत्री केन्द्र सरकार से संस्तुति करेंगे कि पूर्वांचल और उत्तरांचल क्षेत्र में भू-स्खलन से पीड़ित लोगों को विशेष राहत देने की व्यवस्था करेंगे । लेकिन कुछ नहीं किया गया क्षेत्रों में मान्यवर आवंटन जो मिलना है चावल का आवंटन निर्धारित मात्रा में मिलता है, गेहूं और चावल की बात मैं नहीं करता हूं मैं चीनी के बारे में कहना चाहता

हूं चीनी ग्रामीण क्षेत्रों में कम मिलती है । माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि शहरी क्षेत्रों में एक किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति मास दिया जाता है । लेकिन मान्यवर, जो गांवों में चीनी दी जाती है वह 250 ग्राम पर यूनिट दी जाती है इस असमानता को दूर करने के बारे में प्रत्येक सत्र में प्रश्न आते हैं तो इस असमानता को दूर करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी का बराबर वितरण किया जाए । उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है तो केन्द्र सरकार से हमें प्रयास करना चाहिए । आवंटन को बढ़वाना चाहिए । मिलों से लोन लेकर चीनी लें ।

इस पर प्रदेश सरकार विशेष सब्सिडी दे और उसी मूल्य पर देहाती क्षेत्र में उपलब्ध करवायें जिस मूल्य पर शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाती है ।अगर यह घोषणा कर दें तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ होगा । आप सब्सिडाइज्ड रेट पर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को चीनी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें । आप कह रहे हैं कि हमें आवंटन कम मिलता है लेकिन जितना भी कोटा आप जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बांट रहे हैं, मुझे शहरों की जानकारी नहीं है, लेकिन देहातों में कार्ड का अभाव है और वितरण उपभोक्ता को बिना कार्ड के चीनी नहीं देता है । कभी 3-4 महीनों में एक किलो चीनी दे देता है तो बहुत बड़ा अहसान करता है कि बिना कार्ड के चीनी दे दी है । इसलिए आप देहातों में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड की व्यवस्था करें और जो चीनी वितरण के लिए आप भेजते हैं उसका वितरण सुनिश्चित करें । शादी विवाहों पर आपने चीनी देने की बात कही है । आप देख लें पहले लड़के की शादी पर एक क्विंटल और लड़की की शादी पर 50 किलो चीनी दी जाती थी अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है और 20 किलो चीनी दी जाती है । यह चीनी भी केवल कुछ लोगों को मिल पाती है । केवल 1/4 लोगों को मिल पाती है 3/4 लोगों को नहीं मिल पाती । इसी तरह से मिट्टी के तेल की बात है । शहरों में प्रति कार्ड 10 लीटर तथा देहात में 5 लीटर मिट्टी का तेल दिया जाता है । इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की व्यवस्था नहीं है और वहां की जनता रोशनी के लिए मिट्टी के तेल पर आधारित है । मिट्टी का तेल ही ऐसा साधन है जिससे गरीब झोपड़ी में रोशनी करता है तो मिट्टी का तेल समानता के आधार पर वितरित करवाने की व्यवस्था करें । आगरा मंडल के संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मूंगा, मोती, ग्लास बीड का काम होता है । यह कुटीर धंधा है । अतिरिक्त समय में महिलायें, बच्चे और बेरोजगार नौजवानों को इससे रोजगार मिलता है । इसके ..

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

साथ-साथ विदेशों को इसका निर्यात होता है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । पहले इन लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर मिट्टी का तेल मिलता था लेकिन अब बंद कर दिया है । जिलाधिकारी ने कहा यदि उद्योग विभाग सर्टीफिकेट दे दे कि यह लघु उद्योग है तो हम रिलीज कर देंगे । उद्योग विभाग ने लिख दिया है कि यह उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है परन्तु आपके विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी । आपके संज्ञान में होगा, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह कुटीर उद्योग माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में सर्वाधिक होता है और इसमें बहुत से कमजोर वर्गों के लोग लगे हैं इनको संरक्षण दें । एक व्यवस्था आपने बनायी है कि प्रदेश स्तर पर पी0सी0एफ0 को आप चीनी देते हैं । पी0सी0एफ0 जिलों को पहुंचाता है और जिलों में खाद्य तथा रसद विभाग को दी जाती है, खाद्य एवं रसद विभाग अपने मार्केटिंग विंग द्वारा ब्लाकों में वितरण केन्द्रों पर पहुंचाता है ।

उसमें स्थिति यह है कि मान्यवर, जब खाद की मांग बढ़ती है, पी0सी0एफ0 में फर्टीलाइजर की लोडिंग होती है तो चीनी का पैसा उसमें लगा लेते हैं, खाद के व्यवसाय में और चीनी की डिलिवरी सही समय पर नहीं मिलती और बहुत से जनपदों में चीनी नहीं पहुंच पाती । इस बार ईद पर चीनी नहीं बंट पायी । मेरा सुझाव है कि यह काम पी0सी0एफ0 से कराना है तो, मान्यवर, इस संगठन में प्रदेश स्तर से देहात स्तर पर जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, वह पी0सी0एफ0 की हैं और उसके लिए व्यवस्था को दो भागों में बांट दें और उसके दो जोन बना दें और एक-एक जोन में दोनों का अलगअलग दायित्व निर्धारित करें । पी0सी0एफ0 का जो मार्केटिंग का काम है प्रदेश स्तर से ब्लाक स्तर तक, वह इस काम का देखे । इस व्यवस्था को लागू कर देंगे तो चीनी के वितरण में अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा और कठिनाई दूर हो जायगी । मान्यवर, पिछली जनता सरकार के खाद्य मंत्री माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कुछ अच्छे निर्णय लिये थे । उनकी अच्छी योजनाओं को कार्यान्वित कराइये । जैसे एक मूवमेंट प्लान बनाया वस्तुओं को उपभोक्ताओं में वितरण के लिए पहुचाने की व्यवस्था की और उचित मूल्य के दुकानदार उपभोक्ता वस्तुएं तहसील से लेकर जिला स्तर तक लाते थे । माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी के समय में, जनता के समय यह व्यवस्था लागू की गयी थी कि गोदाम ब्लाकों में स्थापित कर दिये और वहां पर गेहूं, चावल, चीनी आदि सामग्री की व्यवस्था की गयी, लेकिन जो केरोसीन के होलसेलर को जो अपने सब डिपो ब्लाक स्तर पर लगाने थे, उन्होंने नहीं बनाए । उपभोक्ता जब ब्लाक पर सारा सामान खरीदेगा तो केरोसीन के लिए क्या जिले में जायगा ? इसके लिए भी व्यवस्था की गयी थी, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हो पायी, 60 परसेंट, 70 परसेंट हो गयी है, 30 परसेंट विकास खण्ड में यह व्यवस्था लागू नहीं हो पायी है ।

आपको देखना है कि उन विकास खण्डों में जो तेल के होलसेलर वितरण करते हैं उनको प्रोरित करें या निर्देशित करें कि अपने डिपो वहीं पर खुलवाएं जिससे कि तेल के वितरण में गतिशीलता आए और जन वितरण को प्रभावी बनाने के लिए यही आवश्यक है । मान्यवर, एक और व्यवस्था उस समय लागू की गयी थी, एक माडल डिस्ट्रिक्ट चुनकर यह व्यवस्था की गयी थी कि शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता जिस दुकान से चाहें एफीलिएट करा लें । जिस दुकान से चाहें ले लें । ट्रायल किया था । उसका परिणाम क्या रहा ? अगर उत्साहवर्धक रहा हो तो यह व्यवस्था अन्य शहरों में भी लागू की जानी चाहिए । मान्यवर, जन जीवन से जुड़ी जन वितरण की प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, गति देना लोकतंत्र में सर्वोपरि है, क्योंकि जनता का हित लोकतंत्र में सर्वोपरि है और जन वितरण प्रणाली से जनता के प्रति सीधी उत्तरदायी है । इस सम्बन्ध में मैं पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पुस्तक "राष्ट्र जीवन की दिशा" में लिखा है कि यदि बहुजन समाज (सर्वसामान्य) लोक राज्य में अपने सुख की अनुभूति न कर सके तो यही कहना हो कि वहां लोकतंत्र का बेजान ढांचा मात्र खड़ा है, आत्मा नहीं है ।

मान्यवर, आपको पंडित दीन दयाल जी की इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए और आपकी जन भावनाओं के प्रति सम्वेदनशील होना चाहिए । मान्यवर, दूसरा कार्य जो मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की खरीद कर सेन्ट्रल पूल में खाद्यान्न देना है, इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि गेहूं का मूल्य लागत मूल्य से कम दर पर तब कर दिया जाता है, उसे सभी लोग स्वीकार करते हैं और जब खाद्य और रसद विभाग का बजट वहां पर आता है, तो सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि गेहूं का मूल्य बढ़ाया जाय । गेहूं का जो भाव है, वह लागत मूल्य से कम दर पर निर्धारित कर दिया गया है । लाभकारी मूल्य देने की बात तो अलग रही, आप लागत मूल्य की देने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं । सिंचाई के शुल्क बढ़ गये हैं, उर्वरक के मूल्य बढ़ गये है, इसलिए गेहूं का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए । जब लागत मूल्य आप नहीं देंगे, तो उसे बाजार देखना पड़ता है । आपके निर्धारित मूल्य गत वर्ष 225 रुपये था, जबकि बाजार में 250 रुपये तक गेहूं के भाव थे । इसी कारण से आपके खरीद के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं । ।। जून तक गत वर्ष 3 लाख 64 हजार 172 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद विभिन्न एजेंसियों द्वारा हो पाई । यह प्रदेश के खरीद के लक्ष्य का 24.18 प्रतिशत होता है । कृषकों को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया जायगा, तब तक गेहूं का उत्पादन नहीं बढ़ेगा ।

यही कारण है कि प्रदेश में गेहूं का क्षेत्रफल निरन्तर घटता जा रहा है । अगर हमें देश को खाद्यान्न में आत्म निर्भर बनाना है, तो किसानों को प्रोत्साहन

मूल्य देना पड़ेगा जिससे कि प्रदेश का योगदान राष्ट्रीय पूल में गेहूं देने का बढ़ सके और सरकार को भी केन्द्र के साथ प्रयास कर कृषकों को गेहूं का उचित मूल्य दिलाना चाहिए । मेरा सुझाव है कि गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित करते समय इस बात की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाय कि गेहूं क्रय केन्द्रों पर वारदाना बोरे समय से पहुचेंगे, ट्रांसपोरेटेशन, ट्रकों की उचित व्यवस्था होगी तथा गोदामों में गेहूं रखने के लिए पर्याप्त स्थान तथा गेहूं क्रय करने के पर्याप्त धनराशि खरीद एजेंसी के खाते में होगी, तो मैं समझता हूं कि इससे सफलता मिलेगी और जो हमारा गेहूं खरीद का लक्ष्य है, वह पूरा होगा । धान की खरीद मात्र औपचारिकता को लिए की जाती है । विगत दो वर्षों से की गयी खरीद के आंकड़े देखें, मात्र । । हजार कुंटल धान खरीदा गया है । यह कहना उचित नही है कि प्रदेश में धान का उत्पादन कम है, क्योंकि वर्ष 84-85 में प्रदेश में । लाख मैट्रिक टन तक की धान की खरीद की गयी थी, उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । दैनिक उपभोग की सभी वस्तुओं के मूल्य असामान्य रूप से बढ़ रहे हैं । इस संबंध में मेरा एक सुझाव है कि मूल्य सूचियां निर्धारित की जायं, जैसी की व्यवस्था पूर्व में थी । कई वर्षों से यह वह व्यवस्था प्रचलन में नहीं है । पहले जनरल स्टोर, प्राविजनल स्टोर, मशीनरी आदि की दकानों पर मूल्य सूचियां मिलती थी ।

पहले से यह व्यवस्था थी कि सभी दुकानों पर मूल्य सूची टंगी रहती थी, चाहे जिस स्तर की दुकान होती थी, उन सब में मूल्य सूची मिलती थी, परन्तु कई वर्षों से मूल्य सूचियां मिलना बंद हो गयी हैं । यह जरूर है कि मूल्यों का निर्धारण सरकार नहीं करती है, लेकिन मान्यवर पहले भी मूल्यों का निर्धारण सरकार नहीं करती थी । इन सूचियों को जिला प्रशासन व्यापारियों से मिलकर तैयार करता था और उसका यह लाभ होता था कि एक शहर में एक सी वस्तुओं का मूल्य सामान्य होता था और उपभोक्ता कहीं से सामान खरीदता था, उसे सही मूल्य पर सामान मिल जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था का प्रचलन नहीं हो रहा है, इसको बंद कर दिया गया है । अगर आप मूल्य नियंत्रण चाहते हैं तो इस ओर भी आपको ध्यान देना होगा । आप एक अलग मीटिंग व्यापारियों की बुला लें और उसमें सभी वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दें । यह कदम वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए और जमाखोरों पर काबू पाने के लिए आवश्यक है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का एक सरल उपाय है । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि 20, 886 छापे मारे गये । इधर के माननीय सदस्य जो बोलेंगे तो बोलेंगे ही, लेकिन उधर के माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि जब वह बोले तो यह बताने की कृपा करें कि कितने छापे मारे हैं, कोई 10 छापे गिना दें, जो उनके जिले में मारे गये हों और किसी एक पर भी कार्यवाही ही हुई हो ?

एक सदस्य-

लखनऊ में तो 10 से बहुत अधिक छापे मारे गये हैं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मैं जानता हूं कि लखनऊ में मारे गये हों, लेकिन और जिलों की बात बतायें मैं कहना चाहता हूं कि जब आप बोले तो इसको बता दें । मान्यवर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी का जनपद अलीगढ़ है और वहां पर माननीय खाद्य मंत्री जी दौरे पर गये थे और वहां पर उनसे यह शिकायत की गयी कि एक विक्रेता एक किलो के स्थान पर साढ़े आठ सौ ग्राम तौलता है । उसके यहां पर छापा डाला गया और वह पकड़ा गया, लेकिन मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दबाव के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और जो कार्यवाही हो रही थी उसको रोक दिया गया । मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीया ज्ञानवती जी ने एक प्रश्न भी उठाया था, लेकिन उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हम उसको दिखलवा लेगें, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इस प्रकार से यह सरकार व्यापारियों को खुली छूट दिये हुए हैं और वह मनमाना कर जनता का पैसा चूस रहे हैं । मान्यवर, यह बात माननीय मंत्री जी के समक्ष भी आयी, परन्तु व्यापारी तो कहीं न कहीं से कोई लिंक निकाल लेते हैं और अपना कार्य करवा लेते हैं और अब उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो पा रही है ।

मान्यवर, जब आपके पक्ष के सदस्य बोलते हैं, तो एक बात कहते हैं प्रदेश में अल्प संख्यकों के मन से सरकार के प्रति जो आशंका थी, उसका निराकरण हो गया है, अब वह भ्रमित नहीं है और सरकार की ओर से कोई आशंका नहीं है । मान्यवर, अल्प संख्यक भी इस देश के नागरिक हैं और वह गुण दोष के आधार पर प्रत्येक घटना को देख सकते हैं, यह उनका अधिकार है और जनता शासन काल में आपके रोल को देखा गया है । श्री बाजपेई जी द्वारा जो कहा गया, उसकी अल्प संख्यकों द्वारा सराहना की गयी है । क्या बाजपेई जी प्रासंगिक हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार में उनकी क्या प्रासंगिकता है । मान्यवर, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा । बाजपेई जी ने अपनी प्रेस कान्फरेंस की और जो अर्थ नीति है उस पर उन्होंने आशंका व्यक्त थी, परन्तु आपके दल ने पार्लियामेंट में उसका समर्थन किया है । मैं इन बातों को नहीं कहना चाहतां हूं । चाहे प्रदेश की जनता में भ्रम हो या न हो, परन्तु एक चीज स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि इमानदार व्यापारी निरुत्साहित हो रहा है और काला-बाजारी करने वाला व्यापारी जाने और अनजाने में अपने को आपके दल से संबंधित बताकर उसका लाभ उठा रहा है । मान्यवर, यह क्यों है, जब तक आपकी स्पष्ट नीति नहीं होगी, दृढ़ विचार शक्ति नहीं होगी, तब तक यह कुछ हो नहीं सकता है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय चौधरी चरण सिंह का उदाहरण देना चाहता हूं । उन्होंने कहा था कि सफल प्रशासन के लिए आवश्यक है कि स्पष्ट नीति हो, दृढ़ता से उसका कार्यान्वयन किया जाये । कार्यान्वयन करने वालों को आचरण संदेह रहित हो और वे किसी प्रलोभन से समझौता न कर लें । चौधरी साहब को इस प्रदेश का कुशल प्रशासक माना जाता है । मान्यवर, इस सरकार को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए ।

मान्यवर, उपभोक्ता संरक्षण की बात कही गयी है । उपभोक्ता संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार ने एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया है । मान्यवर, अगर वास्तव में इस अधिनियम का सही मायने में परिपालन किया जाये तो उपभोक्ताओं की सहायता हो सकती है, उनका संरक्षण हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें । दुबारा आप कह लीजियेगा ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें । मान्यवर, उपभोक्ता परिषद् का गठन किया गया है । इस परिषद् में सामाजिक योगदान करने वालों की भागेदारी महिलाओं के जो सामाजिक संगठन हैं उनकी भागेदारी हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भागीदारी हो, प्रबुद्ध वर्ग की भागेदारी हो और अगर आप केवल व्यापारियों, निर्माताओं, थोक और फुटकर व्यापारियों को इसमें रखेंगे तो यह सफल नहीं हो सकती है । यह उपभोक्ता संरक्षण परिषद् न होकर व्यापारी संरक्षण परिषद् हो जायेगी । कौन उपभोक्ताओं को अपने हितों के प्रति सचेत करायेगा । चूंकि केन्द्र सरकार इस तरह की चीजों का प्रचार और प्रसार अपने सूचना विभाग द्वारा कराती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस तरह की चीजों को सूचना विभाग द्वारा कराती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस तरह की चीजों को सूचना विभाग के माध्यम प्रसारित करवाना चाहिए, जिससे इनका ज्ञान सामान्य जनता को हो सके। मान्यवर, प्रदेश में ऊर्जा का संकट है । हमें दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना है । कुकिंग गैस के 871909 कनेक्शन दिये जाने बाकी हैं और एल0पी0जी0 गैस के जो सिलेन्डर होते हैं उनमें निर्धारित मानक से कम गैस होती है । ऊर्जा स्रोतों की कमी है । नेशनल एडवाइजरी कमेटी है, उससे सामान्य आवंटन प्रदेश का बढ़वाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए ।

मान्यवर, पेट्रोल और डीजल में मिलावट की बड़ी शिकायतें हैं, मैं यह मानता हूं कि आज मिट्टी के तेल की कमी है माननीय मंत्री जी कहते है कि आवंटन कम है, मंत्री जी की भी बात सही है परन्तु इसका दूसरा कारण भी है और वह यह है कि इसकी मिलावट पेट्रोल और डीजल में की जा रही है उसके कारण शिकायतें होती रहती है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मोहम्मद हसन जी आप कटौती पर बोलें । गांधी जी मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आप संक्षिप्त करें परन्तु मेरे बार-बार निवेदन के बावजूद आप बोलते चले जा रहे हैं इसके बाद अभी आपको उत्तर भाषण करना है तो उसमें जो कहना हो कह लीजिएगा ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, आपकी आज्ञा हो, तो इसे पूरा कर लें । मान्यवर, डीजल और पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट की बात मैं कह रहा था इसका कारण यह है कि जो मिट्टी के तेल और डीजल के वितरक हैं वही आयल कम्पनी के एजेंट हैं और क्रोसिन के होलसैल का लाइसेंस भी उन्हीं को दे दिया गया है । मैं अपने जनपद का उदाहरण दूंगा जय राम एण्ड संस इनके पास इण्डियन आयल का लाइसेंस है और पूरे जनपद का उन्हीं के पास मिट्टी के तेल का लाइसेंस लड़के के नाम से हैं इसी तरह से वर्मा एण्ड संस इनके पास भी मिट्टी तेल का लाइसेंस है और भारत पेट्रोलियम का लाइसेंस है । मान्यवर, हमें मिट्टी के तेल का आवंटन जिस प्रतिशत में मिला है उसी प्रतिशत में महाराष्ट्र में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, कमेटियों में आप लोग जाते होंगे, आप देखें, वहां कोई क्रेसिटी नहीं है, अभाव नहीं है क्योंकि वहां मिलावट की शिकायत नहीं है । अब आप कहेंगे कि हमने व्यवस्था कर रखी है छापे की और सैम्पिल की । मैं कहना चाहा हूं कि न तो पवर्तन विभाग जो आपने इसके लिए बनाया है और इन आपने प्रशासनिक अधिकारी या राजस्व विभाग के अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है कि मेजरमेंट को देख लें या सैम्पिल देख लें परन्तु से ये अधिकारी इसे नहीं देखते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त कर दें ।

श्री मोहम्मद हसन-

मान्यवर, आपकी कृपा से मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हमारे मंत्री जी तशरीफ फर्मा रहे हें । (व्यवधान)

मान्यवर, उन्होंने आज अच्छा बंच दिया परन्तु वक्फ के बारे में कोई कागज, कोई लिटरेचर, कोई इनफार्मेशन किसी भी प्रकार की ऐसी नहीं दी गयी जिससे यह लगे कि पिछले 10 माह में वक्फ के बारे में आपकी क्या नीति है, क्या काम किया है, क्या कदम उठाये हैं ? मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था सुबह और उस वक्त इसकी मांग भी की थी और संसदीय कार्यमंत्री ने यह वायदा भी किया था कि वह इस लिटरेचर को मुहैया करायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया मैं इसकी सख्त निन्दा करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक वक्फ का सवाल है, यह बहुत बड़ी संस्था है । इसमें खरबों रुपये की प्रापर्टी है, अगर देख-रेख और इन्तजाम ठीक तरीके से किया जाय तो इसकी आमदनी से मुसलमानों की गुरबत दूर हो सकती है । आपको मौका मिला है, अगर आप खिदमत करना चाहते हैं और यह सरकार आपकी मुसलमानों की खिदमत करने की इजाजत देती है, तो यह बहुत अच्छा मौका है । इस महकमें का ठीक तरह से इन्तजाम कर दीजिए, इसकी आमदनी बढ़ा दीजिए । यह कौम पर आपका एहसान होगा ।

जहां तक वक्फ की प्रापर्टी की सुरक्षा का सवाल है, यह ऐसा विभाग है जिसमें मंत्री से लेकर संत्री तक मुसलमान ही मुसलमान हैं इसमें किसी और का दोष नहीं हैं वक्फ में जो कुछ हो रहा है लाखों अरबों रुपये और करोड़ों रुपये की जमीनें लाखों व हजारों रुपये में बेच दी गयी हैं । मुतवल्ली और एडमिनिस्ट्रेटर उस पैसे को खा रहे हैं और इसमें जैसा भ्रष्टाचार है, वह शर्म की बात है । आप इसकी प्रापर्टी की सुरक्षा कीजिए, नाजायज कब्जों को हटवाइये । दफा 57 में प्राविधान हैं कि डी0एम0 इजेक्टमेंट कर सकता है लेकिन लोग इस्टे वगैरह ले आते हैं और नाजायज कब्जा बना रहता है । कोई ऐसा इतंजाम कीजिए कि वह तुरन्त बेदखल हो जाए । भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय मंत्री जी का बयान भी पढ़ना चाहता हूं और । जनवरी, 1992 को इण्टरव्यू के दौरान दैनिक जागरण को आपने दिया था कि वक्फ का सही उपयोग आज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें हर जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है । हालत यह है कि वक्फ कार्यालय में कोई कागज भेजना हो या नकल निकलवानी हो तो उसके लिए बाकायदा फीस ली जाती है जबकि औकाफ कर्मचारियों की तनखाह राज्य कर्मचारियों के बराबर हैं।

भ्रष्टाचार की जो तस्वीर आपने खींची है तो इसको मिटा दीजिए । उस पर कोई कमीशन बैठाइए । जांच कराइये या मुकदमा कायम कीजिए । उस जमीन को और उस पैसे को रीकवर कीजिए । दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें । कलियर आप दो बार गये हैं दरगाह जिसकी बहुत बड़ी आमदनी है । इस दरगाह पर मुर्गे चढ़ाए जाते हैं और जो भी कर्मचारी वहां जाता है या वी0आई0पी0 जाता है, दरगाह वाले मुतवल्ली उन मुर्गों से ही उनकी खातिर करते हैं । वहां पर बहुत करप्शन है । मुतवल्ली वगैरह पैसे को हजम कर रहे हैं । इसकी तुरन्त जांच कराइये । इसी प्रकार की पचास दरगाहें ऐसी हैं जहां 5 लाख रुपये से 50 लाख तक की आमदनी है ।

यह तो आपके कागजात है, आमदनी इससे कहीं ज्यादा है । आमदनी को लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं यह जो अरबों रुपये की हानि है यह नष्ट हो रही है और यह करप्शन की नजर हो रहा है, इसका इंतजाम कीजिए । वक्फ के संबंध में जो बातें मैं रख रहा हूं उनको इम्पलीमेंटेशन करा दीजिए इससे उनका प्रोटेक्शन होगा और वक्फ की आमदनी भी बढ़ेगी, इससे मुसलमानों का कल्याण भी होगा । एक तो वक्फ की प्रापर्टी को रेंट कंट्रोल से एक्जेम्पट कीजिए, इसका वायदा भी आपने किया था जो मैंने दूसरे, वक्फ प्रोपार्टी को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से एक्जेम्पट कीजिए । तीसरे, वक्फ प्रोपार्टी को जमींदारी एबालिशन ऐक्ट से एक्जेम्पट कीजिए । जो कब्रिस्तान है वह वक्फ प्रोपार्टी, मुस्लिम कानून के मुताबिक वह वक्फ में आता है उसे ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया गया है । कब्रिस्तान का प्रोटेक्शन

सही तरीके से नहीं हो रहा है वहां जो पेड़ हैं कुछ कब्रिस्तान में कुछ कास्त की जमीन भी होती है, उसका लोग नाजायज इस्तेमाल करते हैं । वक्फ प्रोपार्टी से अवैध कब्जा हटाने के बारे में ।

इस कानून को सरल कीजिए ताकि तुरन्त बेदखली हो । वक्फ बोर्ड में जो मुतवल्ली और एडमिनिस्ट्रेटर आपने मुकर्रर कर रखे हैं वे रिटायर कर्मचारी हैं । जो 30-40 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं उनको औकाफ बोर्ड में वक्फ बोर्ड में नौकरी दी जाती है । 80 प्रतिशत इम्पलायी ऐसे किस्म के लोग हैं, आप उनको वहां से हटायें और काम्पीटेंट और और ईमानदार लोगों को वहां पर रखिये । जो वहां मुतल्लवी लोग हैं औकास में बेकार लोग हैं, फकीर के रूप में जाते हैं और राजा की हैसियत से 3-4 साल का टर्म पूरा करने के बाद दरगाह औकासों से लौटते हैं । दो बोर्ड हैं सुन्नी बोर्ड और शिया बोर्ड । उसमें किसी न किसी कारण से गठन पिछले कई सालों से रुका हुआ है, शायद कोई स्टे हाईकोर्ट से है, उसको एक्सपीडाइट कराइये, वेकेट कराइये । बोर्ड का गठन वह जल्द से जल्द मुकम्मल कीजिए ।

जो वक्फ विकास कारपोरेशन है, इसके काम को तेज करें । इसमें सरकार से रुपये दिलायें । कर्नाटक में वहां के वक्फ विकास डेवलेपमेंट कारपोरेशन को 14, 15 करोड़ रुपये वहां की सरकार ने दिया है, यह उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कर्नाटक से तो कई गुना अधिक पैसे का इन्तजाम आप इस कारपोरेशन में करायें । इसकी ब्रांच हर डिस्ट्रिक्ट में कायम कीजिए । गरीब मुसलमान चाहे शिया हो या सुन्नी उनको लोन का इन्तजाम आपके इस कारपोरेशन की तरफ से होना चाहिए । दफा 125 सी0आर0पी0सी0 में यह प्राविधान किया गया है कि जो बेसहारा मुस्लिम औरतें हैं उनकी जिम्मेदारी वक्फ के विभाग पर डाली गयी है तो आप इन बेसहारा औरतों को अपने फण्ड में से रुपया दीजिए उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कीजिए । मुस्लिम वीकर सेक्शन है । वक्फ बोर्ड की तरफ से उसको सहायता की बहुत जरूरत है, कुछ इन्सेंटिव, कुछ इनकरेजमेंट वक्फ बोर्ड की ओर से उसका सबसे बड़ा सहारा हो सकता है । कोचिंग सेन्टर की बात आयी मैं चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, मेडिकल, इर्जीनियरिंग और एम0बी0ए0 की कोचिग की व्यवस्था की जाये ।

आप इस काम को किस तरीके से करते हैं, किसी तरीके से कीजिये । आपकी कोई भी नीति हो ईमानदारी के साथ होना चाहिए । ओवरहोलिंग इस विभाग की ही होनी चाहिए । अगर आप यह काम कर दें, नाजायज कब्जे हटा दिये जायें, ईमानदार आदमी को भेजा जाये तो काम हो सकता है । मुसलमानों को किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास इतने साधन हैं, इतने रिर्सोसेज हैं जिससे कि कितने ही इंजीनियरिंग कालेज, एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन

चलाये जा सकते हैं । कितने कारखाने लगाये जा सकते हैं, बहुत कुछ मुसलमानों के लिए किया जा सकता है । वाकई में अगर आपको यह खिदमत करनी है कुदरत ने आपकी किस्मत में लिख दिया है तो कम से कम मुसलमानों के लिए यह काम जरूर कर दीजिए, वक्फ बोर्ड को और वक्फ विभाग को मिसाली विभाग बना दीजिए । वक्फ विभाग यतीम विभाग है । आप राम नाम पर आये हुए है, आपका यह वक्फ विभाग भी है बिल्कुल राम भरोसे हैं । चाहे कोई मिनिस्टर रहा हो, कितने मुसलमान मिनिसटर रहे है, आप भी इत्तफाक से मुसलमान हैं, इस सरकार में इकलौते हैं, लाड़ले हैं, आपकी बात मानी जायेगी । इकलौते बेटे और लाड़ले बेटे की बात मानी जाती है । आप मुसलमान होकर यह उपकार कर दें तो मुसलमान आपका नाम इज्जत से लेंगे ।

* श्री भगवती प्रसाद शुक्ला-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । वास्तव में यह जो बजट पेश किया गया है इसमें दो दृष्टियों को सामने रखकर प्रदेश की खाद्य समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया है । सबसे पहले प्रमुख अपनी दृष्टि रखी है उपभोक्ता संरक्षण पर कि कैसे उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने एक संगठन की रचना की जो पहले से चली आ रही थी उसमें विसंगति थी उसको दूर करने का प्रयास माननीय मंत्री जी ने किया है । गांव स्तर पर सहकारी समितियां बनायी जायेंगी उसके बाद ब्लाक स्तर और जिला स्तर तक समितियों का गठन किया जायेगा जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं का संरक्षण भली-भांति किया जा सकेगा । मान्यवर, 40 वर्ष के शासनकाल में जो लक्ष्य किया था, उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात को लेकर लकीर पीटी जाती रही । उन्होंने संरक्षण परिषद् की स्थापना 1986 में की लेकिन हमारे मंत्री जी ने उस संरक्षण परिषद् को सशक्त और प्रभावी ढंग से कैसे चलाया जाये, कैसे उपभोक्ताओं संरक्षण किया जाय इसके ऊपर बड़ी गम्भीरता से विचार करके इसे प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाये हैं । एक दूसरी समस्या है, जिस समस्या के लिए उसका निदान करने के लिए आपने बहुत बड़े प्रयास प्रारम्भ किए हैं वह है वितरण व्यवस्था ।

मान्यवर, वितरण व्यवस्था प्रदेश की खाद्य रसद के मामले में खराब थी उसमें भ्रष्टाचार था । एक दिन तो कह रहे थे कि इतना ज्यादा वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार है कि एक कड़ी को छूते ही सारी की सारी जंजीर झंकार देने लगती है तो इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गयी है और चाहा है कि भ्रष्टाचार कम हो । सबसे पहले व्यवस्था यह की है कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त किया जाये उसके लिए उन्होंने प्रभावशाली कदम उठाये हैं लेकिन व्यवस्था कई तरीके से प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे मंत्री महोदय ने छोटी-छोटी शिकायतों पर भी जाकर चेक किया है और चेक करने के बाद जिसको भी दोषी पाया गया उसको दण्डित किया है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, 19 जिलों में डोर सप्लाई की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है, जिससे से गेहूं, चावल, चीनी आसानी से उपलब्ध हो सके । पहले दुकानों पर चीनी, गेहूं चावल आदि नहीं पहुंचता था, उसके लिए अब निगम को उत्तरदायित्व दिया गया है कि वह राशन दुकान पर यह सामान पहुचायें । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल की इस विभाग ने 44 साल तक उपेक्षा की है, लेकिन हमारे मंत्री महोयद ने 92-93 के न्द्र के ऊपर दबाव डालकर गैस की आपूर्ति कराने का प्रयास किया है, इससे पहले उत्तरांचल में किसी घर में गैस देखने को नहीं मिलती थी, अब इस प्रयास से उनकी सुख-सुविधा प्राप्त हो सकेगी । इस प्रकार आप पूरे बजट को देखें, बजट के अन्दर लोगों, को सुख-सुविधा पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं पहले मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ईद के मौके पर चीनी नहीं बांटी । मंत्री जी ने बड़े शेर फरमाये हैं, मैं भी एक शेर के माध्यम से अपनी बात शुरू करूंगा "नक्शों मे न जांचो, मौके पर जाकर देखो, क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है ।" मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है और उन्होंने उसे कितना चावल, गेहूं, चीनी का आवंटन किये हैं ? इनके पास या तो आंकड़ा है नहीं और यदि है, तो इन्होंने फिर ईमानदारी का सबूत पेश नहीं किया है । संयोग से आपके विभाग के जो सचिव हैं, वह हमारे जनपद देवरिया में डी0एम0 रह चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवरिया की जनसंख्या प्रदेश में सबसे अधिक है, लेकिन आपने देवरिया जिले को अनाज के आवंटन में ईमादारी नही दर्शायी है, मैं आपको बेईमान तो नहीं कह सकता, क्योंकि वह असंसदीय हो जायेगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि आपका आवंटन घटिया किस्म का है । न तो आप चीनी बांट पा रहे हैं, न चावल बांट पा रहे हैं । अगर आपके पास आंकड़े हों तो आप देवरिया, गोण्डा, बहराइच जिलों के बारे में प्रस्तुत कर दीजियेगा । मान्यवर, इनकी वितरण व्यवस्था बिल्कुल खस्ता हालत में है । आपने सरकारी सस्ते गल्ले की कुछ दुकानों को बंद किया है, लेकिन वह भी हाईकोर्ट से स्टे लेकर आपके सिर पर मंडरा रहे हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि समितियों के जो सेल्समैन हैं, वह पकड़े जाते हैं, लेकिन उनकी दुकानें खत्म नहीं होती हैं, उसको इधर से हटाकर उधर, उधर से हटाकर इधर होता रहता है, जबकि प्राइवेट दुकानें जब सस्पेंड होती हैं, तो उसको जेल भेज देते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करें, जिससे लोगों को आसानी से सब चीजें मुहैय्या हो सकें । कार्ड धारकों की जो चेकिंग कराई गयी है, चाहे समितियों के हों, चाहे प्राइवेट हों, उसमें

शहर वालों ने चक्कर लगा-लगाकर अपना करवा लिया है, लेकिन गांव के किसानों, मजदूर का आपने 2-2, 4-4 यूनिट को खत्म कर दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने सूत्रों के द्वारा अपने अन्य माध्यमों के द्वारा तथा अपने ही दल के विधायकों से पता लगवा लें कि जिन सेल्समैनों के पास थोक के थोक राशन कार्ड रखे हुए हैं, क्या उनकी जांच की गई । इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लीला राम शर्मा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मेरे जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला और मुनस्यारी दो ब्लाक हैं, जहां पर आई0टी0डी0पी0 के माध्यम से राशन का वितरण किया जा रहा है, जिससे वहां के रहने वाले लोगों में बड़ा असंतोष व्याप्त है । हो यह रहा है कि जिसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, उनको राशन बहुत महंगा मिल रहा है और जिनकी आर्थिक हालत उनसे अच्छी है, उन्हें राशन सस्ता मिलता है । इसलिए वहां पर आर्थिक हालत को देखते हुए उन लोगों को भी, जिनकी आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों से भी नीचे है, उनको भी उसी दर पर राशन उपलब्ध कराया जाय । उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों का कहना है कि हम लोगों से ज्यादा इन लोगों की आर्थिक हालत गिरी है, इसलिए इन लोगों को भी यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । हमारे जनपद पिथौरागढ़ में डीजल की हमेशा कमी रहती है । सारे हिन्दुस्तान में डीजल बिना परमिट के मिलता है, परन्तु वहां डीजल व पैट्रोल परमिट पर मिलता है । इसलिए आप वहां पर ऐसी व्यवस्था करें कि पिथौरागढ़ में बिना परमिट के डीजल व पैट्रोल मिले । खाद्यान्न की जो दोहरी दरें हैं, इस पर भी आप विचार करें । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री राम किशन ददाजू-

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मंत्री जी ने जो यह बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। बहुत विशाल प्रदेश है और विपक्ष ने कटौती का प्रस्ताव रखा है । 74238 सस्ते गल्ले की दुकानों में सुधार लाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है । इसमें से 63162 दुकानें ग्रामों में और 11,076 दुकानें नगरों में हैं । जांचोपरान्त कार्डों को निरस्त किया गया, यह इन्हें नहीं दिखाई दिया ।

(5 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, जो कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है वह ठीक नहीं है । सारे विपक्षी लोग और कांग्रेस के लोग जो उधर बैठे हुए हैं केन्द्र सरकार से क्यों नहीं कहते कि हमारा कोटा बढ़ायें जो यह 6 सौ 7 सौ ग्राम चावल गेहूं मिल रहा है यह बहुम कम है । हमें दो ढाई लाख क्विंटल गेहूं और चावल प्रति माह चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह तो आप कहते नहीं हैं उल्टे यहां पर आलोचना करते हैं । उनको अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए । मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री महक सिंह -

मान्यवर, जो खाद्य तथा रसद विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है और जो गेहूं राशन में मिलता है वह ज्यादातर ब्लैक मारकेट में बेच दिया जाता है । उपभोक्ताओं को पूरा राशन नहीं मिलता है ।

दूसरी बात गांवों और शहरों में राशन में अन्तर रखा गया है । गांव के आदमी को दूसरे दर्जे का नागरिक का दर्जा दिया जाता है और शहर के आदमी को ऊंचे दर्जे के नागरिक का दर्जा दिया जाता है यह गलत है । सबको समान राशन मिलना चाहिए । फर्जी राशन कार्ड गांवों में भी हैं और शहरों में भी हैं इसकी जांच होनी चाहिए । इस विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बिन्दु लाल -

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो खाद्य तथा रसद विभाग का बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, 9 महीने के अंदर हमारी सरकार ने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाये, कुछ ऐसे कार्य किये जो सही मानों में जनता को राहत पहुंचाते हैं । इससे ही पता चलता है कि हमारी सरकार की नीयत क्या है ? फर्जी राशन कार्डों की सी0आई0डी0 से जांच कराकर करोड़ों राशन कार्ड कैंसिल किये, छापे मार कर करोड़ों का सामान जब्त किया और महंगाई कम की । कई दुकानदारों के लाइसेंस कैंसिल किये, कई के लाइसेंस जब्त किये । केन्द्र से कम सामग्री मिलने के बावजूद उसका वितरण सही ढंग से किया । उपभोक्ता संरक्षण फोरम बना कर व्यवस्था को सुधारा । विकास खण्डों में समितियां बनाकर वितरण प्रणाली को ठीक करने की व्यवस्था की इससे काफी सफलता हमें मिली है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल-

आज यहां पर भ्रष्टाचार की बात की जाती है हम भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं लेकिन 44 सालों से भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैला है इसको इतनी जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता है । व्यवस्था बदल कर ही समाप्त किया जा सकता है फिर भी सरकार ने इतने कम समय में काफी सफलता प्राप्त की है ।

मेरा सुझाव है कि जो दुकानदार हैं उनको बहुत कम मुनाफा मिलता है दो रुपया बोरी चीनी में नफा मिलता है तो कहां से व्यापारी ठीक से काम कर सकता है ? सही ढंग से वह माल बेचे उसके लिए नफा बढ़ाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप समाप्त करें ।

श्री बिन्दु लाल-

विकास खण्ड स्तर पर जो लाइसेंसदारों को चीनी दी जाती है उसमें एस0एम0आई0 द्वारा पैसा लिया जाता है 40 से 50 रुपये तक एस0एम0आई0 को देना पड़ता है । तो इसके बजाय थोक दुकानदारों के द्वारा इसका वितरण किया जाय और वह फुटकर दुकानदारों को दें । गांवों में जो चीनी का वितरण होता है उसमें प्रमाण-पत्र प्रधान द्वारा दिया जाता है ।

हमारा सुझाव है गांव में पहुंचने का प्रमाण-पत्र दें कि चीनी इतने बोरे पहुंची उसका प्रमाण-पत्र भी मिलना चाहिए । इससे भ्रष्टाचार कुछ कम किया जा सकता है । अंत में जो मंत्री जी ने बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री विजयपाल सिंह तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य और रसद जैसे महत्वपूर्ण विभाग की अनुदान मांगों पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं श्री सुरेश प्रताप गांधी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देहात के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है । एक तो, जब उसके गेहूं और चावल की खरीदारी की जाती है तो उनके साथ बड़ी ज्यादती की जाती है । उनसे एक कुंटल में करीब 15-20 किलो ज्यादा अनाज बेईमानी से लिया जाता है । खरीदारी के केन्द्रों पर किसानों की लूट की जाती है । दूसरी बात यह है कि जो आपकी वितरण प्रणाली है उसमें बड़ी विषमता है । जैसा आपने बताया सन् 82 के मानक की जनसंख्या के आधार पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन दिया जा रहा है । किन्तु सन् 82 और सन् 92 की जनसंख्या में बड़ा भारी अंतर हो गया है । साथ ही शहरों में जो एक यूनिट पर एक किलों और देहातों में एक यूनिट पर 200 ग्राम चीनी देने का जो प्राविधान है वह बड़ा दुखदायी है । इस तरह की विषमता द्वारा ग्रामीण लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझ लिया गया है यही हालत मिट्टी के तेल के संबंध में भी है । गांव में शहरों की अपेक्षा लोगों को कम तेल मिलता है जब कि उन्हें और ज्यादा मिलना चाहिए । क्योंकि गांव में रोशनी नहीं पहुंचती है राशन कार्ड की व्यवस्था के संबंध में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कार्यालयों को राशन कार्ड के फार्म उपलब्ध नहीं होते हैं । साथ ही जाली राशन कार्डों की जांच भी कहीं नहीं होती है जबकि आपका कहना है कि बराबर जांच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो रही है और लाखों फर्जी कार्ड पकड़े गये हैं । हमारे यहां सरधना में या और कहीं भी कोई जांच नहीं हुई है । सस्ते गल्ले की दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की जो बात कही है तो वहां पर दुकानों पर माल जाने से पहले ही उसे चोरबाजारों में बेच दिया जाता है । अब आपने एक नई व्यवस्था कर दी है कि फुटकर दुकानों का जिनके पास लाइसेंस होगा उसको ही राशन की दुकानें दी जायेंगी । तो इससे तो चोरबाजारी और भी बढ़ेगी । एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने कहा कि 29 जनवरी को पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापे मारे गये तो मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि छापों में कितने व्यापारी बंद किये गये ? मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम मेरठ जनपद में ही किसी व्यापारी के यहां छापा नहीं मारा गया । केवल गाजियाबाद की बात सुनी थी और जब वहां अधिकारी व्यापारियों के यहां पहुंचे तो व्यापारियों ने अधिकारियों का घिराव किया और उन पर पत्थर और लाठियां चला दिये । जिससे आपका यह छापा मार प्रोग्राम वहां भी पूरी तरह फेल हो गया । तो इसी तरह कहीं छापे नहीं मारे गये सब फर्जी बातें हैं । यहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है । आपको इसको रोकने के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए ।

अभी पिछले साल और उसके पूर्व साल में जूट मिलों से बोरे खरीदे गये गेहूं खरीदने के लिए । जो निर्धारित मानक है उसके अनुसार यहां नहीं खरीदे गये । यह मानक के अनुसार न खरीदकर अधोमानक के अनुसार खरीदे गये और इस तरह इसमें बड़ा भारी सरकार को चूना लगा दिया गया । तो मान्यवर, आप यदि इस भ्रष्टाचार को रोक दें और जो ब्लैक मार्केटिंग, चोर बाजारी या कालाबाजारी है उसको रोक दें तो जनता और प्रदेश का बड़ा कल्याण होगा । हालत यह है कि आपको राज्य में कहीं पर भी दुकानों पर मूल्य सूची लगी हुई नहीं मिलेगी । इसके साथ ही मैं सुरेश प्रताप गांधी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं अपने चंद सुझाव देना चाहता हूं । गांव में अस्सी प्रतिशत जनता अब भी मिट्टी के तेल पर निर्भर है । इसके अलावा उसके पास रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिए उसका मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाया जाये चाहे शहर का काटना ही क्यों न पड़े ? गांव और शहर में चीनी के वितरण की मात्रा में जो फर्क है उसको भी समाप्त किया जाये । तीसरा सुझाव यह है कि चाहे गांव हो या शहर हो, शादी-ब्याह और मरनी करनी में अतिरिक्त चीनी की व्यवस्था अवश्य करायी जाये ।

मान्यवर, चौथा सुझाव यह है कि कोटा परमिट जो भ्रष्टाचार की जड़ है इसे समाप्त करके खुले बाजार में चीनी उपलब्ध करायी जाय चूंकि यह प्रदेश सरकार के वश की बात नहीं है इसलिए केन्द्र सरकार को लिखा जाये ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मेरा पांचवा सुझाव यह है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का जो समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं । और साथ ही यह क्रान्तिकारी बजट जो रखा है इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

मान्यवर, कुछ बातें हमारे मित्र श्री पाण्डेय जी और बड़े भाई श्री विक्रमादित्य ने जो कहा है उसके सम्बन्ध में मैं सच जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आज तक जो आपने किया है उसको प्रदेश की जनता भोग रही है और इसीलिए उसको निजात दिलाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और उसके लिए ही यह बजट लाया गया है ।

मान्यवर, हम केवल इस प्रदेश के अन्दर जो खाद्यान्न सामग्री है उसका वितरण करने का काम करते हैं । आवंटन भारत सरकार द्वारा होता है । भारत सरकार इस प्रदेश के साथ आज से ही नहीं बहुत वर्षों से लगातार सौतेला व्यवहार करती चली आ रही है । मान्यवर इतना इस प्रदेश की जनता को खाद्यान्न की आवश्यकता है इसका बहुत ही कम भाग प्रदेश को मिलता है । लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद हमारे मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री जी द्वारा केन्द्र सरकार से बराबर मांग की जाती रही है कि जो खाद्यान्न सामग्री मिल रही है उसकी मात्रा बढ़ायी जाये ताकि प्रदेश की जनता के साथ न्याय हो सके लेकिन दुर्भाग्य की बात है और खेद भी है कि अभी तक केन्द्र सरकार ने इस प्रदेश की जनता की भावनाओं को नहीं समझा और जितनी सामग्री मिलनी चाहिए थी उससे कम मिल रही है ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आज स्वतंत्रता के चौवालीस वर्षों बाद भी इस प्रदेश के किसानों की माली हालत इतनी खस्ता है जितनी कि चौवालीस वर्षों पहले जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति आज भी है और उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है । मान्यवर किसानों के उपयोग की जो चीजें है उनके मूल्य कई गुना बढ़ गये हैं लेकिन जो किसान उत्पादन करता है उन चीजों का मूल्य नहीं बढ़ा है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य ढाई रुपया रखा है लेकिन हमारी सरकार ने यह मांग किया है कि मूल्य अपर्याप्त हैं इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर आपने लालबत्ती दिखा दिया इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर दिया क्योंकि दो मिनट में मैं क्या बोलूं यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव-

मान्यवर प्रस्तुत बजट पर आलोचनात्मक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं वह इसलिए कि माननीय मंत्री जी को देखकर मुझे तो कभी-कभी दया आने लगती है मगर कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी से जरूर हमारा है । एक तो अभी जांच हो रही थी, राशन कार्ड की । इनके विभाग ने कई लाख अवैध राशन कार्ड कैंसिल भी किये हैं । यह तो बहुत अच्छा काम हुआ है । मगर माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी को पता है कि नहीं गरीबों के पास, हरिजन और आदिवासी अनुसूचित जाति के जो लोग हैं और भी जो दूसरे गरीब लोग हैं, उनके बहुतों के पास राशन कार्ड नहीं हैं । वर्षों-वर्षों से नहीं हैं । वह बनवाने के लिए जाते हैं, और कभी-कभी हम लोग भी प्रयास करते हैं तो जवाब मिलता है कि सरकार ने रोक लगा रखी है। जांच पड़ताल हो रही है । बी0डी0ओ0 कहते हैं कि राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं । मेरा निवेदन है माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी से कि और कुछ करें न करें प्राथमिकता देकर राशन कार्ड जरूर बना दें । सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो सामान मिलता है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ चीजों को और जोड़ना चाहिए वैसे गांव में साइकिल के टायर, बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए कापी स्लेट का मामला है । दाल इतनी मंहगी हो गई है कि लोगों ने दाल खानी छोड़ दी है । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस प्रकार की चीजें भी इसमें शामिल कर ली जाय । मान्यवर, मैंने देखा कि अमूमन जो दुकानदार हैं, मेरे क्षेत्र में भी हैं, मैंने उनसे पूछा कि चीनी और मिट्टी के तेल का ज्यादा दाम लेते हो तो उसने कहा कि ढुलाई आदि में बहुत पैसा चला जाता है इसलिए चार आना, आठ आना लेते हैं । मिट्टी के तेल और चीनी में आठ आना प्रति अधिक यूनिट लेते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि दुकानदारों का कमीशन बढ़ा दें और फिर सख्ती करें ताकि वह निर्धारित रेट से ज्यादा पैसा न लेने पाये ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, मैं बस थोड़ी सी बात कह कर समाप्त कर रहा हूं । हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि शहर और देहात का भेद मिटा देना चाहिए । मगर मान्यवर, यह भेद नहीं खत्म कर सकते हैं । शहरों और गांवों में आज भी अन्तर है । शहर में राशन कार्ड पर प्रति यूनिट के हिसाब से निर्धारित राशन से भी ज्यादा मात्रा में मिल जाता है, ब्लैक में दुकानदार दे देता है परन्तु देहात में जरूरत की सामग्री भी उपलब्ध नहीं करा पाते । इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम शहरों के नजदीक के जो गांव-कस्बे हैं वहां पर भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए । शहरों की तरह उनको राशन दीजिए । मान्यवर, बनारस शहर के काशी विद्या पीठ ब्लाक में मुझे जानकारी मिली है कि वहां पिछले एक डेढ़ साल से गेहूं और चावल राशन की दकानों से नहीं मिल रहा है । ब्लाक प्रमुख ने

चिट्ठी लिखी तो बी0डी0ओ0 ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है । मैं माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसे आदेश दिये हैं कि वहां राशन न दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, इसके लिए व्यवस्था करायें और पता लगायें कि काशी विद्या पीठ में राशन क्यों नही दी जा रही है ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, अभी माननीय शुक्ला जी बोल रहे थे और मैंने देखा भी है कि बार-बार सदन में सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारत सरकार को दोष दे देती है । अभी माननीय मंत्री जी ने भी यही बात कही थी । माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री को जब मैं देखता हूं तो लगता है कि वह एक फूल हैं, जिसमें न कोई खुशबू है और न कोई बदबू । श्रीमन, आप देखें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं आठ किलो प्रति यूनिट मैदानी क्षेत्र में दस किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह पर्वतीय क्षेत्रों को देते हैं । चावल 6 किलोग्राम मैदानी क्षेत्र में, आठ किलो प्रति यूनिट प्रति व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्र में देते हैं । श्रीमन् चीनी के बारे में हर विधायक ने कहा कि एक किलोग्राम प्रति यूनिट शहर और मैदानी क्षेत्रों में देते हैं। एक किलोग्राम चीनी पर्वतीय क्षेत्रों में देते हैं और 250 ग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में देते हैं तो इसमें समानता करने की आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक किलोग्राम प्रति यूनिट चीनी दी जाए । जो देहात के लोग हैं उनके यहां शादी विवाह होता है, लगन होती है तो उनको बहुत परेशानी होती है तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसको बराबर किया जाए । मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहूंगा 10 लीटर मिट्टी का तेल प्रति मास मिलता है और पांच लीटर मिट्टी का तेल देहात में मिलता है जबकि शहरों में बिजली है देहातों में बिजली भी नहीं है उसको मिट्टी के तेल ढेबरी को जलाना पड़ता है । दस लीटर शहर वालों को मिट्टी का तेल मिलता है तो कम से कम गांवों में भी दस लीटर मिट्टी का तेल प्रति कार्ड पर मुहय्यैया कराया जाए। मान्यवर, मैं पिछले सप्ताह अपने क्षेत्र में गया था गेहूं की कटाई हुई है ।

डीजल की गांवों में बड़ी समस्या है किस प्रकार से किसान गेहूं की कमाई कर पाएगा ? मैं चाहता हूं इसका सर्वेक्षण कराकर कम से कम देहातों में डीजल सुलभ करा दें । मान्यवर, वस्तु निगम की पुस्तक दी गई है 1991-92 में 5 लाख रुपया वस्तु निगम का था, उसके बाद 1991-92 में 4,361 हो गया इसमें घटता गया, प्रति वर्ष इनकी आमदनी अपने निगम के द्वारा घटती गई है । शादी

ब्याह में 20 किलो चीनी मिली है वह भी सबको नहीं मिल पाती है एक बटा तीन या एक बटा चार मिलती है वह भी बहुत दौड़ने के बाद जिसकी वजह से गरीब किसान के सामने समस्या खड़ी हो जाती है । तो यह तो बीस किलो चीनी है इसको 50-60 किलोग्राम करा दीजिए । तो गरीब किसान की समस्या हल हो जाएगी । मैं एक बात और कहना चाहूंगा गेहूं की खरीद के क्रय केन्द्र श्रीमन् हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, गेहूं के खरीद क्रय केन्द्रों पर बड़ा घपला होता है । अभी कहा गया कि क्रय केन्द्र पर्याप्त मात्रा में खोले जाएंगे । शासन की तरफ से कोई किसान मान्यवर जब गेहूं बाजार में ले जाता है ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

यह सरकार किसानों की बड़ी चर्चा करती है तो हम चाहते हैं किसानों की समस्या को देखते हुए क्रय केन्द्र खोलें जायं ताकि गरीब किसान को नगद पैसा मिला सके ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, बीच में दलाल आ जाते हैं तो क्रय केन्द्रों की व्यवस्था की जाए इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री माम चन्द्र-

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे उनकी एक आदत हो गयी है आलोचना करने की । मैं एक बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । एक व्यक्ति को बहुत गप्पे हांकने की आदत थी । उसने दूसरे गप्पी से कहा कि भाई मेरे यहां इतनी लम्बी खोर है कि जिसमें सारे जानवर बंद करके घास खा सकते हैं । दूसरे गप्पी ने कहा कि मेरे पास एक बहुत लम्बा बांस है जिसको बादल में डालकर हिला दो तो पानी बरसने लगता है । पहले गप्पी ने पूछा भाई ठीक है लेकिन तुम उस बांस को रखते कहां हो ? दूसरे गप्पी ने कहा कि तुम्हारी खोर में रखता हूं । ठीक वही हाल इन लोगों का है, माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनेक उपाय किये हैं । भ्रष्टाचार पर जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अंकुश लगया गया है उसी का नतीजा है कि 1992 में, 16 मार्च, 1992 तक 18863 छापे मारे गये, 1051 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । 1142 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयीं तथा 2765 लाइसेंस निलम्बित किये गये । 2416 लाइसेंस निरस्त किये गये और 6,08,308 रुपये की प्रतिभूति जब्त की गयी । इसके अलावा लगभग 8 करोड़ 32 लाख 44 हजार, 206 रुपये मूल्य की वस्तुओं को अभिगृहीत किया गया है ।

मान्यवर, इस तरह से वितरण प्रणाली में बड़ा सुधार किया गया है । मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में जो वितरण का मानक है उसको समान कर दिया है वहां भी इस देश के नागरिक रहते हैं । आशा है कि आप मेरी इस मांग को स्वीकार करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे खाद्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, आपके माध्यम से उस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय खाद्य मंत्री जी से इस प्रदेश के नागरिकों को काफी उम्मीदें थीं कि मंत्री जी कुछ ऐसी खाद्य विभाग के संबंध में घोषणायें करेंगे जिससे कि प्रदेश की जनता के कुछ आसूं पोंछ सकेंगे परन्तु मंत्री जी ने अपने पूरे भाषण में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जो इस प्रदेश की जनता को कुछ दे सके । यह ठीक उसी प्रकार से रहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया ।

मान्यवर, इसी के साथ मैं आपके माध्यम से इस सरकार की (× × ×) नीति के संबंध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल में डीजल की मिलावट होती है । पेट्रोल में काफी मिट्टी का तेल मिलाया जाता है । किसान लोग अपने खेत घर गिरवी रखकर ट्रेक्टर लोन से लेते हैं लेकिन पेट्रोल में मिट्टी का तेल की मिलावट होने के कारण नये ट्रेक्टरों के इंजन बेकार हो जाते हैं और किसान अपने ट्रेक्टर के साथ अपनी जमीन और घर से भी हाथ धो बैठता है । मान्यवर, अब मैं कुछ बातें वितरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । चीनी तथा अन्य सामान के वितरण के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा । मान्यवर, नीति तो जब-जब वह क्रियान्वित हो जाय । मान्यवर, आप देख लें एक किलो चीनी शहर में और 250 ग्राम चीनी देहात में वितरण की जाती है । यह सरकार की दोगली नीति आप देख लें । ग्रामों में राशन कार्ड भी पूरे नहीं बनाये गये हैं । मथुरा में प्रत्येक बी0डी0सी0की मीटिंग में कहा जाता है । प्रधान कहते हैं कि उनकी ग्राम सभा में राशन कार्ड नहीं हैं । बी0डी0ओ0 तथा दूसरे कर्मचारी कहते हैं कि राशन

---

नोटः- ( × × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्ड सप्लाई आफिस से नहीं मिलते हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करायें ।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मथुरा में गोबर्धन, फरह, मथुरा ब्लाक की कार्यवाही दिखवा लें । वहां के केवल 25 प्रतिशत लोगों के राशन कार्ड ही बन पाये हैं । माननीय मंत्री जी राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था करें । मंत्री जी ने अपने भाषण में कुकिंग गैस के वितरण में उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल की बात कही । गैस के कनेक्शन के साथ-साथ गैस की आपूर्ति की व्यवस्था भी होनी चाहिए । खाली गैस कनेक्शन दे दिया और सिलिंडर न मिला तो बेकार है । मान्यवर, आप देखेंगे कि शहरों में बड़े-बड़े होटल, हलवाई और दुकानों में आसानी से कनेक्शन मुहैय्या हो जाते हैं जबकि उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं मिल पाता वह घूमता रहता है । गैस नहीं मिलती, कनेक्शन भले ही मिल जाय । ब्लैक में होटलों में, दुकानों में, हलवाई के यहां गैस चली जाती है । प्रदेश में मिलावटी सामान की बिक्री खुले आम बढ़ रही है । कहीं भी जाएं, कोई भी खाद्य सामग्री पर मूल्य की सूचना नहीं मिलती । मंत्री जी ने पूरे भाषण में खाद्य आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की है कि कितने छापे मारे जाएंगे, कितने मारे गये और आगे क्या कार्यवाही की जायगी ? इन शब्दों के साथ मैं माननीय गांधी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री झाऊ लाल यादव-

सम्मानित उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी को बड़े संक्षेप में एक सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, आज सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन वितरण के नाम पर, चीनी वितरण के नाम पर समूचे उत्तर प्रदेश में एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है और विभिन्न तरीकों से अपने क्षेत्र के, कस्बे की समस्याएं लगातार हमारे साथियों ने रखीं । मान्यवर, आप हिन्दी अंग्रेजी दोनों के विद्वान हैं । आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था की गयी है या पहले से की जाती रही है, इससे खाद्य वितरण की दुकानों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था होने वाली नहीं है । जहां पर दोहरी व्यवस्था है वहां पर किसी प्रकार की सही व्यवस्था नहीं हो सकती राशन की व्यवस्था में भी दोहरी व्यवस्था है कि एक ओर जिलाधिकारी अपने को अधिकारी समझता है और दूसरी ओर आवंटन का अधिकार परगनाधिकारी के पास है । इस प्रकार की दो व्यवस्था के कारण व्यवस्था नहीं हो पा रही है । जहां तक सरकार का सवाल है, मैं समझता हूं बार-बार मंत्री जी द्वारा लगातार बार-बार माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार कल्याणकारी है । हम समाज में भयमुक्त समाज की परिकल्पना बनाने का प्रयास कर रहे हैं । मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि विभिन्न विभागों के मंत्री और संबंधित सरकार के लोग ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश को भयमुक्त नहीं कर रहे हैं, स्वयं अधिकारयों से भयमुक्त हो रहे हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार करें और जो दोहरी व्यवस्था है जिलाधिकारी और

परगनाधिकारी की, उसको समाप्त करके प्रदेश के लोगों को राहत दें । इसके साथ ही जो माननीय गांधी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद देता हूं ।

* श्री सत्य देव पचौरी-

मान्यवर, खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । जब हमारी सरकार बनी तो आवश्यक वस्तुओं के दाम निरन्तर बढ़ रहे थे । आज गरीब जनता जिसको सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से जो सामान मिलता है, वितरण प्रणाली के माध्यम से, वह उपलब्ध नहीं हो रहा है । माननीय मंत्री जी ने कुशलता दिखाते हुए इस विभाग के माध्यम से जो राशन की दुकानें नहीं खुलती थीं, वह विधिवत खुलें, इसकी व्यवस्था की । इसके साथ-साथ उन्होंने जो राशन की दुकानों में राशन नहीं पहुंचता था, रास्ते में बिक जाता था, उसके लिए डोर स्टेप डिलिवरी की व्यवस्था की ताकि राशन दुकानों पर पहुंचे और दुकानदारों को राशन लेने न जाना पड़े । यह व्यवस्था की, फर्जी यूनिट जिसके माध्यम से दुकानदार राशन बाजारों में ब्लैक मार्केटिंग कर लेता था, फर्जी यूनिट 2 करोड़, 78 लाख निरस्त किये गये, यह हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं । इसके साथ-साथ जो दुकानें कोई और चला रहे हैं, वे दूकानें निरस्त की जा रही हैं, जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है और इसके साथ-साथ केन्द्र से हमारे प्रदेश को समुचित खाद्यान्न मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है । इसके अलावा गेहूं और चावल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह -

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने खाद्य और रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं माननीय सुरेश प्रताप गांधी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए कुछ कहना चाहता हूं तथा साथ में माननीय मंत्री जी को सुझाव भी देना चाहता हूं । आज जो वितरण प्रणाली में व्यवस्था की गयी है, उस व्यवस्था की कमियों के कारण आम जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह सरकार अक्षम साबित हो गयी है, जिसके कारण भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, चोरबाजारी अपनी चरम सीमा पर बढ़ गयी है । मान्यवर, जिस तरह से आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि हो रही है, कुछ ऐसा लगता है कि जनता की कमर टूट जायगी । जो इन्होंने अभी फर्जी राशन कार्ड के चेकिंग अभियान चलाये थे, यह अभियान अच्छा है, लेकिन उसके इन्होंने कितने कारगर उपायों के जरिये फर्जी राशन कार्ड को खारिज किया तथा उनकी जगहों पर जो सही राशन कार्ड हैं, उनको लागू किया । मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं । गाजीपुर, बलिया में यह अभियान नगण्य रहा । मान्यवर मिट्टी के तेल की मात्रा जो देहातों के लिए निर्धारित किया है, वह बहुत कम है, कम से कम शहर के बराबर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

10 लीटर कर दें। अभी देहात में परीक्षा हुई, उस परीक्षा के दर्मियान मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है । मान्यवर, जो देहातों के लिए शादी-विवाह में 20 किलो चीनी देते हैं, वह बहुत कम है, इसलिए उसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए, उसके न बढ़ने के कारण ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है । इस समय गांवों में गेहूं और अन्य रबी की फसलों की मड़ाई चल रही है, वहां पर विद्युत की आपूर्ति कम हो रही है, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि डीजल की मात्रा बढ़ा दी जाय । मान्यवर, पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट बहुत ज्यादा है और इस पर कोई प्रभावी कदम आपके विभाग की तरफ से नहीं हो पा रहा है । ऐसा लगता है कि आपके विभाग के कर्मचारी इसमें शामिल हैं, इसलिए कोई अभियान समिति बना कर इस पर रोक लगावें और इस तरह से जो पेट्रोल और डीजल पम्पों पर या अन्य फुटकर बिक्रेताओं द्वारा नाप में कमी की जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए ।

प्रदेश में जो कोयले की कालाबाजारी है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए और इस कालाबाजारी में अधिकारी लोग ज्यादा शामिल हैं । इसे दूर किया जाना चाहिए। जो देहातों में गेहूं का क्रय केन्द्र कम है, इसलिए इसे खोलवाने की व्यवस्था करायें । कासमावाद, मरदा दारदौर, मनिहारी आदि स्थानों पर खोलवाने की कृपा करें । गेहूं की जो खरीद मूल्य भारत सरकार ने 250 रुपया किया है, तथा उस पर 25 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस दिया है, तो 275 रुपया प्रति कुटंल का हिसाब आता है । अब देखिये श्रीमन् भा0ज0पा0 की सरकार है मध्य प्रदेश में, 25 रुपया बढ़ा दिया है प्रति कुंटल के हिसाब से, अब 300 रुपया प्रति कुंटल हो गया हरियाणा सरकार ने भी बढ़ा दिया है । समय कम है इसलिए मैं और उदाहरण नहीं देना चाहता, इसलिए इस प्रदेश सरकार को भी इस प्रदेश के गेहूं कृषकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए अधिक से अधिक मूल्य इनको और बढ़ाना चाहिए, जिससे गेहूं का क्रय हो सके तथा व्यापारियों पर भी लेवी लगानी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेश संगल-

मान्यवर, मैं खाद्य एवं रसद मंत्री को भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयास के लिए बधाई देता हूं । प्रयास इसलिए कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन की मंजिल अभी बहुत दूर है और प्रशंसनीय इसलिए है कि उन्होंने भ्रष्ट डी0एस0ओ0 और राशन डिपो होल्डर्स से 2 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी यूनिट खींचकर सही उपभोक्ता को लाभ पहुंचा ।

इसी तरह राशन डिपो के ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करके वास्तविक दुकानदारों को डिपो देने की कोशिश यह अलग बात है, अच्छा-अच्छा ही रहता है । मान्यवर इस ओर प्रभावी कदम उठाकर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव और शहरों में एक समान राशन दिया जाना चाहिए । मैं इस बात का पक्षधर हूं कि गांव और शहर के उपभोक्ताओं को बराबर राशन दिया जाना चाहिए, कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए । अगर आपको राशन किसी कारण से काटना पड़े तो जो लोग 5-5 और 6-6 हजार तनख्वाहें पाते हैं और जो धनी और सम्पन्न व्यक्ति हैं, उनका राशन काटना चाहिए। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, गांव और शहरों को अगर बराबर राशन मिलता है, तो आपका नाम होगा और आपकी सरकार का नाम होगा । आपने उपभोक्ता फोरम की ओर प्रभावी कदम उठाये हैं, इस फोरम ने हमारे जिले में काफी काम किया है टेलीफोन व बिजली वालों तक के विरुद्ध जुर्माने करके उनकी कार्य प्रणाली दुरुस्त की है । लाल बत्ती जल गयी है । मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, मैं पहले बोल रहा था, तो उस समय जनता सरकार के खाद्य मंत्री, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, द्वारा बहुत अच्छे काम किये गये थे, उनके बारे में बता रहा हूं । उस सयय उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम कार्य कर रहा था, उसकी चर्चा जरुर करना चाहता हूं । मान्यवर, इसकी अशं पूंजी 50 लाख थी और दिवाकर विक्रम सिंह जी ने यह निर्णय लिया था कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य इसी निगम द्वारा कराया जायेगा, वस्तुओं की खरीद इसी निगम द्वारा करायी जायेगी और मूवमेंट कार्य भी इसी निगम द्वारा कराया जायेगा और विभिन्न स्थानों पर डिपो खोले गये और इसका परिणाम यह हुआ कि यह निगम लाभ में आ गया और इसकी जो पूंजी थी वह 50 लाख से बढ़कर 5 करोड़ हो गयी है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो घाटे पर हो और वह लाभ अर्जित करने लगे, लेकिन किसी प्रकार से पता है कि जो हमारे खाद्य सचिव हैं इसको उसी पहले की स्थित में ले जाना चाहते हैं और जो कार्य निगम द्वारा किये जा रहे हैं, उनको हटा लिया जाये । हो सकता है कि उनकी कोई गलत धारणा हो, लेकिन जो अच्छी व्यवस्थाहै, उसको बदलना नहीं चाहिए।

(इस समय 6 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की बात कहना चाहता हूं । इसके जो डिपो हैं वह अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनका विस्तार होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सके । इनका विस्तार तहसील स्तर तक कर दिया जाये तो कर्मचारियों को बहुत लाभ मिल सकेगा । कहीं-कहीं से शिकायतें आयी हैं कि जो सामग्री मिल रही है वह सब स्टैंडर्ड की है, इसको देखा जाये । जो जलपान गृह हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । अभी एक सदस्य बोल रहे थे और उन्होंने खाद्य परामर्शदात्री समिति की बात कही, इसका

महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इसमें सांसद, विधायक और चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वह भी इस समिति में रहते हैं । अभी एक भाई ने कहा कि इसकी कितनी मीटिंग होती हैं, मीटिंग की बात तो अलग है इसका गठन ही नहीं हुआ है तो इसका गठन जल्दी ही कर दिया जाये । अगर आप जनता से सुझाव मांगेगे तो सही सुझाव आयेगें । अगर आपको गेहूं के लक्ष्य को पूरा करना है, तो आप बोनस बढ़ावें । गेहूं का मूल्य लागत मूल्य से बहुत कम है और जब उत्पादन मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान उत्पादन कैसे बढ़ायेगा ? इसलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं का मूल्य कम से कम 275 रुपया और बोनस होना चाहिए, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके । मान्यवर जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही, उत्तरांचल के बारे में, तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की केवल एक ही उपलब्धि रही है कि उन्होंने उत्तरांचल के लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी से प्रयास करके गैस का आवंटन बढ़वा दिया है ।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि उत्तरांचल में वर्ष प्रारम्भ होने के पहले ही सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जाये, वह अप्रैल, मास में ही कर लिया जाये, जिससे भूकम्प पीड़ित स्थानों-स्थानों पर सामग्री ठीक प्रकार से पहुंच जाये । ट्रान्सपोर्टेशन के कारण पहाड़ी पर खाद्यान्नों का मूल्य सदैव महंगा पड़ता है इसलिए स्थायी सब्सीडी की व्यवस्था वहां पर की जाये । एक चीज की ओर और आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो आपने स्क्रीनिंग कमेटी बनायी है, वह शहरों में जो दुकानें हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रही है । मैंने जिले के अधिकारियों के बारे में इसके विषय में जानकारी प्राप्त की, तो पता चला कि इसका कोई परपज नहीं है । मान्यवर, लक्ष्य केवल यही हो सकता है कि जो ईमानदार बिक्रेता हैं, उनका लाइसेंस रद्द किया जायेगा और जो इनकी पार्टी के लोग हैं, उनको दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

गांधी जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, उचित मूल्य की दुकानों का नवीकरण केवल एक निश्चित समय के लिए किया गया है, जितने समय के लिए होना चाहिए उतने समय के लिए नहीं किया गया है ।

इस तरह से आपकी मंशा यह है कि अपने लोगों को दुकान दी जाय तो मान्यवर, अपने लोगों को दुकान देने की या आवंटित करने की योजना है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पास दोनों विभाग हैं खाद्य और रसद और वक्फ । अभी हमारे

साथी बोल रहे थे वक्फ पर और माननीय मंत्री जी घोषणा भी कर चुके हैं सार्वजनिक रुप से कि वक्फ की जो जायदाद है उसको रेंट कंट्रोल से मुक्त कर देंगे । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जब माननीय मंत्री जी इस बात को कह चुके हैं और दोनों विभाग भी उनके पास हैं तो वे इस व्यवस्था को लागू करें । यह व्यवस्था राजस्थान में भी है और अन्य प्रदेशों में भी है । इनके अन्दर जो सम्पत्तियां हैं उनको भी रेन्ट कंट्रोल से मुक्त कराया जाय क्योंकि उसके अन्दर सीमित किराया मिलता है और होता यह है कि जो कर्मचारी हैं वह मिल जाते हैं और ज्यादा वक्फ के विपरीत निर्णय होते हैं और उसका लाभ उन्हीं को मिलता है जो कि किरायेदार हैं इसलिए रेंट कंट्रोल से इसे इक्जेम्पट कराया जाय, यह माननीय मंत्री जी की घोषणा भी है और वह भी कह चुके हैं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे यह समझा जाय, माननीय मंत्री जी का भाषण में सुन रहा था तो वह अगर लाबी में बैठकर सुने तो ऐसा लगे कि पार्लियामेंट में बोल रहे हैं क्योंकि केन्द्र की चर्चा थी कि कितना आवंटन मिल रहा है कितना क्या है ? कहीं भी प्रदेश की सरकार के बारे में यह नहीं बताया, एक भी योजना नहीं बताई कि इसमें सरकार रिलीफ देने जा रही है या यह इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश को लाभान्वित करने जा रहे हैं उधर के साथी भी बोले कि आप यह व्यवस्था करें कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में समानता हो चीनी की अवश्य व्यवस्था करें चाहे आपको नान लेवी चीनी ही क्यों न लेना पड़े, उसकी असमानता को आप समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद हसन-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने वक्फ का राशि 55 लाख 52 हजार रुपये रखा है यह रकम बहुत ही नाकाफी है और इससे वक्फ विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दी जा सकती है । वक्फ में सबसे बड़ा करेप्शन का सबब यह भी है कि वहां के कर्मचारियों की तनख्वाहें बहुत कम हैं उनको वह बेनी-फिट नहीं दिया जाता है जो दूसरे विभागों के कर्मचारियों को दिया जाता है, वक्फ भी सरकारी विभाग है जिस तरह से दूसरे सरकारी विभाग हैं और वहां के विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह दूसरे विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाह के बराबर होनी चाहिए और वही बेनीफिट उनको भी मिलना चाहिए । मान्यवर, एक सुझाव मेरा यह है कि जैसे हरिद्वार आदि हमारे बहुत ही बड़े तीर्थ स्थान है उन्हें डेवलप किया जा रहा है और इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि उनकी इंटरनेशनल अट्रैक्शन बढ़े इसी तरह से देवाशरीफ है, कलियर शरीफ है और बहुत से मुसलमानों के स्थान हैं जिनकी इंटरनेशनल इम्पारटेंस है तो टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तवज्जह इस तरफ भी दिलवायें जो कि उनको भी डेवलप करें ताकि दुनिया भर के मुसलमान और दूसरे लोग भी वहां आ सके जिससे फारेन इक्सचेंज में बढोत्तरी हो । तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि स्कालरशिप की तादाद बहुत कम है ।

100, 150 गरीब मुसलमानों के बच्चों को वक्फ की तरफ से स्कालरशिप दी जाती है । मुसलमानों में गुरबत बहुत ज्यादा है इसलिए स्कालरशिप की तादाद को बढ़ाया जाय । माननीय मंत्री जी ने वक्फ के बारे में किसी ऐसी नीति का ऐलान नहीं किया जिससे पता चले कि भ्रष्टाचार कम कैसे होगा, वक्फ बोर्ड का कैसे गठन होगा, नाजायज कब्जे कैसे खत्म होंगे और जो गलत काम हुए हैं और प्रापर्टी नष्ट हुयी है उसका क्या प्राविधान है और पहले जिन्होंने यह काम कियाहै उनको कैसे सजा दी जाएगी ? इसलिए मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और बजट की मुखालफत करता हूं ।

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, सम्मानित साथियों का आभारी हूं कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं । मुख्य रूप से हमारे बजट के प्रस्ताव का उन्होंने विशेष रूप से विरोध किया है । केवल सुझाव दिये हैं । एक शेर अर्ज करना चाहता हूं:-

"जिस कसौटी पर हमें परखते हैं जनाब,
क्या नतीजा हो अगर आपको परखा जाय।"

जो बहुमूल्य सुझाव आए हैं उन पर विचार किया जाएगा । केवल दो शब्द इस कारण कहने की अनुमति चाहता हूं कि माननीय गांधी जी ने अलीगढ़ के संबंध में एक बात कही । अलीगढ़ जब मैं गया था तो गगन वनस्पति का पैकेट पकड़ा था । गगन वनस्पति के मालिक के खिलाफ मुकदमा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया गया तो उसने अपराध स्वीकार किया और उसे दण्डित किया गया । उस अदालत के फैसले के खिलाफ प्रदेश की सरकार अपील करने जा रही है कि जुर्माना कम किया गया है । सजा भी दी जानी चाहिए । अधिकांश साथियों ने कहा है कि शादी ब्याह के मौके पर चीनी कम दी जाती है, कोई कोटा अलग से नहीं है । बताना चाहूंगा कि कन्या के विवाह के अवसर पर 50 किलोग्राम चीनी का परमिट देते हैं और लड़के की शादी के लिए 25 किलोग्राम चीनी देते हैं ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मैं माननीय सुरेश प्रताप गांधी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने द्वारा प्रस्तुत आइटम संख्या 21 के विरुद्ध कटौती का प्रस्ताव को कृपया वापस ले लें क्योंकि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन पर विचार करेंगे ।

मान्यवर, मेरे अजीज साथी श्री मोहम्मद हसन साहब ने भी वक्फ के संबंध में केवल सुझाव दिये हैं सुझाव बहुमूल्य हैं उन पर विचार किया जायेगा । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्व में मेरी उनसे वार्ता हुई थी उनसे यह कहा भी था कि आप लोगों का सहयोग चाहिए । मुझे आशा है कि निकट भविष्य में, जो-जो बातें रखी हैं उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे और कार्यवाही की जायेगी । इसलिए हसन साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और मेरा यह प्रस्ताव पारित करायें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेश प्रताप गांधी जी, केवल इतना बता दें कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, पिछली सरकार ने कोयले में एजेन्ट प्रथा समाप्त कर दी थी । यह तय किया गया था कि कोल उपभोक्ता अपनी एसोसियेशन के माध्यम से कोयला मंगायेंगे । भट्टे वाले अपनी एसोसियेशन के माध्यम से कोयला मंगायेगें । क्या यही व्यवस्था यह सरकार चलाने जा रही है या नहीं ?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, पिछली सरकार ने कोल एजेन्ट की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया । हमारी सरकार भी जिले में कोयला पहुंचे इसके लिए व्यवस्था कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गांधी जी, आप बतायें कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

माननीय मंत्री जी ने काम की बात कम की है और आदेशों की बात ज्यादा की है । जिला अलीगढ़ की घटना का मैंने उनसे जिक्र किया था ।

श्री अध्यक्ष-

मात्र यह बतायें कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, मंत्री जी ने शेर भी सुनाये, अलीगढ़ की घटना के बारे में कहा, मैं भी एक शेर सुनाता हूं "जो बातें करें आसमां से हम, लिपटे पड़े हैं देखो, निहां से हम, ऐचारा सा गये हालत न पूछ, एक राज है जो कह नहीं सकते जुबां से हम ।"

श्री अध्यक्ष-

मो0 हसन साहब आप अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मोहम्मद हसन-

मान्यवर, मंत्री जी ने अपनी तकरीर में शेरों शायरी का सहारा लिया कोई ऐसी बातें नहीं आयीं जिसके बिना पर मैं अपने कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21 खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,35,4,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास, अनुदान संख्या-17 कृषि अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)**

श्री अध्यक्ष-

माननीय राज्य मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन में जितने सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं वे अध्ययनशील और विचारवान हैं उनकी साहित्य को पढ़ने में रुचि है मैं चाहूंगा कि आप बजट को प्रस्तुत करते समय मुख्य बिन्दु बता दें शेष पर चर्चा हो जायेगी ।

पशुधन विकास, दुग्ध विकास एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,35,36, 000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,39, 95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,73,65,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जिस तरीके से अन्य औषधालय होते हैं, डाक्टर होते हैं उसी तरीके से पशुओं के लिए भी बहुत से अस्पताल होते हैं जहां उन पशुओं का इलाज होता है उनकी देखभाल का काम किया जाता है । मान्यवर, पशुधन के क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम चलाये जाते हैं जो समाज के लिए हितकारी होते है । हमारे पशुधन विभाग ने पशुओं को उपयोगी बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाये हैं । मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता । हमारी सरकार चाहती है कि हम दूध की नदियां बहा दें उसके लिए अच्छे-अच्छे पशुओं को विकसित किया जा रहा है, उनके द्वारा दूध का उत्पादन करके बेरोजगारों को काम देने की योजना बनायी गयी है । इसी तरीके से मत्स्य पालन, भेड़पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, शुकर पालन आदि के द्वारा जो गरीब बेकार लोग हैं उनको रोजगार देने की योजना है इन योजनाओं को रोजागारपरक बनाकर बेकारी दूर करने की योजना बनायी गयी है । हमारी सरकार ने इन योजनाओं पर विस्तार से ध्यान दिया है । कक्कुट पालन और मत्स्य पालन की योजना है । कुक्कुट पालन में सरकार ने लोगों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए भी योजना बनाई है । इसके अलावा मत्स्य पालन और उद्योग लगाने के लिए भी सरकार ने छूट देने की योजना बनाई है । सरकार इसके लिए भी दृढ़संकल्प है कि जो हरिजन हैं, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार है उनको छूट देकर बेरोजगारी दूर हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमारे साथी इस पर पूरा ध्यान देगें तो कल जो विधेयक आया है, उस विधेयक से इसका सीधा सम्बन्ध है, चोली दामन का साथ है और जब प्रदेश में पशु सुरक्षित होगे, अच्छी स्थिति में होंगे, तभी हम देश के अन्दर श्वेत क्रान्ति ला सकेंगे । कल जो हमारा विधेयक आया, जो अब पास भी हो चुका है, उससे हमें गरीबी को दूर करने में सहायता मिलेगी । आज जो बजट ला रहे हैं, उससे भी गरीबी दूर करने की हमारी योजना है । मान्यवर, जो जमींदारी खत्म की गयी, उससे भी गरीबी दूर नहीं हुयी । इस बजट में विभिन्न प्रकार की

योजनायें बनाकर लोगों की गरीबी, बेरोजगारी दूर करने का ही प्रयास किया गया है, यह बजट हर प्रकार से सबके लिए उपयोगी साबित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय राम ललित चौधरी जी, कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें । माननीय चौधरी जी, संक्षेप में अपनी बात रखें, वैसे आप संक्षेप में रखते ।

* श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य, विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का बजट भाषण मैंने बड़े गौर से सुना और उस भाषण से ऐसा लगता है कि जैसे मानों मंत्री जी का ध्यान और समूची सरकार का ध्यान इस विभाग की तरफ है ही नहीं और अगर होता तो अधिक से अधिक धन की व्यवस्था जरूर की गयी होती । मान्यवर, पशुपालन दुग्ध विकास, मत्स्यपालन से दूध, हड्डी, मांस, मछली का व्यवसाय करके लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, विशेषकर निर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोग, बशर्ते सरकार अच्छा खासा धन इसमें दे । सरकार की नीयत निर्बल वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की हो, बेरोजगारी को दूर करने की हो, लेकिन सरकार की नीयत ऐसी नहीं है । सरकार ने जितना धन इसमें रखा है इसमें अधिकांश इस्टेबिलिशमेंट पर खर्च हो जायेगा । यह जो पुस्तिका दी गयी है, इसके हिसाब से उधर बैठे सदस्य हिसाब लगा लें, तो कुल तीन मदों पर केवल 10 परसेंट खर्च ही विकास के नाम पर आ रहा है, शेष 90 परसेंट महंगाई भत्ता, वेतन, मोटर गाड़ी आदि पर खर्च हो रहा है इस प्रकार केवल 10 परसेंट विकास पर खर्च किया जा रहा है । इससे न प्रदेश की तरक्की हो सकती है और न ही विभाग की तरक्की हो सकती है । यह सरकार विकास के बहाने पशु पालन नहीं कर रही है अपितु अधिकारियों और कर्मचारियों का पालन कर रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिए इसे अधिकारी/कर्मचारी पालन बजट कहा जाय तो उचित रहेगा । थोड़ी-थोड़ी जो वृद्धि दिखाई गई है, वह भी महंगाई बढ़ने से मीट आउट हो जाती है । 1990-91 में जहां थे, आज भी वहीं हैं । 1990-91 के मुकाबले 1991-92 में कितना दूध का उत्पादन हुआ, कितना अंडे का उत्पादन हुआ है और कितना ऊन का उत्पादन हुआ है ? दूध का उत्पादन 96.917 लाख मीटर टन, अंडा 455 मिलियन व ऊन का उत्पादन 17.257 लाख किलोग्राम हुआ । 1991-92 में इनके पास आंकड़े नहीं थे और फर्जी आंकड़े दे दिये गये । फर्जी कह दिया कि 100 लाख मीटर टन दूध का उत्पादन हुआ, 400 मिलियन अण्डा हुआ है आदि आदि । 1992-93 में इन्होंने अनुमानित बता दिया । यह सब इसलिए हुआ कि विभाग को धन नहीं मिला । भावना यह थी कि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हों, बेरोजगार लोग हों, उनको रोजी देने के लिए यह विभाग था ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके । पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, भेंड़ आदि की संख्या में वृद्धि हेतु तीन मुख्य बातें हैं । पहला, नस्ल में सुधार, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल तथा उनका आहार । जहां तक नस्ल सुधार की बात है, हमारे यहां पशुओं की संख्या कम नहीं है । कम से कम 7 करोड़ पशु हमारे यहां हैं । गंगा-यमुना का मैदान, सरयू, घाघरा व गोमती के मैदान में पशुओं की संख्या कम नहीं है । पूरब के बजाय पश्चिम में अच्छी नस्ल वाले पशु हैं । जैसे हम अच्छे किस्म के बीज लाते हैं, उसी प्रकार अच्छी नस्ल की गायें, भैसों को हम बाहर से मंगाकर नस्ल में सुधार कर सकते हैं । हरियाणा और पंजाब से भी मंगाकर नस्लों में सुधार किया जा सकता है । 91 जो गर्भाधान केन्द्र थे, वे उतने ही हैं । इनकी संख्या को बढ़ना चाहिए ।

अच्छी किस्म की नस्ल को बनाने के लिए एक सस्ता रास्ता यह भी है कि आप प्रत्येक गांव सभा में एक अच्छे किस्म का सांड़, भैंसा व बकरा छोड़ दें ताकि नस्ल अपने आप सुधर जायेगी । पांच किलोमीटर पर गर्भाधान केन्द्र की आप व्यवस्था करा दें । हर जिले में पशुओं की संख्या काफी है परन्तु उनके लिए चिकित्सालय नहीं है। आदमी तो दूर तक चलकर अपना इलाज करा सकता है परन्तु पशु 5-7 किलोमीटर दूर पर नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए पांच किलोमीटर पर पशु चिकित्सालय केन्द्र अवश्य होना चाहिए । 1990-91 में 93 नये पशु चिकित्सालय खोले गये, 1991-92 में यह 84 हो गये और 1992-93 में ये 85 हो गये । इनकी संख्या भी नहीं बढ़ रही है । इसलिए इनके लिए धन देकर इनकी संख्या को बढ़ाना होगा । पशुओं में 3-4 किस्म की बीमारी होती हैं, जैसे खुरपका, मुंहपका, शहनी गलाघोंटू वखर्रा, जब इन बीमारियों के इलाज हेतु धन दिया जायेगा तो इन बीमारियों से पशुओं के स्वास्थ्य को ठीक करवाया जा सकता है।

अब मैं मान्यवर, पशु आहार के बारे में कहना चाहता हूं । जब तक पशुओं के लिए आहार ठीक नहीं होगा, पशु स्वस्थ्य नहीं हो सकते हैं । अच्छे और अधिक दूध के लिए अच्छे किस्म की हरे चारे की आवश्यकता होती है । नये किस्म के हरे चारे का प्रचार-प्रसार और चयन किया जाय ।

बकरी फार्म और सुअर फार्म होने चाहिए । बकरी और सुअर पालन का काम निम्न स्तर के लोग करते हैं । यह काम गरीब लोग करते हैं । दूध और मांस के लिए बकरी और सुअर फार्म की स्थापना की जा सकती है । इसके लिए यमुनापारी बकरी और अमरीकन सुअर से नस्ल सुधारी जा सकती है और बढ़ाई जा सकती है ।

कुक्कुट पालन आज एक छोटा-मोटा उद्योग बन गया है । आज 80 फीसदी लोग अंडे का प्रयोग नाश्ते से लेकर भोजन तक सुबह से लेकर शाम तक करते हैं । लेकिन इसकी खपत को देखते हुए मुर्गी फार्मों की संख्या जो इस समय लगभग 500 है वह बहुत कम है । अपनी मांग को पूरा करने के लिए अंडा भी दूसरे प्रदेशों से मंगाना पड़ता है । दिल्ली, हरियाणा और पंजाब आदि से मंगाकर आवश्यकता पूरी करते हैं ।

भेड़ पालन भी एक मुख्य व्यवसाय है । भेड़ों के विकास के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा । हमारी खपत को बाहर के प्रदेश पूरा करते हैं यहां कुल मिलाकर लगभग 30 लाख भेड़े हैं और ऊन का उत्पादन प्रति भेड़ एक किलो ग्राम है जबकि अन्य प्रदेशों को 2-2 किलो प्रति भेड़ और विदेशों में तो 4-4 किलो प्रति भेड़ ऊन होता है । ऊन की मांग को देखते हुए भेड़ों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इनकी नस्ल में सुधार करना पड़ेगा बाहर आस्ट्रेलिया आदि देशों से भेड़ मंगाकर इनकी नस्ल सुधारी जा सकती है ।

दूध एक महत्वपूर्ण आहार है बच्चे, बूढ़े और जवान सबके लिए दूध आवश्यक है इस समय सरकार ने गली-गली में शराब की दुकाने खोल रखी है लेकिन दूध की कोई व्यवस्था नहीं है एक जिले में एक डेरी फार्म अवश्य होना चाहिए यह किसानों का एक खेती के साथ बड़ा रोजगार है । दूध उत्पादकों को इसके उत्पादन का सही दाम मिले और दूध उपभोक्ताओं को सही दूध मिले इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में एक डेरी फार्म खोला जाय और डेरी फार्म की क्षमता बढ़ाई जाय आज हमारे प्रदेश में बहुत कम डेरी फार्म है । दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच विचौलियों को समाप्त करने के लिए दुग्ध समितियां बड़े पैमाने पर बनाई जायें ।

मत्स्य पालन मान्यवर, निर्बल वर्ग के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय है इस समय प्रदेश में कुल 162000 हेक्टेयर तालाब हैं और इनमें 40 करोड़ मत्स्य की आवश्यकता है हर कमिशनरी स्तर पर एक वफर गोडाउन होना चाहिए मत्स्य

विभाग द्वारा लगभग 20 करोड़ मत्स्य बीच का वितरण होता है जो आवश्यकता से आधी पूर्ति करता हे । आज बढ़ती हुई मांग को देखते हुए प्रत्येक ग्राम सभा में एक तालाब मत्स्य पालन के लिए बनाया जाय । यह निर्बल वर्ग के लोगों का व्यवसाय है । गांवों तालाब और नदियों का ठेका निर्बल वर्ग के लोगों को जैसे-निषाद, मल्लाह, लोहार आदि को दिया जाय । अभी होता क्या है बड़ें बाबू साहब चौधरी साहब ही तालाबों नदियों का फायदा लें रहे हैं । जो गन्दे नाले नदी आदि में जाते हैं उससे पानी विषाक्त हो जाता है जिससे मछलियां भी विषाक्त हो जाती हैं और उसे खाने पर मर जाते हैं तो उनके सुधार की भी आवश्यकता है । मछुआरों की हालत सुधारने के लिए ऋण की व्यवस्था कर रखी है यह अच्छी बात है इसके साथ ही मछुआरों की बीमा योजना भी होनी चाहिए यह रिस्की पेशा होता है कभी-कभी घर से मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं तो वह डूब कर मर जाते हैं इसलिए उनका बीमा होना चाहिए । इनके आवास की भी व्यवस्था होनी चाहिए । इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि यह अपनी कमाई से आवास की की व्यवस्था कर सकें । इनकी सहायता करने के लिए आवश्यक है कि ईमानदारी से कार्यक्रम लागू किये जायं खाली कानून बना देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सकता है । बनारस में एक कैटिल फीड फार्म है इसको बंद कराकर बाहर से पशु आहार मंगाकर कमीश बेसिस पर खरीदा जाता है तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मंत्री जो इसको ध्यान पूर्वक सुन लें और यह सूचना मंत्री जी के पास न पहुंची जो तो वह इसे नोट कर ले और इसकी जांच कराये ।

बुलन्दशहर के किटौर, गुलावटी तथा अन्य यूनिटों पर 6 नये पैसे प्रति लीटर की दर से दूध ठंडा हो रहा है जबकि उसके बगल में 16 रुपया प्रति कुर्वांटल की दर से दूध ठंडा किया जा रहा है । तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है विभाग में । वहां सरकार द्वारा खरीदने के लिए सहायता दी गयी । उसका कुछ पता नहीं । सब फर्जी रसीदें लगा दी गयी है । उसकी जांच करायी जायें । फ्रीडर बैलेसिंग डेरी, वाराणसी के प्रबंन्धक द्वारा महीने मे दो बैरेल दूध फटा हुआ दिखाकर लाखों रुपये का गोलमाल किया जाता है । एक बैरेल का दाम 60 हजार रुपया होता है । यदि उसमें दो बैरेल फटा दिखा दिया गया तो एक लाख से ऊपर रुपया उसकी जेब में चला गया । यह चोरी का रुपया नीचे से ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है । इस तरह से कैसे हमारे देश और प्रदेश की तरक्की होगी । इससे हमारी प्रगति और विकास का कोइ प्रश्न ही नहीं है । मान्यवर, इसी तरह लखनऊ की डेरी का मामला है । यहां पर सन् 76 में कई लाख रुपये का गबन हुआ था । इस केश में एक अभियुक्त द्विवेदी जी जो सरकारी गवाह बनाये गये थे और उनका यह हाल था कि जब द्विवेदी जी अदालत में गवाही के लिए जाते थे तो एक आध अभियुक्त का हार्टफेल हो जाता था । बाद में द्विवेदी जी हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले आये, लेकिन आज तक द्विवेदीजी के बकाये का भुगतान विभाग के लिए नहीं कर रहे हैं तो मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं उनके बकाये का जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिए ।

जहां तक दुग्ध विकास मत्स्य पालन और पशु आहार विकास आदि का सम्बन्ध है इनके द्वारा हड्डी दूध मछली और चमड़े को प्राप्ति की जा सकती है और बहुत बड़ी मात्रा में जनता को आहार भी प्राप्त हो सकता है । इससे प्रदेश की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, लोगों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है । यह तभी होगा जब इस पर पूरा ध्यान दिया जायेगा और विभाग में व्याप्त लापरवाही और भ्रष्टाचार दूर किया जायेगा और इन सबसे अधिक जरूरी है कि इन सारे कार्यों के लिए विभाग को ही पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जायेगा । बिना धन दिये प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ेगी और न लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे । इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही-

मान्यवर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर पशुधन मत्स्य डेरी विकास का बजट मांगो का समर्थन करता हूं मान्यवर, प्रदेश की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उसका मुख्य पेशा, आय का साधन, पशु पालन है । हमारी सरकार भारत के इतिहास में जो गौरवान्वित कार्य किया है वह यह है कि गोवंश के वध पर रोक लगाई है बड़ी कारगर रोक लगायी है और जिससे आशा है कि गोवध रुकेगा । यह बात भारत के इतिहास में स्वर्ग अक्षरों में लिखी जायेगी । मैं अपने मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि गो सदनों में जो अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसमें व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिए और जहां गो सदन नहीं हैं, वहां पर भी नये गो सदन खोले जाने चाहिए । हमारे इस पशुपालन विभाग में भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए जो योगदान दिया है वह भी बहुत सराहनीय है । वह इतिहास में, लिखा जाने वाला काम किया है । हमारी सरकार ने प्रथम बार पशुपालन विभाग में बहुत प्राथमिकताएं दी हैं जिसमें पशुओं के विकास और नस्लों के सुधार हेतु गर्भाधान केन्द्र का बढ़ाना, राष्ट्रीय सांठ उत्पादक कार्यक्रम, हरे चारे का कार्यक्रम आदि बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं । इसके साथ जो कार्यक्रम चलायें हैं- जैसे महिला डेरी कार्यक्रम यह भी हमारी सरकार का बहुत क्रान्तिकारी कार्यक्रम है । पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया गया है मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस पर ध्यान देकर उसके स्वास्थ्य पर और रख-रखाव पर समुचित ध्यान दिया जाय तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में स्थित ग्राम नलीहुसैनपुर व डहरा कुली पीर नये अस्पताल खुलवाने की प्रार्थना करता हूं ।

मान्यवर, रोगों के निवारण हेतु वैक्सीनों का शोध करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाना चाहिए । सरकारी पशुपालन नियमों में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु भेड़, बकरी, सूअर, मछली और मुर्गी पालन का व्यवसाय करना चाहिए और ऋण दिलाने की योजना सरकार को बनाना चाहिए ।

मान्यवर पशुओं की तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए । मान्यवर बीमा योजनायें बहुत हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों में उन्हें पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं की जा रही है, इसलिए मेरी मांग है कि सभी पशुओं के बारे में बीमा योजना को गहराई से लागू करें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री राम ललित चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मान्यवर, सौभाग्य है बस्ती का जवाब बस्ती से हुआ, यह भी सौभाग्य की बात है ।

मान्यवर मैं मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं पहला सुझाय है गोबध को बंद किया गया लेकिन मंत्री जी से मैं जानना चाहता है विश्व में जहां गोबध है वहां भी दूध सब से ज्यादा होता है । मान्यवर मैं गोबध का विरोध नहीं करता हूं लेकिन बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य श्री सोमांश प्रकाश जी डेनमार्क गये थे तो वहां पाया कि विश्व में दुग्ध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है । भाजपा पार्टी का नारा है गऊ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है । इस नारे बाजी से काम नहीं चलने वाला है । मान्यवर आप देखें कि भारत वर्ष में सबसे कम दुग्ध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है । इसलिए आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि भारत में उ0प्र0 में दूध सबसे अधिक पैदा हो सके तो आपका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा, यह आपकी सबसी बड़ी उपलब्धि होगी ।

मान्यवर मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार के मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने मत्स्य विभाग में नदियों के घाटों, बालू और मछलियों के संपूर्ण ठेके मल्लाहों को देने का ऐलान किया है, और यह ठेके वहां दूसरी जाति के लोगों को नहीं दिये जायेंगे । इसी प्रकार बिहार सरकार ने पासियों को ताड़ी के सम्पूर्ण ठेके देने का ऐलान किया है । इस प्रकार जिस धंधे पर जिसका जीवन निर्भर है उसको उस धंधे का ठेका वहां दिये जाने की सरकार ने घोषणा किया है । मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसी प्रकार की क्रान्तिकारी घोषणा यहां सदन में करे । इससे प्रदेश के बेरोजगारों की स्थिति सुधरेगी और बेरोजगारी की समस्या हल होगी । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अखिलेश-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री राम ललित चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर और उसके समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और पशुपालन में उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में क्रान्तिकारी परिवर्तन सरकार कर सकती है ।

पशुपालन विभाग के चतुर्मुखी विकास की आवश्यकता है । किसी भी विभाग में किसी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कुशल अधिकारियों की टीम की आवश्यकता होती है । हमारे माननीय मंत्री जी आवश्ययकता से अधिक सज्जन हैं । इनकी सज्जनता का लाभ उठाकर उनके विभागीय सचिव, श्री बाबू राम जी, गोरखपुर में जो जैविक अनुसंधान केन्द्र है, जिसकी स्थापना स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने की थी । सचिव महोदय उसे गोरखपुर से हटाकर अलीगढ़ ले जाना चाहते हैं ताकि मुख्य मंत्री जी के विशेष कृपा पात्र बने रहें । अगर ऐसे ही सचिव रहे सज्जनता रही तो पता नहीं क्या कल्याण होगा इस विभाग का । अभी सरकार द्वारा गोवध निवारण विधेयक लाया गया ।खेद की बात है कि गोवध हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये गये हैं । श्वेत क्रांति की बात कही गई है । इसके नाम पर जर्सी, गायों का विदेशों से आयात किया गया लेकिन उसका नतीजा क्या है श्वेत क्रांति तो आई नहीं जो हरियाणा नस्ल की, शाहीवाल नस्ल की जो गायें थीं, जो अच्छे बछड़े उत्पन्न करती थीं उनकी भी सही देखभाल नहीं हो पाई और जो विदेशी गायें थीं, अच्छे बछड़े भी नहीं देती थीं, उनके परिणाम सार्थक नहीं रहे ।

मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि इस दिशा में भी पुनर्विचार करें । इसी के साथ ही साथ मान्यवर, पशु चिकित्सा को मेडिकल चिकित्सा की तरह साधन सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है । आज पशु चिकित्सा और मेडिकल चिकित्सा में बड़ा अन्तर है । आप दोनों का बजट देख लें कितना फर्क है । पशु चिकित्सालयों में जानवरों का प्राथमिक उपचार भी वर्तमान बजट से नहीं कर सकते हैं । कम से कम इतना पैसा पशु चिकित्सालयों को जरूर दें जिसके द्वारा जानवरों का प्राथमिक उपचार किया जा सके । अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं । मंत्री जी स्वयं गोरखपुर मण्डल के रहने वाले हैं । वहां तमाम अस्पताल डाक्टर्स से वंचित हैं, डाक्टर विहीन अस्पताल हैं । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं हैं, कम्पाउन्डर नहीं हैं। इसी तरह से मान्यवर, मत्स्य विभाग की तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । यहां महराजगंज जनपद में बड़े-बड़े तालाब हैं, वहां सर्वेक्षण करायें । सरकारी स्तर पर वहां मछली पाली जायं । इसी तरह से सुअर पालन है

जो कि निर्धनतम व्यक्ति की जीविका का स्रोत है । उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर सुअर पालन को एक प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाय तो जो निर्धनतम व्यक्ति हैं, उनकी जीविका का अच्छा साधन उपलब्ध हो सकेगा । बहराइच से महराजगंज तक अब उ0प्र0 में नेपाल सीमा पर सुअर पालन को एक प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित करने का कष्ट करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री राम ललित चौधरी द्वारा प्रस्तावित कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री रवीन्द्र प्रताप-

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे पशुपालन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । आज गांव के विकास के लिए पशुपालन को बढ़ावा देना जरूरी है और इसी हिसाब से माननीय मंत्री जी ने इनकी व्यवस्था की है ताकि इसका विस्तार गांवों तक हो सके । कुक्कुट पालन गरीब लोगों के गुजारे का एक जरिया है । जिला स्तर पर मछली पालन की और कुक्कुट पालन की व्यवस्था होनी चाहिए । मुर्गियों के दाने-पानी का अच्छा इन्तजाम हो । अधिकतम निर्धन लोग सुअर का व्यवसाय करते हैं । हमारे ललित चौधरी जी पाउच की बात कर रहे थे । हम चाहते हैं कि लोगों को शुद्ध दूध मिले परन्तु हमारे स्वामी नाथ यादव दूध में पानी मिलाने का काम करते हैं । हम चाहते हैं स्वास्थ्य ठीक रहे लेकिन स्वामी नाथ यादव जी नहीं चाहते हैं कि योजना सफल हो, तो इसको ठीक होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यह पशुधन का बजट है आप किसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप-

अभी हमारे अखिलेश जी कह रहे थे कि हमारे गोरखपुर मंडल को कुछ नहीं मिला, तो इनके यहां अच्छी किस्म के सांड़ भेज दिए जाएं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और यह कामना करता हूं कि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा जनता को मिल सके ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, एक निवेदन है आज सभी सम्माननीय सदस्यों को बाहर जाना है गाड़ियां ज्यादातर शाम को ही जाती हैं तो इसको जल्दी खत्म कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब यह तो आप लोगों के हाथ में है ।

श्री लीला राम शर्मा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है श्वेत क्रान्ति जिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तरह चलाई जा रही है उससे पहाड़ का उत्थान होने वाला नहीं है वहां की जलवायु अलग है । हरियाणा क्षेत्र से या अन्यत्र से पशु ले जाए जाते हैं तो वहां की आबो-हवा के कारण दूध घटता जाता है । भ्रष्टाचार भी इतना फैला है जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों से ज्यादा पशु वहां नहीं पहुंच पाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पहाड़ों पर कैटिल ब्रीडिंग फार्म खोले जाएं तो सही रहेगा । इससे पहाड़ी क्षेत्र के किसान काफी लाभान्वित हो सकते हैं । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में नदियां बहुत हैं वहां दोड़ मछलियां जो बहुत कीमती होती हैं पायी जाती हैं लेकिन वहां डायनामाइट डालकर सब सत्यनाश कर दिया है अगर सही योजना बनाई जाए तो वहां बहुत ज्यादा मछलियां हो सकती हैं और वहां के लोगों की आमदनी बढ़ सकती है । अभी हमारे एक साथी ने बड़ी तारीफ की कि भूकंप के क्षेत्र में पशुधन ने बड़ा अच्छा काम किया है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि भूकम्प क्षेत्र के पशुओं को मिनरल मिक्सचर भिजवाया है वह देहरादून में पड़ा है । एक सौ गाड़िया मिनरल मिक्सचर की देहरादून और कोटद्वार में पड़ी हुई हैं। एक पशु के लिए 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर चारा में मिलाने की आवश्यकता होती है लेकिन एक सौ गाड़ियों देहरादून और कोटद्वार में मिनरल मिक्सचर पड़ा हुआ है ।

मान्यवर जिस तरह से जार के समय में जनता कह रही थी कि ब्रेड दो तो उनकी पत्नी ने कहा ब्रेड नहीं मिल रहा है क्या मांग रहे हो केक खाओ । वहां पशुओं के लिए चारा नहीं है और उसकी जगह एक सौ गाड़ियां कोटद्वार और देहरादून में मिनरल मिक्सचर की पड़ी हुई हैं मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस तरह से भूकंप क्षेत्र में पशुओं के प्रति अन्याय किया गया है जो भ्रष्टाचार फैला है उसकी जांच करायें ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राम ललित चौधरी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने एक कदम स्वागत योग्य उठाया है । उन्होंने दूध के संबंध में जो व्यवस्था की है, जो 500 किलोग्राम तक दूध के व्यापारी हैं उनको लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त किया है इसका मैं स्वागत करता हूं । मैं अपने जिले मेरठ में जहां गया वहां मैंने देखा कि गांवों में पशु चिकित्सालयों पर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं । दवायें पशुओं के लिए मिल नहीं सकतीं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसमें सुधार करें । जहां तक पशु चिकित्सालयों की स्थापना की बात है । 1990-91 में 93 पशु चिकित्सालयों की स्थापना की गयी थी लेकिन इस वर्ष के बजट में केवल 85 चिकित्सालयों का प्राविधान किया गया है । यह उल्टी गंगा बह रही है । पहले 93 थे इस साल घटकर 85 रह गये हैं । मेरा निवेदन

है कि पशुओं के स्वास्थ्य को देखते हुए पशु चिकित्सालयों के लिए और अधिक धन की व्यवस्था करायी जानी चाहिए ।

मान्यवर, मेरे जनपद में कमौरी, मंगेरा, कपसाठ गांव हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों में पशु चिकित्सालयों की जरूरत है । इसी तरह से समयपुर गांव में पशु चिकित्सालय की स्थापना की जानी चाहिए । गौशालाओं की सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जाना चाहिए । गौशालाओं की तरफ ध्यान नहीं जाता है।

मेरे यहां कपसाड़ गांव में जो गौशाला है उसकी हालत बहुत खराब है । उसके लिए अनुदान की व्यवस्था करने का कष्ट करें । मान्यवर, इसी तरह से मैं दुग्ध उत्पादक समितियों के बारे में कहना चाहता हूं इन समितियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए । एक चीज की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं जो आपकी पराग घी और मक्खन है उसमें गड़बड़ी हो रही है । वह गन्तव्य स्थानों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि यहां बिक्रीकर और मंडी शुल्क लगता है । आपके जो डी0एल0एच0 तथा सी0एफ0 एजेंट हैं वह वापस लाकर यहां बेच देते हैं । आप यह सुनिश्चित करें कि आप जिन स्थानों को भेजते हैं वहां वह पहुंच जाय । आप इन पदार्थों का विपणन या सर्वेक्षण किसी संस्था द्वारा करायें या एजेंट को खत्म करें । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां अनुसंधान अधिकारी राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र बाबूगढ़ है । वे वहां पर 12 साल से एक अधिकारी डा0 के0पी0 सिंह बने हुए हैं । आपके शासन की क्या नीति है एक अधिकारी कितने दिन रह सकता है इसी तरह से एक गोविंद लाल आर्य, सीनियर क्वालिटी इंसपेक्टर हैं जो 12 वर्ष से वहां बने हुए हैं इनके खिलाफ शिकायतें हैं । एक अधिकारी को 4-5 साल अधिक से अधिक एक जगह रहना चाहिए और उसके बाद उसका स्थानान्तरण किया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री जय प्रकाश निषाद-

माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये पशुपालन विभाग के बजट पर आपने बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इसका समर्थन करता हूं । यह एक जन कल्याणकारी बजट है । गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने वाला यह बजट है । माननीय मंत्री जी ने पहली बार इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया । वर्ष 1992-93 में विश्व बैंक की सहायता से 701.39 लाख रुपये की लागत से दूरगामी विश्व बैंक परियोजना चलाये जाने की योजना बनायी गयी है . . .

मान्यवर, 4 मण्डलों में यह गठित की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत झांसी एवं वाराणसी मण्डल के हमीरपुर, झांसी, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में उपलब्ध 22 जलाशय जिसका क्षेत्रफल 10960 हेक्टेयर है, तथा गोरखपुर एवं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फैजाबाद मण्डल के सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोरखुपर, गोण्डा तथा बहराइच जनपदों की 11 झीलें जिनका क्षेत्रफल 1250 हैक्टेयर है, मान्यवर, उसमें देवरिया को छोड़ दिया गया है । वहां पर गणर बरहज तालाब 100 एकड़ में एक किलोमीटर की परिधि में है उसको सम्मिलित किया जाय । मान्यवर, स्वर्गीय दीन दयाल योजना के अन्तर्गत 3.32 लाख रुपये की लागत से 12 मत्स्य स्थान निर्मित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 300 मछुवा परिवारों को सीधा रोजगार देते हुए लाभ देने की योजना बनाई है ।

मान्यवर, मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन विभाग यह पूरे प्रदेश के मछुआ समुदाय के निषाद, मल्लाह, केवट, बिन्द, धीमर, बाथम, कश्यप, इस समुदाय के लोगों जो इसको परम्परागत पुश्तैनी पेशा मानकर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, का विकास करने के लिए है । यह समुदाय अधिकतर कछार क्षेत्र में निवास करता है । मान्यवर, सन् 1981 में और 1984 में एक जी0ओ0 जारी किया गया नार्दन इंडिया फेरीज एक्ट के अन्तर्गत उसमें मत्स्य सहकारी समिति का गठन हुआ । मत्स्य सहकारी समिति द्वारा हर ब्लाक में मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से नदी तालाब, जलाशयों का मत्सय पालन और घाटों का ठेका मछुवा समुदाय को दिया जाता रहा है । उनमें पिछली सरकार ने जी0ओ0 की उपेक्षा करके तमाम धनाढ्य गुण्डे लोगों को यह दिया गया जिससे उन लोगों की बड़ी निराशा हुई ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

आप समाप्त करें ।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, दो तीन सुझाव हैं । मान्यवर, दुर्घटना बीमा योजना में मत्स्यजीवी सहकारी समिति के लोगों को सुविधा दी गयी है । मान्यवर, इस बीमा योजना का लाभ हर मछुवारों को व्यक्तिगत रूप में पंजीकृत कराकर दिया जाय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें । माननीय ददाजू जी बोलें ।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, इसी प्रकार मछुवा समुदाय के लिए आवास की बात है । मान्यवर, इसमें निवेदन है कि गरीब मछुवारों को आवास बनाने के लिए दी जाने वाली धनराशि 15,500 से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दी जाय । तथा मछुवारों का आवास उसी स्थान पर बनाया जाय जहां उसकी झोंपड़ी है । मकान गांव सभा या दूसरी जगह बनाने में बड़ी परेशानी हो रही है । मान्यवर, जो मछली मारी जाती है तो उस मछली को ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता, इसके लिए हर जिले में एक

मत्स्य शीतगृह बनाया जाय और जो मत्स्यजीवी सहकारी समितियों से जो मत्स्य आखेट का कार्य कराया जाता है उनको ज्यादा समय तक मछली रखने के लिए साधन उपलब्ध कराए जायं, जिससे कि मछली ज्यादा समय तक रखी जा सकें । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम किशन ददाजू-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, दीन दयाल योजना के अन्तर्गत.. (घोर व्यवधान)

**सदन में कोरम के अभाव की सूचना (क्रमागत)**

श्री अवध पाल सिंह-

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष-

ददाजू जी कृपया बैठ जायं । कोरम के लिए घण्टी बजायी जाय ।

(कोरम के लिए घण्टी बजायी गयी )

(गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

**वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुभाग संख्या 16-कृषि अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग), अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)** (क्रमागत

श्री राम किशन ददाजू-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय पशुधन मंत्री द्वारा अनुदान संख्या 15,16,17 में 81 करोड़, 48 लाख 96 हजार का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, दीन दयाल योजना के अन्तर्गत रोजगारमुखी बनाने के लिए दीन दयाल विकास योजना में हमारी सरकार ने 571 नई पंचायतों को चुना । मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 571 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा । मान्यवर, राष्ट्रीय सांड़ उत्पादन योजना के अन्तर्गत गोपाल क्षेत्र विकास योजना में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लघु जलाशय क्षेत्र इन कार्यक्रमों को संघन रूप में कार्यान्वित किया गया है, जिससे पशुधन का सर्वांगीण विकास होगा । मान्यवर, यही

---

* वकता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं, उ0प्र0 गोबंश बध निवारण अधिनियम कल पास किया गया है, अब यदि कोई व्यक्ति गोबध करेगा, तो गैर जमानती संज्ञेय अपराध माना जायगा और 7 वर्ष की कड़ी सजा होगी । मान्यवर, यही नहीं, 1991-92 में वर्तमान सरकार द्वारा 10 गोशालाओं के लिए 2 लाख 3 हजार प्रति गोशाला के लिए तथा पशुओं के भरण पोषण, सिंचाई आदि के लिए अनुदान के रूप में दिया है । मान्यवर, यही नहीं, प्रदेश के 48 जनपदों में 145 पंजीकृत गोशालाएं हैं, जिसमें 45 गोशालाएं संचालित हैं । मान्यवर, यही नहीं एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत दुधारू पशु वितरण योजना में गुणात्मक सुधार लाने की योजना बजट में प्रस्तावित की है और मान्यवर, यही नहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं की भागीदारी के लिए महिला डेरी प्रयोजना स्वीकृत कराई गयी है । इस योजना के अन्तर्गत 200 गांव में महिला दुग्ध समितियां गठित करके 6 हजार ग्रामीण महिलाओं, को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जायगी और मान्यवर यही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद में 2 लाख लीटर दूध, दूध की डेरी के माध्यम से उत्पादन होता है । अब मान्यवर बढ़कर 4 लाख लीटर दूध की डेरी का निर्माण कराया जा रहा है तथा मान्यवर, अलीगढ़ और इलाहाबाद में 60-60 लीटर की दूध की डेरियां लगाई जायंगी और मान्यवर, कानपुर और लखनऊ महानगरों में 40 हजार लीटर की दूध की डेरी हैं, जिसकी क्षमता को बढ़ाकर 1 लाख 50हजार लीटर के दूध की डेरी बनाई जा रही है । मान्यवर, विपक्षगण मासाहारी ज्यादा हैं, ये गोबंश बध अधिनियम का विरोध कर रहे थे । इनकी भूख का जायका बढ़ाने के लिए और उनको ताकत बढ़ाने के लिए 15 हजार सुअर को खरीदने का लक्ष्य रखा है और मान्यवर यही नहीं मछली उत्पादन का 1 लाख 13 हजार का लक्ष्य रखा गया है जिस पर 7 करोड़ 1 लाख रुपये खर्च होंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री महक सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद । भारतवर्ष में पशुओं की संख्या संसार में सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पशुओं की संख्या अधिक है, परन्तु गाय, भैंस, बकरी आदि सभी किस्म के पशुओं का दुग्ध उत्पादन बहुत कम है । भारतीय नस्लों का दूध का उत्पादन अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों की नस्ल से बहुत कम है और उत्तर प्रदेश में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की अपेक्षा प्रति पशु बहुत कम दूध उत्पादन होता है, इसलिए पशु धन विकास का तीव्र से और वैज्ञानिक विधि से विकास करना चाहिए । पशु प्रजनन सुविधा के लिए पशु प्रजनन सुविधा का हमारे प्रान्त में अभाव है । उन्नतिशील गाय और भैंस की नस्लों में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है । अतिहिमकृत प्रणाली द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का तेजी से विस्तार करना चाहिए, जिससे उन्नत किस्म के गाय, भैंस की नस्लों का विकास हो सके ।

मुर्रा नस्ल की भैंस व अमेरिकन, आस्ट्रेलिया नस्ल की गायें, जमुनापारी बकरियों में शंकर प्रजनन की रीति से सुधार किया गया, जिससे कि विदेशी नस्लों के अनुरूप अधिक दूध देने वाली नस्लें विकसित हो सकें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, प्रस्तुत बजट के ब्यौरे से यह स्पष्ट होता है कि 1990-91 में 93 पशु चिकित्सालय खोले गये थे, परन्तु 1992-93 में केवल 85 पशु चिकित्सालय प्रस्तावित हैं । मान्यवर, यह संख्या बहुत कम है, क्योंकि गांव में आजकल खुरपका, मुहपका, रेन्डरपेस्ट आदि बीमारियों ने महामारी का रूप धारण कर लिया और प्रति वर्ष हजारों की संख्या में दुधारू पशु मरते हैं, इसलिए अच्छी दवाइयों की व्यवस्था और अच्छे टीका की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पशुओं की रक्षा हो सके । मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में जो पशु चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं,उनमें अधिकांश में डाक्टर नहीं हैं और जहां पर डाक्टर उपलब्ध हैं, वहां पर दवाइयों का अभाव है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र के बहुत बड़े-बड़े गांव असारा काडेरा, बाजीदपुर, गूंगाखेड़ी, बदरख हिलवाड़ी व सिनौली में पशु चिकित्सालय खोले जायं, क्योंकि वहां पर गांव बहुत बड़े हैं और पशु की संख्या भी अधिक है ।

मान्यवर, मेरठ जनपद के गांव लोहारी में बहुत प्राची और बड़ी गोशाला है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गायें रखी जाती थीं, परन्तु आजकल कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा उसके ऊपर कबजा करने के प्रयास किये जा रहे हैं और उसके पास गोशाला के तालाब के चारों ओर से घेर कर उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया जाना चाहिए ।

मान्यवर, सुअर पालन पर बहुत कम बजट दिया गया है । सुअर पालन से किसानों को रोजगार मिलेगा और इसके लिए उन्हें सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, दूध को बड़े शहरों में भेजने के लिए उनकी कोआपरेटिव सोसायटी गठित करनी चाहिए और उनको आवश्यक ऋण सुविधा प्रदान करनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं श्री राम ललित चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

बहुत बड़े-बड़े गांव हैं और पशुओं की संख्या बहुत अधिक, लेकिन वहां पर पशु चिकित्सालय नहीं है मैं वहां पर एक पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग करता हूं । वहां पर डाक्टर भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहां पर डाक्टर की व्यवस्था की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

*श्री सुधाकर वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जितना मैं मनुष्य से स्नेह करता हूं उतना ही पशुओं से भी करता हूं । मान्यवर, 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं । उनकी स्थिति बहुत खराब है । वहां पर अगर कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लेता है या दुकान खोल लेता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत अच्छी हो जाती है । इसलिए सरकार ने कृषकों के विकास के लिए दुग्ध डेरी पर आधारित कई योजनायें खोली हैं । महिला डेरी योजना बनायी गयी हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है । मान्यवर, नैनीताल जनपद में नस्ल सुधार तथा भूमि प्रत्यारोपण का केन्द्र स्थापित कर दुधारू पशुओं की प्रजाति में सुधार करने का क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है । मान्यवर, 17 जनपदों में सघन मिनी डेरी परियोजना विशेष महत्वपूर्ण योजना है । पर्वतीय क्षेत्रों में घुमनतू तथा गूजर दुग्ध विकास योजना, फल एवं सब्जी विपणन योजना, उत्तरांचल डेरी फेडरेशन योजना, आई0आर0डी0 योजना, दुग्ध शालाओं का विस्तार तथा निर्माण प्रशंसनीय है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एटा जनपद में लिपटन इंडिया लि0 है, यह दुग्ध व्यवसाय करती है, जिसमें ठेकेदारों से अधिक दाम पर दूध लिया जाता है तथा किसानों से कम दाम पर लिया जाता है । यह एक विचारणीय विषय है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए और इसको बड़ी गम्भीरता से बिचार करना चाहिए । मान्यवर, समय बहुत कम है और आप आग्रह कर रहे हैं, इसलिए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं ।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, भ्रष्टाचार के जो आरोप मैंने लगाये हैं वह बहुत ही गम्भीर भ्रष्टाचार है और आयुक्त से लेकर मैनेजर तक उसमें इनवाल्व हैं । मान्यवर, हमारे मंत्री जी साफ सुथरे हैं, ईमानदार हैं यदि उसकी जाचं न कराई गयी और विभाग टूटता गया, लुटता गया तो माननीय मंत्री जी का नाम लिया जायेगा इसलिए मेरी मांग हैं कि इसकी जांच सी0आई0डी0 से कराई जाय ।

मान्यवर, गायें सड़क पर घूमती हैं, बूढ़ी हैं लोग मजाक उड़ाते हैं, मान्यवर, इसकी भी व्यवस्था करें । मान्यवर, यह निर्बल वर्ग से और गरीब लोगों से जुड़ा हुआ बजट है ओर अगर माननीय मंत्री जी, यह सरकार इसका धन दूना कर दें बजट का तो मैं इसको वापस ले लूं नहीं तो कोई वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह-

मान्यवर, मैं चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । जो बात है, जो आपने मांग की है वह सारी बातें पुस्तिका में दर्शायी गयी हैं जो बात आप चाहते हैं वह सब उसमें हैं ।

(मेजों की थपथपाहट से व्यवधान)

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के चारे के बारे में पर्वतीय, झांसी और बदायूं के क्षेत्र में पर्याप्त योजनाएं बनाई गयी है, फार्म की बात कही गयी है तो वहां पर कहा गया है कि चारा पैदा किया जाय, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बिक्रीकर का अन्तर बताया गया है तो वह भी दूर कर दिया गया है और जो बात आपने कही है उसकी भी जांच कराई जायेगी अब मुझे विश्वास हे कि आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, यह निर्बल वर्ग और गरीबों से जुड़ा हुआ बजट है, यह गरीबों के विकास से जुड़ा है और इसका धन बढ़ाया नहीं जा रहा है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशु धन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 58,35,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि अतिरिक्त 14,39,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,73,65,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ )

**लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84, 1984-85, 1986-87 के सम्बन्ध में चर्चा के सूचनाकर्ता सदस्य के अनुपस्थिति के कारण व्यपगत होने की सूचना**

श्री उपाध्यक्ष-

अब मद संख्या 14 लेते हैं !

(सूचनाकर्ता सदस्यों के अनपुस्थित होने पर)

चूंकि माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं इसलिए व्यपगत हुई ।

**नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री उपाध्यक्ष-

अब मद संख्या-15 लेते हैं ।

आज दिनांक 24-4-1992 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

पहली सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, जनपद इलाहाबाद के कतिपय मुहल्लों एवं ग्रामों की कृषि योग्य एवं आवासीय भूमि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के उपरान्त वाजिब मुवाअजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया ।

दूसरी सूचना श्री बच्ची सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय संवर्ग की वर्तमान व्यवस्था निष्प्रभावी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया ।

तीसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की जनपद उन्नाव में पुरवा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अवर अभियनता (अनुरक्षण) द्वारा बिना स्वीकृत विद्युत कनेक्शन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया ।

चौथी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दोहरीघाट से मधुवन बाजार तक जाने वाली सड़क के जर्जर हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जो माननीय सदस्य उपस्थित न हो उनकी जगह पर दूसरे पर विचार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

जो नियम-51 में निर्णय हुए हैं मैं उनको सुना रहा हूं ।

पांचवी सूचना श्री सोमांश प्रकाश की जनपद मुजफ्फर नगर के शामली क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितिताओं एवं नागरिक उत्पीड़न की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इस सूचना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

छठी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की जनपद गाजीपुर के देवकला पम्प नहर प्रथम योजनातंर्गत व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अन्य जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं है- कुंवर अखिलेश सिंह, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री मातवर सिंह कंडारी, श्री स्वामी नाथ यादव और श्री बृजराज त्रिपाठी इन्हें अस्वीकार किया गया ।

**अनुपस्थित सदस्य की नियम 51 सूचना पर निर्णय लिये जाने के संबंध में जानकारी**

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने यह सवाल उठाया था कि जो माननीय सदस्य सूचना देने के बावजूद यहां पर उपस्थित नहीं हैं क्या उनकी सूचना पर निर्णय लिया जा सकेगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

नियम-51 में जो भी सूचनाएं आयी थीं उन पर जो निर्णय हुए थे वे मैंने सदन के समक्ष रख दिये ।

श्री हृदयनारायण दीक्षित-

क्या उनकी सूचनाओं पर निर्णय देगें ? जब कोई सदस्य उपस्थित नहीं है तो क्या यह निर्णय लागू हुआ करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

जिस दिन वक्तव्य लगेगा उस दिन की बात है । निर्णय अध्यक्ष जी ने पहले ही ले लिया है और उसी को सदन के समक्ष रखा गया है । जिन सूचनाओं पर वक्तव्य लगा है वे तो बाद की तारीख में लगेंगी । जिस दिन वक्तव्य होंगे उस दिन उपस्थिति और अनुपस्थिति पर विचार किया जाएगा ।

**जनपद मुजफ्फर नगर में जानसठ क्षेत्रान्तर्गत कैलापुर जसमौर ग्राम में हड्डी मिल की स्थापना से जनाक्रोश के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लघु उद्योग राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)-

मान्यवर, माननीय सदस्य तो उपस्थित नहीं है । मैं वक्तव्य पढ़े देता हूं ।

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष-

सदन की सहमति से इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 10-4-92 को उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में लघु उद्योग राज्य मंत्री का वक्तव्य ।

श्री मयंकर सिंह-

(जनपद-मुजफ्फर नगर में जानसठ विधान सभा क अन्तर्गत कैलापुर जसमोर ग्राम में हड्डी मिल की स्थापना को लेकर उभरे जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि ग्राम कैलापुर जसमौर से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर मेसर्स के0के0 अर्गोनिक्स प्रा0लि0 नामक इकाई ने दिनांक 1-10-90 को लघु स्तरीय इकाई के रूप में अपना पंजीकरण प्राप्त किया था तथा उक्त इकाई द्वारा गेल बोन, बोन मिल, मीट स्क्रैप, बोन मिल फर्टीलाइजर और चर्बी का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है । इकाई की स्थापनार्थ इकाई ने भूमि की व्यवस्था करके 250 के0वी0ए0 विद्युत भार के लिए आपना आवेदन पत्र विद्युत परिषद् में दिया है तथा इकाई उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू0पी0 (पिकप) से ऋण की व्यवस्था हेतु प्रयत्नशील है ।

इकाई द्वारा जब प्रस्तावित स्थल की भूमि के समतलीकरण तथा बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तब इकाई के आस-पास स्थित ग्रामों-कैलापुर, जसमौर, देवल, सिकन्दरपुर, रुमालपुर एवं शिवपुर आदि के निवासियों द्वारा प्रदूषण और दुर्गन्ध के भय से इकाई के निर्माण का विरोध किया जा रहा है । इस संदर्भ में यह संगत है कि इकाई उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है और प्रदूषण नियंत्रण परिषद् इस सम्बन्ध में प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के प्रकाश में उक्त इकाई को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने अथवा न देने पर नियमानुसार विचार करेगा ।)

**प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की अधूरी पेयजल योजनाओं को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य**

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

मान्यवर, मैं वक्तव्य पढ़े देती हूं ।

एक सदस्य-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

(पूरे प्रदेश में पेयजल योजनाओं के नियोजन, विरचन एवं निर्माण का कार्य जल निगम द्वारा किया जाता है । मैदानी क्षेत्र में जल निगम द्वारा योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें नगरों में स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाता है तथा ग्रामों में उनका रख-रखाव जल निगम द्वारा स्वयं किया जाता है ।

पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1987 तक निर्मित पेयजल योजनाओं का रख-रखाव कार्य वर्ष 1975 में गठित कुमायूं तथा गढ़वाल जल संस्थान द्वारा तथा वर्ष 1987 के बाद निर्मित योजनाओं का रखरखाव जल निगम द्वारा 1990 तक किया जाता रहा । कुमायूं जल संस्थान द्वारा 1507 तथा गढ़वाल जल संस्थान द्वारा 2460 योजनाओं का रख-रखाव एवं जल निगम द्वारा कुमायूं मण्डल में 1136 तथा गढ़वाल मण्डल में 1259 योजनाओं का रख-रखाव किया जा रहा था ।

माह अगस्त,1990 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि पर्वतीय क्षेत्र में समस्त जल आपूर्ति योजनाओं का रख-रखाव संबंधित जल संस्थान करेंगे तथा योजनाओं के रख-रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी । उक्त निर्णय इस परिप्रेक्ष्य में लिया गया था कि पर्वतीय क्षेत्र की विषम कार्य परिस्थितियों एवं वहां पेयजल योजनाओं के रख-रखाव की जटिल स्थिति के कारण प्रायः वहां जल निगम एवं जल संस्थानों के मध्य उत्तरदायित्व की समस्या एवं सांमजस्य का अभाव था तथा योजनाओं का रखरखाव एक ही संस्था द्वारा किया जाना उचित एवं व्यवहारिक समझा गया । उक्त निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 29-8-90 को जारी हुआ ।

उक्त निर्णयानुसार जल निगम द्वारा कुमायूं मण्डल की 1136 तथा गढ़वाल मण्डल की 1259 इस प्रकार कुल 2395 पेयजल योजनाओं का हस्तान्तरण क्रमशः कुमायूं तथा गढ़वाल जल संस्थान को होना था । उक्त 2395 योजनाओं में से 2230 योजनाओं का हस्तान्तरण हो चुका है तथा 165 योजनाएं हस्तान्तरण हेतु अपहरिहार्य कारणों से शेष हैं ।

गढ़वाल क्षेत्र में 1259 योजनाओं में से 1199 का हस्तान्तरण माह सितम्बर, 1991 तक हो गया था व 60 योजनाएं शेष हैं जिनमें 56 गुरुत्व श्रोत की एवं 4 पम्पिंग योजनायें है । उक्त में जनपद चमोली की तल्ला नागपुर गुरुत्व श्रोत की 61 ग्रामों की वृहद योजना है जिसमें मूल श्रोत मे पानी की कमी है जिसे नये श्रोत आकाश कामिनी गधेरे में पानी बढ़ने पर ही हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है । जनपद टिहरी गढ़वाल की हिडंकोलाखाल पेयजल याजेना भी 167 ग्रामों की वृहद योजना है । कई स्टेज की पम्पिंग होने के कारण इसे जल संस्थान द्वारा हस्तगत

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नहीं किया गया है । जनपद पौढ़ी की पट्टी कफलस्यू, साल्डा एवं नैनीडाडा पम्पिंग योजनाओं को भी आवश्यक स्टाफ की कमी के कारण जल संस्थान द्वारा हस्तगत नहीं किया गया है । शेष 55 गुरुत्व श्रोत योजनायें हस्तान्तराधीन है ।

पर्वतीय क्षेत्र में काफी संख्या में पेयजल योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण अतिवृष्टि, भू-स्खलन, बाढ़ तथा तोड़-फोड़ एवं दैवी आपदाएं हैं । उक्त क्षति ग्रस्त योजनाओं के रखरखाव कार्य को शासन प्राथमिकता दे रहा है जैसाकि मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है ।

इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के हस्तान्तरण के संबंध में जल निगम एवं जल संस्थानों के मध्य कोई विवाद नहीं है एवं समस्त संबंधित अधिकारियों से विचार-विमर्श के उपरान्त ही कथित विवाद एवं असामंजस्य की कमी को समाप्त करने हेतु ही उक्त निर्णय शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में पेयजल की सुचारु व्यवस्था एवं उसमें एकरूपता के लिए लिया गया एवं कार्यान्वित कराया गया है । जो 165 योजनायें अपरिहार्य कारणों से हस्तातंरण हेतु शेष है उनके भी शीघ्र हस्तान्तरण के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं ।)

**प्रदेश की प्रौढ़ शिक्षा परियोजना बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं वक्तव्य पढ़े देता हूं ।

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री शिव प्रताप शुक्ला-

(भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं (आर0एफ0एल0पी0) के पुनर्गठन के फलस्वरूप नयी व्यवस्था (पैटर्न) लागू किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आर0एफ0एल0पी0 तथा राज्य सरकार के संसाधनों से संचालित प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं (एस0ए0ई0पी) के अन्तर्गत सृजित पदों को समाप्त किया जाय । नई व्यवस्था के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं में निर्धारित समय के लिए नियत मानदेय पर व्यक्तियों को रखा जाय । प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं में सृजित पदों को दिनांक 31-3-92 के अपरान्ह से समाप्त कर दिया गया है । अन्य विभागों से जो कर्मचारी आये थे उन्हें उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया और जो कर्मचारी प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुए थे उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो गईं ।

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2-प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त छटनीशुदा कर्मचारियों के सम्बन्ध मे मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शासन द्वारा उन्हें सेवायोजन का अवसर प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया तथा इस संबंध में आवश्यक शासनादेश दिनांक 27-3-92 को ही निर्गत कर दिये गये । परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी तथा पर्यवेक्षकों के पदों पर कार्यरत छटनीशुदा 456 व्यक्तियों को प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम 1400-2300 के वेतनमान में नियुक्ति हेतु अवसर प्रदान किया गया है । वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ लिपिक/ टंकक जिनकी संख्या 215 है को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर तथा ड्राइवर मशीनमैन एवं अर्दली/चपरासी जिनकी संख्या 306 है को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु असर दिया गया है । यह सभी नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा बेसिक शिक्षा में उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रदान की जा रही हैं ।

3-समाप्त की गई प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं के कर्मचारियों की माह मार्च, 1992 का देय वेतन माह अप्रैल, 1992 में भुगतान किये जाने हेतु शासन स्तर से निर्देश दिये गये हैं । दिनांक 20-4-92 तक प्राप्त सूचनानुसार 57 जनपदों में पूर्व में संचालित प्रौढ़ शिक्षा परियोजना में से 51 जनपदों में कर्मियों के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

4-भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार अंशकालिक अनुदेशकों को नियत समय के लिए नियत मानदेय पर रखे जाने की व्यवस्था की । अब अनुदेशकों के मानदेय की व्यवस्था नहीं है ।

5-वर्णित परिस्थितियों में प्रदेश में किसी भी कर्मचारी को न तो बेरोजगार किया गया है और न ही उन्हें भुखमरी के कगार तक पहुंचाया गया है । अपितु मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कर्मियों को सेवायोजित किये जाने का पूरा प्रयास किया गया।)

**विद्युत दरों में हुई भारी वृद्धि से नलकूपों तथा सरकारी ट्यूबवेलों एवं कृषि क्षेत्र प्रभावित होने तथा विद्युत चोरी रोकने विषयक दिनांक 1 अप्रैल, 1992 के नत्थी "क" के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 1 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा**

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, इसे दूसरे दिन के लिए रख लीजिए ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत की दरों में भारी वृद्धि कर दी है और इस वृद्धि का सीधा असर प्रदेश के काश्तकारों पर पढ़ा है, प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं पर पड़ा है । विद्युत दरों में की गयी वृद्धि से दुख और असंतोष है । मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक प्रश्न किया गया था और प्रश्न का असंगत उत्तर आने

के कारण ही यह चर्चा स्वीकार हुई थी । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के घाटे की पूर्ति विद्युत दरों में वृद्धि करके नहीं की जा सकती है ऐसा सरकार ने मान लिया है । जबकि सरकार को यह तथ्य सुस्पष्ट बना लेना चाहिए था कि विद्युत परिषद् का घाटा विद्युत दरों को बढ़ाकर पूरा नहीं किया जा सकता है । जो इसका ढांचा है उसमें मूलभूत खामियां हैं । मान्यवर, यह जो शक्ति भवन है, एक दिन मंत्री जी जाकर इसका अध्ययन कर लें बहुत ऐसे बड़े-बड़े अधिकारी हैं जिनका विद्युत विभाग के ढांचे से जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है । वे लोग बड़ी भारी रकम लेते हैं लेकिन शासन और जनता की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं । जितनी विद्युत तैयार होती है उसका तीस-चालीस प्रतिशत तक विद्युत वितरण तक नहीं पहुंच पाती है । जो सम्प्रेषण है उसकी व्यवस्था खराब है, उपकरण खराब है जो माल तैयार होता है, तैयार सौ करोड़ का होता है तो साठ या सत्तर करोड़ घाटा ही घाटा होता है । घाटा इसलिए होता है कि विद्युत विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी बड़ी-बड़ी फैक्टरियों से उपभोक्ताओं से सीधे-सीधे सम्बन्धित होते हैं । यहां असली मंत्री जी नहीं हैं, ऊर्जा मंत्री जी नहीं हैं, नहीं तो मैं बताता कि वे सीधे-सीधे बड़े-बड़े उद्योगपतियों से संबंधित हैं उनके इशारे पर उनके अधीन के लोग सीधे बिजली उत्पादन की चोरी करवा रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारे यहां सोमानी स्टील उद्योग है । उसमें स्टील का उत्पादन होता है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना उत्पादन होता उससे कम विद्युत का खर्चा होता है तो इसका रहस्य क्या है ? इसी प्रकार से बहुत से उद्योग हैं । मान्यवर, मैंने सरकार को और माननीय राज्य मंत्री जी को इस प्रकार कई शिकायतें दी हैं । अन्य माननीय सदस्यों ने भी शिकायतें दी हैं । जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं वहां अवर अभियन्ता बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी कागज में लिखा पढ़ी करे आटा चक्की को, टयूबवैल्स को और पम्पों को कनेक्शन दे रखें हैं । मैंने शिकायतें दी हैं लेकिन उन्होंने भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करवायी । माननीय राज्य मंत्री को लिखकर दिया, यह हुआ कि आई0जी0 सेल से जांच करायेंगे, 15 दिन में आख्या दें ।

मान्यवर, वहां एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसका पक्के रोड पर कारखाना है उसके पास कोई कनेक्शन नहीं है । ट्रान्सफार्मर है, ट्रान्सफार्मर चोरी से लग सकता है । विद्युत विभाग की निश्चित भागीदारी उसमें रही । विद्युत विभाग के अभियतान्ओं ने कहीं लिखा नहीं है । जो व्यक्ति पकड़ा गया वह जेल गया लेकिन उस अवर अभियन्ता का जिसने बिना लिखा पड़ी के कनेक्शन दिया और उस एस0डी0ओ0 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसी प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी बिना कनेक्शन के सीधे चोरी करवा रहे हैं

जब तक चोरी नहीं रुकती है लाइन लास कम नहीं किया जा सकता है तब तक विद्युत विभाग का घाटा कम नहीं किया जा सकता है । सरकार बार-बार विद्युत दरों को बढ़ाये तो उससे कोई लाभ नहीं होगा जनता को कष्ट होगा । श्रीमन्, मैंने प्रतीकात्मक उदाहरण दिये हैं । इन्हीं शब्दों के साथ सरकार से अनुरोध करूंगा कि विद्युत चोरी को खत्म करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । हम लोगों को बुलाया जाये, परामर्श लिया जाये । यह बात तथ्यात्मक रूप से स्वीकार की जानी चाहिए कि बिना लाइन लास कम किए बिना चोरी रोके घाटा कम नहीं हो सकता । मान्यवर, हालत यह है कि एक-एक जगह पर 33-34 मुख्य अभियन्ता बैठे हुए हैं, फील्ड पर नियुक्तियां बहुत सालों से हुई नहीं हैं, ऊपर बैठे हुए लोग मौज मस्ती किया करते हैं, उनको फील्ड पर भेजा जाये, फील्ड को मजबूत किया जाये । जब तक संगठन का पुनर्गठन नहीं होगा विद्युत परिषद् घाटे में रहेगा और जनता का नुकसान होगा ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)-

माननीय दीक्षित जी ने अत्यन्त गम्भीर समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मान्यवर, जितनी पीड़ा दीक्षित जी को है उतनी ही पीड़ा शासन में बैठे हुए लोगों को भी है । यह सही है कि विद्युत परिषद् की स्थिति काफी गम्भीर रही है । परन्तु यह भी सही है कि उस गम्भीर स्थिति को बनाने के लिए जहां अधिकारी और कर्मचारी दोषी हैं वहीं पूर्व में सत्ता में बैठे हुए लोग भी कम दोषी नहीं रहे हैं । आज परिषद् की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास प्रारम्भ किए गये हैं और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उसके परिणाम आना प्रारम्भ हुए हैं ।

उसके परिणाम अत्यन्त उपयोगी आयेंगे । परिषद् में या विभाग में जो भी अकर्मण्य अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, जो इन सब कार्यो को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको भी किसी तरह से बख्शा नहीं जायेगा । हमने इस छोटे से कार्यकाल में काफी तेजी से गति पकड़ने की चेष्टा की है और उसके परिणाम सामने परिलक्षित हुए हैं । जहां तक विद्युत दर में वृद्धि का सवाल है, यह वृद्धि करना बहुत आवश्यक हो गया था । मान्यवर, आप विचार करें, और मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अप्रैल, 90 से जुलाई, 91 तक कोयले की दर साढ़े 22 प्रतिशत बढ़ गयी, तेल की दरों में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी । उसके बाद फिर अगस्त 91 से दिसम्बर, 91 कोयले की दरों में केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी और तेल की दरें लगभग 10 प्रतिशत पुनः बढ़ गयीं । इस प्रकार मान्यवर, जिस चीज के उत्पादन में यह रा मैट्रिरियल हों, कच्चा माल हो, उसके दाम बढ़ जाने से उत्पादित चीज का दाम बढ़ना स्वाभाविक है । इन दोनों रा मैटीरियल का उपयोग इसमें लगभग 54 प्रतिशत है और इन दोनों चीजों के दाम बढ़ जाने से उत्पन्न हुयी असमानता को दूर करने के लिए वृद्धि करना आवश्यक हो गया ।

मैं माननीय दीक्षित जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि केवल दर वृद्धि को बढ़ाकर परिषद् के घाटे को पूरा नहीं किया जा सकता और इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हमने परिषद् के घाटे को इससे पूरा करने की चेष्टा भी नहीं की है । आप भी मान्यवर, अवगत हैं कि केन्द्र सरकार के, विश्व बैंक के तथा अन्य जो वित्तीय संस्थान हैं, उन सभी के बार-बार यह मार्गदर्शक निर्देश प्राप्त हो रहे थे कि जब तक परिषदें अपने घाटे को पूरा नहीं करेंगी तथा 3 प्रतिशत मुनाफे की स्थिति में नहीं आयेगी, तब तक किसी प्रकार का ऋण या अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा । मान्यवर, उस स्थिति में आने के लिए वृद्धि की आवश्यकता थी । 1200 करोड़ रुपये की । हमने जो वृद्धि की है, वह 600 करोड़ रुपये की है । हमने दोनों पहलुओं को सामने रखा है और 600 करोड़ इससे बढ़ाने की चेष्टा की है तथा दूसरी ओर 600 करोड़ रुपये की लगभग मितव्ययिता करके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं । इसमें प्रशासनिक मितव्ययिता, प्रशासनिक खर्चों में कटौती, उत्पादन में जो व्यय आता है, उसमें कमी लाने का निर्णय लिया गया है । इसके साथ ही विद्युत गृहों के पी0एल0एफ0 को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है , साथ ही मशीनों का रख-रखाव ठीक करने का भी निर्णय लिया तथा वितरण और पारेषण की कमियों को दूर करने का भी निर्णय लिया है । इसके अतिरिक्त जो लाइन लासेस होते हैं, उनको खत्म करने का कार्यक्रम बनाया गया है । पहले लाइन लासेस के नाम पर विद्युत की काफी चोरी होती थी, इसको कम करने के उद्देश्य के तहत विगत 6 माह में जो अभियान सरकार द्वारा चलाया गया, परिषद् द्वारा चलाया गया, उसमें मान्यवर, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 45 हजार उपभोक्ता की चेंकिग की गयी और उसमें से 7 हजार से अधिक उपभोक्ता अनियमित पाये गये, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

हमने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भी कार्यवाही की है । मोदी स्पिनिंग मिल जैसी फर्मों के खिलाफ कार्यवाही की है । जो आज तक राजनैतिक दबाव के कारण न ही बकाये को अदा करते थे और न ही शासन स्तर पर व बोर्ड स्तर पर कोई कार्यवाही होने देते थे । उनके कनेक्शन का विच्छेदन किया है । अनेक लोगों ने हाईकोर्ट व न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त किए हैं, इसके लिए भी हमने विधि प्रकोष्ठ की स्थापना की है । जिसमें सभी मामलों में विवेचना की जा रही है । निश्चित रूप से इसके परिणाम सामने आयेंगे । पिछले वर्ष 1400 करोड़ रुपये की वसूलियाबी हुई थी परन्तु इस वर्ष लगभग 1630 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूलियाबी हुई है बिना किसी दर वृद्धि के । यह पहला अवसर है जब 80 हजार अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज किया गया है तथा लगभग 3 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन दिये गये हैं ।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जनता की आकांक्षायें हैं, उन्हें यह सरकार अवश्य पूरा करेगी । विद्युत चोरी को रोकने के लिए एक मई से एक

अभियान चलाया जा रहा है । पिछली बार भी ऐसे अभियान चलाये गये हैं, जिससे 11 हजार लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है ।इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसा कहा गया कि विद्युत के दर में जो वृद्धि की गई है, उसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा, हमने किसानों की परेशानियों को दृष्टि में रखते हुए, कृषि के उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए हमने निजी नलकूपों के दरों में कोई वृद्धि नहीं की है, कुटीर ज्योति की दरों में कोई वृद्धि नहीं की है और जनता सर्विस कनेक्शन में भी कोई वृद्धि नहीं की है । राजकीय नलकूपों और वर्ल्ड बैंक के नलकूपों में जो वृद्धि की गई है उस का असर भी किसानों पर पड़ने वाला नहीं है । क्योंकि उसका भुगतान भी सीधा किसानों द्वारा नहीं किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वास्त करना चाहता हूं कि आपकी चिन्ता को दूर करने का प्रयास करेंगे । परिषद् में सुधार हेतु बड़े कदम उठाये जायेंगे तत्पश्चात और भी सुधार आवेगा ।

श्री महक सिंह -

मान्यवर, जो बिजली की चोरी होती है । शहरों व गांवों में डोरी डालकर के चोरी जो की जाती है, उसे रोका जाय । विगत में आपने एक योजना चलाई थी कि जो अवैध कनेक्शन हैं, उनको रेगुलराइज कर दिया जायेगा । मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस स्कीम को आगे बढ़ायें । गांवों में बिजली सांयकाल 6 से 10 बजे तक नहीं आती है, इसकी ओर आप ध्यान देने की कृपा करें । ट्यूबवेलों पर बिजली कम आ रही है, इसकी तरफ भी ध्यान दें ।

श्री राम ललित चौधरी -

श्रीमन्, मथुरा जिले में सादाबाद में हाइडिल के एक सहायक अभियन्ता को विजिलेन्स इन्सपेक्टर द्वारा पकड़ा गया था और उसे बंद किया गया था लेकिन ऐसी हलचल है कि माननीय मंत्री के प्रयास से वह सहायक अभियन्ता छूट गया है, उसको सस्पेंड नहीं किया गया, उसको कोई सजा नहीं दी गयी है । जब बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी तो चोरी कैसे रोकी जा सकेगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित -

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 45 हजार उपभोक्ताओं की चैकिंग की गयी और 27हजार के विरुद्ध कार्यवाही की गयी । तो क्या जो चोरी के आस पास के अधिकारी दोषी पाये गये जिन्होंने चोरी करवाई उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए । हमारे यहां मौरावां पावर हाउस के अवर अभियन्ता ने कालूखेड़ा में अवैध कनैक्शन दे रखा था उसमें उपभोक्ता पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया ।

लेकिन उसको ट्रांसफारमर खम्भा और लाइन विद्युत विभाग द्वारा दी गयी थी उसमें अभियन्ता का हाथ है । तो जहां-जहां चोरी पकड़ी गयी वहां विद्युत विभाग का सामान लगा पाया गया । तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो विभाग के कर्मचारी हैं कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे और उनको जेल भेजेंगे ।

श्री रविकान्त गर्ग-

माननीय सदस्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत न जाने की बात कही । पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी विद्युत सप्लाई की जाती थी उससे कई प्रतिशत अधिक आज विद्युत सप्लाई की जा रही है । हमने एक मानक तय कर दिया है विद्युत आपूर्ति का (व्यवधान) माननीय सदस्य ने एस0डी0ओ0 के बारे में अवगत कराया । मैं उसकी जांच कराऊंगा । किसी भी अधिकारी को या कर्मचारी को दोषी पाये जाने पर बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री राम ललित चौधरी-

रंगे हाथों एक हजार रुपया रिश्वत लेता पकड़ा गया इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, मेरे संज्ञान में लाया गया है उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा हम इसकी जांच करायेंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने एक उदाहरण दिया ।

श्री रविकान्त गर्ग-

जिस बात की ओर माननीय दीक्षित जी ने संकेत दिया उसमें मैंने पहले ही निर्देश दे दिया है वरिष्ठ अधिकारी चेकिंग के लिए भेजा है । उनके खिलाफ कार्यवाही होगी जिस व्यक्ति ने अवैध कनेक्शन दिया है और जिसने अवैध कनेक्शन लिया उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी । मैंने पहले भी बताया था आज ही कार्यवाही के लिए मुख्यालय से अधिकारी भेजा जा रहा है । वह अपनी रिपोर्ट देंगे उसके बाद कार्यवाही की जायेगी जो भी अधिकारी या कर्मचारी सहयोग उसमें दिये होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी ।

(व्यवधान)

**यू0पी0 स्टेट हार्टिकों के छटनी शुदा कर्मचारियों का राज्याधीन सेवाओं में समायोजित न किये जाने विषयक दिनांक 31 मार्च, 1992 के नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा**

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, दिनांक 31 मार्च, 92 को तारांकित प्रश्न के द्वारा यह जानकारी चाही थी कि शासनादेश के बावजूद यू0पी0 हार्टिकों के छटनी शुदा कर्मचारियों को

क्यों समायोजित नहीं किया जा रहा है उसका उत्तर आया था कि चयन सम्पादित न होने के कारण और दूसरी बात कहीं कि रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण चयन नहीं हो सका । तो यह चयन को, चयन सम्पादन की बात कौन करेगा ? क्या वह हार्टिकों के 328 कर्मचारी चयन करायेंगे ? यह तो सरकार की जिम्मेदारी है और उसे अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए । दूसरी बात रिक्ति की आई, यह भी काम सरकार का है कि वह देखें कि किस विभाग में रिक्तियां हैं और इन छटनी शुदा कर्मचारियों के अनुसार कहां-कहां जगह खाली हैं ? उसका यह काम है कि वह पता लगाकर इनके द्वारा उन स्थानों को भरे । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चलचित्र निगम भी इसी तरह से टूटा था, उसके कर्मचारी समायोजित हो गये लेकिन आज हार्टिकों के कर्मचारी दर-दर के भिखारी हो रहे हैं । तो मान्यवर, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या कर्मचारी जिन्दाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगायें, प्रदर्शन करें और आन्दोलन करें, तब यह सरकार कुछ करेगी या अपने से हम कुछ करेंगे । तो उन सताये हुए पीड़ित लोगों की आवाज यहां तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य था वह हम कर रहे हैं अब यह सरकार की मर्जी है कि कर सकती है तो करे वरना टालमटोल भी कर सकती है ।

सिंचाई, न्याय विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, कहीं के कर्मचारियों की छटनी हो जाने के बाद उनके सामने आर्थिक संकट होना स्वाभाविक है । उन्हीं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शासन ने उन्हें सहायता प्रदान किया कि वह सब नियमों के रहते हुए रिक्त स्थानों पर, जो निगम या शासकीय विभागों में है, उनकी पुनः नियुक्ति दी जा सकती है और इस प्रयास में वर्तमान सरकार ने तीन आदेश जारी किए हैं निगमों और विभागों को कि वह उपयुक्तता के आधार पर स्थान रिक्त होने पर उनकी भर्ती करें उसके फलस्वरूप 74 लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी है और अभी 246 आदमी शेष है । तो रिक्त और उसके विरुद्ध उनकी उपयुक्तता यह दो बातें मुख्य रूप से हैं । यह हमारा निर्णय है और नीति भी है । अब जिन पदों के विरुद्ध संस्थाओं में चयन होता है, तो चयन तो वहां के विभागाध्यक्ष और अधिकारी लोग करेंगे । शासन निगमों और अन्य संस्थाओं को प्रेरित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है कि आप इनको मानवीय आधार अपनाकर अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी समायोजित कर लें । इसमें एक कठिनाई और सामने है कि रिक्तियां इतनी ज्यादा नहीं हैं कि रिक्तियां भी हों और इनकी उपयुक्तता भी सिद्ध हो । फिर भी इनकी जल्दी से जल्दी समायोजित करने के लिए प्रयास करेंगे ।

श्री राम ललित चौधरी-

छटनी शुदा कर्मचारी आलरेडी नौकरी में थे तो दुबारा उनका इण्टरव्यू लेने का सवाल नहीं है । मान्यवर, उपयुक्तता और योग्यता में अंतर है । इसलिए उनकी

योग्यता जिस पर थी उस पद पर बिना इण्टरव्यू के उनकी भर्ती की जाए चूंकि पहले से नौकरी में थे । हार्टिको के कर्मचारी जिस पद के लायक हैं उन्हें जिस विभाग में रिक्ति हो उन्हें उसी पद पर रखा जाए जैसे चपरासी हैं तो जिस विभाग में रिक्ति हो उसे चपरासी के पद पर, बाबू हो तो बाबू के पद पर और अधिकारी हो तो अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाए । इसका मंत्री जी स्पष्टीकरण दे दें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, उपयुक्तता तो देखनी ही पड़ेगी । चूंकि शासन में विविध प्रकार के पद हैं तो जो व्यक्ति रखा जा रहा है वह उसके उपयुक्त है कि नहीं, इसके देखे बिना नियुक्ति नहीं हो पायेगी और वर्तमान सरकारी इसी नीति पर चल रही है । लेकिन उनको प्राथमिकता मानवीय आधार पर देने की नीति है किन्तु बिना उपयुक्तता देखे हुए रखना प्रशासनिक हित में नहीं होगा ।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, क्या हार्टिकों में भर्ती के समय उनकी उपयुक्तता नहीं देखी गयी थी और बिना उपयुक्तता के वह रख लिये गये थे ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष-

यह चर्चा अब यहीं समाप्त होती है ।

अब हम उठते हैं और 27 अप्रैल, 1992 को 11 बजे पूर्वाह्न पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 7 मिनट पर सोमवार, 27 अप्रैल, 1992 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
24 अप्रैल, 1992

**प्रेम चन्द्र सक्सेना,**
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0सं0 17 का उत्तर पीछें पृष्ठ 4 पर)

वित्त आयोग 89-90 एवं कार्य योजना 90-91 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के ऋण की स्थिति एवं दी गयी धनराशि का विवरण किश्तों में ।

| क्र0सं0 | ग्राम सभा/ विद्यालय का नाम | प्र0अ0/इं0प0अं0 का नाम | ग्राम प्रधान का नाम | किस्त संख्या | अन्य विवरण किस्त संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जूड़ी कुईया | श्री अब्दुल रजाक | श्री मो0 सलीम खां | III | तृतीय किश्त प्रत्येक तीस हजार |
| 2 | शंकर पुर कला | श्री भभूती प्रसाद | श्री सूरज प्रसाद | III | " |
| 3 | बनधुसरी | श्री मो0 इलियास खां | श्री इकराम खां | III | " |
| 4 | खाखादेई | श्री चन्द्र शेखर | श्री सफात अहमद खां | III | " |
| 5 | बानगढ़ | श्री मो0 समी | श्री अब्दुल मन्नान खां | III | " |
| 6 | मोतीपुर सेमरी | श्री भून प्रसाद | श्री प्रेम सागर | III | " |
| 7 | कोल्हुईगरीब | सुश्री राधिका देवी | श्री शहाबुद्दीन खां | III | " |
| 8 | ढड़वलिया | श्री रुप नारायन सिंह | श्री टीकू | III | " |
| 9 | विशनपुर कोडर | श्री नर नारायण | श्री राजकुमार | III | " |
| 10 | बेदमऊ | श्री राम प्रकाश | श्री हफीर्जुरहमान | III | " |
| 11 | जोगिनिया रमनगरा | श्री चन्द्र किरन | श्री नरसिंह | III | " |
| 12 | फरेंदी | श्री आन्सा | श्री ममदूह अहमद खां | III | " |
| 13 | खदगौरा | श्री गंगा राम यादव | श्री मो0मुस्तकीम | III | " |
| 14 | धमौली | श्री मो0 इदरीसी | श्री मो0 हनीफ खां | III | " |
| 15 | समरहना | श्री राम प्रसाद मौर्य | श्री पाटेश्वरी प्रसाद | III | " |
| 16 | त्रिलोक पुर | श्री तिलक राम सिंह | श्री राजनारायण सिंह | III | " |
| 17 | भगवानपुर कोल | श्री राम सरन | श्री राम लखन | III | " |
| 18 | बनकटवाचारु | श्री नानबाबू | श्री महादेव | III | " |
| 19 | भतहपुरई | श्रीराम भजन | श्री मनी राम | III | " |
| 20 | रजहना | श्री मनीराम | श्री रामस्वरूप | III | " |
| 21 | सुगानगरपुरी | श्री जमशेदअली | श्री माता प्रसादसिंह | III | " |

उत्तर प्रदेश सरकार

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | नरायनपुर बुबहवा | श्री शिव प्रसाद | श्री सत्य पाल | ।। | द्वितीय किश्त |
| 23 | तुरकौलिंया | श्री त्रिभुवन प्रसाद | श्री जैश मो0 | ।।। | तृतीय किश्त |
| 24 | सिसहनियां बरगदही | श्री करारअली | श्री शब्बीर खां | ।।। | ,, ,, |
| 25 | मदरहवा | श्री नन्दन प्रसाद | श्री जगदीश प्रसाद | ।।। | ,, ,, |
| 26 | कल्लमरियाखादर | श्री संकटा प्रसाद | श्री जोखूराम | ।।। | ,, ,, |
| 27 | नरचहवासैप | श्री राम गोपाल | श्री लल्लू राम | ।।। | ,, ,, |
| 28 | इमिलियाकोडर | श्री लक्ष्मीप्रसाद | श्रीभग्गन | ।।। | ,, ,, |
| 29 | विशुनपुरविश्राम | श्री महबूब अली | श्री रामदास | ।।। | ,, ,, |
| 30 | मुड़नी | श्री बाबू राम दुबे | श्री प्रभू | ।।। | ,, ,, |
| 31 | कोहरगड्डी | श्री दीनानाथ | श्री प्रेमसागर | ।।। | ,, ,, |
| 32 | सेमरहवा | श्री रामनरेश त्रिपाठी | श्री भग्गन | ।।। | ,, ,, |
| 33 | रजडेरवाथास | श्री रामलोटन | श्री मनीराम | ।।। | ,, ,, |
| 34 | हरिहरपुर | श्री नूर मो0 | श्री वीरेन्द्र सिंह | ।।। | ,, ,, |
| 35 | मनोहरा | सुश्रीकलावती देवी | श्री रामनाथ | ।।। | ,, ,, |
| 36 | कुटीरमललह | श्री रामलखन यादव | श्री मो0युनूस खां | ।।। | ,, ,, |
| 37 | गौराभारी | श्री दीनानाथ आर्य | श्री शोहराब | ।।। | ,, ,, |
| 38 | कमैयाभारी | श्री गंगाराम | श्री हमीदखां | ।।। | ,, ,, |
| 39 | मानपुर | श्री बच्चूलाल | श्री गंगराम | ।।। | ,, ,, |
| 40 | सोनपुर | श्री करमुल्लाखां | श्री शब्बीरहसनखां | ।।। | ,, ,, |
| 41 | क0सोनपुर | सुश्री श्यामदुलारी | श्री शब्बीरहसनखां | ।।। | ,, ,, |
| 42 | रमवापुर | श्री अम्बिका प्रसाद | श्री महादेव प्रसाद यादव | | ,, ,, |
| 43 | बेमिहां | श्री खलील अहमद | श्री मकबूल हसन | ।।। | ,, ,, |
| 44 | धवाई | श्री लक्ष्मी निवास | श्री रामनिवास | ।।। | ,, ,, |
| 45 | भैंसहवा | श्री अब्दुल्ला | श्री मो0 नजीर | ।।। | ,, ,, |
| 46 | सिसवामाधवनगर | श्री शेषमणि ओझा | श्री पटेश्वरी प्रसाद | ।।। | ,, ,, |
| 47 | आदमतारा | श्री मो0 याकूब | श्री त्रिपुरारी | ।।। | ,, ,, |
| 48 | मनिकापुर | श्री अमानुल्लाखां | श्री शकील अहमद | ।।। | ,, ,, |
| 49 | भगवानपुर खादर | श्री रामसूरत | श्री विजय बहादुर लाल | ।।। | ,, ,, |
| 50 | क0 भैंसहवा | सुश्री सावित्री देवी | श्री मो0 नजीर | ।।। | ,, ,, |
| 51 | शिवपुर विजयनगर | श्री रामदुलारे | श्री परशुराम | ।।। | ,, ,, |
| 52 | सुगांव | श्री धिरऊप्रसाद | श्री राम स्वरूप | (।।) | 30-30 हजार की दो किश्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | नौबस्ता | श्री रामलखन | श्री अवधपाल सिंह | ।।। | तीन किश्त में । |
| 54 | पकड़ीजीतपुर | रफीअहमद | श्री राम सुन्दर | ।। | दो किश्त में |
| 55 | वैरिहवाभोजपुर | श्री आन्साशाहीन | श्री मो0 वसीम खां | । | कार्य प्रारम्भ होने के बाद |
| 56 | मोतीनगर | श्री अनन्तराम | श्री वाहिद अली | । | स्थल विवाद एस0डी0एम0 महोदय के यहां निर्णयाधीन । |

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

## नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0सं0 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

### आरोपों का विवरण

1 अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा के आवास पर लगे टेलीफोन का विगत दो वर्षों से अभी तक का वर्षवार व्यय का ब्यौरा तथा औचित्य ।

2 अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बांदा के आवास पर लगे टेलीफोन का व्यय तथा औचित्य (विगत दो वर्षों का)।

3 गत दो वर्षों में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से कराये गये जिलों के भुगतान का विवरण ।

(।) गत दो वर्षों में सड़क अनुदान से संबंधित कार्य एवं उन पर किये गये व्यय का विवरण ।

(।।) गत दो वर्षों में पालिका निधि से किये गये कार्य/व्यय का विवरण ।

4 मुहल्ला डिग्गी चौराहे से किरन कालेज बांदा तक बनी सड़क की प्रौवैधिक जांच तथा उपभोग में लायी गयी सामग्री की स्थिति/ठेके के अनुबन्ध के हिसाब से।

5 सड़क अनुदान संबंधी कार्य अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के सगे रिश्तेदारों व चाहने वाले व्यक्तियों से कराया जाना ।

6 चुंगी चौकियों पर कब्जा कराया जाना तथा वसूली संबंध में जांच ।

7 पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रभात कुमार उर्फ पप्पू की पदोन्नति की जांच ।

8 महेश्वरी देवी चौक पर बनी दुकानों का अवैधानिक निर्माण कराया जाना ।

9 गत दो वर्षों में नजूल भूमि का आवंटन व औचित्य ।

10 अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा द्वारा बोर्ड की नियमित बैठकें न बुलाया जाना ।

11 बिना बोर्ड की स्वीकृति से कार्य कराया जाना तथा आयुक्त स्तर से रोकने के उपरान्त भी पालिका कार्यों का भुगतान किया जाना ।

12 गत तीन वर्षों में नगरपालिका के कर्मचारियों का निलम्बन तथा ऐसे कर्मचारियों के नाम जिन्हें सवेतन बहाल किया गया तथा उनके नाम जो अभी भी निलम्बित चल रहे हैं ।

13 पालिका व्यय से हैण्ड पम्पों का लगाया जाना तथा औचित्य की जांच ।

14 अध्यक्ष, द्वारा श्री अनिल यादव लिपिक की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जांच

15 गत दो वर्षों से मलिन बस्तियों के सुधार हेतु शासन से प्रापत अनुदान के उपयोग संबंधी जांच ।

16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्तियां (स्वास्थ्य विभाग तथा सामान्य विभाग में) संबंधी जांच तथा औचित्य ।

## नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66-86 पर)

**मृतक आश्रितों की सूची जिन्हें सेवा में लिया गया ।**

| क्र0सं0 | मृतक आश्रित का नाम | मृतक का नाम जिसकी प्रति नियुक्ति की गई | कार्यरत विद्यालय का नाम | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री रमेश चन्द्र गौड़ | स्व0 श्री राम किशोर गौड़ | प्रा0पा0 | मवई, बड़ोखर |
| 2 | ,, अभिलाष कुमार | ,, श्री शारदा प्रसाद अव0 | प्रा0पा0 | बसहरी ,, |
| 3 | ,, राजेन्द्र कुमार गुप्त | ,, श्री मोती लाल गुप्त | प्रा0पा0 | गोडी बाबा,बड़ोखर |
| 4 | ,, भागवत प्रसाद द्विवेदी | ,, श्री शिव बालक प्रसाद | प्रा0पा0 | गलौली, जसपुरा |
| 5 | ,, कमलेश द्विवेदी | ,, श्री गोरे लाल | क0प्रा0पा0 | पड़ोहरा, जसपुरा |
| 6 | ,, दिवाकर विश्वकर्मा | ,,श्री शिव प्रसाद विश्वकर्मा | प्रा0पा0 | टोलिया, तिन्दवारी |
| 7 | ,, हुसेन | ,, श्री मुमताज हुसेन | प्रा0पा0 | देवरा, तिन्दवारी |
| 8 | ,, कौशल किशोर | ,, श्री चुनूबाद | प्रा0पा0 | देवरा, तिन्दवारी |
| 9 | ,, सुरेन्द्र कुमार | ,, श्री सूर्य कुमार बाजपेई | प्रा0पा0 | गोखरही, तिन्दवारी |
| 10 | ,, शिवभजन | ,, श्री राम देव | प्रा0पा0 | महुई, तिन्दवारी |
| 11 | ,, बाबू राम | ,, श्री सत्य नारायण | प्रा0पा0 | पिपरहरी, तिन्दवारी |
| 12 | ,, साहब लाल | ,, श्री रामरूप सिंह | प्रा0पा0 | बरसड़ बुजुर्ग महुआ |
| 13 | ,, लक्ष्मी किशोर | ,, श्री चन्द्रिका प्रसाद शर्मा | प्रा0पा0 | गोरेपुरवा, नरैनी |
| 14 | ,, हीरा प्रसाद पाण्डेय | ,, श्री राम चरन पाण्डेय | प्रा0पा0 | बरूआ स्योटा,नरैनी |
| 15 | ,, राजेन्द्र कुमार | श्रीमती सरोज कुमार | क0प्रा0 | जमवारा, नरैनी । |
| 16 | कु0 रंजना श्रीवास्तव | श्रीमती लीलावती | प्रा0पा0 | नरैनी नवीन |
| 17 | श्री शिव मोहन | ,, श्री बलवीर | प्रा0पा0 | धनेल, नरैनी । |
| 18 | कीर्तिवाला | ,, श्री बंशगोपाल | प्रा0पा0 | बरहेन्डा,नरैनी । |
| 19 | श्री भूपति | ,, श्री राम आसरे | प्रा0पा0 | भुराने,नरैनी । |
| 20 | ,, दिनेश सिंह | ,, श्री रघुनाथ सिंह | प्रा0पा0 | पिपरा, नरैनी । |
| 21 | ,, अश्वनी कुमार | श्रीमती सरोज देवी | प्रा0पा0 | साडासानी,कमासिन |
| 22 | ,, कुवेरदत्त | श्री महेश्वर प्रसाद द्विवेदी | प्रा0पा0 | येरवि, कमासिन |
| 23 | ,, गणेश प्रसाद | ,,जागेश्वर | प्रा0पा0 | औदहा, कमासिन |
| 24 | ,, नत्थू प्रसाद | ,, बाबू लाल | प्रा0पा0 | मुसीवां, कमासिन |
| 25 | ,, देवेन्द्र कुमार | श्री बालाप्रसाद | प्रा0पा0 | बीरा, कमासिन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | श्री ज्ञान सिंह | स्व0 श्री राजबहादुर सिंह | प्रा0पा0 अमेठी, कमासिन | |
| 27 | ,, धीरेन्द्र कुमार | ,,श्री विद्याभूषण | क0पा0 मुसीवा, कमासिन | |
| 28 | ,, मुहम्मद मतीन फारूकी | ,,श्री जमील अहमद | प्रा0पा0 भभुआ, बबेरू | |
| 29 | ,, राम कृष्ण अग्निहोत्री | श्री गनेश प्रसाद | प्रा0 पा0 स्वीमीदीन का पुरवा, बबेरू । | |
| 30 | ,, सुरेन्द्र कुमार | ,,श्रीमती सुशीला देवी पाल | प्रा0पा0 कुचेदू, बबेरू | |
| 31 | ,, राम सजीवन | ,, श्री जंगबहादुर | प्रा0पा0 निलाधूं, बबेरू | |
| 32 | ,, शिव कुमार | ,, श्री कामता प्रसाद | प्रा0पा0 निलाथूं, बबेरू | |
| 33 | ,, वीरेन्द्र कुमार | ,, श्री राम औतार | प्रा0पा0 अमलोहरा, विसण्डा | |
| 34 | ,, राजकुमार | ,, श्री चन्द्रपाल सिंह | प्रा0पा0 परसेटा, विसण्डा | |
| 35 | ,, सुशील कुमार | ,, श्री शीतल प्रसाद | प्रा0पा0 सिंहपुर, विसण्डा | |
| 36 | ,, गिरिजाशरण | ,, श्री जौहरी लाल | प्रा0पा0 मारकुण्डी,मानिकपुर | |
| 37 | ,, कृष्ण दत्त सिंह | ,, श्री देशराज सिंह | प्रा0पा0 व्यूर, मानिकपुर | |
| 38 | ,, हरिशंकर | ,, श्री दिवाकर प्रसाद | प्रा0पा0 गढाखानपुर, मानिकपुर | |
| 39 | ,, अरूण प्रताप सिंह | ,, श्री अवध बिहारी सिंह | प्रा0पा0 रैपुरा, मानिकपुर | |
| 40 | ,, राजेश कुमार सिंह | ,, श्री सुलखान सिंह | प्रा0पा0 पहाड़ी, पहाड़ी । | |
| 41 | ,, दुर्गा प्रसाद | ,, श्री बाबू लाल | प्रा0पा0 दरसेड़ा पहाड़ी | |
| 42 | ,, अच्छे लाल | ,, श्री राम आसरे | प्रा0पा0 रेहुटा, चित्रकूट | |
| 43 | ,, प्रमोद कुमार | ,, श्री शिव सम्पति राम | प्रा0पा0 सपहा, चित्रकूट | |
| 44 | ,, रामनरेश | ,,श्री सदा नन्द | प्रा0पा0 दहिनी, चित्रकूट | |
| 45 | ,, सजेश कुमार | ,,श्री कुवेर प्रसाद | प्रा0पा0 लौंढ़ियाखुर्द चित्रकूट | |
| 46 | ,, लक्ष्मीकान्त | ,,श्री सत्य नारायण त्रिपाठी | प्रा0पा0 वसिहा, रामनगर | |
| 47 | ,, उमा शंकर तिवारी | ,, श्री राम प्रताप | प्रा0पा0 बरूआ, रामनगर | |
| 48 | ,, राजेन्द्र सिंह | ,, श्री लाल जी | प्रा0पा0मोहनपुर, मऊ | |
| 49 | ,, नरेश कुमार | ,,श्री चन्द्र पाल | प्रा0पा0 उदयीपुरवा, नरैनी | |
| 50 | ,, प्रेम नारायण | ,, श्री रामस्वरूप | प्रा0पा0 क्लाना | |
| 51 | ,, वीरेन्द्र कुमार | ,, श्री जयनारायण लाल | प्रा0पा0 लापांव, मऊ | |
| 52 | ,, रवीन्द्र कुमार मिश्र | ,, श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र | प्रा0पा0 कुवरी, मानिकपुर | |
| 53 | ,, बृजेश कुमार द्विवेदी | ,, श्री बाबू लाल द्विवेदी | प्रा0पा0 पचुल्ला, बड़ोखर | |
| 54 | ,, इन्द्र पाल यादव | ,, श्री शिव मोहन लाल | प्रा0पा0 बन्धरी-2, कमासिन | |
| 55 | ,, कृष्ण कुमार गुप्त | ,, श्री मोती लाल गुप्त | प्रा0पा0 पछोहा, कमासिन | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | श्री अवधेश कुमार सिंह | स्व0 श्री मइयादीन | प्रा0पा0 मसुरी, महुआ | |
| 57 | ,, राजाभइया सिंह | ,, श्री प्रहलाद प्रसाद | प्रा0पा0 वांसी, महुआ | |
| 58 | ,, कुशल मोहन सिंह | ,, श्री अमरजीत सिंह | प्रा0पा0 पुरवपताई-2, मऊ | |
| 59 | ,, अरिमर्दन सिंह | ,, श्री शिव चरण सिंह | प्रा0प्रा0 चटगन, बड़ोखर | |
| 60 | ,, प्रतिपाल सिंह | ,, श्री मातादीन सिंह | प्रा0पा0 तेरही माफी-2 तिन्दवारी | |
| 61 | ,, नत्थू राम पटेल | ,, श्री राम कृपाल | प्रा0पा0 हजिस्जनपुर,विसन्डा | |
| 62 | ,, अजय कुमार खरे | ,,श्रीमती सावित्री देवी खरे | प्रा0पा0 पुरवातरोहा-2 कर्वी | |
| 63 | ,, राजेन्द्र प्रसाद मिश्र | ,,श्री यदुनाथ प्रसाद मिश्र | प्रा0पा0 ओरा-2, पहाड़ी | |
| 64 | ,, शिव प्रसाद | ,, श्री किंकर राम | प्रा0पा0 निवादा, महुआ | |
| 65 | ,, अनिल कुमार शुक्ल | ,, श्री रामसिया शुक्ल | प्रा0पा0 पथरा, नरैनी | |
| 66 | ,, शिवविलाश | ,, श्री हीरा लाल | प्रा0पा0 सिक्लोढ़ी, विसण्डा | |
| 67 | ,, अमर नाथ मिश्र | ,, श्री राम विलाश मिश्र | प्रा0पा0 गुरगवा, जसपुरा | |
| 68 | ,, अरविन्द कुमार | ,, श्री श्याम लाल | प्रा0पा0 इटर्रा, कमासिन | |
| 69 | ,, मनोज कुमार | ,,श्रीमती कमला चतुर्वेदी | प्रा0पा0 नगर क्षेत्र, बांदा | |
| 70 | ,, तीरथ प्रसाद | ,, श्री राजकुमार | प्रा0पा0 सिंहपुर-2 विसण्डा | |
| 71 | ,, नरेन्द्र पाल सिंह | ,, श्री मेड़ा सिंह | प्रा0पा0 लुकतरा, बड़ोखर | |
| 72 | ,, विनोद कुमार मिश्र | ,, मिथलेश कुमार मिश्र | प्रा0पा0 जरिया, तिन्दवारी | |
| 73 | ,, राम किशोर | ,, श्री मैकू राम | प्रा0पा0, हटवामऊ | |
| 74 | ,, राजेश कुमार श्रीवास्तव | ,, श्री भगवान दास | प्रा0 पा0 तेरा, नरैनी | |
| 75 | ,, अरविन्द कुमार | ,, श्री बद्री प्रसाद पाण्डेय | प्रा0पा0 दुवरिया, नरैनी | |
| 76 | ,, संजय कुमार अवस्थी | ,,श्री श्याम मोहन अवस्थी | प्रा0पा0 मछरिया, चित्रकूट | |
| 77 | ,, धनराज सिंह | ,, श्री शिव कुमार सिंह | प्रा0पा0 अमलोर, तिन्दवारी | |
| 78 | ,, संतोष कुमार गौतम | ,, श्री चन्द्र शेखर गौतम | प्रा0पा0 कोईही, विसण्डा | |
| 79 | ,,जय शंकर प्रसाद तिवारी | ,,श्री शिव कुमार तिवारी | प्रा0पा0 गुढ़ाकला, नरैनी | |
| 80 | श्रीमती पुष्पा गुप्ता | ,, श्रीमती विमला देवी | प्रा0पा0 नगर क्षेत्र, बांदा | |
| 81 | श्री संतोष कुमार कुशवाहा | ,, श्री विश्वेश्वर प्रसाद | प्रा0पा0 कछियापुरवा, विसण्डा । | |
| 82 | ,, सीताराम | ,, श्रीमती बेटीवाई | प्रा0पा0 चिल्ला, माफी चित्रकूट | |
| 83 | ,, अरूण कुमार सिंह | ,,श्री सुरेश चन्द्र सिंह चंदेल | प्रा0पा0 गाजीपुर-2,जसपुरा | |
| 84 | ,, नारायण सिंह | ,,श्री कंधई प्रसाद | प्रा0पा0 नादिन कुर्मियान, रामनगर | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 85 | श्री कृष्ण कुमार मिश्र | श्री गणनायक प्रसाद | प्रा0पा0 नैनी, पहाड़ी |
| 86 | ,, संतोष कुमार | श्री जय प्रसाद उपाध्याय | क0प्रा0पा0राजापुर, रामनगर |
| 87 | ,,कैलाश नाथ श्रीवास्तव | ,,श्री दशरथ प्रसाद श्रीवास्तव | प्रा0पा0 रमयापुर, कर्वी |
| 88 | ,, राम कृपाल | स्व0 श्री जिया लाल | प्रा0पा0 पचकोरी, जसपुरा |
| 89 | ,, गिरीश कुमार श्रीवास्तव | ,, श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव | प्रा0पा0 हुकुम सिंह का डोरा, तिन्दवारी । |
| 90 | ,, अखिलेश चन्द्र शुक्ल | ,, श्री श्याम चन्द्र शुक्ल | प्रा0पा0 किटहाई, कमासिन |
| 91 | ,, प्रेम कुमार यादव | ,, श्री बिन्दावन यादव | प्रा0पा0 नई दुनिया, विसण्डा |
| 92 | ,, पंकज कुमार | ,, श्री रामसिया विश्वकर्मा | प्रा0पा0 खोपा, पहाड़ी |
| 93 | ,, ज्योति प्रकाश | ,, श्री भुइयादीन | प्रा0पा0 ओरा, पहाड़ी |
| 94 | ,, लाल बाबू सिंह | ,, श्री राजबहादुर सिंह | प्रा0पा0 शंकरपुर, नरैनी । |

**चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 95 | श्री सीलेन्द्र खरे | स्व0 श्रीमती मानकुंवर | क0चन्द्र किशोरी नगर क्षेत्र बांदा |
| 96 | श्रीमती लक्ष्मी धुरिया | ,, श्री विटोल | कार्यालय शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र बांदा । |
| 97 | ,, जमुना प्रसाद | ,,श्रीमती रामकुवर | क0जू0हा0 कटरा |
| 98 | ,, गंगा प्रसाद | ,, श्री भागवत प्रसाद | जू0हा0स्कूल, खिन्नीनाका, बांदा । |
| 99 | ,, इसरार हुसेन | ,, श्री मोहम्मद हनीफ खां | उ0प्रा0वि0, अमलीकौर |
| 100 | ,, मुन्ना सैनी | ,, श्री गजाधर प्रसाद सैनी | उ0प्रा0 वि0, गुरेह |
| 101 | ,, चन्द्र भूषण शुक्ल | ,, श्री सिया राम शुक्ल | उ0प्रा0वि0, कनवारा |
| 102 | ,, रामू | ,, श्री बनवारी कहार | उ0प्रा0, सहेवा |
| 103 | ,, विजय करन | ,, श्री राम विशाल | उ0प्रा0वि0, पलरा |
| 104 | ,, कामता प्रसाद | ,, श्री प्रभू | उ0प्रा0वि0, तेरा |
| 105 | ,, चुनकाबन | ,, श्री बहादुर | उ0प्रा0वि0, उतरवां |
| 106 | ,, वृज बिहारी | ,, श्री राम चन्द्र | उ0प्रा0 वि0, मादादेव |
| 107 | ,, शिव सेवक | ,, बच्चू राम | उ0प्रा0वि0, मुरका |
| 108 | श्रीमती फरजानबेगम | ,, शाबिर खां | क0उ0प्रा0वि0, महोखर । |

**नत्थी 'घ'**

(देखिये अता0 प्र0सं0 123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 92 के पांचवें शुक्रवार के लिए निर्धारित माननीय श्री अंगद यादव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-123 के उत्तर की सूची ।

| क्र0 सं0 | ब्लाक का नाम | नाम चिकित्सालय | आयुर्वेदिक एवं यूनानी | कार्यरत चि0अ0 का नाम व दिनांक | कार्यरत फार्मेसिस्ट का नाम दिनांक | कार्यरत भृत्य का नाम व दिनांक | कार्यरत कुक का नाम व दिनांक | कार्यरत स्वी0/चौ0 का नाम व दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | पल्हनी | चण्डेश्वर | आयुर्वेदिक | श्री शशिधर शुक्ल<br>10-8-89 | श्री शिवानन्द वर्मा<br>1-5-89 | श्री सुरेन्द्र कुमार गौड़<br>29-1-90 | श्री शिवकरन गौड़<br>30-5-88 | श्री अहमद<br>13-9-61 |
| 2 | मार्टीनगंज | दीदारगंज | " | श्री विजय प्रताप<br>11-9-89 | श्री जगदीश प्रसाद<br>17-10-89 | श्री नरसिंह<br>3-12-54 | पद स्वीकृत नहीं | पद स्वीकृत नहीं |
| 3 | लालगंज | देवगांव | " | श्री हरिश्चन्द्र पाठक<br>27-9-89 | श्री गणेश सिंह<br>4-3-89 | श्री लाल साहब<br>19-4-77 | श्रीमती बिठुना<br>7-6-85 | श्रीमती मुमुन्शिा<br>1-4-88 |
| 4 | तहबरपुर | चन्दाभारी | " | श्री हीरा लाल<br>22-9-89 | श्री शिवशंकर प्रसाद<br>6-10-88 | श्री विक्रम राम<br>6-84 | पद स्वीकृत नहीं | श्री मन्शूर<br>4-12-75 |
| 5 | तरवा | बांसगांव | " | श्री राधेश्याम दीक्षित<br>10-7-87 | श्री अश्वनी कुमार मिश्र,<br>8-10-88 | श्री शंकर राम<br>11-7-88 | " | पद स्वीकृत नहीं |
| 6 | मुहम्मदपुर | गम्भीरपुर | " | श्री प्रेम चन्द्र पाठक<br>27-10-90 | श्री केवल राम मौर्य<br>1-8-88 | श्री रामानन्द यादव<br>2-8-88 | " | श्री कलाम<br>29-4-87 |

अग्रिम संदर्शन विधान सभा

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | हरैया | रोनापार | " | श्री जाहिर अली सिद्दीकी 19-7-89 | श्री कमलेश कुमार 9-3-90 | श्री अभिमन्यु सिंह 7-90 | पद स्वीकृत नहीं | पद स्वीकृत नहीं |
| 8 | मेहनगर | रेण्डा | " | श्री त्रिलोचन सिंह 11-8-83 | श्री राजेश 30-3-84 | श्री राम सिंगार तिवारी 18-11-85 | " | " " |
| 9 | महराजगंज | अराजीअमानी | " | पद रिक्त | श्री रमाकान्त पाठक 26-4-85 | श्री मूल चन्द्र 4-85 | " | " |
| 10 | महराजगंज | महराजगंज | " | श्री कौशलेन्द्र प्रसाद चौधरी 18-8-87 | श्री भारत मिश्र 17-8-89 | श्री फूल चन्द्र 7-84 | " | श्री हवीबुल्लाह 2-88 |
| 11 | लालगंज | बहादुरपुर | " | श्री सीताराम सिंह 19-7-89 | श्री तेजधारी राम 14-6-85 | श्री राम हरखा 21-6-69 | " | श्री इस्लाम 2-5-87 |
| 12 | हरैया | उर्दिहा | " | श्री हरिश्चन्द्र पाण्डेय 28-688 | श्री राजेन्द्र यादव 21-3-86 | श्री बाबू लाल 7-90 | " श्री शहाबुद्दीन | 1-5-79 |
| 13 | मैहनगर | बिसानी | " | पद रिक्त | श्रीधर मिश्र 7-12-91 | श्री रामबली 23-7-90 | " | श्री झिनकू 17-2-92 |
| 14 | बिलरियागंज | कप्तानगंज | " | श्री रामस्वार्थ चौधरी 22-5-90 | श्री विश्वनाथ 27-12-88 | श्री राजबहादुर सिंह 22-6-90 | " | " श्री अस्फाक 12-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | तरवा | पलहना | आयुर्वेदिक | श्री कृपा शंकर पाण्डेय 26-2-90 | 6-4-91 | श्री लोरिक यादव 3-84 | पद स्वीकृत नहीं | श्री आशिक अली 2-88 |
| 16 | अतरौलिया | लोहरा | " | श्री राधेश्याम वर्मा 29-7-91 | श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह 28-8-89 | श्री रमापती 1-92 | " | श्री अलीरजा 12-91 |
| 17 | जहानागंज | धरवारा | " | श्री विजय प्रकाश पाण्डे 18-11-85 | श्री राम चन्द्र चौहान 5-9-86 | श्री शिव प्रकाश 4-85 | " | श्री साहिदरजा 17-2-92 |
| 18 | सठियांव | लारपुरनैठी | " | श्री नियामतुल्लाह खां 1-7-88 | श्री प्रकाश सिंह 9-9-91 | श्री सर्वजीत प्रसाद यादव 1-4-85 | " | श्री अफजाल 1-8-90 |
| 19 | अहिरौला | गजधर पट्टी | " | श्री राजेन्द्र प्रसाद 8-8-91 | श्रीराम चरन 23-2-89 | श्री पारस नाथ यादव 1-92 | " | श्री मुख्तार 12-10-90 |
| 20 | अतरैलिया | बढ़या | " | श्री राम विलास यादव 1-3-90 | श्री गंगा प्रसाद मिश्र | री रामजीत 6-84 | पदस्वीकृत नहीं | श्री इशहाक 8-88 |
| 21 | हैरैया | करखिया | " | पद रिक्त | श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव 20-2-92 | श्री जय प्रकाश मालवीय 4-85 | " | श्री हदीश 18-2-87 |
| 22 | रानीकी सराय | ऊंची गोदाम | " | श्री देवेश यादव 19-2-86 | श्री रमा शंकर 28-5-85 | श्री मोती यादव 1-4-85 | " | श्री भागीरथी 11-9-91 |
| 23 | अजमतगढ़ | लाटघाट | " | श्री अवनीश कुमार राय 28-6-90 | श्री राधेश्याम 26-11-90 | श्री रमेश चन्द्र 4-85 | " | श्री कमरूद्दीन 3-85 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | मिर्जापुर | टुडवल | आयुर्वेदिक | श्री रामचन्द्र गुप्त 23-8-91 | श्री रामजीत 11-88 | श्री बासदेव 5-85 | पद स्वीकृत नहीं | श्री महबूब 3-85 |
| 25 | हरैया | ताहिरपुर | ,, | श्री आद्या प्रसाद पाठक 31-7-90 | श्री चन्द्र 6-12-90 | श्री त्रिलोकी सिंह 10-87 | ,, | श्री अब्दुल अली अनुपस्थित |
| 26 | लालगंज | लहुआकलां | ,, | श्री ब्रहमदेव चतुर्वेदी6-9-91 | श्री राम धनी 16-10-89 | श्री बाल किशुन 13-7-90 | ,, | श्री लाल मुहम्मद 8-84 |
| 27 | अहिरौला | बिलारी | ,, | श्री राम सिरोमणि उपाध्याय 20-8-91 | श्री राम मनोहर सिंह 13-8-87 | श्री सूरजनाथ 11-7-90 | ,, | श्री खुर्शीद 2-8-88 |
| 28 | तहबरपुर | कोहिना | ,, | पद रिक्त | श्री राम दुलारे पाण्डेय16-8-88 | श्री रामाश्रय यादव 7-90 | ,, | श्री मु0 नशीम 23-8-87 |
| 29 | अजमतगढ़ | बालीपुर | ,, | श्री गोरख नाथ राय 17-7-89 | श्री राम कुमार 11-9-89 | श्री महेन्द्र राय 9-1-91 | ,, | श्री छबी लाल 6-6-90 |
| 30 | कोयलसा | कोयलसा | यूनानी | श्री उबैदुर्रहमान 27-6-90 | श्री मु0 इद्रीश 28-12-91 | श्री तेज बहादुर सिंह 19-9-88 | ,, | पद स्वीकृत नहीं |
| 31 | मेहनगर | मेहनगर | ,, | श्री शकील अहमद सिद्दीकी 21-12-87 | श्री कली मुल्लाह 1-92 | श्री नजुमुद्दीन 5-84 | ,, | ,, |
| 32 | मुहम्मदपुर | मुहम्मदपुर | ,, | श्री गौशुल आजम अंसारी29-12-89 | श्री सै0 हस नरजी 24-12-90 | श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 4-7-91 | ,, | ,, |

अनंत प्रकाशन विधानसभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | अजमतगढ़ | अंजानशहीद | यूनानी | श्री शकील अहमद<br>14-6-90 | श्री गयासुद्दीन अहमद<br>9-8-90 | श्रीमती हबी-बुन्शां<br>2-11-78 | श्री अंसार<br>18-9-88 | श्री समी उल्लाह<br>3-83 |
| 34 | मार्टीनगंज | नौनारी | ,, | श्री अब्दुल अजीज<br>23-2-86 | श्री रफी अहमद<br>3/91 | श्री राजधारी<br>25-3-80 | पद स्वीकृत नहीं | श्री आबिजमाल<br>5-5-88 |
| 35 | पवई | कोहड़ा | ,, | पद रिक्त | श्री साहिदहुसैन<br>19-4-88 | श्री शमीम<br>30-4-85 | ,, | श्री मुल्तान<br>7-90 |
| 36 | ,, | खरूद्दीनपुर | ,, | श्री हसन एबा<br>15-5-88 | श्री इब्नेहसन<br>2-86 | श्री श्यामाराम<br>23-10-90 | ,, | श्री अकील<br>1-1-91 |
| 37 | पल्हनी | नगरआजमगढ़ | आयुर्वेदिक | श्री रामजीत त्रिपाठी<br>6-2-92 | श्री यतीन्द्र नाथ तिवारी<br>3-9-79 | श्री गुलाब<br>17-7-78 | श्री फूल चन्द्र<br>17-4-85 | श्री खलील<br>15-10-85 |
| 38 | अजमतगढ़ | जीयनपुर 15 बेड | ,, | श्री हरिहर उपाध्याय<br>22-12-90 | श्री चन्द्र प्रकाश<br>27-11-90 | श्रीपाल चन्द्र<br>7-12-90 | श्री विक्रमनियत<br>22-12-90 | श्री अ0कलाम<br>9-91 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ड'

(देखिये अता0प्र0सं0 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

**विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 5वें शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ऊदल के अतारांकित प्रश्न संख्या-144 के उत्तर का संलग्नक**

### सरकारी भवनों पर बकाया जल कर की सूची

| क्रमांक | विभाग का नाम | कुल बकाया जल कर की धनराशि (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | वाराणसी विकास प्राधिकरण | 1400749-60 |
| 2 | पी0डब्लू0डी0 | 216199-55 |
| 3 | पुलिस विभाग | 85551-76 |
| 4 | चिकित्सा विभाग | 11130-65 |
| 5 | शिक्षा विभाग | 49422-40 |
| 6 | वन विभाग | 155801-13 |
| 7 | उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी | 69771-50 |
| 8 | भण्डारागार निगम, वाराणसी | 76694-00 |
| 9 | उपायुक्त बिक्रीकर, वाराणसी | 65418-50 |
| 10 | सिंचाई विभाग | 44047-80 |
| 11 | संस्कृत विश्व विद्यालय, वाराणसी | 42653-55 |
| 12 | न्याय विभाग | 6227-02 |
| 13 | मण्डी समिति, वाराणसी | 21000-00 |
| 14 | जिलाधीश वाराणसी | 5740-00 |
| 15 | रोडवेज | 1596-00 |
| 16 | क्षेत्रीय अभिलेखागार, वाराणसी | 3628-80 |
| 17 | वित्तीय निगम, वाराणसी | 4836-40 |
| 18 | राष्ट्रीय अल्प बचत योजना | 7888-32 |
| 19 | सूचना विभाग | 2661-12 |
| 20 | काशी विद्यापीठ, वाराणसी | 3961-35 |
| | कुल योग. | 22,74,979-45 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0सं0 162 का उत्तर पीछे पृष्ठ 192 पर)

**मदरसा मिस्बाहुल उलूम देवा शरीफ, बाराबंकी में कार्यरत कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1987-88 तथा वर्ष 1988-89 में वितरित धन की सूची**

| क्र0सं0 | नाम अध्यापक/ कर्मचारी | वर्ष (87-88) | वर्ष (88-89) |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री मु0 फहीम अहमद | 8630-00 | 13973-00 |
| 2 | श्रीमती मफ्फतआरा | 9908-20 | 11367-00 |
| 3 | श्री मु0अजीम बेग | 9891-00 | 11351-00 |
| 4 | मुस्तफा अली | 10251-80 | 11748-00 |
| 5 | सलीमउद्दीन | 5946-10 | 10973-00 |
| 6 | मु0 सलीम | 10182-60 | 11672-00 |
| 7 | मु0 समी | 8730-10 | 9966-00 |
| 8 | मु0याकूब | 8378-80 | 9567-00 |
| 9 | हाफिज मु0युसूफ | 8872-50 | 10147-00 |
| 10 | मु0आसिम | 8734-80 | 9838-00 |
| 11 | हाफिज मु0तैयब | 8780-40 | 10021-00 |
| 12 | जलालउद्दीन | 8237-50 | 9521-00 |
| 13 | हाफिज मुईनउद्दीन | 8378-80 | 9350-00 |
| 14 | मुहम्मद जुबेर | 4984-90 | - |
| 15 | अली वारिस कादरी | - | 3444-00 |
| 16 | अब्दुल गनी चपरासी | 8018-50 | 9150-00 |
| 17 | मु0हनीफ | 7683-60 | 8788-00 |
| 18 | श्री रहमत अली चौकीदार | 8128-00 | 9277-00 |

## नत्थी 'छ'

(देखिये अता0 प्र0सं0 170 का उत्तर पीछे पृष्ठ 107 पर)

**जनवरी, 1989 से दिनांक 20 दिसम्बर, 1991 तक पालिका द्वारा कराये कार्यों का विवरण**

| क्र0सं0 | सड़कों/गलियों के नाम जिनमें निर्माण कार्य कराये गये |
|---|---|
| 1 | वलखण्डो नाका चौराहे से सण्डा चौराहे तक सड़क खड़ंजा नाली का निर्माण |
| 2 | टेलीफोन चौराहे से श्याम हलवाई चौराहे तक " " |
| 3 | जग्गेवाई चौराहे से महेश्वरी देवी चौराहे तक खड़ंजा नाली निर्माण |
| 4 | रामा अस्पताल से छावनी सड़क तक सड़क व नाली का निर्माण |
| 5 | पीली कोठी चौराहे से छावनी चौराहे तक सड़क खड़ंजा नाली निर्माण |
| 6 | कोतवाली से झण्डा चौराहे तक सड़क नाली खड़ंजा निर्माण |
| 7 | मर्दननाका कबिग्रस्तान के पास सड़क नाली निर्माण |
| 8 | मु0 अलीगंज में मातादीन से सिद्धि महाराज के मकान तक गली नली । |
| 9 | मुरहा कुंआ से शंकरे गुरू चौराहे तक खड़ंजा निर्माण |
| 10 | शंकर गुरू चौराहे से सेमसंस स्टोर तक खड़ंजा निर्माण |
| 11 | शंकर गुरू चौराहे से जिला परिषद् सुपर मार्केट तक गली नाली |
| 12 | वार्ड नं0-1 से 5 तक के 50 हजार रुपये के स्वीकृत आगणन में नाली मरम्मत । |
| 13 | वार्ड नं0 6 से 10 तक के 50 हजार रुपये के स्वीकृत आगणन में नाला मरम्म |
| 14 | वार्ड नं0 11 से 15 " " " |
| 15 | वार्ड नं0-16 से 20 " " " |
| 16 | दमेले से भूरी लाल वार्ड (7) पटियों की गली मरम्मत तक |
| 17 | वलखाड़ी नाका पुलिस चौकी राम कृपाल के मकान तक नाली मरम्मत |
| 18 | हैडपोस्ट आफिस के सामने गली मरम्मत कार्य |
| 19 | शिवपूजन से डा0 रउफ तक " , (मु0अवीगंज में) |
| 20 | सकूर टेलर मास्टर के पास मदन नाका में गली मरम्मत कार्य |
| 21 | आस्कर दत्त मिश्रा खेड़ा भार्गव तक गली मरम्मत कार्य |
| 22 | श्री राम रसन शर्मा के पास गली " " |
| 23 | कैलाशपुरी में आर0पी0 तिवारी के पास गली " |
| 24 | छावनी में राजकुमार करवरिया के पास गली " |

पी0एस0यू0पी0-एल0 217 वि0सभा (358)-1994-572-ई0टी0 ।